खण्ड-397, अंक-1
गुरुवार, 7 आषाढ़, शक संवत् 1912
(28 जून, 1990 ई0)

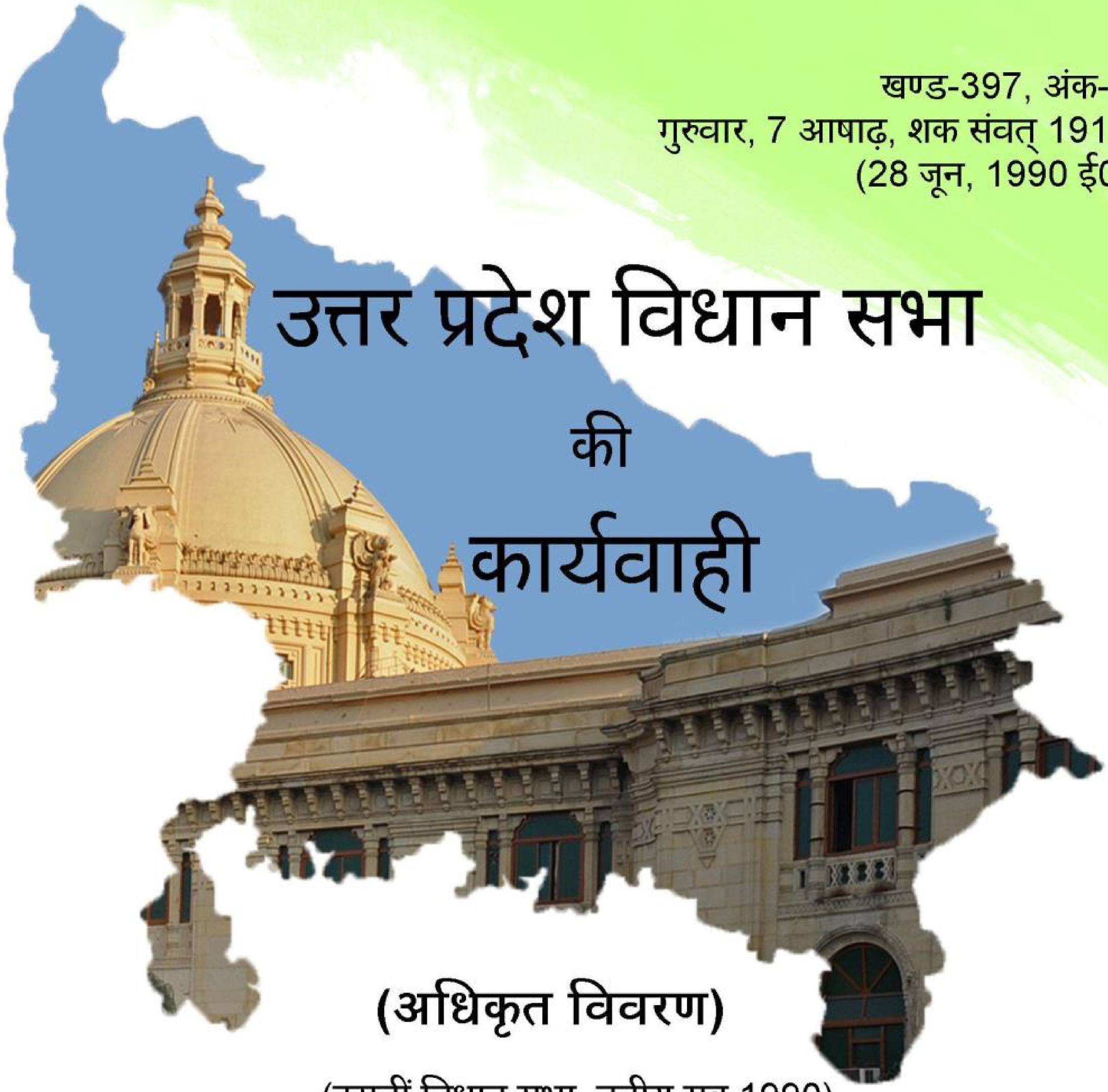

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
महामहिम राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल तथा विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मंडल ..	
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची ..	क–ङ
उपस्थित सदस्य ..	1
प्रश्नोत्तर ..	3
नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 1 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने से इसे स्थगित करके चर्चा कराये जाने की मांग ..	3–106
भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के आगरा आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी .	106–108
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	108–109
जनपद लखीमपुर खीरी के जंगबहादुर कस्बे में राष्ट्रीय मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् गोरखपुर में छटनी शुदा मस्टररोल कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109–110
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति आदि के उत्थान की परियोजना को बाराबंकी से न हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
उन्नाव जनपद में विद्युत् आपूर्ति की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	110
जनपद बहराइच के मल्लावां क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
शारदा सहायक समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना के पूर्व स्वीकृत पदों के समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
इलाहाबाद नगर में नजूल की भूमि के अवैध कब्जा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112–113
कार्य सूची के नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या–तीन को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	113–114
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं ..	114–115
सदस्यों को सदन में अधिकाधिक बोलने का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	115–116

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधि वाम्यकरण) विधेयक, 1990 तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) [द्वितीय संशोधन] विधेयक, 1990 (सहमति के लिये पटल पर रखा गया) ..	116
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ..	116–118
पीठ की अवमानना के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण पर श्री अध्यक्ष के विचार ..	118–120
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	120–130
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक की अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 48—मुस्लिमवक्फ विभाग, अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 71–श्रम विभाग (सेवायोजन) (जारी) ..	130–131
कार्य स्थगन प्रस्तावों के मध्य हुए शोक शोक के सम्बन्ध में गन्ना मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ..	131–133
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 71 श्रम विभाग (सेवायोजन) (क्रमागत) ..	133–157
श्रम विभाग के बजट चर्चा में समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	157
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 70—श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 71—श्रम विभाग नियोजन (स्वीकृत) ..	157–170
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) ..	170–175
वित्तीय वर्ष 1990–91 के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	175
फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में सेवारत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा ..	175–183
थाना मुन्डेरवा, जिला बस्ती में पुलिस के लाकअप में श्री अनिल कुमार सिंह की मृत्यु हो जाने विषयक तथा रुधाना नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य ..	184
विधायक श्री गोमती यादव एवं उनके अंग रक्षक पर प्राणघातक हमला किये जाने सम्बन्धी सूचना पर वक्तव्य ..	184–189
आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	189–190
कोरम के अभाव में सदन का स्थगन ..	190–191
नस्थियां ..	193–196

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1--श्री मुलायम सिंह यादव, ..	मुख्य मंत्री एवं प्रभारी सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, नागरिक उड्डयन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, उद्योग, गृह, ऊर्जा, दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, कृषि, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, संस्थागत वित्त, आवास, न्याय एवं विधायिका, सहकारिता, परिवहन, पर्यटन ।
2--श्री रेवती रमण सिंह ..	सिंचाई एवं लघु उद्योग तथा पर्यावरण मंत्री ।
3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा ..	सार्वजनिक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री ।
4--श्री राम शरण दास ..	गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री ।
5--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी ..	शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री ।
6--श्री मुख्तार अनीस ..	जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।
7--श्रीमती सुखदा मिश्रा ..	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ।
8--श्री अवधेश प्रसाद ..	हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ।
9--श्री दिवाकर विक्रम सिंह ..	खाद्य तथा रसद मंत्री ।
10--श्री मोहम्मद आजम खां ..	श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ।
11--श्री विक्रमादित्य पाण्डे ..	नगर विकास मंत्री ।
12--श्री बरफिया लाल जुवांठा ..	पर्वतीय विकास मंत्री ।
13--श्री मोहम्मद असलम खां ..	वन एवं खेलकूद मंत्री ।
14--श्री शतरुद्र प्रकाश	नियोजन एवं कारागार मंत्री ।

नेता विरोधी दल

श्री नारायण दत्त तिवारी .. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मंडल

अध्यक्ष

श्री हरी किशन

उपाध्यक्ष

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान

अधिष्ठाता मण्डल

1--श्री सन्त बख्श रावत, सदस्य विधान सभा (लखनऊ)
2--श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा (इलाहाबाद)
3--श्री बाबू राम यादव, सदस्य विधान सभा (मैनपुरी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4—श्री सैयद लियाकत हुसैन, सदस्य विधान सभा (फतेहपुर)

5—श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा (मेरठ)

6—चौधरी शंकर सिंह, सदस्य विधान सभा (जालौन)

7—श्री ऊदल, सदस्य विधान सभा (वाराणसी)

8—डा० शिवानन्द नौटियाल, सदस्य विधान सभा (चमोली)

9—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य विधान सभा (इलाहाबाद)

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सदस्य विधान सभा (सीतापुर)

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1—अकबर अली, श्री — जालौन
2—अकबर हुसैन बाबर, श्री — फैजाबाद
3—अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री — गोण्डा
4—अख्तर, श्री — गाजियाबाद
5—अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
6—अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
7—अतर सिंह यादव, श्री — एटा
8—अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
9—अनवार माहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
10—अनिल कुमार भारद्वाज, श्री — रामपुर
11—अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
12—अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13—अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14—अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15—अमरपाल सिंह, श्री — मेरठ
16—अमरमणि, श्री — महाराजगंज
17—अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री — मऊ
18—अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
19—अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
20—अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
21—कुंवर अरुण, श्री — फैजाबाद
22—अरुण कुमार सिंह मुन्ना, श्री — जौनपुर
23—अरुण प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
24—अर्जुन सिंह यादव, श्री — जौनपुर
25—अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
26—अशोक कुमार, श्री — बिजनौर
27—अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
28—अशोक पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
29—अशोक कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
30—अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
31—अशोक बाजपेयी, श्री — हरदोई
32—असगर, श्री — देवरिया
33—अहिबरन, श्री — शाहजहांपुर
34—इन्दल सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
35—इन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बहराइच
36—इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
37—इन्द्रेश विक्रम, श्री — रायबरेली
38—इम्तियाज माहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
39—ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
40—उमाकान्त बाजपेयी, श्री — फतेहपुर
41—उमानाथ सिंह, श्री — जौनपुर
42—ऊदल, श्री — वाराणसी
43—एदल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
44—ओंकार सिंह, श्री — एटा
45—ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
46—ओम प्रकाश यादव, श्री — मुरादाबाद
47—ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
48—ओम प्रकाश दिवाकर, श्री — फिरोजाबाद
49—ओम प्रकाश सिंह, श्री — गाजीपुर
50—कप्तान सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
51—कमल नयन वर्मा, श्री — रायबरेली
52—कमला साहनी, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
53—कमाल अहमद रिजवी, श्री — खीरी
54—करन चन्द्र सिंह, श्री — नैनीताल
55—करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
56—कल्यान सिंह, श्री — अलीगढ़
57—कलियान सिंह दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
58—काजी मो0 मोहिउद्दीन श्री — हरिद्वार
59—कालीचरण, श्री — मिर्जापुर
60—काशी प्रसाद, श्री — हमीरपुर
61—काशी सिंह एरी, श्री — पिथौरागढ़
62—काशिम अली, श्री — देवरिया
63—किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
64—किशन गोपाल, श्री — आगरा
65—के0 एस0 तड़ागी, श्री — नैनीताल

66—किशोरी श्याम, श्री मथुरा
67—कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री इलाहाबाद
68—कुंवर सिंह नेगी, श्री चमोली
69—कृपा शंकर आर्य, श्री देवरिया
70—कृष्ण किंकर सिंह, श्री बस्ती
71—कृष्ण कुमार नवमान, श्री अलीगढ़
72—कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री बदायूं
73—केदार नाथ सिंह, श्री गोरखपुर
74—केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
75—खुर्शीद, श्री गाजीपुर
76—गंगाभक्त सिंह, श्री हरदोई
77—गंगाराम, श्री बुलन्दशहर
78—गंजी प्रसाद, श्री वाराणसी
79—गजराज सिंह, श्री गाजियाबाद
80—गणेश दीक्षित, श्री कानपुर
81—गनपत सिंह, श्री महराजगंज
82—गया प्रसाद वर्मा, श्री इटावा
83—गुलाब सिंह, श्री देहरादून
84—गुलाब सिंह, श्री मिर्जापुर
85—गोपाल रागदास, श्री अल्मोड़ा
86—गोपीनाथ वर्मा, श्री फैजाबाद
87—गोमती यादव, श्री आजमगढ़
88—गोवर्धन सिंह, श्री एटा
89—गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
90—गौरी शंकर भइया, श्री बलिया
91—चन्द्रकली वर्मा, श्रीमती सीतापुर
92—चन्द्रपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
93—चन्द्रभान मौर्य, श्री आगरा
94—चन्द्रभान सिंह, श्री बांदा
95—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
96—चन्द्रविजय सिंह, श्री मुरादाबाद
97—चन्द्र शेखर सिंह, श्री वाराणसी
98—चन्द्र शेखर सिंह, श्री बस्ती
99—चरन सिंह, श्री मेरठ
100—चेतराम, श्री शाहजहांपुर
101—चैनसुखा भारती, श्री जालौन
102—चौधरी शंकर सिंह, श्री जालौन
103—छन्नू लाल शास्त्री, श्री वाराणसी
104—छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
105—छोटे लाल, श्री खीरी
106—जगदीश चन्द्र, डा0 लखनऊ
107—जगदीश लाल, श्री महराजगंज
108—जगमोहन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
109—जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
110—जगवीर सिंह, श्री अलीगढ़
111—जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महाराजगंज
112—जफर अली नकवी, श्री खीरी
113—जमुना प्रसाद बोस, श्री बदायूं
114—जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
115—जयराज गौतम, श्री सुल्तानपुर
116—जयशंकर पाण्डेय, श्री फैजाबाद
117—जय सिंह यादव, श्री प्रतापगढ़
118—जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अल्मोड़ा
119—जागेश्वर, श्री फतेहपुर
120—जी0 एस0 विनोद, डा0 मुजफ्फरनगर
121—जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री कानपुर
122—ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री मथुरा
123—ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
124—झग्गड़ सिंह, श्री मेरठ
125—तीरथराज, श्री सोनभद्र
126—तेजपाल, श्री बिजनौर
127—दयाराम भास्कर, श्री आजमगढ़
128—दयाशंकर, श्री वाराणसी
129—दशरथ सिंह, श्री गोण्डा
130—दिनेश जौहरी, डा0 बरेली
131—दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
132—दीपचन्द्र सोनकर, श्री जौनपुर
133—दीपनारय्यन, श्री आजमगढ़
134—दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135—देवकी नन्दन, श्री उन्नाव
136—देवकुमार यादव, श्री बांदा
137—देवतादीन, श्री बहराइच
138—देवी प्रसाद, श्री बहराइच
139—देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ललितपुर
140—देवेन्द्र सिंह, श्री एटा
141—दौलतराम, श्री बदायूं
142—दौलतराम, श्री सीतापुर
143—धनीराम वर्मा, श्री इटावा
144—धर्मज्ञ मिश्र, श्री हरदोई
145—धर्मपाल, श्री बहराइच

146—धर्मपाल, श्री बुलन्दशहर
147—धर्मवीर सिंह, बालियान श्री मुजफ्फरनगर
148—नकली सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
149—नजमुद्दीन, श्री इलाहाबाद
150—नरेन्द्र पाल सिंह, बरेली
151—नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
152—नरेन्द्र सिंह, श्री मेरठ
153—नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री गढ़वाल
154—नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
155—नरेश चन्द्र उत्तम, श्री फतेहपुर
156—नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
157—नियाज हसन, श्री प्रतापगढ़
158—निरवेन्द्र कुमार, श्री खीरी
159—निहाला सिंह, श्री वाराणसी
160—नेमपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
161—पंचानन राय, श्री आजमगढ़
162—पद्मा सेठ, श्रीमती सीतापुर
163—परमाई लाल, श्री हरदोई
164—परवेज हलीम खान, श्री मेरठ
165—प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
166—पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
167—पूर्णवासी, श्री देवरिया
168—पुष्पा देवी, श्रीमती बदायूं
169—प्यारेलाल शंखवार, श्री कानपुर देहात
170—प्रदीप कुमार यादव, श्री बाराबंकी
171—प्रभु दयाल यादव, श्री कानपुर देहात
172—प्रभुदयाल, श्री मेरठ
173—प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
174—प्रवीण सिंह एरेन, श्री बरेली
175—प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थनगर
176—प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
177—फकीरे लाल वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
178—फौजदार प्रसाद, श्री मऊ
179—बंशीधर, श्री रामपुर
180—बदन सिंह, श्री आगरा
181—बरफिया लाल जुवांठा, श्री उत्तर काशी
182—बलराम यादव, श्री आजमगढ़
183—बलवीर सिंह, टिहरी गढ़वाल
184—बल्देव सिंह, श्री बिजनौर
185—बसन्त लाल गुप्ता, श्री लखनऊ
186—बहादुर सिंह, श्री आगरा
187—बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
188—बाबूलाल, श्री हमीरपुर
189—बाबूलाल सरोज, श्री प्रतापगढ़
190—बाबू सिंह यादव, श्री अलीगढ़
191—बालचन्द्र मिश्रा, श्री कानपुर
192—बृजभूषण मणि त्रिपाठी, डा० फैजाबाद
193—विजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
194—बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बाराबंकी
195—ब्रह्मा शंकर तिवारी, श्री देवरिया
196—भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर देहात
197—भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
198—भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
199—भूधर नारायण मिश्र, श्री कानपुर
200—भूपेन्द्र नाथ शर्मा, श्री बरेली
201—भोपाल सिंह, श्री मेरठ
202—भोला पाण्डेय, श्री बलिया
203—भोला सिंह, श्री इलाहाबाद
204—मंजूर अहमद, श्री बरेली
205—मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री टिहरी गढ़वाल
206—मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
207—मदन गोविन्द राव, श्री देवरिया
208—मनोहर लाल, श्री उन्नाव
209—मयंकर सिंह, श्री बहराइच
210—मस्तराम, श्री उन्नाव
211—महाराज सिंह यादव, श्री इटावा
212—महावीर, श्री मुजफ्फरनगर
213—महाबीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
214—महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री इलाहाबाद
215—महेन्द्र सिंह महरा महूभाई श्री पिथौरागढ़
216—महेन्द्र सिंह भाटी, श्री गाजियाबाद
217—माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
218—माधव, श्री एटा
219—मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
220—मास्टर कुंवर पाल, श्री सहारनपुर
221—मिठाई लाल शास्त्री, श्री गोरखपुर

222—मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मिया, श्री बदायूं
223—मुंशी लाल, श्री इटावा
224—मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
225—मुक्तिनाथ, श्री देवरिया
226—मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
227—मुरलीधर मुनीम, श्री गोण्डा
228—मुलायम सिंह यादव, श्री इटावा
229—मुहम्मद सईद 'भूमर' सिद्धार्थनगर
230—मुस्तमन्द अली खां, श्री मथुरा
231—मूलचंद, श्री वाराणसी
232—मोतीलाल देहलवी, श्री कानपुर देहात
233—मोबीन अहमद आजमी, श्री मऊ
234—मोहम्मद असलम खां, श्री सहारनपुर
235—मोहम्मद आजम खा, श्री रामपुर
236—मोहम्मद उल्लाह, श्री मुरादाबाद
237—मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री मुरादाबाद
238—मो0 हयात, श्री मुरादाबाद
239—यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
240—यशलाल, श्री आजमगढ़
241—यशवंत, श्री आजमगढ़
242—युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
243—योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
244—रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल, श्री फिरोजाबाद
245—रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोण्डा
246—रघुवीर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
247—रणजीत सिंह, श्री देहरादून
248—रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
249—रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
250—रतनलाल उर्फ दीना, श्री बाराबंकी
251—रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
252—रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
253—रमेश करन, श्री अलीगढ़
254—रविकान्त गर्ग, श्री मथुरा
255—रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
256—रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री गाजीपुर
257—रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री फैजाबाद
258—रवीन्द्र रायत उर्फ पप्पन, श्री बुलन्दशहर
259—रवीन्द्र शुक्ल, श्री झांसी
260—रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री फिरोजाबाद
261—राकेश कुमार पालीवाल, श्री इटावा
262—राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
263—राजकिशोर सिंह, श्री वाराणसी
264—राजधारी, श्री बलिया
265—राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री गाजीपुर
266—राजपति, श्री जौनपुर
267—राजपती देवी, श्रीमती सुल्तानपुर
268—राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
269—राजमणि पाण्डेय, श्री बस्ती
270—राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री सीतापुर
271—राजित प्रसाद यादव, श्री वाराणसी
272—राजीव कुमार सिंह, बाराबंकी
273—राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
274—राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
275—राजेन्द्र सिंह, श्री हमीरपुर
276—राजेश्वर बंसल, श्री मुजफ्फरनगर
277—राधेश्याम भारतीय, श्री इलाहाबाद
278—रामआसरे अग्निहोत्री, श्री कानपुर
279—राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
280—राम अंतार दीक्षित, श्री हरदोई
281—राम अंतार मिश्र, श्री शाहजहांपुर
282—रामकरन आर्य, श्री बस्ती
283—रामकुमार, श्री खीरी
284—रामकुमार शुक्ल, श्री लखनऊ
285—राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
286—राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री बाराबंकी
287—राम छबीला, श्री देवरिया
288—राम तेज, श्री बहराइच
289—राम दुलार सिंह, श्री इलाहाबाद
290—रामधनी, श्री गाजीपुर
291—रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
292—रामपाल सिंह एटवोकेट गोण्डा
293—राम प्रसाद देशमुख, श्री अलीगढ़
294—राम प्रसाद सिंह, श्री बांदा
295—राम बक्श वर्मा, श्री फर्रुखाबाद

296—राम बचन, श्री आजमगढ़
297—राम बचन धुसिया, श्री बलिया
298—राम मूरती सिंह, श्री शाहजहांपुर
299—रामरति बिन्द, श्री वाराणसी
300—राम लखन यादव, श्री प्रतापगढ़
301—राम लखन वर्मा, श्री फैजाबाद
302—राम ललित, श्री बस्ती
303—राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
304—राम शरण, श्री सहारनपुर
305—राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
306—राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
307—राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
308—राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
309—राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर
310—रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री मैनपुरी
311—रामेश्वरी, श्रीमती बिजनौर
312—राय लक्ष्मी नारायन सिंह, श्री जौनपुर
313—रिछपाल सिंह बंसल, श्री मेरठ
314—रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री गोण्डा
315—रिफाकत हुसैन, श्री मुरादाबाद
316—रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
317—रुद्र प्रसाद, श्री मिर्जापुर
318—रेशमा आरिफ, श्रीमती कानपुर
319—लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
320—लटूरी सिंह, श्री एटा
321—लालझारी देवी, श्रीमती देवरिया
322—लालता प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
323—विक्रमादित्य, श्री बलिया
324—विजय लक्ष्मी, श्रीमती बलिया
325—विजय सिंह, श्री सोनभद्र
326—विजय सिंह राणा, श्री आगरा
327—विनोद कुमार चौधरी, श्री लखनऊ
328—विपिन बिहारी, श्री हरदोई
329—विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
330—विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
331—विशुन दयाल, श्री बहराइच
332—विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
333—विश्वनाथ, श्री देवरिया
334—वीर अभिमन्यु सिंह, श्री फतेहपुर
335—वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
336—वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री कानपुर
337—वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
338—वीरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
339—वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
340—वीरेन्द्र सिंह, श्री सहारनपुर
341—वीरेन्द्र सिंह, श्री हरिद्वार
342—शतरुद्र प्रकाश, श्री वाराणसी
343—शफीकुर्रहमान बर्क, श्री मुरादाबाद
344—शमी (शमीम) अहमद खां, डा0 मुरादाबाद
345—शमेन्द्र त्यागी, श्री मुरादाबाद
346—शशि मित्तल, श्रीमती मेरठ
347—शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
348—शारदानन्द अंचल, श्री बलिया
349—शारदा प्रसाद रावत, श्री गोरखपुर
350—शारदा प्रताप शुक्ल, श्री लखनऊ
351—शिवकरन सिंह, श्री बाराबंकी
352—शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर
353—शिव दर्शन, श्री रायबरेली
354—शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
355—शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
356—शिव बालक, श्री रायबरेली
357—शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी0 टी0 आई0 श्री मैनपुरी
358—शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री जालौन
359—शिवानन्द नौटियाल, डा0 चमोली
360—शैलेन्द्र कुमार, श्री इलाहाबाद
361—श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री वाराणसी
362—श्याम नारायन तिवारी, श्री महराजगंज
363—श्याम विहारी सिंह, श्री बरेली
364—श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
365—श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
366—श्री प्रकाश उर्फ ज्ञानू, श्री आजमगढ़
367—श्री राम चौहान, श्री बस्ती
368—संगम लाल शुक्ला, श्री प्रतापगढ़
369—संत बख्श रावत, श्री लखनऊ
370—संत श्रीराम द्विवेदी, श्री फैजाबाद
371—सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती बदायूं
372—सच्चिदानन्द, श्री उन्नाव

373—सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
374—सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
375—सन्नू लाल, श्री पीलीभीत
376—समीउल्ला, श्री गोण्डा
377—सरजीत सिंह डंग, डा0 मिर्जापुर
378—सरदार सिंह, श्री मथुरा
379—सरस्वती तिवारी, श्रीमती अल्मोड़ा
380—सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
381—सर्वराज सिंह, कुंवर बरेली
382—सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर
383—साहब सिंह, श्री मेरठ
384—सिया दुलारी, श्रीमती बांदा
385—सियाराम सागर, डा0 बरेली
386—सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
387—सुखवीर सिंह, श्री बिजनौर
388—सुखवीर सिंह गहलौत, श्री गाजियाबाद
389—सुन्दर लाल कुरील, श्री उन्नाव
390—सुन्दर लाल, श्री बाराबंकी
391—सुभाष, श्री मऊ
392—सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री गाजियाबाद
393—सुरेन्द्र कुमार दुबे, श्री हरदोई
394—सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 बांदा
395—सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
396—सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
397—सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
398—सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
399—सुरेश चन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
400—सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री अलीगढ़
401—सुरेश यादव, श्री देवरिया
402—मो0 शेख सुलेमान, श्री बिजनौर
403—सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
404—सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री फतेहपुर
405—सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
406—स्वामी नाथ, श्री देवरिया
407—हनुमन्त सिंह, श्री गोण्डा
408—हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
409—हरद्वार दूबे, एडवोकेट आगरा
410—हर नारायन, श्री पीलीभीत
411—हर नारायण सिंह, श्री रायबरेली
412—हर फूल सिंह, श्री सहारनपुर
413—हरवंश सहाय, श्री देवरिया
414—हरी किशन, श्री कानपुर देहात
415—हरिचरन यादव, श्री सुल्तानपुर
416—हरिवंश कपूर, श्री देहरादून
417—हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
418—हरीश कुमार गंगवार, श्री पीलीभीत
419—हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
420—हाजी मो0 वसीम, श्री रायबरेली
421—हृदय नारायण, श्री उन्नाव
422—होशियार, श्री बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 28 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मंडल लखनऊ, में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
उमानाथ, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन गोपाल, श्री	आगरा
गंगाभक्त सिंह, श्री	हरदोई
गुलाब सिंह, श्री	मिर्जापुर
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा
चन्द्र शेखर सिंह,	वाराणसी
जगदीश चन्द्र , डाक्टर	लखनऊ
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल,	हरदोई
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
परमाई लाल, श्री	हरदोई
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
बदन सिंह, श्री	आगरा
बरफिया लाल जुंवाठा, श्री	उत्तरकाशी
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बिजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तेमन्द अली खां,	मथुरा
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
राम बचन घुसिया, श्री	बलिया
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री	उन्नाव
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुबास, श्री	मऊ
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हर नारायण, श्री	पीलीभीत
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर फूल सिंह, श्री	सहरनपुर
हरिवंश कपूर, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, दिनांक 28 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पर्यावरण एवं प्रदूषण सुधार हेतु विश्व बैंक के दल द्वारा शासन को दिये गये सुझावों की जानकारी

**1---श्री हृदय नारायण--

क्या पर्यावरण मन्त्री को जानकारी है कि पर्यावरण एवं प्रदूषण सुधार हेतु प्रदेश को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से मई, 1990 में विश्व बैंक के दल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया था ? यदि हां, तो विश्व बैंक दल ने राज्य भ्रमण के पश्चात् प्रदेश के पर्यावरण-प्रदूषण के सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष/सुझाव दिये हैं ? क्या विश्व बैंक के द्वारा दिये गये सुझावों में प्रदेश में भूमिगत जल के प्रदूषण की समस्या पर भी विचार किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अध्ययन किस विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जायगा ?

सिंचाई एवं पर्यावरण मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)---

विश्व बैंक का अध्ययन दल माह जनवरी व अप्रैल, 1990 में प्रदेश भ्रमण पर आया था। दल ने कुछ भ्रमणकारी उद्योगों का सर्वेक्षण किया और साथ ही प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सुदृढ़ीकरण करने पर विचार विमर्श किया। दल की संस्तुति के आधार पर विश्व बैंक से कुछ प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रदूषण नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कर्मियों को प्रशिक्षण तथा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त होने की आशा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हृदय नारायण---

मान्यवर, मैंने प्रश्न यह पूछा था कि विश्व बैंक दल ने राज्य भ्रमण के पश्चात् प्रदेश के पर्यावरण प्रदूषण के सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकाले और क्या सुझाव दिये, इसका कोई उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में जो यह कहा है कि प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सुदृढ़ीकरण करने पर विचार विमर्श किया, तो यह विचार विमर्श किसके साथ हुआ ? प्रदेश सरकार का कौन प्रतिनिधि उस विचार विमर्श में शामिल था ?

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, विचार विमर्श में सचिव पर्यावरण और सचिव प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड थे।

श्री हृदय नारायण--

मान्यवर, इसका उत्तर नहीं आया कि विश्व बैंक दल ने क्या निष्कर्ष निकाला और क्या सुझाव दिया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

उन्होंने जो सुझाव दिये वह भारत सरकार को दिये हैं लेकिन प्रदेशीय सरकार को मालूम हुआ है कि उन्होंने प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण करने के लिये सुझाव दिये हैं। उन्होंने चार राज्यों का चयन किया है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं, और इन चारों के लिये 500 करोड़ रुपये की धनराशि देने की बात कही है ताकि इन प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण हो सके और साथ ही साथ कामन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये भी कहा है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, यह प्रदूषण की समस्या प्रदेश की गम्भीर समस्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से यह जनता दल की नयी सरकार आयी है, प्रदूषण पर नियन्त्रण पाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, शुगर फैक्ट्रीज को, डिस्टलरीज को और कानपुर की टेनरीज को सभी को नोटिस दी गयी हैं और मान्यवर करीब-करीब अधिकांश जगह या तो उस पर काम चल रहा है ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये और कहीं-कहीं पर उन्होंने कुछ समय मांगा है। जैसे ही कुछ समय के अन्दर 6 महीने के अन्दर हर इन उद्योग समूहों में जिनका मैंने नाम लिया है, इन सब जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिये जायेंगे।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि कानपुर की टेनरीज उद्योग समूहों को नोटिस दी गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इंडो डच स्कीम के तहत पिछली सरकार ने प्रदूषण नियन्त्रण के लिये तमाम धन आबंटित किया था, वह पैसा खराब चला गया। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने प्रदूषण समाप्त करने के लिये सेकेन्डरी ट्रीटमेंट प्लांट और कामन ट्रीटमेंट प्लांट में धन आबंटित किया है। क्या उसी तरह से प्रदेश सरकार धन आबंटित करने का काम करेगी ? कानपुर की टेनरीज ने उन लोगों ने 10 प्रतिशत कामन ट्रीटमेंट प्लांट के लिय जमा कर दिया है लेकिन इसके बाद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या सरकार उद्योगों को बन्द न करने के साथ-साथ इन लोगों को फेसलीटीज सुविधायें देने पर विचार करेगी और दूसरे इनका हरेसमेंट बन्द किया जाय इस पर कार्यवाही करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह प्रदूषण न केवल उत्तर प्रदेश की समस्या है बल्कि यह विश्व की समस्या है। जैसा अभी नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने कहा सही कहा कि इस प्रदेश में अभी प्रदूषण काफी हो रहा है। उसको रोकने के लिये टेनरीज को, शुगर मिल्स को और डिस्टीलरीज को नोटिस दी गयी हैं और उसी के तहत जो 10 प्रतिशत पैसा देने की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसे साधन-धन उपलब्ध नहीं हैं संसाधन नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके लिये पैसा उपलब्ध करा सके। यह पैसा इन टेनरीज आदि को ही देना पड़ेगा और उनको ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, इस सरकार के पदारूढ़ होने के बाद से यहां न केवल राजनीतिक प्रदूषण फैला हुआ है बल्कि पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

क्या सरकार जो आज भट्ठों के द्वारा फैक्टरियों के द्वारा जो ज्यादा प्रदूषण हो रहा है उसके लिए उड़न दस्ते टाइप की कोई व्यवस्था का गठन करेगी जैसे कि अन्य विभाग में हैं शिक्षा विभाग में नकल को रोकने के लिए फ्लाइंग स्कवायड होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष ---

आप प्रश्न करें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

क्या उड़न दस्ते टाइप की कोई व्यवस्था का गठन कर देगी जिसके द्वारा फैक्ट-रियों द्वारा जो नियम का उल्लंघन हो रहा है, उसको देखा जा सके ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह---

माननीय उपाध्याय जी पुराने सदस्य हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह फ्लाइंग स्कवायड टाइम व्यवस्था की बात कर रहे हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, जब इनका सवाल आ गया तो जवाब तो देना ही है । यह जो इन्होंने कहा कि इस प्रदेश में बहुत प्रदूषण फैला हुआ है राजनीति का और दूसरे, मान्यवर यह केवल प्रदूषण फैलाये गए थे, उसको दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं चाहे राजनीति हो या वाह्य । जहां तक इन्होंने सुझाव दिया है भट्ठों के बारे में, मुझे निवेदन करना है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है । इस पर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, सरकार करेगी ।

श्री रुद्र प्रसाद---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जहां पर सीमेन्ट फैक्टरियां हैं इनके वातावरण में इतनी धूल व्याप्त हो गई है कि आस पास में 10 किमी0 तक रहना दूभर हो गया है, मकानों पर रात में धूल आ जाती है वहां के रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है और तमाम दिक्कते होती हैं स्वास्थ्य की । क्या उसका प्रदूषण दूर करने के लिए सरकार कार्य-वाही कर रही है ?

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह---

माननीय सदस्य मिर्जापुर ने जो सवाल पूछा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपके घर-आंगन का सवाल है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, हमारा घर-आंगन तो पूरा प्रदेश है । उनको नोटिस दी गई है सीमेंट उद्योगों को डाला, चुर्क, चुनार को । एक समस्या यह है, वह मैं बता दूं वह फैक्टरियां अनवरत घाटे पर चल रही हैं, उनके पास अपनी फैक्टरी चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो बार-बार नोटिस देने पर भी उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए उन्हें फिर से तत्काल संयत्र लगाने के लिए नोटिस दिया गया है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के जिले से सटा हुआ मवोही क्षेत्र है तथा मिर्जापुर का कुछ इलाका है, जहां कालीनों की धुलाई कई प्रकार के केमिकलों से होती है और उसका पानी नीचे चला जाता है, जिससे पेयजल प्रदूषित हो जाता है, तो क्या ऐसे क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इसका सर्वेक्षण करवा लेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मथुरा में जो छपाई की फैक्टरियां लगी हुई हैं, उनका पानी जमुना में जाता है, क्या उसके बारे में सर्वेक्षण कराकर उनका पानी जमुना नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था करेंगे । दूसरी बात श्रीमन कि पूरे प्रदेश में नगरपालिका, नगरमहापालिका आदि सबका गंदा पानी सीधे नदियों में आता है, तो क्या उन्हें भी प्रदूषण संयत्र लगाने के लिए आदेशित करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य, फिरोजाबाद ने जो सवाल पूछा है, छपाई मिलों में संयत्र लगाने के बारे में, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि मैं इस मामले को दिखवा लूंगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जाएगी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

बरेली में सिन्थेटिक रबर फैक्टरी है और उसका मलवा रामगंगा नदी में मिलता है, जिससे कछुये आदि मर गए हैं तथा लोगों के लिए पीने का पानी सुरक्षित नहीं बचा है, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जहां तक मैं समझता हूं कि उनको नोटिस दी गई होगी, संयत्र लगाने के लिए । अगर नहीं दी गई होगी, तो उनको तत्काल नोटिस दिलवाऊंगा. संयत्र लगाने के लिए, जिससे प्रदूषित पानी नदी में न जा सके और साफ पानी विषैला न हो सके ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बाराबंकी में सुमैया अलकोहल मिल है, जिसका पानी रेंठ नदी से होकर गोमती नदी में मिलता है, जिससे जहर फैल रहा है, इसको रोकथाम करने के लिए क्या कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रदूषण के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश की नीति बनेगी, उसमें बाराबंकी भी आ जायेगा ।

(अगला प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर)

[अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे (व्यवधान) हो गया]

श्री उपाध्यक्ष--

इस सवाल पर 15 मिनट का समय हो गया है, जबकि एक सवाल के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित है । इस सवाल के महत्व को देखते हुए मैंने ज्यादा समय दे दिया है, अब मैं इसके लिए समय नहीं दूंगा । कृपा करके आप लोग बैठिये ।

प्रदेश में चिकित्सीय सेवा योजना के विस्तार सम्बन्धी घोषणा के अन्तर्गत
बरेली में पांच सौ बिस्तर वाले अस्पताल खोले जाने
की मांग

**2--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की किसी योजना की घोषणा मई, 1990 में की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? इसके तहत बरेली में 500 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कब आरम्भ किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)--

जी नहीं, परन्तु 28 अप्रैल, 1990 को अवश्य मैंने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के सम्बन्ध में घोषणा की थी जिसकी प्रतिलिपि संलग्न* है ।

भूमि का चयन किया जा चुका है । अस्पताल के निर्माण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत धन की व्यवस्था हो जाने पर ही निर्माण की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी ।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 193पर)

(प्रश्न सं0 2 पुकारे जाने पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो 28 अप्रैल, 1990 को घोषणा की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की उसका मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, बरेली के साथ माननीय मंत्री जी ने न्याय नहीं किया है । पिछली सरकार ने भी बरेली में कोई मेडिकल कालेज, अस्पताल नहीं खोला । बरेली इतना बड़ा मण्डल है और पहाड़ से लगा हुआ है । बरेली से लोग

अभी इलाज के लिए दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जाते हैं । क्योंकि अभी तक यहां पर मेडिकल कालेज या कोई बड़ा अस्पताल नहीं है । मान्यवर, मंत्री जी ने इसके आठवीं पंचवर्षीय योजना में देखने की बात कही है । इसमें भी कब तक मेडिकल कालेज खोला जा सकेगा, एक निश्चित समय बता दें । मान्यवर, दो सवाल में माननीय मंत्री से कहूंगा आपके माध्यम से एक तो यह कि जो स्थान का आपने चयन किया है वह कितनी जमीन है और कहां पर है । दूसरी बात यह कि उसके लिए कब तक धन आवंटित कर दिया जाएगा ? एक निश्चित समय बता दें ।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, स्थान का चयन बिल्कुल उपयुक्त जगह पर किया गया है । यह वहां के मानसिक चिकित्सालय के पास है । 56 एकड़ भूमि में से 20 एकड़ अधिगृहीत की गई है आपके चिकित्सालय के लिए ।

डा० विनेश जौहरी---

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद में जो चिकित्सालय है, भरी आबादी के अन्दर है उसको बाहर ले जाने का प्रस्ताव शासन के पास है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्माण कराया जायेगा और उस पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष ---

यह प्रश्न बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि बरेली जनपद की बात हो रही है और यह फैजाबाद से संबन्धित है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि रुहेल-खंड में अभी कोई मेडिकल कालेज नहीं है । उत्तर प्रदेश के हर मण्डल में मेडिकल कालेज है । बरेली में 500 शैय्याओं का अस्पताल खोलने की जो बात कही है उसके लिए धन कब तक आवंटित हो जायेगा और उसका निर्माण कब से शुरू होगा ?

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मैं उत्तर दे चुका हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव है । आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी एक साल ही हुआ है । आप लोग धैर्य रखें बरेली में शीघ्र ही अस्पताल खुलेगा ।

डा० विनेश जौहरी---

पिछले 6 वर्षों से मैं विधायक हूं । हर साल सत्र में यह आश्वासन मन्त्री जी दे जाते हैं । अब निश्चित आश्वासन देंगे कि कब निर्माण कराया जायेगा और उसके लिए कब धन आवंटित किया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अगर मन्शा सिर्फ यह है कि उसका शिलान्यास हो जाय। शिलान्यास तो कभी भी हो सकता है। तमाम शिलान्यास हुए हैं। लेकिन आप अगर इसे अमली जामा पहनाना चाहते हैं और बरेली में अस्पताल खुले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा कि इन्तजार कर लें। मैं माननीय श्री जौहरी जी से निवेदन करूंगा कि वह थोड़ा इन्तजार कर लें। आप जितना धैर्य रखेंगे, उतना ही आपका काम आसान हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

दवा उत्पादकों द्वारा औषधि सूची औषधि नियंत्रक को न भेजे जाने की शिकायत

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अतीक अहमद तथा श्री मन्जूर—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश दवा उत्पादक संस्थायें अपनी उत्पाद की सूची औषधि नियंत्रक को नहीं भेजती हैं जिसके परिणामस्वरूप वे आज भी बड़े पैमाने पर प्रतिबन्धित दवायें बना रही हैं? यदि हां, तो सही विवरण क्या है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री मुख्तार अनीस—

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक दवा उत्पादक संस्था को उत्पादित की जाने वाली औषधियों की सूची औषधि नियंत्रक से अनुमोदित कराना एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कथन सही नहीं है कि उत्पाद की सूची के अभाव में बड़े पैमाने पर प्रतिबन्धित दवाओं को बनाया जा रहा है।

प्रतिबन्धित दवाओं का निर्माण एवं विक्रय दण्डनीय अपराध है तथा इस प्रकार के प्रकरण प्रकाश में आते ही तत्काल कठोर वैधानिक कार्यवाही अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रदेश व्यापी आकस्मिक संयुक्त छापे भी डाले जाते हैं।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, श्रीमन्, मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि क्या दवा उत्पादक संस्थायें अपने उत्पाद की सूची औषधि नियंत्रण को नियमित रूप से भेजते हैं? उसका तो माननीय मंत्री जी उत्तर छिपा गये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां मंत्रालय में प्रतिबंधित दवाओं की सूची है. यदि है तो पहले इन दवाओं को कौन-कौन संस्थायें बनाती थी? क्या अब सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उन संस्थाओं ने अब इन प्रतिबन्धित दवाओं को बनाना बन्द कर दिया है? यदि सुनिश्चित कर दिया है तो उसका विवरण क्या है?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। आपने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब हमने दिया है। हमारे यहां स्वास्थ्य विभाग में एक नियम है। जब कोई दवाई बनाने का कारखाने का लाइसेन्स लेता है, तो उसे लाइसेन्स देने से पहले उसे कौन-कौन सी दवाइयां बनानी हैं, उसकी सूची देनी पड़ती है। उसकी विस्तार से जानकारी की जाती है। जब उसको लाइसेन्स दिया जाता है, तभी वह दवाइयां बनाता है। जब दवाइयां बन जाती हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दवाइयों को बनाने का लाइसेन्स दिया जाता है। लेकिन लाइसेन्स देने के बाद समय-समय पर साइन्टेफिक रिसर्च में कुछ दवाइयां हार्मफुल निकलती हैं, तो उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अब उन प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण बन्द हुआ कि नहीं? उसी के अधीन यह भी नियम है कि हर साल दवा उत्पादक संस्थायें अपने उत्पाद की सूची औषधि नियंत्रक को भेजेंगी। लाइसेन्स देते वक्त हो सकता है कि वह दवा प्रतिबन्धित न हो, परन्तु बाद में रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि वह दवा हानिकारक है और सरकार ने उसे प्रतिबन्धित भी कर दिया। औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ने प्रेस कान्फ्रेन्स में इस बात को कहा कि दवा उत्पादक संस्थायें उन्हें अपने उत्पाद की कोई सूची नहीं भेजती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्री तिवारी जी, शायद आपके प्रश्न को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने समझ लिया है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, श्री तिवारी जी के प्रश्न के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां करीब 600 फर्में दवाइयां बना रही हैं, उनमें से बहुत कम फर्मों ने अपने लाइसेन्सों का नवीनीकरण कराया है। हमने ड्रग कन्ट्रोलर से कहा है कि लाइसेन्सों के नवीनीकरण की कार्यवाही को सख्ती से किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य प्रतिबन्धित दवाओं के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बहुत अच्छा चला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब अब आपकी कृपा है।

श्री मुख्तार अनीस--

प्रतिबन्धित जो दवायें हैं, हमको केन्द्रीय सरकार लिखती है कि कौन-कौन सी दवायें प्रतिबन्धित हैं। इस समय जो लिस्ट है, उसमें 22 दवायें हैं। जैसे एमिडोपायरिन हैं, ये जहरीली दवायें हैं और भी भेज देंगे तो उस पर भी बैन हो जायगा। मैं इनके नाम पढ़ देता हूं।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैंने नाम नहीं जानना चाहा था। मैं जानना चाहता हूं कि जो 22 दवायें प्रतिबन्धित थीं, उत्तर प्रदेश की उत्पादक संस्थायें उनको बनाती थी या नहीं ? अगर बनाती थीं तो भारत सरकार से सूची प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या सुनिश्चित किया कि दवाओं का उत्पादन बन्द हो गया है या नहीं किया ? अगर नहीं सुनिश्चित किया तो कारण बता दें, क्यों नहीं किया ?

श्री मुख्तार अनीस--

केन्द्रीय सरकार के आदेश के बाद इन दवाओं पर प्रतिबन्ध लग गया है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बना रहा है, अगर कोई बनायेगा तो उसे दण्ड दिया जायेगा। यदि माननीय तिवारी जी ने कोई खोज की हो तो बता दें।

श्री मंजूर--

मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष के अन्दर कितने छापे मारे गये ? कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, कितनी अवैध कम्पनियां पकड़ी गयी ?

श्री मुख्तार अनीस--

29 छापे अभी तक मारे गये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। यह तो नियमित रूप से जो हमारे ड्रग कन्ट्रोलर हैं, इंस्पेक्टर हैं, छापे मारते रहते हैं। जिनके यहां दवायें पकड़ी जाती हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री अतीक अहमद--

जैसा कि इन्होंने बताया जिन-जिन फर्मों के लाइसेन्स नवीनीकृत नहीं हुए क्या ऐसी कोई फर्में हैं जिन्होंने लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं कराया है और दवायें बना रही हैं ?

श्री मुख्तार अनीस--

नवीनीकरण तो हर दो वर्ष के अन्दर फर्मों को कराना चाहिये। जिनका नहीं हुआ है, उनको नोटिस जारी हो रही है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि मिस्टर ग्रोवर एण्ड कम्पनी जिनको तत्कालीन मुख्य मन्त्री वी0 पी0 सिंह ने जेल के अन्दर ठूंस दिया था, नकली दवाओं के मामले में ब्लैक लिस्ट कर दिया था, आज उनको करोड़ों रुपये की दवाओं के आदेश आपके यहां से प्राप्त हो चुके हैं, क्या यह सही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुख्तार अनीस--

पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि यह आदेश माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने दिया था। दूसरी बात यह है कि लोकपति त्रिपाठी जी के जमाने में ही 50 लाख रु0 से ऊपर की दवायें ली गयीं थीं, दीक्षित जी के जमाने में भी दवायें ली गयी थीं, हमारे जमाने में उसमें कटौती की गयी है। अनेकों बार उनकी जांच कराई गई है। अगर किसी दवा के बारे में कोई शुबहा हो तो लिख कर दें, दुबारा जांच करा लेंगे।

(शोर, व्यवधान के मध्य श्री उपाध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारा गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर बहुत समय हो गया है। अब आप लोग बैठें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होने से घोर व्यवधान।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पंचानन राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, ऐसे नहीं चलेगा कि आप बैठा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये। आप लोग दोनों पार्टी के सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगते हैं, पहले आप लोग बैठ जायं।

श्री पंचानन राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विजिलेन्स की जांच के आदेश हुए थे तो उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री कौन था और विजिलेन्स की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, इनको स्वास्थ्य मन्त्री का नाम याद है और मुख्य मन्त्री की नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि कह दिया कि इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, उन दवाओं से लाखों लोगों की मौतें हुई हैं उस समय मुख्य मन्त्री वी० पी० सिंह थे, उसके बारे में बतायें।

(घोर व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर सूचना का अभाव है तो इस प्रश्न को आप स्थगित कर दीजिये।

(भा० ज० पा० के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर निरन्तर बोलने की अनुमति मांगते रहे और नारे लगाते रहे।)

श्री उपाध्यक्ष--

भा० ज० पा० और कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण आप लोग कृपया बैठें।

नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या 1 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने से इसे स्थगित करके चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के सदस्यों की भावना को जानकर और प्रश्न की गम्भीरता को समझ कर, जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा और उन्होंने इस सम्बन्ध में सूचना का अभाव दर्शाया है, इस लिए आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठ जाइये । माननीय विकल जी, आप अपने सम्मानित सदस्यों पर नियन्त्रण करें ।

(निरन्तर घोर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

स्वास्थ्य मन्त्री जी उत्तर देना चाहते हैं और आप लोग कुछ सुनने के लिये तैयार नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मैंने लिख कर दे दिया है । नियम 49 में लिख कर दे दिया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं, तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा आप सदन को चलने में सहयोग दें ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं और प्रश्नों का उत्तर नहीं लेना चाहते हैं । मैं सदन को स्थगित कर दूंगा । कृपया शान्त रहिये ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं किस प्रश्न का उत्तर दूं ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, यह माननीय सदस्यों का पूरा अधिकार है कि वह प्रश्न करें और सरकार का दायित्व है कि उसका समुचित उत्तर दें। इस प्रश्न का समाधान हो गया था लेकिन अन्त में प्रश्न किया गया कि मुख्य मन्त्री कौन थे। माननीय पंचानन राय जी विद्वान सदस्य हैं और दोनों सदनों का उनको अनुभव है। कौल और शकधर की पुस्तक पढ़ी होगी। वह संसदीय मामलों में सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है। उसमें है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सदन में नहीं लिया जा सकता है, जो सदन में मौजूद न हो।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

लोकपति जी का नाम अभी यहां पर लिया गया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आप सुन तो लें।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री का नाम आ जाने के प्रश्न का समाधान नहीं हो जायेगा। जो बात है वह कार्यवाही की है। जो कार्यवाही हो सकती है, उसको सरकार करेगी, लेकिन सदन में संसदीय परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार--

कहां तैयार हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही है, प्रश्नकाल में जो भी उत्तर सरकार से बनकर सरकार से आता है वह उत्तर माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट नहीं कर पाता है। यही सबसे बड़ी परेशानी है। शासन जो उत्तर भेजता है उससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं होते। आप कहते हैं कि आज जांच कराने के लिये तैयार हैं और सम्मानित सदस्यों की भावना है कि इस पर चर्चा करा दी जाय। मान्यवर, नियमों के तहत आपको चर्चा कराने का अधिकार है। इसलिये मान्यवर, आप चर्चा स्वीकार कर दें।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीय उप नेता कांग्रेस दल, भारतीय जनता पार्टी के श्री सत्य प्रकाश विकल तथा अन्य सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि नियमावली की एक प्रक्रिया है और उसके तहत ही सदन चलता है। अगर आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प है आप उसे अपना सकते हैं। आप लिखकर भेज दें लेकिन इस तरह से सदन के मूल्यवान समय को नष्ट करना उचित नहीं है सदन को व्यवस्थित रूप से चलने दें तो बड़ी कृपा होगी। हम सब जवाब देना चाहते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री या मंत्री-मंडल के किसी भी सदस्य की यह मंशा नहीं है कि किसी ऐसे आदमी को बचाया जाय । जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी आप कोई ठोस सबूत देंगे तो उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी लेकिन इस तरह से समय बरबाद करना उचित नहीं है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर आ जाने दें । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं, सम्मानित सदन को यह बताना चाहता हूं कि यदि कोई भी बात असंसदीय है, गलत है तो मैं उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा । मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि आप सदन चलने दें और कोई असंसदीय बात होगी तो उसे हम कार्यवाही से निकलवा देंगे ।

(कई सदस्य के खड़े होकर एक साथ बोलने से)

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जवाब दे लेने दें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि बिना जवाब सुने सदन में शोर मच गया । कोई भी कम्पनी जो इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगी उसके साथ सख्त कार्यवाही होगी । जिस कम्पनी की यहां पर चर्चा हुई है उसके बारे में शिकायत आप हमको देंगे तो उस पर पूरी जांच कराने के लिये तैयार हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, अब तो पूछ लेने दें । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस फर्म का जिक्र हो रहा है उससे कितनी दवाओं के लिये, कितने धन के लिये आदेश दिया गया है । कितनी दवायें खरीदने के लिये, कितने पैसे की दवायें खरीदने के लिये शासन ने इस कम्पनी को आदेश दिये हैं ? और वह कौन-कौन सी दवायें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार--

सम्बन्धित हैं। यह कम्पनी ब्लैक लिस्टेड थी। कमीशन लेकर इसको आदेश दिये गये हैं। इसीलिये हमने नियम 49 के अन्तर्गत आपको लिखकर दिया है। मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है इसलिये जैसी कि परम्परा रही है, आप इस पर चर्चा करने के लिये समय नियत कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मेरा आग्रह है माननीय सदस्य प्रतापगढ़ से, कि वे आक्षेप न लगायें। कोई माननीय सदस्य किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार--

इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। कमीशन लेकर इस कम्पनी को दवाओं का आदेश दिया है। यह ब्लैक लिस्टेट कम्पनी थी। यह लुटेरी सरकार है। यह निकम्मी सरकार है

(व्यवधान)

मान्यवर, यह नाम नहीं बताना चाहते हैं। दवाओं का आदेश देकर उसमें कमीशन लेकर जनता के साथ खिलवार किया जा रहा है। खराब और नकली दवायें दी जा रही हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं, सदन को 12 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

तत्पश्चात् 11 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी

पुनः 12 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई

श्री उपाध्यक्ष--

सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि वह पहले बैठ जायं। (माननीय सदस्यों के बैठने पर) मेरा अनुरोध है कि इस सदन को चलाना केवल अध्यक्षपीठ का ही काम नहीं है बल्कि सभी सम्मानित सदस्यों के सहयोग से ही सदन का संचालन ठीक से हो सकता है। प्रश्न से सम्बन्धित सवाल एक कांग्रेस पक्ष से कर लें, एक बी० एस० पी० से कर लें, एक बी० जे० पी० से कर लें।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, आपने जो भावनायें व्यक्त की उससे सभी सहमत हैं कि नियमों से सदन चले और प्रश्नकाल को इस ढंग से बारबार स्थगित करना सदस्यों के अधिकार पर कुठाराघात होता है। मान्यवर, यहां जो भी प्रश्न का उत्तर सरकार की तरफ से आता है तो प्रश्नकर्ता विधायक जिस उत्तर की अपेक्षा करता है उसका स्पष्ट उत्त

नहीं आता है, यह देखना है। आये दिन मंत्री बड़े हल्के ढंग से प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न स्पष्ट था लेकिन मंत्री जी ने कहा कि सूचना की जरूरत है। नियमों के तहत मांग की गयी कि चर्चा करा दी जाये। उसके बाद भी मंत्री उत्तर देना चाहें तो प्रश्न से हम लोगों को वंचित क्यों किया जाता है? प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए आपने कार्यवाही स्थगित कर दी। तो मान्यवर, यह प्रश्न प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा है, आपने ऐसी कम्पनी को दवाओं का आर्डर दिया है जो ब्लैक लिस्टेड थी। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने विजीलेंस लगाई थी, दवाओं का मामला है जो जनता के जीवन से जुड़ा है, इसलिये प्रदेश की जनता में इससे आशंका होती है कि कैसे आर्डर उसे दे दिया।

(व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह--)

मान्यवर, माननीय उप नेता कांग्रेस दल ने जो कहा है कि जनता में आशंका व्यक्त होती है, तो जनता में नहीं बल्कि इनके में जरूर आशंका व्याप्त हो जाती है। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया, यदि जवाब से सन्तुष्ट नहीं थे तो नियम 49 में चर्चा की मांग आप कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, चर्चा कराने की आप व्यवस्था दे दें।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

चर्चा के लिये लिखकर दिया है।

श्री रेवती रमण सिंह--

लिखकर दिया है तो चर्चा का समय आप निर्धारित करेंगे तब चर्चा होगी। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री से अनेकबार कहा है कि आप लिखकर दें, मैं जांच के लिये तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 49 के अन्तर्गत नोटिस दिया है तो उसको प्राप्त कर, देखकर, तब निर्णय अपना दे देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सुलेमान कृपया आप बैठिये।

(घोर व्यवधान)

(सरकार विरोधी नारे लगने लगे)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका सदन है और यह आपका समय है और यहां पर यह महत्वपूर्ण विषय है..

(व्यवधान)

12 बजकर 5 मिनट हो गया है, अब केवल 15 मिनिट आपके रह गय है..

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

आप या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें कि प्रोवर फर्म की जो प्रतिबन्धित फर्म थी, जिसको वर्तमान प्रधान मंत्री और भूतपूर्व प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रतिबन्धित किया था, उससे सरकार ने कितनी दवायें खरीदने का आर्डर दिया है ?

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

इस समय मेरे पास इसकी जानकारी यहां पर नहीं है..

(व्यवधान)

(आप चर्चा कराइये, आप चर्चा कराइये की जोरदार मांग)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, आप लोग बैठिये। आपने नियम 49 में करीब 4-5 सम्मानित सदस्यों ने मुझे सूचना दी है। मैंने यह निवेदन किया माननीय सिंचाई मंत्री ने भी कहा, आपने सूचना दी। आपने सवाल किया और उसका मंत्री जी ने उत्तर दिया..

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

नहीं दिया, नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

हमको पूरी बात तो कहने दीजिये। माननीय प्रमोद तिवारी जी आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

अगर हम वरिष्ठ सदस्य हैं तो क्या भ्रष्टाचार होने दें। क्या मंत्री जी के पास इसकी सूचना नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो मेरा वाक्य भी पूरा नहीं होने देते, बीच में बोल पड़ते हैं। कृपा करके मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिये। तो मैं यह कह रहा था कि आपने प्रश्न किया उसका उत्तर आया, आपने फिर प्रश्न किया और उसका भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर दिया, हम पूरा रिकार्ड दिखवालेंगे आपको नियम 49 में सूचना है, यदि परीक्षण में यह हुआ कि उत्तर सन्तोषजनक नहीं है तो....

(बहुजन समाजपार्टी के कुछ सदस्यगण वेल आफ दि हाउस में आ गया जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं फिर सदन को साढ़े 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

महानगरों में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण के रोक थाम की मांग

*2--श्री सत्य प्रकाश विकल--

क्या पर्यावरण मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव तथा यातायात में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप वायु तथा ध्वनि प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि प्रदूषण सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उन महानगरों में आगरा सर्वाधिक प्रभावित महानगर है ? यदि हां, तो सरकार जन-जीवन के लिए खतरनाक इस वायु तथा ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

प्रदेश के महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा यातायात में हुई भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप वायु तथा ध्वनि प्रदूषण मे कुछ वृद्धि हुई है । आगरा के वायु मण्डल में प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा अन्य महानगरों की अपेक्षा कम है ।

यातायात में भारी वृद्धि के फलस्वरूप वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच हेतु भारत सरकार द्वारा मोटर वेहिकिल्स रूल्स 1989 बनाये गये हैं । इन नियमों में वाहनों से निकलने वाले धुएं के मानक निर्धारित किए गए हैं । यह नियम 1 मार्च, 1990 से प्रभावी हुए हैं जिनके आधार पर वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है ।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है जिनके आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

*3--श्री पंचानन राय तथा श्री हृदय नारायण--

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ जनपद के विभिन्न अस्पतालों तथा कार्यालयों में निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्यरत रहने की शिकायत

*1--श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित सरकारी अस्पतालों/सम्भागीय कार्यालयों में कितने ऐसे वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ लिपिक हैं जो प्रोन्नति पाने के पश्चात् भी उसी स्थान/जनपद में तैनात हैं ? क्या यह भी सही है कि कुछ ऐसे भी लिपिक हैं जो लखनऊ जनपद से स्थानान्तरित हो जाने के बावजूद भी बिना किसी रिक्त पद के सचिव चिकित्सा के निर्देशों के विरुद्ध उसी चिकित्सालय/कार्यालय में कार्यरत हैं/सम्बद्ध हैं तथा उनकी कुल सेवायें लखनऊ जनपद में ही 15 वर्ष या इससे भी अधिक हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी तत्काल ऐसे लिपिकों का स्थानान्तरण लखनऊ जनपद से अन्य जनपद में करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

लखनऊ जनपद स्थित सरकारी अस्पतालों/सम्भागीय कार्यालयों में 12 वरिष्ठ सहायक एवं 22 वरिष्ठ लिपिक पदोन्नति पाने के पश्चात् भी उसी स्थान/जनपद में तैनात हैं ।

जी हां, शासन द्वारा इस पर यथा समय विचार किया जायेगा ।

[गुरुवार, दिनांक 28 जून, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आगरा कैनाल के पानी में जहरीले पदार्थ मिलने के कारण सिंचाई के योग्य न होने की शिकायत

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कैनाल का पानी शीशा कैडमियम आदि जहरीले पदार्थ मिलने के कारण सिंचाई योग्य नहीं है ? यदि हां, तो पानी में विषैले पदार्थों के मिश्रण का प्रतिशत क्या है ? शासन इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

आगरा नहर के पानी में शीशा कैडमियम आदि जहरीले पदार्थ मिले होने की सूचना नहीं है । कथित जहरीले पदार्थ मिले होने या अन्य कारण से आगरा नहर का पानी सिंचाई योग्य न होने की कोई मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता का प्रश्न प्राप्त होने पर आगरा नहर का जल परीक्षण हेतु भेज दिया गया है, परिणाम अभी अप्राप्त है जो प्राप्त होने पर उक्त पदार्थों का होना या न होना व उनका प्रतिशत ज्ञात हो सकेगा ।

पानी परीक्षण हेतु भेज दिया गया है । परिणाम प्राप्त होने पर यदि जल सिंचाई योग्य नहीं पाया गया तब अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की तहसील छाता के कतिपय गांवों के यमुना नदी के कटान से प्रभावित होने की शिकायत

*2--श्री श्याम सुन्दर शर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा मझोई व रामपुर शेरगढ़ व ओवा, तहसील छाता, जनपद मथुरा यमुना नदी के कटान से बुरी तरह प्रभावित है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में जन-जीवन की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जनपद मथुरा की तहसील छाता का ग्राम रामपुर यमुना नदी के कटान से बुरी तरह प्रभावित है । उक्त तहसील के ग्राम मझोई, शेरगढ़ व ओवा यमुना नदी के कटान से बुरी तरह प्रभावित नहीं हैं ।

व्यवहारिक रूप से किसी नदी की कटान को रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् प्रत्येक वर्ष रख-रखाव में काफी लागत आती है । इन मामलों में शासन की नीति यह है कि ऐसे आबादी को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाया जाय । उक्त ग्रामों को जन-जीवन की सुरक्षा हेतु मुख्य अभियन्ता (गंगा) को जिलाधिकारी, मथुरा से सम्पर्क स्थापित कर समुचित कार्यवाही करने हेतु पत्र भेज दिया दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

विधान सभा क्षेत्र सिधौली, जनपद सीतापुर में जल भराव की समस्या

*3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिधौली विधान सभा क्षेत्र जनपद सीतापुर में जल भराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (शारदा) ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या सी-77 दिनांक 7 फरवरी, 1990 द्वारा कोई आख्या सचिव, सिंचाई विभाग को प्रेषित की है ? यदि हां, तो वह आख्या क्या है तथा शासन ने समस्याओं के समाधान हेतु क्या निर्णय लिया है ? क्या उसमें जनपद बाराबंकी के प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं का भी समाधान निहित है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इस वर्ष वर्षा के पूर्व कितना काम हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

संक्षेप में आख्या निम्न प्रकार है :—

मुख्य समस्या वर्षाकाल में अतिवृष्टि के कारण जल भराव की है जिसके कारण गांवों में बरसाती पानी भर जाता है तथा खरीफ की फसल को नुकसान होता है और आवागमन के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं । ग्राम अहवा से ग्राम टिकरी तक जो प्राकृतिक नाला (कल्याणी नाला) है उसकी खुदाई तथा आगे जनपद बाराबंकी में कल्याणी नदी के सुधार हेतु माननीय विधायक के प्रस्ताव पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन माह जनवरी, 1990 में कर दिया गया था ।

उक्त समिति की रिपोर्ट इसी माह (जून, 1990) प्राप्त हुई है जो विभाग के विचाराधीन है ।

जी हां ।

समिति की रिपोर्ट पर निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

नलकूप निगम की एक इकाई को बरेली से बस्ती स्थानान्तरित किये जाने की शिकायत

*4—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप निगम की एक इकाई को गत सरकार द्वारा गत वर्ष बरेली से बस्ती स्थानान्तरित कर दिया गया था, जबकि इस क्षेत्र में ही इस इकाई द्वारा 150 नलकूप बनाया जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इकाई को पुनः बरेली स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

बरेली तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में 150 नलकूप बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र घोसी जिला मऊ में शारदा सहायक नहर के निर्माण कार्य

*5--श्री सुबाष--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली शारदा सहायक नहर के निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या किसानों को पानी दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली शारदा सहायक नहर प्रणाली की दोहरी घाट लिंक नहर का निर्माण पूर्ण हो चुका है । इस नहर से सम्बद्ध वितरण प्रणाली का निर्माण अभी आंशिक रूप में ही हुआ है ।

निर्मित नहरों से जल की उपलब्धता के अनुसार सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6*--श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

[6वें शुक्र में ता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट, कनौरिया विकास खण्ड दुद्धी विकास खण्ड म्योरपुर में मलेरिया रोग का प्रकोप

*7--श्री विजय सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सोनभद्र में औद्योगिक क्षेत्र रेनुकूट कनौरिया के आस-पास तथा विकास खण्ड दुद्धी व विकास खण्ड म्योरपुर के आदिवासी गांवों में 80 प्रतिशत व्यक्ति प्रतिवर्ष मलेरिया जैसे बुखार की चपेट में आ जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र में मलेरिया रिसर्च सेन्टर शाहजहांपुर की टीम भेजकर अध्ययन करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

प्रश्नगत क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित हैं परन्तु यह कथन सत्य नहीं है कि 80 प्रतिशत व्यक्ति प्रतिवर्ष मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं ।

मलेरिया रिसर्च सेन्टर, शहजहांपुर इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च के तत्वाधान में एक क्षेत्रीय प्रोजेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है । इस प्रोजेक्ट का प्रयोजन भिन्न है तथा यह काउन्सिल जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है, के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य कर रहा है ।

प्रदेश के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नगत क्षेत्र मुख्यालय से विशेष टीम भेजी गई थी। प्रश्नगत क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

जनपद खीरी की तहसील निघासन में जल भराव से कृषि कार्य में में रुकावट

*8—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील में जल भराव के कारण हजारों एकड़ भूमि में फसलें बोयी नहीं जा पाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जल के निकास की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

जनपद लखीमपुर के तहसील निघासन की 6,460 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जल भराव के कारण फसलें नहीं बोई जा पाती हैं।

जल निकासी हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद लखीमपुर के तहसील निघासन के कुल क्षेत्रफल 1,31,228 हेक्टेयर्स में से जल भराव के कारण न बोया जाने वाला क्षेत्रफल 6,460 हेक्टेयर है। उथली नदियों में जल निकासी हेतु ड्रेंस के लिए तकनीकी दृष्टि से वांछित स्लोप के अभाव में समस्या का निदान सम्भव नहीं है।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में कतिपय गांवों के स्थायी रूप से बाढ़ प्रभावित होने तथा उसके उपाय की मांग

*9—श्री सुरेश यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है जनपद देवरिया तहसील सलेमपुर के विकास खण्ड सलेमपुर व लार के अन्तर्गत छोटी गण्डक के किनारे के ग्राम सलेमपुर कस्बा निजामाबाद, शामपुर, नवलपुर डोलछपरा, भठवा, पाण्डे, बभनौली, सेरवनिया, रतनपुरा, गढ़वा, मेहरौना, कटान से पूरी तरह प्रभावित हैं और उपरोक्त गांव के सैकड़ों घर बरसात के दिनों में हर वर्ष नदी से प्रभावित हो जाते हैं ? यदि हां, तो उनके बचाव के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

छोटी गण्डक नदी के दोनों ओर तटीय बांध बने हैं। ग्राम डोल छपरा, भठवा पाण्डेय, रतनपुरा, मेहरौना तथा खरवनिया ग्राम सुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। ग्राम सलेमपुर कस्बा, निजामाबाद, शामपुर, नवलपुर, बभनौली तथा ममवा ग्राम की कटान रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य (डैम्पनर्स) बनाये जा चुके हैं और आबादी का नदी द्वारा कटान नहीं हो रहा है।

प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त पदों की जानकारी

*10—श्री बसन्त लाल गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं तथा लखनऊ के विभिन्न चिकित्सालयों में कितने अतिरिक्त चिकित्सक सम्बद्ध किये गये हैं ? इसका क्या औचित्य है ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में वरिष्ठ लिपिक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण कोटा पूरा होने की जानकारी

*11—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में वरिष्ठ लिपिकों के पद पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं तो क्यों और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रमुख अभियन्ता मण्डलीय संवर्ग में अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 में निहित प्राविधानों के अनुसार वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं है । जैसे जैसे पात्र कर्मचारी उपलब्ध होते जाते हैं, आरक्षण पूरा करने की कार्यवाही की जाती है ।

जनपद सुल्तानपुर के पच्चीस स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर कार्यरत प्रसविकाओं के वेतन पर रोके जाने का मामला

*12—श्री मुईद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988–89 में प्रदेश के 29 जिलों में 1500 स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना वित्तीय स्वीकृति के साथ शासन द्वारा प्रदान की गयी थी ? क्या सुल्तानपुर जनपद में भी 25 उप केन्द्रों की स्थापना की गयी थी और इन उप केन्द्रों में 25 प्रसविकाओं की नियुक्ति भी कर ली गयी थी ? यदि हां, तो इन प्रसविकाओं का वेतन सरकार द्वारा रोके जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार सुल्तानपुर के 25 उप केन्द्रों में कार्यरत प्रसविकाओं के वेतन पुनः स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

वर्ष 1988–89 में प्रदेश के 51 जिलों में 1500 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु साज–सज्जा एवं उपकरणों के क्रय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

जी हां ।

जी हां, किन्तु प्रसविकाओं के पदों की स्वीकृति न होने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

प्रसविकाओं के पदों की स्वीकृति के पश्चात् वेतन का भुगतान सम्भव हो सकेगा।

जनपद गाजीपुर के जमानियां तहसील में गंगा नदी के कटाव से प्रभावित क्षेत्रों की समस्या

*13—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर के जमानियां तहसील में गंगा नदी द्वारा कटान तेजी से हो रहा है जिसके कारण 15 कि0 मी0 के क्षेत्र में गंगा के किनारे के लोगों का जीवन संकट में रहता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के कटान को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

इसकी मांडल स्टडी सिंचाई अनुसंधान, रुड़की द्वारा की जा रही है।

बांदा जनपद की कर्वी तहसील में ग्राम देवल में सिंचाई सुविधा की मांग

*14—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की कर्वी तहसील में ग्राम देवल के पास पयस्वनी नदी पर खरीफ की फसलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष में 31 दिसम्बर के पूर्व यहां पर पानी की उपलब्धता का सर्वे कराकर लिफ्ट नहर लगायी जायेगी ? यदि हां, तो नयी लिफ्ट योजना लगाने का निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद बांदा में पयस्वनी नदी पर प्रश्नगत स्थान पर नदी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण लिफ्ट नहर बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों उद्योगों की स्थापना हेतु लघु औद्योगिक संस्थान की स्थापना की मांग

*15—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश के विकास खण्डों में मिनी इन्डस्ट्रियल स्टेट (लघु औद्योगिक संस्थान) स्थापित किये जाने हेतु शासन ने क्या कदम उठाये हैं ? प्रदेश के ऐसे कितने विकास खण्ड हैं, जिसमें लघु औद्योगिक संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं और उनमें कितने भूखण्ड ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को आवंटित किये गये हैं ? इन लघु औद्योगिक संस्थानों के लिए भूखण्डों के आवंटन और वहां पर उद्योगों की स्थापना में क्या कठिनाई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

प्रदेश में अब तक 67 विकास खंडों में मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जा चुके हैं, जिसमें से 481 भूखण्ड आवंटित किये गये हैं ।

भूखण्डों का आवंटन नियमानुसार किया जा रहा है और इन पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं और उनके लिए शासन समुचित प्रोत्साहन/सुविधा उपलब्ध करा रहा है ।

जन स्वास्थ्य रक्षकों के भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग

*16--श्री दशरथ सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जन स्वास्थ्य रक्षकों को मिल रहे वर्तमान भत्ते में बढ़ोत्तरी पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह योजना शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित योजना है, जिस पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

*17--श्री रुद्र प्रसाद--

[6वें सोम में तारा0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

झांसी नगर में सीमेन्ट फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण को हटाने की मांग

*18--श्री रवीन्द्र शुक्ल--

क्या पर्यावरण मंत्री को यह जानकारी है कि झांसी रेलवे स्टेशन के निकट ही सीमेन्ट फैक्ट्री सीमेन्ट बंगनों में लोड होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भयंकर खतरा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर क्या उसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं ।

झांसी रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड में मेसर्स डायमण्ड सीमेन्ट द्वारा सीमेन्ट की लोडिंग होती है । लोडिंग के समय धूल उत्सर्जन की रोकथाम हेतु जल छिड़काव प्रणाली (वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम) की व्यवस्था की गयी है ।

जी हां ।

मेसर्स डायमण्ड सीमेन्ट की लोडिंग का कार्य परीक्षा रेलवे स्टेशन के निकट स्वयं की निर्माणाधीन साइडिंग पर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है ।

मध्य गंगा बैराज बिजनौर से बालाबाली तक सभी गांव में बाढ़ की समस्या

*19--श्री सुखवीर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा बैराज बिजनौर से बाला-बाली तक सभी गांवों में बरसात के मौसम में भीषण बाढ़ के कारण काफी जन-धन

को हानि हो जाया करती है ? क्या सरकार उसे बचाव के सम्बन्ध में इसी वित्तीय वर्ष में बांध बनाने का प्राविधान कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

जी नहीं । इस वित्तीय वर्ष में बांध बनाने का कोई प्राविधान नहीं है । प्रभावित गांव गंगा के खादर में स्थित हैं जहां नदी का मुख्य बहाव प्राकृतिक रूप से बदलता रहता है । अतः इनको बचाने की कोई व्यवहारिक योजना प्रस्तावित नहीं है ।

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदोन्नति मे आरक्षण व्यवस्था की जानकारी

*20--श्री चैन सुख भारती--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण लागू है ? यदि हां, तो क्या अक्टूबर, 1989 में मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 162 पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

माह अगस्त, 1989 (अक्तूबर, 1989 नहीं) में 162 सामान्य श्रेणी के अवर अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति की गई ।

शासनादेश संख्या 345/दो-88-23-सि0-2/26-85, दिनांक 5 फरवरी, 1988 में निहित निर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के पदों हेतु पात्रता सूची में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 43 आरक्षित पदों को रिक्त रखा गया है ।

अतारांकित प्रश्न

गांव बौलिया ट्यूबवेल नं0 66 की रिबोरिंग को चालू करने की मांग

1--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बौलिया ट्यूबवेल नं0 66 व ट्यूबवेल गयापुर ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी जो दो वर्ष से फेल था और छः माह हुआ जिसकी रीबोरिंग हो गयी है, को अब तक चालू न करने का कारण क्या है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

दोनों नलकूप क्रमशः दिनांक 3 मई, 1990 एवं 3 जून, 1990 से चालू हैं ।

विकास खण्ड बड़ा गांव, जिला वाराणसी में राजकीय नलकूप के पम्प हाउस की मरम्मत की मांग

21--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप कुवार ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में 9 इंच पानी है परन्तु इसका पम्प हाउस 2-3 वर्ष से गिर गया है यदि हां, तो आज तक पम्प हाउस न बनाये जाने का क्या कारण है ? उक्त पम्प हाउस कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं ।

जी हां ।

इस नलकूप का पुनः छिद्रण मई, 1990 में हो गया है । शेष कार्य प्रगति पर है ।

जनपद वाराणसी के रामपुर एवं फूलपुर विकास खण्ड, के पिंडरा के नलकूपों की मरम्मत की मांग

3--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम नलकूप रामपुर ब्लाक पिंडरा तीन वर्ष से फेल है और नलकूप, फूलपुर ब्लाक पिंडरा वाराणसी में 4 इंच भी पानी नहीं है ? यदि हां, तो दोनों नलकूपों की-रिबोरिंग अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? रीबोरिंग कब तक करा दी जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

जी नहीं, वर्तमान निकास 6 1/4 इंच है ।

नलकूप ग्राम रामपुर प्रथम का क्षेत्र शारदा सहायक नहर के कमान्ड में आ जाने के कारण इसकी रिबोरिंग नहीं की गयी है, तथा नलकूप फूलपुर चालू है । अतः रिबोरिंग का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के विकास खण्ड सेवापुरी में रि-बोरिंग हुये नलकूप को शीघ्र चालू कराने की मांग

4--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप तिवारीपुर ब्लाक सेवापुरी जिला वाराणसी की बोरिंग डेढ़ वर्ष पहले हो गयी और पम्प हाउस भी बन गया है ? यदि हां, तो उसको अब तक चालू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

नलकूप तिवारीपुर ब्लाक आराजी लाइन, जिला वाराणसी की बोरिंग मार्च, 1989 में हुयी थी । बी० एण्ड एल० फार्म अगस्त, 1989 में दिया गया ।

नलकूप चालू हो गया है ।

होम्योपैथिक कम्पाउन्डर के पदों के सृजन का मामला

5--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों के पदों के सृजन से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त लम्बित प्रस्ताव को शासन स्तर से कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सातवीं पंच वर्षीय योजना सिंचाई नहरों के निर्माण हेतु आवंटित धन का विवरण

6—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 31 मार्च, 199) तक जनपद चमोली में सिंचाई नहरों के निर्माण में कितना धन व्यय किया गया और प्रतिवर्ष सिंचन क्षमता में कितनी वृद्धि हुयी ?

रेवती रमण सिंह—

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 31 मार्च, 1990 तक जनपद चमोली में सिंचाई नहरों के निर्माण में 663.19 लाख रुपये का व्यय किया गया तथा योजनाकाल में प्रतिवर्ष की सिंचन क्षमता में वृद्धि निम्नानुसार रही :—

वर्ष 1985–86,	1986–87,	1987–88,	1988–89,	1989–90,
620 हे0	650 हे0	730 हे0	710 हे0	530 हे0

हरदोई नगर की जनसंख्या एक लाखसे कम होने के बाद भी जिला पूर्ति हरदोई कार्यालय द्वारा एक लाख साठ हजार राशन कार्ड जारी होने की शिकायत

7—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के हरदोई नगर-पालिका की जनसंख्या 1 लाख से कम है मगर पूर्ति कार्यालय से 1 लाख 60 हजार यूनिट के कार्ड जारी किये गये हैं ? इन फर्जी कार्डों के बार-बार शिकायत होने के बावजूद अभी तक न कोई जांच हुयी है और न दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही ही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

हरदोई नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 1981 में 75,526 थी । पिछले दशक की वृद्धि दर के आधार पर वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 1.20 लाख होनी चाहिये । वर्तमान में 1,46,780 यूनिट के राशन कार्ड प्रचलन में हैं ।

फर्जी राशन कार्डों की शिकायत पर समय-समय पर करायी गयी जांच के आधार पर जनवरी से मई, 1990 की अवधि में 4049 यूनिट्स निरस्त किये गये हैं । परन्तु यह कार्यवाही पर्याप्त नहीं पाई गयी । जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि वे दो माह के अन्दर "डोर टू डोर" सत्यापन कर सही कार्डों/यूनिटों को मान्य करते हुये फर्जी कार्डों/यूनिटों को निरस्त करें तथा फर्जी राशन कार्डों/यूनिटों को निर्गत करने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करें ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मापदंड

8—श्री नजमुद्दीन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मापदंड क्या है ? सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 274 नवाबगंज इलाहाबाद में कितने प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा कितने स्थापित किये जाने हैं ? उन्हें कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

वर्तमान में 30 हजार मैदानी क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या तथा 20 हजार की पर्वतीय क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है ।

विधान सभा क्षेत्र 274 नवाबगंज, इलाहाबाद में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा मानकों के अनुसार कितने और किये जाने हैं के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत है । जिला योजना में तद्नुसार परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों के नामों का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पर विचार किया जाता है । तद्नुसार विधान सभा क्षेत्र 274 नवाबगंज, इलाहाबाद के लिये प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है ।

अधीक्षण अभियंता 18 वां मंडल सिंचाई कार्य इलाहाबाद के विरुद्ध वर्ष 1989–90 के कार्य एवं अर्जित लाभ की जांच की जानकारी

9—श्री नजमुद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अधीक्षण अभियन्ता 18वां मण्डल सिंचाई कार्य इलाहाबाद श्री विसरिया के वर्ष 1989–90 में सम्पादित कार्यों एवं चल अचल सम्पत्ति की खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत मामले की खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । उक्त पत्र में उक्त अधीक्षण अभियन्ता के सिंचाई खण्ड, जौनपुर तथा शारदा सहायक खण्ड–39 में वर्ष 1989–90 में कराये गये कार्यों की जांच प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ से तथा उनकी चल–अचल सम्पत्ति की खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान से से कराने का अनुरोध निहित था । । अतः तद्नुसार पहले उक्त मामले में आरम्भिक जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक को विगत माह में दिनांक 14 मई, 1990 को निदेशित किया गया है । शेष का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक स्वामी नेमपाल सिंह के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1990 के सम्बन्ध में जानकारी

10--श्री अकबर हुसैन बाबर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के 2रे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के क्रम में स्वामी नेमपाल विधायक का कोई पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1990 महानिदेशक एवं निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में दर्शाये गये कौन तथ्य सही पाये गये ? उनके लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुख्तार अनीस--

सुचना प्राप्त की जा रही है ।

स्वास्थ्य विभाग के परिवहन कर्मचारियों के उपस्थिति हेतु हस्ताक्षर करने का कथित आदेश

11--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि संयुक्त निदेशक मुख्यालय स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा परिवहन कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश संख्या-12 फ/1, 2, 3 दिनांक 6 जनवरी, 1990 जारी किया गया था ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न करने के विरुद्ध विधायक गण के महानिदेशक/निदेशक प्रशासन अथवा अपर निदेशक नियोजन स्वास्थ्य भवन को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1990 व 27 मार्च, 1990 प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्रों-पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा के सरकारी वाहन की मरम्मत सम्बन्धी विवरण

12--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा के वाहन सं0-यू0 एच0 एफ0-7309 की मरम्मत सम्बन्धी सहायक परिवहन अभियन्ता, आगरा का कोई पत्र दिनांक 26 अक्तूबर, 1989 उप निदेशक (प्राविधिक) लखनऊ को प्राप्त हुआ ? क्या इस सम्बन्ध में विधायक श्री राज किशोर सिंह का कोई शिकायती पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 शासन या निदेशालय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उल्लिखित दोनों पत्रों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा का पत्र दिनांक 26 अक्तूबर, 1989 एवं माननीय विधायक श्री राज किशोर सिंह का पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 1989 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी मण्डल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यशाला में वरिष्ठ फोरमैन की तैनाती तथा परिवहन कार्यशाला में सुधार का मामला

13—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी मण्डल की क्षेत्रीय परिवहन कार्यशाला में सीनियर फोरमैन की तैनाती एवं परिवहन कार्यशालाओं के सुधार के सम्बन्ध में शासन के निर्णय को लागू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता एवं विधायक श्री मूलचन्द्र का कोई पत्र दिनांक 30 मार्च, 1990 एवं उसके बाद 3 अप्रैल, 1990 शासन एवं निदेशक, प्रशासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत पत्र खोजा जा रहा है ।

जनपद जालौन में बन्द एवं चालू राजकीय नलकूपों का विवरण

14—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में 1 फरवरी, 1990 तक कितने राजकीय नलकूप चालू हालत में थे और कितने बन्द पड़े हैं ? उनको चालू करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद जालौन में 1 फरवरी, 1990 तक निर्मित 375 राजकीय नलकूपों में से 324 नलकूप चालू दशा में थे और शेष 51 बन्द नलकूपों में से 22 यांत्रिक दोष से तथा 29 विद्युत दोष से बन्द थे ।

यांत्रिक दोष से बन्द सभी 22 नलकूपों को ठीक करा दिया गया है तथा विद्युत दोष से बन्द 29 नलकूपों में से 17 नलकूपों को ठीक करा दिया गया है । शेष 12 विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराने के लिए विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है ।

होम्योपैथिक निदेशालय उ0 प्र0 में वित्तीय वर्ष 1988-89 में कन्टेंजेन्सी के रूप में धन उपयोग का विवरण

15—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 468, कांदगंज गार्डेन, लखनऊ के "कन्टेन्जेन्सी" में वर्ष 1988-89 में कुल कितना धन था तथा उक्त धन का उपयोग किन-किन मदों में किया गया ?

श्री मुख्तार अनीस—

होम्योपैथिक निदेशालय उ0 प्र0, लखनऊ के कन्टेन्जेन्सी में वर्ष 1988-89 में कुल दो लाख पांच हजार रुपये का प्राविधान आय-व्ययक में उपलब्ध था जिनका उपयोग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, डाक सेवा टिकट, लेखन सामग्री, इलेक्ट्रानिक टंकण मशीन व अन्य आकस्मिक/आवश्यक मदों पर व्यय करके किया गया ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को नान प्रैक्टिसिंग भत्ता दिए जाने का मामला

16—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "होम्योपैथिक" चिकित्साधिकारियों को "नान प्रैक्टिसिंग भत्ता" दिए जाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक स्वीकृति प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में टोंस नदी पर बांध के निर्माण की मांग

17—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—3 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अजमतगढ़ विकास खण्ड में टोंस नदी के उत्तरी तट पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में सिंचाई सचिव के कक्ष में दिनांक 19 जनवरी, 1990 को आयोजित बैठक में यह निश्चय हुआ था कि इसकी परियोजना शासन की स्वीकृति हेतु 19 फरवरी, 1990 तक विभाग द्वारा प्रस्तुत कर दी जायेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई सचिव के कक्ष में दिनांक 19 जनवरी, 1990 को आयोजित बैठक में निश्चित हुआ था कि टोन्स नदी के उत्तरी तट पर बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में एक फिजीबिलिटी रिपोर्ट माह फरवरी, 1990 तक प्रस्तुत कर दी जाएगी जो प्रस्तुत कर दी गई है ।

सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । परियोजना बनाई जा रही है ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खंड अतरौली में जादोपुर माइनर (राजवहा) पर पुल के निर्माण की मांग

18—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम—जादोपुर और खेड़िया रफातपुर, विकास खण्ड अतरौली, जिला अलीगढ़ के बीच जादोपुर—माइनर (राजवाहा) पर सार्वजनिक आवागमन हेतु पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर खण्ड 19, निर्माण शाखा, अलीगढ़ के नाम सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 3 फरवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मथुरा जनपद में गोवर्धन नाले की सफाई कराने वाले ठेकेदारों के बकाये भुगतान की मांग

19—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मथुरा स्थित गोवर्धन नाले की सफाई कार्य का गोड़ एवं अन्य युवा ठेकेदारों का वर्ष 1985 का लगभग 6 1/2 लाख रुपये जिसका एग्रीमेन्ट सं0 47/एसो/A-4 तथा सं0 44, यू0 ए0 सी0 ए-4, 16 मार्च, 1985 एवं 13 मई, 1985 को हुआ था, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त भुगतान यथाशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के रामपुर माइनर का हेड मुख्य ब्रान्च बनवाने की मांग

20—नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा खंड उन्नाव डिवीजन के अन्तर्गत जनपद हरदोई में रामपुर माइनर का निर्माण गत वर्षों में कराया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस माइनर का हेड मुख्य ब्रान्च से न बनने के कारण काश्तकारों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो हेड का निर्माण कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

रामपुर माइनर के नाम से किसी भी माइनर का निर्माण प्रश्नगत खंड के द्वारा विगत वर्षों में नहीं कराया गया है । माननीय विधायक का तात्पर्य सम्भवतः उमरापुर माइनर से है, जिसका निर्माण वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था, जो पूर्व में कुलावे की गूल के रूप में थी ।

जी नहीं, यह माइनर हरदोई ब्रांच के मील 103-4-0, पटरी बांयी से निकली है, जिसका हेड डिस्चार्ज 5-00 क्यूसेक है । यह माइनर 2-4-0, मील लम्बी है । उमरापुर माइनर के लिये पाइप हेड का निर्माण वर्ष 1987-88 में कराया गया था । इस माइनर में काश्तकारों को पानी की कोई परेशानी नहीं है ।

चूंकि माइनर में पाइप हेड का निर्माण किया जा चुका है, अतः पुनः हेड के निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

ड्रेनेज खंड बस्ती में दोषी पाये गये अवर अभियंताओं के विरुद्ध हो रही कार्यवाही की मांग

21—श्री मोहम्मद सईद अमर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में ड्रेनेज खंड बस्ती में विभिन्न ब्रांचों में 5 अवर अभियन्ता दोषी पाये गये थे ? यदि

हां, तो किन-किन के विरुद्ध कितनी धनराशि के दुरुपयोग का मामला पाया गया था ? क्या सभी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ड्रेनेज खंड, बस्ती के कार्यों की जांच में 6 अवर अभियन्ता दोषी पाये गये हैं।

प्रारम्भिक जांच के अनुसार अवर अभियन्तावार अनियमितता/दुरुपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्न है :—

क्रमांक	नाम अवर अभियन्ता	धनराशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1	श्री पी0 सी0 त्रिपाठी	9.69
2	श्री इन्द्र भूषण राय	0.86 0.62
3	श्री कृष्ण अवतार जायसवाल	0.13 0.39
4	श्री अनवार अहमद	0.70 0.22.5
5	श्री रणजीत सिंह	13.18
6	श्री भानु प्रकाश राय	16.23

सभी अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र बनाने की कार्यवाही हुई है। श्री कृष्ण अवतार जायसवाल एवं श्री अनवार अहमद, अवर अभियन्ता निलम्बित भी हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मन्ना लाल, लिपिक के बकाया भुगतान की मांग

22—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मन्ना लाल, लिपिक के बकाया भुगतान सम्बन्धी पत्र उनके कार्यालय से पत्रांक-213, दिनांक 16 जनवरी, 1990 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उनका बकाया भुगतान करा दिया गया है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दोहरीघाट नहर पर भारी वाहनों हेतु पुल बनाये जाने की मांग

23—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे दोहरीघाट नहर पर भारी वाहन निकलने हेतु पुल बनवाने के सम्बन्ध में उनके कार्यालय से पत्रांक-1691, दिनांक फरवरी, 1990 जो सचिव सिंचाई विभाग को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दोहरीघाट परियोजना पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में मांग

24—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट परियोजना पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में उनके कार्यालय से पत्रांक-1599 दिनांक मार्च, 1990 जो, सचिव, सिंचाई विभाग को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

दोहरीघाट सहायक नहर के किमी0 2. 40 पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अक्तूबर. 1989 में प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 1990-91 में धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

महिला हेल्थ सुपरवाइजर प्रशिक्षण गैर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों, के चयन की शिकायत

25—श्री राजनाथ सोंनकर शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1989 में श्रीमती माधुरी घोषाल, गिरिजा पाण्डे, पानमती आदि 14 महिलाओं को महिला हेल्थ सुपरवाइजर प्रशिक्षण हेतु राजकीय स्वास्थ्य विद्यालय, इलाहाबाद एवं वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां से भेजा गया था और संयुक्त निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, उ0 प्र0, वाराणसी का निर्देश था कि वह चयन केवल अनुसूचित जाति की ही प्रसव सेविकाओं से हों ? यदि हां, तो स्वास्थ्य विद्यालय के प्रभारी ने क्या उनके प्रमाण पत्रों की जांच की ? यदि हां, तो क्या श्रीमती पानमती, माधुरी घोषाल, गिरजा पाण्डे, श्रीमती राजमनी, रमावती, कमलावती आदि अनुसूचित जाति की हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में आराजी लाइन्स नामक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानान्तरण किये जाने की मांग

26—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में आराजी लाइन्स नामक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को वहां 30 शैय्या का अस्पताल हो जाने के कारण राजा तालाब नामक स्थान में स्थानान्तरित किये जाने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री मुक्तार अनीस—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत दरगाह-कथौली मार्ग पर सड़क का निर्माण

27—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ का विकास खण्ड दोहरीघाट अन्तर्गत दरगाह से कंथौली जाने वाली सड़क पर कठघरा मतलू माइनर पर आवागमन हेतु कोई पुलिया बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त पुलिया बन जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत नहर पर पुल की मांग लगभग 4.00 किमी0 पर की गई है । इस स्थल से 400 मी0 ऊपर अर्थात 3.60 किमी0 पर तथा 300 मी0 नीचे अर्थात् 4.10 किमी0 पर पक्के पुल पहले से ही निर्मित हैं, जो इस क्षेत्र को आवागमन की सुविधा प्रदान करते हैं ।

जनपद मऊ के दोहरीघाट विकास खण्ड अन्तर्गत कठघरा मतलू माइनर की मरम्मत की मांग

28—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के दोहरीघाट विकास खण्डान्तर्गत कठघरा मतलू माइनर में विगत तीन-चार वर्षों से उसकी सतह असमान होने से पानी नहीं आ रहा है ? इसे ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं, विगत वर्षों में पानी टेल तक आता रहा है तथा टेल पर रबी 1397 फसली में 32 एकड़ सिंचाई हुई है । यह सही है कि नहर की तली में जगह-जगह सिल्ट जमा हो जाने से तली असमान हो गई है ।

नहर की सिल्ट सफाई कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव, घोसी दोहरीघाट के अन्तर्गत चल रहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन के निर्माण की मांग

29—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव, घोसी दोहरीघाट में कितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं ? क्या इन केन्द्रों पर सहकारी भवन का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

जनपद मऊ के फतेहपुर मण्डाव, घोसी तथा दोहरीघाट विकास खण्डों में आठ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ।

जी नहीं, इनमें से केवल तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहकारी भवन में कार्यरत हैं । दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1990-91 में दिया जाना प्रस्तावित है । चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण जिला योजना का अंग है अतः शेष तीन केन्द्रों के भवन-निर्माण हेतु स्थल चयन के बाद जिला योजना में आपेक्षित परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पारित प्रस्ताव महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माध्यम से प्राप्त होने पर सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर, जिला मऊ में लगने हेतु प्रस्तावित नलकूपों के लगाने की मांग

30--श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं ? कितने नये चिकित्सालय प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण कब तक हो जायेगा । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 में सिंचाई खंड प्रथम, इलाहाबाद के लिए आवंटित धनराशि का विवरण

31—श्री नजमुद्दीन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड प्रथम, इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया उसमें से कितना धन अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, वाहन एवं कार्यालय के रख-रखाव पर व्यय किया गया और कितना धन निर्माण व अनुरक्षण पर व्यय किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सिंचाई खंड प्रथम, इलाहाबाद को विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1989-90 में 118.745 लाख रुपये आवंटित हुआ। इस आवंटित धनराशि के विरुद्ध हुए व्यय का विवरण तालिका में निम्नवत् है :--

क्रम संख्या	लेखा शीर्षक	व्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
1	वेतन, भत्ते एवं यात्रा भत्ते आदि	48.896
2	कार्यालय, आकस्मिक व्यय	0.87
3	निर्माण कार्य	29.27
4	अनुरक्षण कार्य	34.39
5	बाढ़ कार्यों का अनुरक्षण	5.79

सिंचाई खंड प्रथम इलाहाबाद में महरौड़ा माइनर के अधूरे निर्माण-कार्य को पूरा कराने की मांग

32--श्री नजमुद्दीन--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई खंड प्रथम इलाहाबाद में महरौड़ा माइनर का सिंचाई कार्य वर्ष 1986-87 से चल रहा है किन्तु उसका निर्माण-कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण पूरा न होने का क्या कारण है ? यह कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीनगर (गढ़वाल) के बेस अस्पताल का नाम स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा रखे जाने की मांग

33--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर (गढ़वाल) में बेस अस्पताल ने सुचारु रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन जनभावना के अनुरूप इस अस्पताल का नाम स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के नाम पर रखने पर विचार कर रहा है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अविधान सभा

जनपद कानपुर देहात, तहसील भोगनीपुर के ग्राम सेलूपुर के चक संख्या 82 से 85 के बीच राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

34—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार जनपद कानपुर देहात के तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम सेलूपुर के निवासियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चक संख्या 82 से 85 के बीच राजकीय ट्यूबवेल लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 29 जनवरी, 1990 को ग्राम वासियों ने आवेदन-पत्र भी दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस ग्राम का क्षेत्र नहरी कमाण्ड में है । वर्तमान नीति के अन्तर्गत नहरी कमान्ड में नलकूप का निर्माण नहीं कराया जाता है ।

जी हां ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया उससे विदित हुआ कि ग्राम वासियों द्वारा जिस क्षेत्र में नलकूप लगाने का आवेदन-पत्र दिया गया वह क्षेत्र नहरी कमान्ड में आता है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा बिना उच्च आदेश के दवा मंगाये जाने की शिकायत

35—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में माह जून, जुलाई एवं अगस्त, 1989 में चिकित्साधिकारियों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति के दवायें मंगाई गयी हैं ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों से और उनकी कुल कीमत क्या है ? क्या मंत्री जी उक्त खरीद की उच्चस्तरीय जांच कराने के आदेश देंगे ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी, लखनऊ ने बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वलिखित स्वीकृति के औषधियों का क्रय किया । जिन फर्मों से उक्त औषधियां क्रय की गयीं, उनका नाम एवं औषधियों की कीमत निम्नवत् है :

1—स्टेट फार्मेसी, लखनऊ	रु0 60,884.60
2—कोआपरेटिव ड्रग फैक्टरी, रानीखेत	रु0 4,04,177.83
3—मै0 भारत आयुर्वेदिक स्टोर चारबाग, लखनऊ	रु0 34,484.25
4—मै0 डी0 ए0 फार्मा, अलीगढ़	रु0 8,500.00
5—मै0 मैक्सवेब लि0 कमलानगर, दिल्ली	रु0 16,380.00
6—मै0 अहर्शा औषधालय अमीनाबाद, लखनऊ	रु0 37,511.25
योग ..	रु0 5,61,938·53

जी हां ।

बांदा जनपद के आयुर्वेदिक एवं यूनानी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के बोनस को गलत ढंग से भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

36—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के आयुर्वेदिक एवं यूनानी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मार्च, 1989 का कर्मचारियों के बोनस का भुगतान नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट द्वारा न करके नगद भुगतान करके किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां। सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि समस्त देयकों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट से ही करें।

बांदा जनपद के आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगनेधी के एक फार्मासिस्ट बोनस का गलत ढंग से भुगतान

37—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगनेधी के एक फार्मासिस्ट का मार्च, 1989 का बोनस क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी जनपद बांदा के कार्यालय में दिनांक 6 नवम्बर, 1989 को कैश बुक में वितरित दिखाया गया जबकि उक्त धन का बैंक ड्राफ्ट दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 को बनाया गया है ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता से दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील में गुढ़ा लिफ्ट पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

38—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील में गुढ़ा लिफ्ट पम्प कैनाल की सिंचाई क्षमता कितनी है ? क्या उक्त पम्प कैनाल की क्षमता के अनुरूप सिंचाई हो जाती है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार कमाण्ड एरिया को पूरी सिंचाई हेतु नहर को बड़ा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बांदा जनपद की नरैनी तहसील में स्थित गुढ़ाकला पम्प नहर की क्षमता 30 क्यूसेक्स है। इस नहर का सी0 सी0 ए0 2116 हैक्टेयर है।

जी नहीं। अधिकतम सींच 779 हैक्टेयर रही।

पम्प नहर जगह-जगह फिलिंग पर कच्ची बनी होने के कारण पूरी क्षमता से चलने पर टूट जाती है।

जी नहीं, क्यों कि मुख्य नहर की लम्बाई 10.7 किमी0 है जो क्षमता के अनुसार है।

आजमगढ़ के हरैया ब्लाक में स्थित रचन पट्टी गांव के ताल के पानी को निकालने की मांग

39—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की हरैया ब्लाक में स्थित रचन पट्टी गांव के ताल के पानी स पानी के निकास की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के कोई पत्र वर्ष 1988-89 में जनपदीय अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद आजमगढ़ के हरैया ब्लाक में स्थित ग्राम रचन पट्टी के ताल से पानी की निकासी की व्यवस्था के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों का पत्र वर्ष 1988-89 में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है, इस विषय से सम्बन्धित माननीय विधान सभा सदस्य श्री पंचानन राय का पत्र दिनांक 13 जून, 1990 प्राप्त हुआ है ।

माननीय विधायक के पत्र के आधार पर सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुवायां, शाहजहांपुर में आवश्यक चिकित्सकों के पद भरे जाने की मांग

40—श्री चेतराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुवाय जनपद शाहजहांपुर में चिकित्सकों की संख्या स्वीकृत पदों से कम है ? क्या वहां गरीबों के लिए एक्स-रे मशीन उपलब्ध है, किन्तु रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति नहीं की गई हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों पर नियुक्तियां तथा उक्त सुविधाओं की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ।

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

जी हां ।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के भरने हेतु चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है । अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जायेगी ।

41—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[4 थें सोम में अता0 प्र0 सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

42—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

[दिनांक 21 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 138 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के समस्त मेडिकल संस्थाओं में एम0 डी0/एम0 एस0 के पदों में आरक्षित कोटा को पूरा करने की मांग

43—श्रीमती रामेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त मेडिकल संस्थाओं में एम0 डी0/एम एस0 की कुल 625 सीटों में से 125 पर मेडिकल आफिसरों हेतु आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो रेगुलर छात्रों हेतु बाकी 500 सीटों पर आरक्षित सीटों को पूरा करने में सरकार को क्या कठिनाई है ? सरकार उक्त आरक्षण को कब तक पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

पी0 एम0 एच0 एस0 आफिसरों हेतु निर्धारित 125 सीटों के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई कोटा आरक्षित नहीं है । शेष 500 सीटों पर प्रवेश हेतु शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को इस प्रयोजन हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये निर्धारित अंक से 1.65 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देकर मेरिट लिस्ट बनायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में आरक्षण कोटा पूरा कराने की मांग

44—श्रीमती रामेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4377/चिकि-4-89-5-सा0 1989, दिनांक 6 सितम्बर, 1989 के तहत पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग के पुरुष व महिला चिकित्साधिकारियों के लिए प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा कुल सीटों का 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तात्कालिक प्रभाव से रेगुलर छात्रों के हित में उक्त शासनादेश के तहत आरक्षण कोटा पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

शासनादेश संख्या-4377/चिकि-4-89-5-सा0-1989, दिनांक 6 सितम्बर, 1989 नहीं अपितु, शासनादेश संख्या-4377-चिकि-4-39-5-सा0/1989, दिनांक 23 अक्तूबर, 1989 जारी हुआ है ।

रेगुलर छात्रों के प्रवेश में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को इस प्रयोजन हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित अंक से 1.65 प्रतिशत अधिक अंक देकर मेरिट लिस्ट बनाया जायेगा ।

सिंचाई खण्ड प्रथम इलाहाबाद का वित्तीय वर्ष 1989-90 में आवंटित किये गये धन के व्यय का विवरण

45--श्री नजमुद्दीन--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में कितना धन आवंटित किया गया ? इससे असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए कौन सा कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्य न कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 में 118.745 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई। उक्त आवंटित धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 29.43 लाख रुपये की धनराशि आवंटित थी जिसमें से 17.51 लाख रुपये मिट्टी के कार्य पर 4.231 लाख रुपये पक्के कार्यों पर तथा 5.48 लाख रुपये भूमि अध्याप्ति पर मुख्यतः व्यय किया गया जिससे सुदृढ़ीकरण सहित 500 मीटर माइनर का निर्माण करके 40 हैक्टेयर असिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1985 में ग्राम चामू, परगना बारा, जनपद इलाहाबाद में नहर के पानी से हुयी बाढ़ की क्षतिपूर्ति की मांग

46--श्री नजमुद्दीन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चामू, परगना बारा, जनपद इलाहाबाद में वर्ष 1985 में नहर के बाढ़ के पानी से फसलों की क्षति सम्बन्धी उक्त ग्राम के श्री राम कृपाल सिंह व अन्य कृषकों का कोई प्रार्थना-पत्र तत्समय विधान सभा के सदस्य श्री रेवती रमण सिंह की संस्तुति के साथ अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, इलाहाबाद को अप्रैल, 1987 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या कृषकों को फसल की क्षति पूर्ति दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्षतिपूर्ति कब तक दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

कृषकों को फसल की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं दी गयी है। फसल की क्षतिपूर्ति का प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है, तथा शीघ्र भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई खंड प्रथम, इलाहाबाद के मड़ियाहूं ब्रांच में क्षतिग्रस्त साइफन के मरम्मत की मांग

47--श्री नजमुद्दीन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खंड प्रथम, इलाहाबाद के अन्तर्गत मड़ियाहूं ब्रांच के कि0 मी0 14.825 पर क्षतिग्रस्त साइफन की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हां,

तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पत्र पर कृत-कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 11 जनवरी, 1990 नहीं, बल्कि माननीय सिंचाई मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ है ।

साइफन के निर्माण में हुयी अनियमितता, जिसके कारण साइफन क्षतिग्रस्त हुआ, से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर जांच करायी गयी । जांच पर निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम चांद पट्टी, विकास खंड हरैया जनपद आजमगढ़ में ताल के पानी के निकासी हेतु ड्रेन बनाने की मांग

48--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चांद पट्टी, विकास खंड हरैया, जनपद आजमगढ़ के ताल के पानी की निकासी हेतु ड्रेन बनाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

ग्राम चांद पट्टी, विकास खंड हरैया, जनपद आजमगढ़ के ताल के पानी की निकासी हेतु ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण करके तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोण से यदि कार्य साध्य पाया जायेगा तो तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई विभाग के सर्वेयर एवं सहायक सर्वेयर के पद पर कार्यरत लोगों को अन्य विभाग के सर्वेयर की भांति वेतन दिये जाने की मांग

49--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत सर्वेयर एवं सहायक सर्वेयर के पदों पर कार्यरत लोगों को इन्हीं पदों पर कार्यरत अन्य विभागों के लोगों के समान वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पूरी स्थिति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह --

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जाने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों में विद्यमान पदों का तुलनात्मक अध्ययन कर युक्तिसंगत वेतनमानों की संस्तुति करने हेतु गठित समता समिति की संस्तुतियों को शासकीय संकल्प दिनांक 19 मई, 1989 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है । सिंचाई विभाग के सर्वेयर एवं सहायक सर्वेयर के पदों का वेतनमान समता समिति द्वार

संस्तुत वेतन समीकरण के अनुसार स्वीकृत किया गया है। इसलिये राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के पदों की तुलना राज्य सरकार के अन्य विभागों के पदों/संवर्ग से किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

सर्वेयर संघ, सिंचाई विभाग द्वारा वेतनमान विसंगति के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर तथा वाराणसी में तीन साल या इससे अधिक समय से कार्यरत सहायक अभियंताओं का विवरण

50—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर तथा वाराणसी में ऐसे कौन-कौन सहायक अभियन्ता हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से और कौन-कौन सहायक अभियंता 4 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं? कौन-कौन सहायक अभियन्ता 16 साल की सेवायें पूरी करने वाले हैं परन्तु 6 साल प्रतिबन्धित सेवा पूरी नहीं किये हैं? क्या शासनादेशों के तहत उक्त सभी का स्थानान्तरण इस वर्ष किया जावेगा यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर में एक सहायक अभियंता (सिविल) श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं।

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी में कोई सहायक अभियन्ता ऐसा नहीं है जो 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हो।

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर तथा वाराणसी में कोई भी सहायक अभियंता ऐसा नहीं है, जो 4 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हो।

सिंचाई कार्य मण्डल, मिर्जापुर में ऐसा कोई सहायक अभियन्ता नहीं है जो 16 साल की सेवा पूरी करने वाला हो परन्तु 6 वर्ष प्रतिबन्धित सेवा न पूर्ण किये हों।

सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी में निम्न 3 सहायक अभियंता ऐसे थे जिनको 16 साल की सेवायें पूरी होने वाली हैं और उनका प्रतिबन्धित कार्यकाल 6 वर्ष से कम है।

क्रम-संख्या	सहायक अभियंता का नाम	विभाग में सेवायें	प्रतिबन्धित	
1	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	17 वर्ष	4 वर्ष	4 माह
2	श्री पारस नाथ यादव	21 वर्ष	4 वर्ष	1 माह
3	श्री अशोक कुमार शर्मा	14 वर्ष	4 वर्ष	5 माह

(1) श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता के ज्ञापांक-सी-283/ई-1, दिनांक 4 जून, 1990 द्वारा परिकल्प लखनऊ (प्रतिबन्धित स्थान) को स्थानान्तरित किया गया था परन्तु बाद में जनहित में उक्त आदेशों को संशोधित कर प्रमुख अभियंता के ज्ञापांक-सी-292/ई-1, दिनांक 15 जून, 1990 द्वारा इन्हें मेजा बांध खंड, मिर्जापुर में पदस्थापित किया गया।

(2) श्री पारस नाथ यादव, सहायक अभियंता का स्थानान्तरण प्रमुख अभियंता के ज्ञापांक-सो-283/ई-1, दिनांक 4 जून, 1990 द्वारा अनुसंधान एवं नियोजन खंड, मिर्जापुर (प्रतिबन्धित) को किया जा चुका है।

(3) श्री अशोक कुमार शर्मा को विभाग में सेवायें 14 वर्ष की हुई हैं। यह वर्तमान खंड में 1 जुलाई 1989 से ही कार्यरत हैं और वर्तमान पद पर केवल एक वर्ष ही हुआ है। शेष प्रतिबन्धित अवधि पूर्ण करने हेतु आगामी स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, सोन वाराणसी के अधीन 10 वर्ष की सेवा के बाद भी निर्बाधित सेवा न करने की शिकायत

51—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता, सोन वाराणसी के अधीन ऐसे कौन-कौन सहायक अभियंता हैं जो प्रथम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन अब तक प्रतिबन्धित स्थानों पर नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों ? क्या शासनादेश के अनुसार इनकी सेवा के प्रथम 10 वर्षों में ही 3 साल प्रतिबन्धित स्थानों पर रहना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या इन्हें इस साल स्थानान्तरित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मुख्य अभियंता (सोन) के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई सहायक अभियंता नहीं है जो प्रथम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने वाला हो और अब तक प्रतिबन्धित स्थान पर न रहा हो।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

52—श्री राज किशोर सिंह—

[3रे बुध में अता0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 1989 में चतुर्थ श्रेणी की बनायी गई सूची से नियुक्ति का विवरण

53—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1989 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 17 रिक्तियों पर किए गए चयन के उपरान्त बनाई गई सूची के क्रमानुसार नियुक्तियां कर दी गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा जनपद की कर्वी/मऊ तहसीलों में वर्तमान राजापुर पम्प कैनाल के विस्तार की योजना

54--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कर्वी/मऊ तहसीलों में वर्तमान राजापुर पम्प (चिल्ली राकस) कैनाल के विस्तार सम्बन्धी कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, बांदा जनपद की कर्वी/मऊ तहसीलों में वर्तमान चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता 120 क्यूसेक से 300 क्यूसेक एवं राजापुर पम्प नहर की क्षमता 50 क्यूसेक से 150 क्यूसेक करना प्रस्तावित है । परियोजना की स्वीकृति उपरान्त धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा ।

बांदा जनपद में कर्वी तहसील में चिल्ली मल पम्प कैनाल के विस्तार की मांग

55--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में कर्वी तहसील में चिल्ली मल पम्प कैनाल के विस्तार सम्बन्धी 300 क्यूसेक की योजना निर्माण के लिए प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका विस्तार कब तक कराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

परियोजना स्वीकृत होने पर धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद की कर्वी तहसील में ग्राम रैंपुरा में लिफ्ट नहर लगाये जाने का मामला

56--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की कर्वी तहसील में ग्राम रैंपुरा के पास गुन्ता नदी पर खरीफ की फसलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 31 दिसम्बर, 1990 के पूर्व यहां पर पानी की उपलब्धता का सर्वे कराकर नदी के पश्चिमी क्षेत्रों के लिए लिफ्ट नहर लगाई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

बांदा जनपद की कर्वी तहसील के ग्राम रैपुरा के पास गुन्ता नदी पर लिफ्ट नहर बनाये जाने हेतु नदी में पानी की उपलब्धता का सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्नगत स्थल पर नदी में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही लिफ्ट नहर के निर्माण पर विचार किया जा सकता है ।

बांदा जनपद के कर्वी सम्भाग में पैस्वनी डाइवर्जन में कतिपय निर्माण कार्य के भुगतान में धांधली की शिकायत

57-श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के कर्वी सम्भाग में पैस्वनी ड्राइवर्जन में माह अक्तूबर से फरवरी 1989 तक हेड के पास मिट्टी का कार्य स्लोप सरलीकरण में काम न कराने एवं गोंद सेवार, सफाई आदि में फर्जी मस्टर रोल बनाने व निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी देने बावत प्रश्नकर्ता का तत्कालीन ब्लाक प्रमुख चित्रकूट की हैसियत से दिनांक 29 मार्च, 1989 को रजिस्टर्ड शिकायती पत्र जांच एवं कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता बुन्देलखण्ड सिंचाई विभाग, झांसी, सिंचाई मंत्री उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां, शिकायत की जांच अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड कर्वी (बांदा) द्वारा की गई व सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के बयान भी लिए गए । अनुरक्षण मरम्मत के सदुपयोग हेतु पंडित दीनदयाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार भी कार्य संतोषजनक पाये गये ।

जांच से प्रमाणित होता है कि फर्जी मस्टर रोल व निर्धारित से कम मजदूरी देने की शिकायत निराधार है ।

पिथौरागढ़ जनपद के बिगतोली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कानूनगो श्री गंगादत्त पाण्डेय द्वारा अविवाहित की नसबन्दी

58-डा0 दिनेश जौहरी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री बद्रीराम निवासी बिगतोली जो कि अविवाहित था की नसबन्दी 3 माह पूर्व पिथौरागढ़ जनपद की बिगतोली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कानूनगो गंगादत्त पाण्डे द्वारा करा दी गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

इस प्रकरण की प्रारम्भिक जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा की गई है । पूर्ण जांचोपरान्त, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण सुविधा दिलाने हेतु रोस्टर/आदर्श क्रमावली

59—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञात है कि शासनादेश संख्या-100-एस0 सी0 2-बी, 31 जून, 1964 के अनुपालन में मेडिकल कालेज में प्रवक्ता पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिलाने हेतु रोस्टर/आदर्श क्रमावली का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो इस क्रमावली के अनुसार कितने प्रवक्ता पद किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में वर्ष 1986 से 1990 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में प्रवक्ता के पदों पर आरक्षण का विवरण

60—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में वर्ष 1986 से अब तक कितने पद लेक्चरर्स के स्थायी और अस्थायी स्वीकृत हैं ? इन स्वीकृत पदों पर (लेक्चरर्स) नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति का 18 प्रतिशत आरक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कितने अनुसूचित जाति के लेक्चरर स्थायी/अस्थायी (तदर्थ) नियुक्ति पर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो आरक्षित पदों पर कौन कार्य कर रहे हैं ? क्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद रिक्त हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के मेडिसिन विभाग में 1986 तथा इसके पूर्व प्रवक्ता के 8 पद स्वीकृत हैं, जो स्थायी हैं ।

वर्ष 1990 में लेक्चरर मेडिसिन के पद पर नियुक्ति के समय एक पद का आरक्षण किया गया जिस पर अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी की नियमित नियुक्ति की गई। आरक्षित पद रिक्त नहीं हैं ।

मऊ जनपद के सदर अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोहरीघाट, घोसी बड़राव तथा कोपागंज को मुफ्त दवा बांटने में धांधली

61—श्री सुबाष—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद से सम्बन्धित सदर अस्पताल एवं प्रा0 स्वा0 केन्द्र, दोहरी घाट, घोसी बड़राव तथा कोपागंज पर प्रतिवर्ष मरीजों की मुफ्त सेवा हेतु दवायें दी जाती हैं ? यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है क्या सम्बधित डाक्टरों द्वारा दवाओं का वितरण गरीब मरीजों के लिये किया जाता है ? क्या इसकी जांच सरकार द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

श्री हां ।

दवा की मात्रा मानक के अनुसार, उपलब्ध बजट व मरीजों की आवश्यकतानुसार दी जाती है । वर्ष 1989-90 में संयुक्त चिकित्सालय, मऊ के लिए रुपये 1,40,000 तथा प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 24,000 रुपये मूल्य की दवायें उपलब्ध करायी गयीं ।

जी हां ।

चूंकि आवश्यक मात्रा में मुफ्त दवायें दी जा रही हैं, अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून में कार्यरत नलकूपों के सम्बंध में कतिपय विवरण

62--श्री रणजीत सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून में कुल कितने नलकूपों द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ? गत पांच वर्षों में कौन-कौन नलकूप कब-कब कितने समय तक तकनीकी अथवा अन्य खराबी के कारण कितने समय तक बन्द रहे ? क्या विभाग द्वारा 15 दिन से अधिक समय तक नलकूप की खराबी दूर न किये जाने के कारणों की जांच कराकर जांच आख्या में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा नलकूप के बन्द रहने के कारण किसानों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जनपद देहरादून में 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार 46 चलित सामान्य राजकीय नलकूपों द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त टिहरी परियोजना के विस्थापितों के लिए भी 7 राजकीय नलकूपों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । जिनका रख-रखाव टिहरी जल विद्युत् विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।

विगत पांच वर्षों में तकनीकी अथवा अन्य खराबियों के कारण बन्द हुए राजकीय नलकूपों की सूची "अ" संलग्न है ।†

जनपद के दुर्गम पर्वतीय रास्तों, अत्यधिक गहरा भूजल एवं इसके कारण उच्च अश्वशक्ति के सबमरसिबुल पम्प सेट्स का प्रयोग 250 से 350 फिट की गहराई तक वेल्डिंग करके कालम पाइपों को नलकूप में डालना, पम्प सेट खराब होने पर कालम पाइप काट कर निकालना आदि रख-रखाव के दुष्कर कार्य होने के कारण नलकूप को ठीक कराने में अधिक समय लगना अपरिहार्य है । देहरादून जनपद की भौगोलिक एवं भूजल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 15 दिन से अधिक समय तक नलकूप की खराबी दूर न किये जाने के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है ।

नलकूप के बन्द होने के कारण किसानों को कोई होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं है ।

---

†छापा नहीं गया ।

निदेशक होम्योपैथिक डा0 ए0 सी0 सक्सेना के विरुद्ध सतर्कता जांच की मांग

63—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अगस्त सितम्बर, 1987 में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा निदेशक होम्योपैथिक डा0 ए0 सी0 सक्सेना के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी जांच के आधार पर डा0 सक्सेना को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

64—श्री शिव कुमार बेरिया—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

मेडिकोरा ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल दवा कम्पनी के लाइसेन्स निलम्बित होने के कारणों की जानकारी

65—श्री संगम लाल शुक्ल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद जनपद में मेडिकोरा ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल दवा कम्पनी का लाइसेन्स अनियमितताओं के आधार पर कई बार निलम्बित हो चुका है तथा अभी भी निलम्बित है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप है तथा क्या सरकार उन आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस दवा कम्पनी का लाइसेन्स स्थायी तौर से कैन्सिल करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुख्तार अनीस—

इस दवा कम्पनी का लाइसेन्स पहली बार 10 जनवरी, 1985 एवं दूसरी बार 7 अक्तूबर, 1989 को जारी किए गए आदेश से निलम्बित किया गया। पहली बार निलम्बित का कारण कम्पनी के निरीक्षण में पाई गई कमियां, जैसे औषधि निर्माण एवं परीक्षण हेतु निर्धारित तकनीकी विशेषज्ञ का उपस्थित न होना, बोतलें धोने व सुखाने हेतु मशीन का न होना, गन्दे स्थान में बोतलों का धोना, औषधि निर्माणशाला में गन्दगी आदि थी। दूसरी बार निलम्बन का कारण औषधि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन न करना, जैसे विश्लेषण विशेष का अनुपस्थित होना, कच्चे माल के खरीद एवं उपयोग के अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना, परीक्षण हेतु पर्याप्त उपकरणों का न पाया जाना आदि-आदि था, दवा कम्पनी का लाइसेन्स वर्तमान में निलम्बित नहीं है।

क्योंकि प्रश्नगत दवा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित आरोपों का निराकरण कर लिया गया था। अतः उसका लाइसेन्स स्थायी तौर से कैन्सिल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

66—श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद—

[दिनांक 21 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 103 द्वारा उत्तरित]।

पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय बनारस, गाजियाबाद के विभिन्न मदों पर व्यय होने का विवरण

67—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय बनारस तथा गाजियाबाद में हैं ? यदि हां, तो वहां पर कितने-कितने अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं, उन पर तथा अन्य मदों पर इन कार्यालयों का अलग-अलग प्रतिमाह कितना खर्च आता है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

क्षेत्रीय कार्यालय बनारस तथा गाजियाबाद में एक-एक ड्राइवर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद में दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। पर्यावरण निदेशालय के मुख्यालय पर कार्यरत एक संयुक्त निदेशक को गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालय का तथा दूसरे संयुक्त निदेशक को बनारस क्षेत्रीय कार्यालय का फिलहाल प्रभारी बनाया गया है।

इनके वेतन तथा अन्य मदों के प्रतिमाह का अलग-अलग खर्च इस प्रकार है :

क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद (एक माह का औसत खर्च)		क्षेत्रीय कार्यालय बनारस	
वेतन	अन्य मद	वेतन	अन्य मद
रु0	रु0	रु0	रु0
1,770.14	4,143.40	1,818.80	2,542.82

जनपद चमोली लिफ्ट सिंचाई योजनाओं द्वारा निश्चित सिंचन क्षमता के अनुसार सिंचाई की जानकारी की मांग

68—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं मैठा, वमोथ, तिलवाड़ा एवं कोठगी में निश्चित सिंचन क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पानी चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अप्रैल 1988 से जून 1988 तक शारदा नहर खण्ड लखनऊ के सहायक अभियन्ता प्रथम के स्थान पर दो सहायक अभियन्ता से कार्य कराने तथा उनको भुगतान करने की शिकायत

69—श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ में माह अप्रैल 1988 से जून 1988 तक की अवधि में सहायक अभियन्ता (प्रथम) के पद पर दो सहायक अभियन्ता कार्यरत थे और दोनों सहायक अभियन्ताओं की ड्यूटी का वेतन आहरण एवं वितरण किया गया ? यदि हां, तो किन वित्तीय नियमों के अन्तर्गत एक ही अवधि का एक ही पद का ड्यूटी वेतन दिया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ में 29 अप्रैल, 1988 से 29 जून, 1988 तक दो सहायक अभियन्ताओं, एक जो पदस्थापित थे तथा दूसरे जो स्थानान्तरित थे और जिनका स्थानान्तरण आदेश प्रमुख अभियन्ता के आदेश दिनांक 29 जून, 1988 द्वारा स्थगित किया गया था, का ड्यूटी वेतन आहरित किया गया है।

स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता जिनके आदेश बाद में प्रमुख अभियन्ता द्वारा स्थगित किए गए थे, के वेतन आहरित करने के सम्बन्ध में विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

70—श्री नजमुद्दीन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

71—श्री नजमुद्दीन--

[दिनांक 21 जून, 1990 को अता० प्र० सं० 133 द्वारा उत्तरित]।

72—नजमुद्दीन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

बुन्देलखण्ड में भूगर्भ जल की अनिश्चितता के कारण नलकूपों के मानक बढ़ाये जाने की मांग

73—श्री रवीन्द्र शुक्ल--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड में भूगर्भ जल की अनिश्चितता होने के कारण सरकारी नलकूपों हेतु 30,000 गैलन प्रति घन्टा मानक को 10,000-15,000 गैलन प्रति घन्टा करने पर विचार किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

74--श्री साहब सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री सिंचाई विभाग में कार्यरत सिविल अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि उक्त सूची किस मानक आधारों पर तैयार की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न सम्प्रति विवादग्रस्त है और इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के अभियन्तओं द्वारा दायर की गई 18 याचिकायें अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं तथा यह प्रकरण तीन न्यायाधीशों की खण्डपीठ को सन्दर्भित है। अतः मौलिक पद की ज्येष्ठता निर्धारण का प्रश्न विवाद ग्रस्त होने के कारण अधिशासी अभियन्ताओं की अन्तिम ज्येष्ठता सूची अभी नहीं बनाई जा सकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित याचिकाओं में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात् नियमानुसार न्यायसंगत सिद्धान्तों के आधार पर अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची बनाई जायेगी।

नवगठित जिला सिद्धार्थनगर में विगत बाढ़ से टूटे हुए बांधों का विवरण तथा उसके मरम्मत की मांग

75---श्री जय प्रताप सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी में वर्ष 1989 के बाढ़ के समय कौन-कौन से बांध ड्रेनेज विभाग बस्ती के टूट गये थे ? क्या यह सच है कि टूटे हुये बांध असोगवा, मदरहवा के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसकी जांच 16 अप्रैल, 1989 को होने वाली थी ? क्या इस बांध के टूट जाने पर अधीक्षण अभियन्ता (सिंचाई निर्माण मण्डल), गोरखपुर के पास भूतपूर्व विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डे ने शिकायती-पत्र दिनांक 24 जून, 1989 तथा 16 अगस्त, 1989 को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर जांच किसने की तथा उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री रेवती रमण सिंह---

वर्ष 1989 की बाढ़ में निम्नलिखित बन्धे, जो ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती एवं सिंचाई निर्माण खण्ड, बस्ती के अन्तर्गत बांसी तहसील में हैं, टूट/काटे गये हैं :--

1--सोनौली असोगवा बांध

2--घंदौला- लखनापार बांध

3--बांसी-डुमरियागंज बायां तटबन्ध

4--भंवारी-अजमागढ़ बांध

5--हाटा अमरिया-रीबानामकार बांध

6--गायघाट अजगरा बांध

7--बांसी-पनघटिया बांध

8--बांसी-बनकटा जमींदारी बांध

भूतपूर्व विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डेय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज प्रखण्ड, बस्ती से शिकायत की गई थी जिसकी जांच अधिशासी अभियन्ता द्वारा 16 अप्रैल, 1989 को की जानी थी ।

भूतपूर्व विधायक श्री विश्वनाथ पाण्डेय जी के शिकायती-पत्र दिनांक 24 जुलाई, 1989 व कि 26 जून, 1989 एवं 16 अगस्त, 1989 बांध टूट जाने के पश्चात् प्राप्त हुये थे ।

इस बन्धे की जांच श्री कन्हैया राम, अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर से कराई जा रही है। जांच आख्या अपेक्षित है ।

आजमगढ़ जनपद में हरैया ब्लाक में छोटी सरजू के किनारे तटबन्ध बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

76--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में छोटी सरजू के किनारे तटबन्ध बनाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

आजमगढ़ पब्लिक नलकूप संख्या 167 तहसील सगडी के सुधार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

77--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप संख्या 167, तहसील सगड़ी में सुधार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के शारदा सहायक दोहरीघाट लिंक कैनाल के गूल के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता पत्र

78--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक कैनाल में गूल के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक कैनाल पर गंगापुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ पर पुलिया का निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

79--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक कैनाल पर ग्राम गंगापुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में पुलिया निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1989 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़, महुला-गढ़वल बांध पर तैनात कर्मचारियों के सम्बन्ध में कतिपय विवरण

80--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के महुआ-गढ़वल बांध पर कौन-कौन से सीजनल कर्मचारी हैं, जिनको 30 जून, 1989 को पांच वर्ष से ज्यादा हो गया है ? इनमें से कौन-कौन से कर्मचारी जून 1985 से रेगुलर मस्टर रोल कर्मचारी मान लिये गये थे और उनमें से किनको मजदूरी सितम्बर, 1989 से नहीं दी जा रही है ? इसके क्या कारण हैं और उन्हें मजदूरी कब तक दे दी जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

आजमगढ़ जनपद के महुला-गढ़वल बांध पर 54 सीजनल कर्मचारी हैं, जिनको 30 जून, 1989 को पांच वर्ष से ज्यादा हो गया है । यह सीजनल कर्मचारी केवल बाढ़ के दिनों में 15 जून से 15 अक्तूबर तक ही आवश्यकतानुसार रखे जाते हैं ।

इनमें से कोई भी श्रमिक जून, 1985 में रेगुलर मस्टर रोल कर्मचारी नहीं माना गया है । उपरोक्त सभी सीजनल श्रमिकों को 15 जून, 1989 से 15 अक्तूबर, 1989 तक ही (सम्पूर्ण सीजन की) मजदूरी दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सचिव के निजी सचिव के निजी भवन में होम्योपैथिक निदेशालय का कार्यालय खोले जाने पर आपत्ति

81--श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सचिव, श्री के0 के0 बख्शी के निजी सचिव, श्री भदौरिया के मकान को होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा किराये पर लिया गया है । यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था और उक्त भवन में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी बैठते हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां। पहले से तो उपलब्ध भवन में स्थानाभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन किराये पर लिया गया। उक्त भवन में लेखा परीक्षक, अन्वेषक-कम-संगणक, लिपिक तथा चपरासी वर्तमान में बैठते हैं।

82--श्री चन्द्र विजय सिंह--

[दिनांक 14 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 112 द्वारा उत्तरित]

कादरगंज पोखता से सोनांडी, जिला एटा के बांध की मरम्मत की मांग

83--देवेन्द्र सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार कादरगंज पोखता से सोनांडी, जनपद एटा तक का बांध जो जीर्ण अवस्था में है, को मरम्मत करवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

ऐसा प्रस्ताव वर्तमान में सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है।

यह 13.6 कि0 मी0 लम्बा बांध जमींदारी/श्रमदान बांध है। सिंचाई विभाग द्वारा न तो यह निर्मित किया गया था और न इसका रख-रखाव ही किया जाता है।

नैनीताल के रामनगर ब्लाक में भाकड़ा से मोहान तक नालों पर बांध बनाये जाने की मांग

84--श्री किशन सिंह तड़ागी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर ब्लाक, जनपद नैनीताल में भाकड़ा से मोहान तक लगभग 50 छोटे-बड़े नाले पड़ते हैं जो बरसात में बाढ़ का रूप धारण कर काश्तकारों की फसल व घरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं ? क्या मंत्री जी इन नालों पर बन्धा बनाकर काश्तकारों को इससे छुटकारा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद ललितपुर के ग्राम सौरई में लगाये गये सरकारी नलकूपों को चालू किये जाने की मांग

85--श्री देवेन्द्र कुमार सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ग्राम सौराई में जो दो नलकूप निर्मित किये गये हैं किन्तु चालू नहीं किये हैं, उन को सरकार शीघ्र चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जनपद ललितपुर के ग्राम सौरई में सिंचाई विभाग द्वारा नलकूपों का निर्माण नहीं किया गया है। अतः इनको चालू कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील बूढ़नपुर के गौरी ग्राम के चकों का प्रतिकर नहर निर्माण के बाद भुगतान न होने की शिकायत

86—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर तहसील के ग्राम गौरी के किन-किन चकों का प्रतिकर नहर निर्माण के बाद भी अभी तक नहीं दिया गया ? उन चकों तथा बागों के प्रतिकर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ग्राम गौरी, तहसील बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ में नहर निर्माण में ली गई भूमि के लिये चक संख्या 1054, 1055, 610, 611, 663, 654, 1070, 522, 553, 554, 525, 153, 666, 523 तथा 665 के प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के परीक्षण उपरान्त प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

87—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मेसर्स शर्मा आयल मिल 281/380 मिल रोड मवइया लखनऊ के विरुद्ध अनियमितता की जांच की मांग

88—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि श्री अमृत लाल शर्मा पुत्र श्री दीवान चन्द्र शर्मा, निवासी 281/380, मिल रोड, मवइया, लखनऊ द्वारा मेसर्स शर्मा आयल मिल नाम की एक फर्म वर्ष 1970 से चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस फर्म द्वारा किसी प्रकार का लाइसेन्स सरकार द्वारा नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार लाइसेन्स के अभाव में फर्म के मालिक को तत्काल बन्दी बनाकर मुकदमा चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विवाकर विक्रम सिंह—

श्री अमृत लाल शर्मा पुत्र श्री दीवान चन्द्र शर्मा, निवासी 281/380, मिल रोड, मवइया, लखनऊ द्वारा मेसर्स शर्मा आयल मिल वर्ष 1970 से चलाये जाने की कोई जानकारी शासन को नहीं है । प्रश्नगत फर्म एवं स्थान की जांच करायी जाने पर पाया गया कि वहां पर एक आटा चक्की वर्ष 1960 से एवं एक स्पेलर (तेल मशीन) वर्ष 1980 से लगी है । जांच आख्यानुसार लाइसेन्सिंग आदेश में निर्धारित सीमा से कम मात्रा में कार्य किये जाने के कारण फर्म द्वारा सरकार से लाइसेन्स नहीं लिया गया है ।

उपरोक्त उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का कोई आधार न होने के कारण दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स शर्मा आयल मिल, 281/380, मिल रोड मवइया लखनऊ के उत्पाद की चिकित्सीय जांच की मांग

89—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स शर्मा कैलाश आयल मिल, 281/380, मिल रोड, मवइया, लखनऊ द्वारा निर्मित एवं वितरित किये जा रहे सरसों के तेल (खाद्य तेल) की शुद्धता एवं जन स्वास्थ्य उपयोगिता का परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मिल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 21 अप्रैल, 1990 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, दिनांक 31 अगस्त, 1987 व 8 जुलाई, 1988 को परीक्षण कराया गया। नमूने निर्धारित मानकों के अनुसार अपमिश्रित नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, दिनांक 7 जून, 1990 को उक्त आयल मिल से सरसों के तेल के दो नमूने एकत्रित कर परीक्षण हेतु भेज दिये गये हैं।

एस0 एन0 मेडिकल कालेज आगरा के स्थान परिवर्तन की योजना

90—श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा को वर्तमान स्थान से शमसाबाद रोड पर ले जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक उसका कार्यान्वयन हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

डा0 पी0 एन0 शुक्ला, सदर अस्पताल, गोरखपुर के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

91—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 पी0 एन0 शुक्ला, सदर अस्पताल, गोरखपुर का माह अप्रैल, 1978 से दिसम्बर, 1982 तक का वेतन क्यों नहीं दिया गया जबकि वे अपने स्थानान्तरण का पालन करने में न्यायालय की बन्दिश के कारण असमर्थ थे ?

श्री मुख्तार अनीस—

डा0 पी0 एन0 शुक्ला, सदर अस्पताल, गोरखपुर का माह अप्रैल, 1978 से दिसम्बर, 1982 तक का वेतन अनधिकृत अनुपस्थिति एवं न्यायालय द्वारा गोरखपुर से बाहर जाने पर रोक लगाये जाने के कारण नहीं दिया गया।

सेवानिवृत डा0 पी0 एन0 शुक्ला, सदर अस्पताल, उन्नाव के सेवा-निवृत के लाभों के भुगतान की मांग

92—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु 3 माह की नोटिस का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त डा0 पी0 एन0 शुक्ला, सदर अस्पताल, उन्नाव सेवानिवृत्ति पर जाने हेतु कब कार्यमुक्त हुए और तब से आज तक 4 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उन्हें सेवा निवृत्ति का लाभ क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मुख्तार अनीस—

डा0 पी0 एन0 शुक्ला, तत्कालीन सीनियर फिजिशियन, जिला चिकित्सालय, उन्नाव का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4 दिसम्बर, 1985 महानिदेशक के पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1988 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के साथ डा0 शुक्ला का दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 से 9 अप्रैल, 1986 तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की तैयारी हेतु उपार्जित अवकाश का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4 दिसम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ। डा0 शुक्ला दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 के पूर्वान्ह से उक्त अवकाश पर चले गये।

डा0 शुक्ला दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से 5 सितम्बर, 1979 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। दिनांक 6 सितम्बर, 1979 से 20 दिसम्बर, 1982 तक की उनकी अनुपस्थिति न्यायालय के आदेश से बाधित रही। डा0 शुक्ला के विरुद्ध सरकारी आवास खाली करने का वाद भी न्यायालय में चल रहा है। डा0 शुक्ला के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रकरण अभी विचाराधीन है।

पर्यावरण निदेशक के विरुद्ध श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी विधायक का शिकायती-पत्र

93—श्री जगदीश लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें पर्यावरण निदेशालय के निदेशक के विरुद्ध श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 1 मई, 1990 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने उस शिकायती पत्र में दर्शाए गए बिन्दु को मद्दे नजर रखते हुए अब तक निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 1 मई, 1990 पर कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरण निदेशालय के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

93-अ—श्री जगदीश लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पर्यावरण निदेशालय के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधान सभा सदस्य श्री तीर्थराज का पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1990 एवं प्रदूषणकर्ता का पत्र दिनांक 30 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन ने उस शिकायती-पत्र में दर्शाए गए बिन्दुओं को मद्दे नजर रखते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

श्री तीरथ राज विधान सभा सदस्य का पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1990 फर्जी पाया गया। तथा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30 मार्च, 1990 पर यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरण निदेशालय के एक महिला कर्मचारी द्वारा अधिकारी के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध त्याग पत्र की पेशकश

94-श्री जगदीश लाल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1986 में पर्यावरण निदेशालय की एक महिला कर्मचारी ने अधिकारियों द्वारा किए गए शोषण एवं उत्पीड़न के कारण सशर्त त्यागपत्र देते हुए पूर्व मुख्य मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री से मामले पर जांच कर न्याय प्रदान करने की गुहार की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की नए सिरे से जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी नहीं।

वर्ष 1986 में पर्यावरण निदेशालय की किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा सशर्त त्यागपत्र नहीं दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया में परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू होने से अब तक व्यय की गई धनराशि का विवरण

95-श्री स्वामी नाथ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में परिवार नियोजन/परिवार कल्याण कार्यक्रम किस वर्ष से लागू किया गया तथा जनपद-देवरिया में उक्त कार्यक्रम हेतु अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष 1988-89 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को दिए गए अनुदान का विवरण

96-श्री स्वामी नाथ--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कितने करोड़ रुपये का ऋण व अनुदान बांटा था ?

श्री रेवती रमण सिंह--

वर्ष 1988-89 में उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा रु0 11,46,46,348.50 का ऋण तथा रु0 82,09,820.55 का अनुदान कुल रु0 12,28,56,169.05 बांटा गया था ।

ग्राम सठियांव, पोस्ट बैकुण्ठपुर, जिला देवरिया में एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र

97--श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांसद श्री हरिकेवल प्रसाद का पत्र दिनांक 5 मार्च, 1990 जो कि ग्राम सठियांव, पोस्ट बैकुण्ठपुर, जिला देवरिया में एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है, ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां । इस पर सम्बंधित जिला स्तरीय अधिकारी से आख्या प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गए हैं ।

ओहन फीडर कर्वी सम्भाग, जनपद बांदा को ठीक कराने की मांग

98--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद के अन्तर्गत कर्वी सम्भाग में स्थित ओहन फीडर प्रारम्भ से तीन किलोमीटर तक 10-12 मीटर की कटिंग पर बनी है और खड़े स्लोप से हर साल मिट्टी जमा होने से जल बहाव में अवरोध होता है तथा सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है ? क्या इसके निराकरण के लिए स्लोप सरलीकरण की लगभग 8 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित की गयी है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

बांदा जनपद के अन्तर्गत कर्वी सम्भाग में स्थित ओहन फीडर प्रारम्भ से 3 कि0 मी0 तक तथा 4 से 11.5 कि0 मी0 की कटिंग में बनी है । इसके स्लोप खड़े हैं, जिसके कारण मिट्टी खिसक कर तली में जमा हो जाती है तथा नहर के चलने में अवरोध होता है, जिसका प्रभाव सिंचाई पर पड़ता है ।

स्लोप सरलीकरण हेतु 7.57 लाख रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है । अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में सीमित उपलब्ध धन से इस कार्य को इसी वर्ष आरम्भ करके आगामी वर्षों में पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा ।

कर्वी सम्भाग, जनपद बांदा ओहन बांध की क्षमता बढ़ाने की मांग

99--राम प्रसाद सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत कर्वी सम्भाग में स्थित ओहन बांध से सिंचाई में कमी का कारण जलाशय की तली से होने वाला

पानी का रिसाव है ? क्या इसके सुधार के लिए जलाशय की तली के बैल्केटिंग की 110 लाख की योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

बांदा जनपद के अन्तर्गत कर्वी सम्भाग में ओहन नदी पर स्थित ओहन बांध की तली से कुछ रिसाव होता है जिसका कुप्रभाव इस बांध से हो रही सींच पर पड़ता है। इसके सुधार के लिये एक परियोजना प्राक्कलन बनाया गया है। यह कार्य इस परियोजना प्राक्कलन के स्वीकृत हो जाने पर उपलब्ध धनराशि के अनुसार पूर्ण कराया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र नरैनी, जनपद बांदा केन नदी के लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण की मांग

100--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में सन् 1977 से अब तक रंज नदी, बागे नदी एवं केन नदी से कितने लिफ्ट पम्प कैनाल का सर्वेक्षण कराया गया, उनके अलग-अलग स्थान एवं नाम क्या हैं ? इनमें कितने निर्माण के लिए स्वीकृत हैं ? उनका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जनपद क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी के विरुद्ध जांच के परिणामों की जानकारी

101--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का 18 जनवरी, 1990 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन स्तर के उच्च अधिकारी द्वारा इसकी जांच किये जाने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो शासन के किस अधिकारी ने जांच की और क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी बांदा द्वारा करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी जनपद की नहरों के निर्माण में ग्रामवासियों को मुआवजा की मांग

102--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव राजापुर नरथुआ, पोस्ट औराई, जनपद वाराणसी से होकर ज्ञानपुर नहर की दाहिनी पटरी पर पुरानी आबादी मु0 शफी, चैरबुरी, लालचन्द्र राम चन्दर, हुबलाल, मेंही लाल, मुकुन्द लाल, मेगरू, सालिकराम, रामलाल, रज्जाक, छविनाथ, कन्हैया, हरिशंकर, श्रीनाथ के मकान आराजी नं0 159 में 1 बीघा, 15 बिस्वा, 1 धूर में है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबन्ध में

नायब तहसीलदार, ज्ञानपुर, वाराणसी ने 31 अक्टूबर, 1987 को जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो अब तक इन लोगों में से जिनका मकान नहर की पटरी में है उनको मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

तहसीलदार ज्ञानपुर, वाराणसी की सूचना के अनुसार ग्राम मरथुआ के आराजी नं0 159, तालाब के रूप में दर्ज है, जिसका कुल रकबा खतौनी के अनुसार 5 बीघा 2 बिस्वा, 11 धूर है जिसमें से 1 बीघा पर कृषि योग्य बंजर, एवं परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 के अनुसार 2 बीघा, 4 बिस्वा 11 धूर की आबादी दर्ज है। उसी आराजी में परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 27 दिसम्बर, 1973 के अनुसार श्री हूबलाल पुत्र सरजू, छविनाथ पुत्र हरिहर, कन्हैया पुत्र हरिहर, मंगरू पुत्र पुनंवासी, मेहीलाल पुत्र पुनंवासी, एवं अन्य को (जिसमें मु0 शफी, चेखुरी, लालचन्द, राम चन्दर, मुकुन्द लाल, शालिकराम, रामलाल, रज्जाक, हरिशंकर और श्रीनाथ के नाम नहीं है) आवास हेतु भूमि आवंटित की गई है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आराजी नं0 159 में उसे सीखड़ राजवाहा के लिए कुल जमीन 1 बीघा 15 बिस्वा, 4 धूर ली गई है। इसमें 1 बीघा का मुआवजा श्रीमती ब्रह्मदेई पत्नी श्री दयाराम को दिया गया है शेष 15 बिस्वा 4 धूर तालाब खसरे में दर्ज है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा केवल संक्रमणीय व असंक्रमणीय भूमि अर्जित करके प्रतिकर दिया जाता है।

मौके पर दिनांक 15 जून, 1990 को अधिशासी अभियन्ता के निरीक्षण के अनुसार नहर की पटरी में केवल मु0 सफी का कच्चा मकान बना हुआ है। शेष किसी का मकान नहर की भूमि में नहीं बना है।

तहसीलदार ज्ञानपुर, वाराणसी के दिनांक 25 जून, 1990 की सूचना के अनुसार नायब तहसीलदार, वाराणसी की कथित जांच आख्या दिनांक 31 अक्टूबर, 1987 उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उनके कार्यालय में भी उक्त कथित जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है और न ही अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त हुई है।

तहसीलदार ज्ञानपुर, वाराणसी की सूचना के अनुसार मु0 शफी को आराजी नं0 159 में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। अतः मु0 शफी को प्रतिकर देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

103--डा0 दिनेश जौहरी--

[5वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोटद्वार भाबर में पश्चिमी चौड़ में नलकूप संख्या 5 के बन्द होने की शिकायत तथा चालू कराने की मांग

104--श्री भारत सिंह रावत--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार भाबर में पश्चिमी झंडी चौड़ में ट्यूबवेल नं0 5 कब से सिंचाई के लिए बन्द पड़ा है ? इसके बन्द होने का क्या कारण है ? क्या वहां सिंचाई के लिए वैकल्पिक ट्यूबवेल बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर में पश्चिमी सुंडी चौड़ के ट्यूबवेल नं0 5 वर्ष 1985 से बन्द है ।

विफल होना ।

जी नहीं, केन्द्रीय भू-गर्भ जल परिषद् से भू-गर्भ जल उपलब्धता की जानकारी की जा रही है । भू-गर्भ जल उपलब्धता ज्ञात होने पर ही इस विषय पर विचार किया जा सकता है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थ नगर के तहसील बांसी के फजिहतवा नाला के खुदाई में भ्रष्टाचार

105---श्री जय प्रताप सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी में फजिहतवा नाले की खुदाई के लिए वर्ष 1984 से लगायत 1989 के माह जून तक वर्ष के अनुसार अलग-अलग कितना धन ड्रेनेज उपखंड बांसी के माध्यम से खर्च किया गया है ? क्या यह सच है कि वर्ष 1989 में जो कार्य कराया गया है उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है ? यदि हां, तो जांच कितने की तथा परिणाम क्या हुआ ?

श्री रेवती रमण सिंह---

ड्रेनेज खंड, बस्ती के उपखंड, बांसी के माध्यम से जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी फजिहतवा नाले की खुदाई के लिए वर्ष 1984 से लगायत 1989 के माह जून तक वर्षवार निम्न धन व्यय किया गया है ।

वर्ष	रख-रखाव मद	व्यय धनराशि (लाख रु0)		
		रा0 प्रा0 रो0 कार्यक्रम		योग
1	2	3		4
	हे0	हे0		हे0
1983-84	0.10	..		0.10
1984-85	..	..		..
1985-86	..	0.395		0.395
1986-87	..	0.391		0.391
1987-88	..	..		..
1988-89	..	.		.
1989-90 (जून 1990 तक)	..	..		..

श्री राम चन्द्र पाण्डे, अध्यक्ष, युवा कांग्रेस कमेटी, बांसी का शिकायती-पत्र, जो अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर को संबोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है।

जांच अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी विकास खंड मूढ़ापाड़ा, जिला मुरादाबाद पर पिचिंग की मांग

106—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक —

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मन्त्री को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सं0 क, 23228, दिनांक 9 जनवरी, 1990 उन्हें प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी, विकास खंड मूढ़ापाड़ा, मुरादाबाद पर पिचिंग आदि के निर्माण के लिये पूर्व सिंचाई मन्त्री द्वारा 33 लाख 97 हजार रुपया सदन में स्वीकृत करने की घोषणा के उपरान्त धन उपलब्ध न कराये जाने का उल्लेख किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, दिनांक 7 फरवरी, 1985 को मुख्य अभियन्ताओं की समिति के समक्ष 33.97 लाख रुपये की योजना प्रस्तुत की गयी थी। समिति के निर्णय अनुरूप कार्यस्थल की माडल स्टडी सिंचाई, अनुसंधान संस्थान रुड़की द्वारा किया जाना था। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर योजना 82.51 लाख रुपये की बनाई गई तथा वर्ष 1989 में उक्त योजना टी0 ए0 सी0 द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी, अतः पिंचिंग आदि का कार्य कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण फोरम की सप्ताह में एक बैठक बदायूं में होने की मांग

107—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र शासन को मार्च, 1990 में इस आशय का प्राप्त हुआ कि उपभोक्ता संरक्षण फोरम सप्ताह में कम से कम 1 दिन अपनी अदालत बदायूं में लगाये ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां।

बदायूं जनपद में पृथक जिला फोरम चालू किये जाने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

जनपद जालौन के जालौन नगर में बारह बिस्तर वाले अस्पताल की मांग

108—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के जालौन नगर में 12 शैय्याओं वाले अस्पताल के विस्तार की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि

हां, तो कब तक विस्तार हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्या इतनी कम शैय्याओं से सम्पूर्ण तहसील की जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना सम्भव है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री मख्तार अनीस—

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्रों में 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण/स्थापना जिला योजना का अंग है । इस सम्बन्ध में जिला योजना में अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित स्थानों के नाम उपलब्ध कराय जाने पर ही शासन द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

मऊ जनपद के बोझी का नलकूप संख्या 57 तथा फतेहपुर ताल नारजा के नलकूप की खराबी की शिकायत

109—श्री सुबाष—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के बोझी राजकीय नलकूप संख्या 57 तथा फतेहपुर ताल नारजा का नलकूप पिछले कई महीनों से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो उन नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मऊ जनपद के कतिपय गांवों का घाघरा नदी द्वारा कटान तथा क्षतिपूर्ति की मांग

110—श्री सुबाष—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मऊ जनपद के चौउढ़ा डाड़ नई बाजार, रामपुर धनौली रोहा, भगवानपुर, गोधनी, बीबीपुर, ताहिरपुर आदि गांवों के मकान, खेत, फसल का घाघरा नदी के कटान से गत वर्षों में नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त गांव के निवासियों को क्या सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भविष्य में कटान रोकने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मऊ जनपद के (प्रश्न में उल्लिखित) सभी ग्राम घाघरा नदी की दायीं तरफ नदी के फ्लड प्लेन/मिआन्डर जोन में स्थित हैं जिसके कारण नदी द्वारा कहीं-कहीं कटान करना स्वाभाविक प्रक्रिया है । विगत वर्षों में नदी द्वारा कटान हुआ है । अभी तक कटान रोकने की कार्यवाही नहीं की गई है व्यवहारिक रूप से किसी नदी की कटान को रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् प्रत्येक वर्ष रख-रखाव में काफी लागत आती है । इन मामलों में शासन की नीति यह है कि ऐसे आबादी को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाया जाय ।

राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग नियमावली को पटल पर रखे जाने की मांग

111--श्री हरिशंकर तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग की कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो क्या सेवा नियमावली को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां। उक्त सेवा नियमावली में संशोधन अपेक्षित हैं। संशोधन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर नियमावली को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

जनपद फैजाबाद में गत वर्ष खरीफ की फसल के सरकारी खरीद केन्द्रों का विवरण

112--श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में गत खरीफ की फसल को धान खरीदने के लिये कुल कितने क्रय केन्द्र किन-किन स्थान पर खोले गये थे और उन केन्द्रों पर कितनी मात्रा में धान खरीदे गये हैं ? क्या खाद्य मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त केन्द्र कागजों पर फर्जी खोलकर और व्यापारियों से मिल-कर धान खरीदा गया है और किसानों में उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल सका है ? यदि हां, तो सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये क्या-क्या प्रभावी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 194 पर)

एलोपैथिक चिकित्सालय ग्राम मड़ना जिला फैजाबाद के भवन-निर्माण की मांग

113--श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र में स्थित पूरा ब्लाक के ग्राम मड़ना में एक एलोपैथिक चिकित्सालय स्वीकृत है जो पिछले कई वर्षों से किराये के मकान में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या ग्राम मड़ना में सरकार चिकित्सालय भवन-निर्माण के लिये धन आवंटित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस---

जी हां।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन-निर्माण जिला योजना का अंग है। अतः भवन-निर्माण हेतु जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थान का अनुमोदन उपलब्ध कराये जाने पर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

सिंचाई विभाग में सर्वेयर के वेतनमान तथा सेवा नियमावली

114---डाक्टर दिनेश जौहरी---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सर्वेयर के पद का वेतन जो वेतन समिति द्वारा रु0 950-1,500 दिया गया है, क्या यह केन्द्र में उस पद को दिये गये वेतनमान के बराबर है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनकी सेवा नियमावली विभाग द्वारा बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह---

केन्द्रीय ग्राउन्ड वाटर बोर्ड (भारत सरकार) में विद्यमान जूनियर सर्वेयर तथा सीनियर सर्वेयर पदों पर क्रमशः रु0 1,200-2,040 तथा 1,400-2,300 का वेतनमान अनुमन्य है, परन्तु प्रदेश के सिंचाई विभाग में सहायक सर्वेयर एवं सर्वेयर के पद विद्यमान हैं, जिसका वेतनमान केन्द्रीय ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के जूनियर सर्वेयर एवं सीनियर सर्वेयर के वेतनमान के बराबर नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को उनके समक्ष पदों पर, जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाना सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया है। प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पद भी विद्यमान हैं, जिसके समक्ष पद केन्द्र में नहीं हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों में विद्यमान पदों का तुलनात्मक अध्ययन कर युक्तिसंगत वेतनमानों की संस्तुति करने हेतु गठित समता समिति की संस्तुतियों को शासकीय संकल्प दिनांक 19 मई, 1989 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। सिंचाई विभाग में सर्वेयर के पद का वेतनमान समता समिति द्वारा संस्तुत वेतन समीकरण के अनुसार रु0 950-1,500 स्वीकृत किया गया है। सर्वेयर पद की सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है। सेवा नियमावली बनाया जाना विचाराधीन है।

जौनपुर, पूर्वांचल ग्रामोद्योग संस्थान मेहरावां द्वारा एक हजार प्रति माह जमा करने की मांग

115---श्री दशरथ सिंह---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान परिषद् सदस्य श्री राजनाथ सिंह ने 22 जनवरी, 1990 को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उपरोक्त पत्र पर 8 फरवरी, 1990 को जौनपुर जनपद की एक समाजसेवी संस्था पूर्वांचल ग्रामोद्योग संस्थान, मेहरावां से 1 हजार रुपया प्रति माह धन जमा करने का निदेश सचिव, लघु उद्योग को दिया है ? यदि हां, तो उनके प्रश्नगत आदेश का पालन कब से होगा ?

श्री रेवती रमण सिंह---

जी हां।

संस्था के अनुरोध पर सरल किश्तों में वसूली के सम्बन्ध में विचार किया गया था । चूंकि संस्था को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदत्त संसाधनों से ऋण उपलब्ध कराया गया था, अतः ऋण की वसूली आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के तहत होनी है । उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के स्तर से वांछित अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है ।

स्वर्गीय श्री श्याम लाल, सींचपाल, जौनपुर के आश्रित को नौकरी में लेने की मांग

116--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम लाल, जो अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, जौनपुर में सींचपाल के पद पर कार्यरत थे, का दिनांक 5 मार्च, 1972 को स्वर्गवास हो गया था ? क्या यह सही है कि उनका एकमात्र पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम-नेवारी, पो0 पिंडरा, वाराणसी तब 2/3 वर्ष का था और जब बालिग हो गया तो इसने अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, जौनपुर को 8 जून, 1989 को प्रार्थना-पत्र चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए दिया ? क्या यह भी सही है कि उत्तराधिकार पत्र तथा आयु प्रमाण-पत्र इत्यादि देने के बाद भी इसको नौकरी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 से सम्बन्धित शासनादेश सं0 6/12/1973, नियुक्ति-विभाग 4, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974 के प्रवृत्त होने की तिथि 21 दिसम्बर, 1973 है । श्री श्याम लाल, सींचपाल की मृत्यु दिनांक 5 मार्च, 1972 को हुई थी । अतः इनके पुत्र श्री छोट लाल को प्रचलित शासनादेश के अनुसार नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं है ।

स्वर्गीय श्री श्याम लाल, सींचपाल, जौनपुर के पुत्र छोटे लाल को नौकरी दिये जाने की मांग

117--श्री ऊदल--

क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, जौनपुर ने अधीक्षण अभियंता अष्ट दशम् सिंचाई इलाहाबाद को अपने पत्र संख्या 25-5/सि0 खं0/ई0-1, दिनांक 5 अगस्त, 1989 के द्वारा लिखा था कि छोटलाल के पिता श्याम लाल, सींचपाल की मृत्यु 5 मार्च, 1972 को हो गई जिसके स्थान पर छोटेलाल का शासनादेशों के तहत चतुर्थ श्रेणी में अधिष्ठान में नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें ? यदि हां, तो अब तक नियुक्ति न करने का कारण क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने सिंचाई मंत्री को जनवरी तथा फरवरी, 1990 में इसके बारे में राजाज्ञा समेत प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 से सम्बन्धित शासनादेश सं0 6/I 2/1973, नियुक्ति विभाग 4, दिनांक 7 अक्टूबर, 1974 के प्रवृत्त होने की तिथि 21 दिसम्बर, 1973 है। श्री श्याम लाल, सींचपाल की मृत्यु दिनांक 5 मार्च 1972 को हुई थी। अतः उनके पुत्र श्री छोटे लाल को प्रचलित शासनादेश के अनुसार नौकरी दिया जाना सम्भव नहीं है।

जी हां, माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 7 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ।

उपरोक्तानुसार।

118—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी में रंज नदी एवं बागे नदी के बीच से किसानों को सिंचाई सुविधा

119—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के रंजनदी एवं बागे नदी के मध्य के गांवों के किसानों के लिए सिंचाई सुविधा की क्या योजनायें हैं ? योजनाओं को कब तक स्वीकृत और धन आवंटित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के रेजं एवं बाघेन नदियों के मध्य गांवों की सिंचाई सुविधा के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत कम होने तथा जल की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण कोई योजना सम्भव नहीं है।

जनपद जालौन में पंचनद योजना बनाये जाने की मांग

120—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में पंचनद योजना बनाये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

पंचनद बांध परियोजना यमुना नदी पर चम्बल, सिंध, कुवारी, एवं पहुज नदियों के संगम स्थल से लगभग 16 किमी0 नीचे अर्थात् औरैया घाट से लगभग 16 किमी0 ऊपर जनपद इटावा में बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्नगत परियोजना एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है एवं मध्य प्रदेश शासन की सहमति आवश्यक है। इसके उपरान्त योजना की स्वीकृति तथा धन उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा।

गोरखपुर मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग में प्रोफेसर के पद को रीडर में परिवर्तन की मांग

121—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग में प्रोफेसर पद को परिवर्तित कर रीडर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां।

गोरखपुर मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग में प्रोफेसर के पद को परिवर्तित कर रीडर इसलिए किया गया क्योंकि यह पद वर्ष 1987 से लगातार रिक्त चला आ रहा था और राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों से जब कभी भी किसी अध्यापक की तैनाती प्रोन्नति पर इस पद के विरुद्ध की, तो किसी ने भी वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसलिए छात्रों के पठन-पाठन तथा मरीजों के उपचार को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर के इस पद को आस्थगित रखते हुए रीडर का एक और पद सृजित किया गया और जनहित में लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रीडर के पद पर कर दी गई है और उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है।

शारदा नहर बाराबंकी प्रखण्ड के पंचम उपखण्ड को समाप्त करने की मांग

122—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर, बाराबंकी, प्रखण्ड के पंचम उपखण्ड को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1990 जिसकी प्राप्ति उनके पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1990 द्वारा स्वीकार की गई है, पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1990 शारदा नहर खण्ड, बाराबंकी के पंचम उपखण्ड का कार्यालय लखनऊ से बाराबंकी किये जाने के विषय में है न कि उपखण्ड को समाप्त करने के सम्बन्ध में। पंचम् उपखण्ड द्वारा इस समय किए जा रहे कार्यों की दृष्टि से उपखण्ड का मुख्यालय अभी लखनऊ रखा जाना ही उचित पाया गया है।

श्री एस० एन० वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

123—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस० एन० वर्मा जिला, पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 8 जनवरी, 1990

(संलग्नक सहित) जिसकी प्राप्ति मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या सी0 एम0 बी0 को/एम-2/20-70/फै/90, दिनांक 22 जनवरी, 1990 द्वारा स्वीकार करते हुए उसे सचिव खाद्य एवं रसद विभाग को भेजा था, पर क्या कार्यवाही हुई ? शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या थे, किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा क्या परिणाम निकला ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित शिकायती पत्र संलग्न सहित प्राप्त हुआ था, दिनांक 21 जनवरी, 1990 को अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद को संलग्नक जांच हेतु भेजा गया था।

मुख्य शिकायत जिलापूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा पेट्रोलियम डीलर, सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों वनस्पति घी, चीनी तथा कोयला के व्यापारियों एवं भट्ठा मालिकों से मासिक धन वसूलने की थी।

मामले की जांच सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा की गई। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने शिकायतकर्ता से पूछताछ की किन्तु वे शिकायतों को पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध लगाए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी, मुजफ्फरनगर का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

स्वर्गीय डाक्टर राम स्वरूप वर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया के देयो के भुगतान की मांग

124-श्री चरन सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के 1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित श्री वर्मा के समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पदमुक्त निदेशक डा0 जी0 एस0 जौहरी, इंडियन पापुलेशन प्रोजेक्ट के पेंशन आदि के भुगतान की मांग

125-श्री चरन सिंह--

प्रथम सत्र 1989 के 1 ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-29 के उत्तर के संदर्भ म क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कर्मचारियों को वेतन का भगतान कराने के संदर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस--

समस्त देयकों का भुगतान कर दिया गया है।

आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सकों को निःशुल्क आवास अथवा आवास भत्ता दिए जाने की मांग

126—श्री चरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को निःशुल्क आवास अथवा उनके बदले आवास भत्ता अभी तक अनुमन्य नहीं है जबकि उन्हें आकस्मिक सेवायें भी करनी पड़ती हैं ? शासन द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास अथवा इसके बदले आवास भत्ता दिए जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुख्तार अनीस—

निःशुल्क आवासीय सुविधा अनुमन्य नहीं है लेकिन मकान किराया भत्ता अनुमन्य है ।

निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित है ।

बुन्देलखण्ड में सिंचाई हेतु 25 क्यूसेक के स्थान पर 5 क्यूसेक तक लिफ्ट पम्प कैनाल के निर्माण की मांग

127—श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड की सिंचाई हेतु 25 क्यूसेक के स्थान पर 5 क्यूसेक तक के लिफ्ट पम्प कैनाल का निर्माण कराने पर शासन विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

"25 क्यूसेक से कम क्षमता की लघु लिफ्ट नहरों के निर्माण पर, जिसके लिए सम्बन्धित नदी में स्थल विशेष पर माह जून से माह फरवरी तक निर्धारित मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर स्वीकृति का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील में ए0 एन0 एम0 रहित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में नियुक्ति की मांग

128—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील में कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र अथवा जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं जहां ए0 एन0 एम0 की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई ? इन रिक्त पदों में नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील नरैनी में कुल 91 उपकेन्द्र स्थापित हैं जिनमें से 22 ए0 एन0 एम0 की नियुक्ति नहीं हुई है । ए0 एन0 एम0 के अतिरिक्त पदों की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी ।

बांदा जनपद में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों की अन्य अस्पतालों की सम्बद्धता पर आपत्ति

129—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में कितने ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जिनके चिकित्साधिकारी चिकित्सालय में नियुक्ति के बावजूद दूसरी जगह सम्बद्ध हैं ? क्या क्षेत्रीय जनता की चिकित्सा सुविधा को देखते हुए उनकी सम्बद्धता समाप्त करके उन्हें नियुक्ति के स्थान पर ही रखा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद में मटौध (देहात) का पुरवा खारा में राजकीय ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग

130—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में मटौध (देहात) का पुरवा "खारा" में सिंचाई के लिए राजकीय ट्यूबवेल लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है ।

आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड में कमान्ड एरिया विश्व बैंक पोषित नलकूपों की सिंचन क्षमता

131—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया विकास खण्ड में विश्व बैंक घोषित प्रत्येक नलकूप की अलग-अलग कमाण्ड एरिया तथा सिंचन क्षमता कितनी-कितनी है ? 1 जुलाई, 1989 से 30 नवम्बर, 1989 के मध्य उनसे कितनी सिंचाई हुई है और सिंचन क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग हुआ है ? प्रत्येक नलकूप पर विद्युत् कर्मचारियों के वेतन तथा रख रखाव पर इस अवधि में कितना व्यय हुआ है और सिंचाई से कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रत्येक नलकूप का कमाण्ड एरिया तथा सिंचन क्षमता लगभग 100 हेक्टेयर है । कूपवार विवरण तालिका में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 195 पर ।)

एक जुलाई, 1989 से 30 नवम्बर, 1989 के मध्य प्रति नलकूप 6.76 हेक्टेयर औसतन सिंचाई हुई जो सिंचन क्षमता का 6.76 प्रतिशत है। विद्युत् विभाग से सूचना प्राप्त की जा रही है।

सिंचाई विभाग से औसतन प्रति नलकूप रुपया 512.00 राजस्व की प्राप्ति हुई।

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के महिला विभाग के महिला चिकित्सा-धिकारियों का कार्य का विवरण

132—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के महिला विभाग में कौन-कौन सी महिला डाक्टर नियुक्त हैं ? प्रत्येक महिला डाक्टर ने एक जनवरी, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक प्रतिदिन अलग-अलग कितने रोगियों को ओ0 पी0 डी0 में देखा ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर जनपद के विकास खण्ड शाहगंज के मेहरावां गांव में बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में घोटाला

133—श्री दशरथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के वि0 ख0 शाहगंज (सोधी) के मेहरावां ग्राम में निर्मित हो रहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रश्नगत अस्पताल के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का अवलोकन सांसद राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे जिलाधिकारी जौनपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर ने 15 फरवरी, 1990 को किया है ? यदि हां, तो प्रत्येक की निरीक्षण आख्या क्या है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहरावां के भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग जौनपुर से से जांच के लिये सितम्बर, 1988 में लिखा गया है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

जी हां, संयुक्त निरीक्षण के समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहरावां के चिकित्सक अनुपस्थित पाये गये, चिकित्सालय में अव्यवस्था भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग एवं अनियमिततायें पायी गयीं।

वर्ष 1988-89 व 1989-90 में जिला उद्योग कार्यालय जौनपुर से स्थानान्तरित होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों का विवरण

134—श्री दशरथ सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र जौनपुर में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ष 1988-89 व 1989-90 में स्थानान्तरण हुआ ? कितने

कर्मचारी स्थानान्तरित स्थान पर चले गये ? जो नहीं गये उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्थानान्तरित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो भविष्य में क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वर्ष 1988–89 में जिला उद्योग केन्द्र जौनपुर से किसी अधिकारी को स्थानान्तरित नहीं किया गया। इस वर्ष उक्त केन्द्र के दो कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया जिन्होंने अपने नये तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

वर्ष 1989–90 में चार अधिकारियों तथा 5 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जिनमें से दो अधिकारियों तथा 3 कर्मचारियों ने अपनी तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

एक अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया फलस्वरूप उक्त अधिकारी को आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलम्बित कर दिया गया।

दूसरे अधिकारी (सामान्य प्रबन्धक) के नई तैनाती के पद के साथ–साथ सामान्य प्रबन्धक, जौनपुर के पद का कार्य भी प्रभारी के रूप में देखने के आदेश दिये गये थे। परन्तु जिलाधिकारी जौनपुर के द्वारा इन्हें कार्यमुक्त न किए जाने की दशा में यह नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न कर सके। दो कर्मचारियों (आशुलिपिकों) के स्थानान्तरण को जिलाधिकारी जौनपुर ने निरस्त करने हेतु अनुरोध किया था। फलस्वरूप इन्हें महा प्रबन्धक जौनपुर द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया था। दिनांक 20 जून, 1990 को इन्हें जौनपुर से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा उपर्युक्त दोनों कर्मचारियों से स्थानान्तरण को निरस्त करने के अनुरोध को देखते हुए उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया था। अतः कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

सरवन ताल ड्रेन पुरवा उन्नाव पर ग्राम बहवा के सामने पुल के अभाव में जनता को कठिनाई

135—श्री हृदय नारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में स्थित सरवन ताल ड्रेन पर ग्राम बहवा के सामने पुल न होने से आम जनता को काफी कठिनाइयां हैं ? क्या सरकार को ज्ञात है कि मार्ग पुराना है और ड्रेन सिंचाई विभाग ने बाद में निर्मित की है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जहां कहीं पुराने मार्गों से होकर महर/ड्रेन आदि सिंचाई विभाग द्वारा निकाले जाते हैं वहां पुल निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाता है और जहां महर/ड्रेन पुराने हैं और सड़कें बाद में बनी हैं वहां सड़क बनाने वाली एजेन्सी पुल बनाती है ? यदि हां, तो नियमानुसार उक्त स्थल पर पुल बनाने हेतु सिंचाई मन्त्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1990 जिसकी प्राप्ति अनुसचिव सिंचाई अनुभाग–6 के दिनांक

30 मार्च, 1990 के पत्र सं0 145/एम0/एम0/90/27 सि0 6/11 बाढ़ 90 द्वारा स्वीकार की गयी है, के अनुसार पुल बनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

जी हां, परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1971–72 में बाढ़ योजना में ड्रेन निर्माण कराने के समय यह मार्ग मात्र एक साधारण मार्ग ही था ।

जी हां, परन्तु यह नियम प्रान्तीय एवं जिला मार्गों हेतु लागू होता है । सिंचाई विभाग ग्रामीण सड़क हेतु पुलों का निर्माण निर्धारित मानक के अनुसार ही करता है । जिसके अनुसार वर्ष 1971–72 में ड्रेन के निर्माण के समय पांच पुलों को निर्मित किया गया था एवं प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण का औचित्य नहीं था ।

वर्ष 1971–72 में बाढ़ योजना के अन्तर्गत इस ड्रेन के निर्माण के बाद वर्ष 1982–83 में प्रश्नगत मार्ग को चौड़ा एवं पुनरोद्धार करने का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत विकास खंड हिलौली द्वारा किया गया तथा प्रश्नगत पुल का निर्माण भी जिला योजना के अन्तर्गत विकास खंड द्वारा ही किया जाना चाहिये ।

तदनुसार जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है ।

जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर के महाप्रबन्धक के द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने की शिकायत

136—श्री अमरनाथ यादव—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर के महाप्रबन्धक का स्थानान्तरण मऊ जनपद के लिये कर दिया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण का आदेश महाप्रबन्धक को कब मिला ? क्या सरकार के इस स्थानान्तरण आदेश का पालन महाप्रबन्धक ने किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने के लिये दोषी महाप्रबन्धक के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

श्री एस0 के0 दीक्षित, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर को स्थानान्तरण आदेश उद्योग निदेशालय के माध्यम से दिनांक 16 फरवरी, 1990 को प्राप्त हुआ ।

जिलाधिकारी, जौनपुर ने उन्हें कार्यभार से अवमुक्त नहीं किया जिसके परिणाम-स्वरूप श्री दीक्षित के लिये स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन सम्भव नहीं हो पाया ।

ऊपर वर्णित स्थिति में श्री एस0 के0 दीक्षित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1988–89 व 1989–90 में जिला उद्योग कार्यालय, जौनपुर से स्थानान्तरित अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा आदेश का पालन न करने की शिकायत

137––श्री अमर नाथ यादव––

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र, जौनपुर में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ष 1988–89 व 1989–90 में स्थानान्तरण हुआ, कितने कर्मचारी स्थानान्तरित स्थान पर चले गये ? जो नहीं गये उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्थानान्तरित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि अब तक नहीं की है, तो भविष्य में क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह––

वर्ष 1988–89 में जिला उद्योग केन्द्र जौनपुर से किसी अधिकारी को स्थानान्तरित नहीं किया गया । इस वर्ष उक्त केन्द्र के दो कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया जिन्होंने अपने नये तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

वर्ष 1989–90 में चार अधिकारियों तथा 5 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया जिनमें से दो अधिकारियों तथा 3 कर्मचारियों ने अपनी तैनाती के नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया । एक अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया फलस्वरूप उक्त अधिकारी को आदेशों की अवहेलना के आरोप में निलम्बित कर दिया गया ।

दूसरे अधिकारी (सामान्य प्रबन्धक) के नई तैनाती के पद के साथ–साथ सामान्य प्रबन्धक, जौनपुर के पद कार्य भी प्रभारी के रूप में देखने के आदेश दिये गये थे । परन्तु जिलाधिकारी जौनपुर के द्वारा इन्हें कार्यमुक्त न किये जाने की दशा में यह नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न कर सके । दो कर्मचारियों (आशुलिपिकों) के स्थानान्तरण को जिलाधिकारी जौनपुर ने निरस्त करने हेतु अनुरोध किया था । फलस्वरूप इन्हें महाप्रबन्धक जौनपुर द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया था । दिनांक 20 जून, 1990 को इन्हें जौनपुर से कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा उपर्युक्त दोनों कर्मचारियों के स्थानान्तरण को निरस्त करने के अनुरोध को देखते हुये उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया था । अतः कार्यमुक्त न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

जी0 एन0 टी0 उत्तीर्ण नर्सों की पोस्टिंग की मांग

138––श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी––

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल 1989 बैच के मेल नर्स अभ्यर्थियों को जी0 एन0 टी0 उत्तीर्ण करने के बाद उनकी पोस्टिंग की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इनकी पोस्टिंग के आदेश जारी किए जायेंगे ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी नहीं, मार्च/अप्रैल, 1989 के जी0 एन0 टी0 प्रशिक्षित पुरुष अभ्यर्थियों ने 6 माह का अनिवार्य साइकियाट्रिक प्रशिक्षण अभी नहीं किया है जिसे प्राप्त करने के पश्चात् ही स्टाफ नर्स (पुरुष) के रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार यथासमय इनकी नियुक्तियों पर विचार किया जायेगा ।

जमुना सिंचाई निर्माण मण्डल, देहरादून के सिंचाई निर्माण खंड (प्रथम) डालीपुर के द्वारा रीच पर मिट्टी के खुदाई का भुगतान न होने की शिकायत

139--श्री चरन सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि यमुना सिंचाई निर्माण मंडल, देहरादून के सिंचाई निर्माण खंड (प्रथम) डालीपुर द्वारा खारा शक्ति नहर के हेड रेगुलेटर से लगभग 80 मीटर दक्षिण की ओर निर्माणाधीन रीच पर मिट्टी खुदाई का कार्य विभाग की अर्थमूविंग मशीनों द्वारा कराया गया है ? क्यों उक्त कार्य हेतु लाखों रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अनियमित भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी तथा दोषी अभियंता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जमुना सिंचाई निर्माण मंडल, देहरादून के सिंचाई निर्माण खंड प्रथम के अन्तर्गत अण्डर ग्राउण्ड टनल की ग्राइण्डिंग में करोड़ों रुपया का घपला

140--श्री चरन सिंह तथा श्री दशरथ सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि यमुना सिंचाई निर्माण मंडल, देहरादून के सिंचाई निर्माण खंड (प्रथम) डालीपुर के अन्तर्गत खारा शक्ति नहर के कि0 मी0 3 से 4 के बीच निर्माणाधीन अंडर ग्राउन्ड टनल की ग्राउंडिंग में अधोमानक स्तर का कार्य कराकर करोड़ों रुपये की अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले की टेक्निकल जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही ।

जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊआइमा, हौलागढ़, कोड़िहार सोरांव में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षकों (महिला) के स्थानान्तरण का मामला

141--श्री नजमुद्दीन--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के प्रा0 स्वा0 के0 विकास खंड-मऊआइमा, हौलागढ़, कोड़िहार, सोरांव में कितनी स्वास्थ्य निरीक्षिका (महिला) कब से कार्यरत हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनका स्थानान्तरण कब तक किया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

जनपद इलाहाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊआइमा, होलागढ़, कोड़िहार एवं सोरांव में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का विवरण निम्नवत् है :

प्रा0 स्वा0 के0	नाम	कार्यावधि
1	2	3
	सुश्री	
मऊआइमा	आनन्दा मिश्रा	11-7-84
,,	सुलोचना देवी	26-11-84
,,	चन्द्रावती	16-11-76
होलागढ़	कमलादेवी	21-4-77
,,	तपेश्वरी श्रीवास्तव	1987
कोड़िहार	मनोरमा सिंह	5-8-67
,,	बलवती देवी	19-7-81
,,	के0 डी0 वैश्य	12-7-84
सोरांव	विजयलक्ष्मी श्रीवास्तव	10-6-81
,,	उर्मिला देवी	18-1-89
,,	के0 बी0 आर0 माथुर	28-3-77

जो नहीं । जो स्वास्थ्य निरीक्षिकाएं एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उनका स्थानान्तरण इसी स्थानान्तरण सत्र में किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, इसकी जानकारी सक्षम अधिकारी से की जा रही है ।

विश्व बैंक पोषित हरैया खंड जिला आजमगढ़ के नलकूपों के बनने के एक माह भीतर खराब हो जाने की शिकायत

142--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया विकास खंड में कौन-कौन से विश्व बैंक पोषित नलकूप 31 मार्च, 1990 तक एक महीने से अधिक समय से खराब थे ? उनके ठीक न कराये जाने के लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह--

आजमगढ़ जिले के विकास खंड हरैया के 31 मार्च, 1990 को एक माह से अधिक समय से कोई नलकूप खराब नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर के ग्राम बालावेहट में नलकूप लगाये जाने की मांग

143—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के ग्राम बालावेहट में दो स्थानों पर बोर करने पर अत्यधिक पानी प्राप्त हुआ है ? क्या इन स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो यह कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं, सिंचाई विभाग में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर का क्षेत्र पठारी है । इस क्षेत्र में भूगर्भ जल समुचित मात्रा में नहीं मिल पाता है । अतः राजकीय नलकूपों का निर्माण सम्भव नहीं है ।

लोअर खण्ड आगरा नहर के सहायक अभियन्ता द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने की शिकायत

144—श्री महावीर सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ताओं के प्रतिबंधित स्थानों पर तैनाती के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ? क्या शासन द्वारा नीति के विरुद्ध लोअर खण्ड आगरा नहर में किसी सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण वर्ष, 1990 में किया गया है । यदि हां, तो उस अभियन्ता का नाम क्या है ? क्या मंत्री जी उसे पुनः आगरे से दूर प्रतिबन्धित स्थान पर तैनात करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री रेवती रमण सिंह—

शासन की नीति के अनुसार सहायक अभियन्ताओं की सेवा के प्रथम दस वर्ष में तीन वर्ष तथा सेवा के 16 वर्ष में 6 वर्ष प्रतिबन्धित स्थान पर तैनात करने का प्राविधान है ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के ज्ञापांक—सी—171/ई—1, दिनांक 6 मार्च, 1990 द्वारा श्री जहीर सिंह तालान को अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, आगरा से स्थानान्तरित कर लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा में जनहित में पदस्थापित किया गया ।

आगामी स्थानान्तरण पर इनकी पदस्थापना प्रतिबन्धित स्थान पर की जावेगी ।

डाक्टर देवेन्द्र सिंह रीडर, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ की मोहन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में नियुक्ति के समय प्रवक्ता के पद की अर्हता पूरी न होने की शिकायत

145—श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाक्टर देवेन्द्र सिंह रीडर रा० नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ की राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखन

में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के समय शासन द्वारा प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते थे ? यदि नहीं, तो उनकी अवैधानिक नियुक्ति के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस—

डाक्टर देवेन्द्र सिंह, रीडर, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ को राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के समय शासन द्वारा होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्रवक्ता पद हेतु कोई अर्हता निर्धारित नहीं की गयी थी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जिला अस्पताल, पीलीभीत के वेतनमान का एरियर की भुगतान की मांग

146—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जिला अस्पताल, पीलीभीत में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को नये वेतनमान का एरियर 1986 से अवशेष का (नये स्केल) भुगतान अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिये दोषी कौन हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज से मानसिक एवं बाल रोग के चिकित्सक का पद समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में

147—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता मानसिक एवं बाल रोग का पद सृजित है जबकि उक्त कालेज में मानसिक एवं बाल रोग विषय की शिक्षा—दीक्षा नहीं होती है ? यदि हां, तो उक्त पद को बनाए रखने का क्या औचित्य है ? क्या शासन उक्त पद को समाप्त करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रवक्ता, बालरोग एवं मानसिक रोग का पद सृजित है तथा उक्त कालेज में बालरोग एवं मानसिक रोग की शिक्षा—दीक्षा होती है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

148—149—150—श्री नजमुद्दीन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

151—श्री नजमुद्दीन—

[दिनांक 25 जून, 1990 को अता० प्र० सं० 98 द्वारा उत्तरित]

संयुक्त निदेशक मातृ एवं शिशु कल्याण के कर्मचारियों के निदेशक परिवार कल्याण में विलीन होने के बाद समान वेतन मान दिए जाने का मामला

152—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, संयुक्त निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ, निदेशक परिवार कल्याण के कार्यालय में विलीन करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त संयुक्त निदेशक के कार्यालय में पूर्व कार्यरत सभी कर्मचारियों को निदेशालय स्तर के वेतनमान दिए जायेंगे ? यदि हां तो कब से ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

153—श्री रविकान्त गर्ग—

[5 वें गुरु के लिए स्थगित]

बरेली, फरीदपुर ब्रांच के बझेड़ा रजबहा को ठीक कराने की मांग

154—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बरेली में फरीदपुर ब्रांच के बझेड़ा रजबहा में गत तीन वर्षों से पानी नहीं आता है ? क्या यह भी सही है कि अनेक जगहों पर रजबहा कटा है ? यदि हां, तो उक्त रजबहा को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बझेड़ा रजबहा की लम्बाई 19 मील 4 फर्लांग 470 फिट है। इसके 10 मील से नीचे का क्षेत्र नलकूप संगठन को स्थानान्तरित हो गया है। इस समय 10 मील तक सिंचाई की जाती है।

10 मील 0 फर्लांग 0 फिट से लेकर 10 मील 4 फर्लांग 470 फिट का क्षेत्रफल नलकूप संगठन को स्थानान्तरित हो जाने के कारण इस बीच में कोई रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, स्थानान्तरित रीच में राजबहा कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है।

क्षेत्रफल स्थानान्तरित हो जाने के कारण इस रीच का भविष्य में ठीक कराये जाने का कार्यक्रम नहीं है।

मेडिकल कालेजों में शिक्षा स्तर उठाने एवं छात्रों के उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में जस्टिस त्रिपाठी आयोग की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

155—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने एवं छात्रों के उत्पीड़न को रोकने हेतु सरकार ने जस्टिस त्रिपाठी आयोग

गठित किया था और उसने 1984 में रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो उक्त आयोग ने क्या रिपोर्ट दी थी ? उस पर अभी तक अमल न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

उक्त आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट वर्ष 1984 में नहीं बल्कि 1988 में शासन को प्रस्तुत की ।

उक्त रिपोर्ट अभी गोपनीय है क्योंकि शासन द्वारा अभी अंतिम रूप से स्वीकार नहीं की गई है, रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद में नरैनी के कथिक गांवों में सिंचाई की सुविधा की जानकारी

156-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के रंज तथा बागे नदियों के मध्य करीब रेहुची गोपरा आदि गांवों की सिंचाई सुविधा के लिए कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी योजनायें है तथा वह कब प्रारम्भ की जायेंगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के रंज एवं बागे नदियों के मध्य स्थित रेहुची एवं गोपरा आदि गांवों की सिंचाई सुविधा के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन नहर में पानी न छोड़े जाने से बांदा के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई में हानि

157--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के सिंचाई विभाग तृतीय से संचालित म0 प्र0 में बंधे गंगई, रनगवां तथा बरियारपुर बांधों (जिनसे केन नहर जनपद बांदा को मिलता है) में 15 जून, 1989 से 30 जून, 1989 तक अलग-अलग बांधों व बियर में पानी कितना फिट भरा था तथा इन बांधों म उपरोक्त अवधि में पानी की फंडाल (गेज) प्रतिदिन क्या थी ? क्या यह सही है कि केन नदी में लगातार पानी बहता रहा और नहर में पानी की सप्लाई नहीं की गई जिससे धान आदि की नर्सरी डालने में देर हुई ? क्या यह भी सही है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता केन प्रखण्ड ने मांग की थी कि 30 जून को केन नहर में पानी छोड़ दिया जाय ? यदि हां, तो मांग के अनुरूप पानी होने के बावजूद भी पानी न छोड़ने की किस अधिकारी की जिम्मेदारी है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रेवती रमण सिंह--

गंगऊ में 15 जून से 30 जून के बीच न्यूनतम एवं अधिकतम पानी की पंसाल क्रमशः 700.2 एवं 733.9 फीट, रनगंवा में न्यूनतम एवं अधिकतम क्रमशः 722.7

एवं 724.4 फीट तथा बरियारपुर में न्यूनतम एवं अधिकतम 597 एवं 608.5 फीट रही। केन नदी में दिनांक 15 जून से 22 जून तक जल बरियारपुर वीयर में स्केप नहीं किया गया।

केन नदी में दिनांक 23 जून, 1989 से पानी बरियारपुर वीयर से निकलना प्रारम्भ हुआ। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बांदा द्वारा 30 जून को केन नहर में पानी छोड़ने की मांग नहीं की गई थी। नहर प्रस्तावित रोस्टर के अनुसार दिनांक 8 जुलाई, 1989 से चलाई गई है। खरीफ रोस्टर के अनुसार केन नहर दिनांक 8 जुलाई, 1989 से चलनी थी अतः रोस्टर का अनुसरण करने के विचार से तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा रोस्टर से पूर्व जल उपलब्ध होने पर भी नहर नहीं चलाई गई। केन नहर को जल उपलब्धता के अनुसार रोस्टर से पूर्व भी चलाने हेतु निर्णय न लेने के लिए तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सिंचाई प्रखण्ड-तृतीय-बांदा को भविष्य में सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

सिद्धार्थ नगर जनपद की बांसी तहसील के चंवरताल के जल जमाव को समाप्त करने की मांग

158—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थ नगर के अन्तर्गत तहसील बांसी में फजिहतवा नाले की खुदाई कराकर चंवरताल के जल जमाव को समाप्त करने का आश्वासन विधान सभा में माननीय मंत्री जी ने 17 मई, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 के पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बुनकर सहकारी समितियों के सचिवों के पुनः नियुक्ति पर विचार की मांग

159—श्री धर्मेश मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बुनकर सहकारी समितियों में सचिवों की पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

शेष बुनकर सहकारी समितियों के पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत ही समितियों में सचिवों की नियुक्ति की जानी है। योजना लागू होने पर सचिवों की नियुक्ति की जायेगी।

सिंचाई विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

160—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का सिंचाई मंत्री को सम्बोधित क्रमांक-1463/जब/90, दिनांक 24 अप्रैल, 1990 संलग्नकों समेत मिल गया है?

यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्रों में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों सम्बन्धी बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और सारे कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बलिया के दोहरी घाट सहायक परियोजना सिंचाई खंड प्रथम के ठेकेदारों का अब तक भुगतान न किये जाने की शिकायत

161—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में दोहरीघाट सहायक परियोजना सिंचाई खंड प्रथम के पोषक नहर व रामपुर माइनर पर सन् 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 में ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य सम्बन्धी कार्यादेशों के साथ-साथ भुगतान की सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है किन्तु अब तक ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनका भुगतान किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

प्रकरण विभागीय जांच एवं छान-बीन के अन्तर्गत चल रहा था । भुगतान शीघ्र करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण निदेशालय कार्यशाला हेतु कर्मचारियों की मांग

162—श्याम बिहारी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि परिवार कल्याण निदेशालय कार्यशाला हेतु कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में महानिदेशालय निदेशक प्रशासन एवं उप निदेशक (प्राविधिक) को प्रेषित परिवार कल्याण निदेशालय के पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1990, 1 जनवरी, 1990 तथा 31 जनवरी, 1990 महानिदेशक में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्र परिवहन कार्यशालाओं के लिए कर्मचारी व्यवस्था की मांग

163—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यशालाओं के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था हेतु आगरा सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यशालाओं के सहायक अभियंताओं से दिनांक 27 मार्च, 1990 तथा उनके आस-पास की अवधि में निदेशक (प्रशासन) एवं उप निदेशक (प्राविधिक) स्वास्थ्य भवन को मांग पत्र प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महानिदेशक के स्वास्थ्य शिविर कार्यशाला में अटैच स्टाफ को वापस भेजने का मामला

164--श्री श्याम बिहारी सिंह--

उपरोक्त के क्रम में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महानिदेशालय शिविर कार्यशाला से फालतू सम्बद्ध (अटैच्ड) कर्मचारियों को वापस क्षेत्रों आदि में भेजने के सम्बन्ध में शासन द्वारा 14 दिसम्बर, 1989 की बैठक में लिये गये निर्णय (जो 20 दिसम्बर, 1989 के पत्र द्वारा निदेशक को सूचित किये गये) पर निदेशक (प्रशासन) एवं उप निदेशक (प्राविधिक) व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? किन-किन सम्बद्ध कर्मचारियों को महानिदेशालय से अयन्त्र क्षेत्रों एवं परिवार कल्याण निदेशालय आदि में भेज दिया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा नहर की सफाई की मांग

165--सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की नहरों की सफाई करने के सन्दर्भ में उनके द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1990 को दिये गये आदेशों के अनुपालन में जिला बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा नहर के फरीदपुर ब्रांच से निकले बझेड़ा रजबहा की सफाई भी की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जिला बरेली की तहसील फरीदपुर में शारदा नहर की फरीदपुर ब्रांच की टेल से निकलने वाली बझेड़ा रजबहा की कुल लम्बाई 19 मील 4 फर्लांग 470 फिट है । वर्तमान में रुहेलखंड नहर खण्ड बरेली द्वारा केवल 10 मील तक का ही रख-रखाव कार्य किया जा रहा है और 10 मील से आगे शेष नहर का रख-रखाव उक्त खण्ड द्वारा वर्तमान में नहीं किया जा रहा है ।

जहां तक बझेड़ा राजबहा की इस वर्ष सफाई का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार 10 मील तक सफाई की जायेगी ।

राजकीय नलकूप रामपुर प्रथम, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की री-बोरिंग की मांग

166--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ट्यूबवेल रामपुर प्रथम ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी करीब तीन वर्ष से बैठ गया है और सिंचाई के लिये किसान परेशान हैं ? यदि हां, तो उसकी री-बोरिंग अब तक न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार री-बोरिंग के लिये आदेश देगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

नलकूप संख्या 122 उत्तरी वाराणसी रामपुर प्रथम, दिनांक 5 मार्च, 1988 से फेल है। नलकूप का क्षेत्र शारदा सहायक नहर कमाण्ड में आ जाने के कारण नलकूप की री-बोरिंग नहीं कराई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

चक खरावन, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के राजकीय नलकूप की री-बोरिंग की मांग

167--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक खरावन, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के राजकीय नलकूप की री-बोरिंग हुये लगभग दो वर्ष हो गये हैं ? यदि हां, तो अब तक नलकूप चालू क्यों नहीं किया गया ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

नलकूप चालू हो गया है।

राजकीय नलकूप कुआर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के नलकूप की पम्प हाउस के निर्माण की मांग

168--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप कुआर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी का पम्प हाउस दो वर्ष से दो तरफ से गिर कर बैठ गया है जिसकी वजह से 9 इंच पानी रहते हुये भी ट्यूबवेल दो वर्ष से बन्द पड़ा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि पम्प हाउस को क्यों नहीं बनाया गया और ट्यूबवेल को क्यों नहीं चलाया गया ? क्या सरकार पम्प हाउस बनवाकर ट्यूबवेल चलाने का आदेश देगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

जी हां।

नलकूप संख्या 50 उ0 वा0 सं0 कुआर की आयु पूर्ण होने एवं कैविटी बनने से पम्प हाउस धंसने के कारण फेल घोषित कर दिया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मई 1990 में नलकूप का पुनः छिद्रण करा दिया गया है। शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

रसिन बांध योजना, तहसील नरैनी, जिला बांदा के निर्माण के सम्बन्ध में कतिपय विवरण

169--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के असिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु रसिन बांध योजना प्रस्तावित है ? यदि हां तो इस

बांध योजना की क्या प्रगति है और अभी तक इस बांध के सम्बन्ध में कितना धन शासन द्वारा अवमुक्त किया गया ? उपरोक्त बांध के अविलम्ब निर्माण प्रारम्भ न होने में क्या दिक्कतें हैं ? बांध का निर्माण कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । शासन द्वारा इस बांध के निर्माण हेतु कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया । बांध पर अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने का मुख्य कारण यह है कि मध्य प्रदेश के जलविग्रहण क्षेत्र से उपलब्ध जल का इस योजना में प्रस्तावित उपयोग पर मध्य प्रदेश की सहमति अपेक्षित है ।

बांध का निर्माण उक्त आपत्ति दूर होने के उपरांत परियोजना स्वीकृत होने एवं धन आवंटन होने पर शुरू किया जा सकेगा । इसके लिये कोई समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

170—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[5वें सोम0 में अता0 प्र0 सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

केन मुख्य नहर तथा उसके ब्रांच की कार्य क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

171—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में बह रही केन मुख्य नहर की कितने फिट ऊंचा पानी लेने की क्षमता है और वर्ष 1987-88 तक वर्ष 1988-89 में पुरी क्षमता से कितनी बार केन मुख्य नहर तथा उनकी अतर्रा ब्रांच तथा बांदा ब्रांच चलाई गई ? क्या यह सही है कि अतर्रा केन नहर ब्रांच की पटरियां अत्यन्त कटी-फटी होने से पूरी क्षमता से चलाने पर कई जगहों से टूट जाने का खतरा है ? यदि हां, तो कब तक उक्त पटरियां ठीक कराकर उक्त ब्रांच नहरों को पूरी क्षमता से चलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बांदा जनपद में बह रही केन मुख्य नहर की 10 फुट तथा उसकी अतर्रा ब्रांच की 5.4 फुट व बांदा ब्रांच की 5.5 फुट पंसाल से चलने की अधिकृत क्षमता है ।

वर्ष 1987-88 में केन मुख्य नहर व उसकी अतर्रा व बांदा शाखायें क्रमशः 10 फुट, 5 फुट व 5 फुट अधिकतम पंसाल से चलाई गई तथा वर्ष 1988-89 में केन मुख्य नहर व उसकी अतर्रा एवं बांदा शाखायें क्रमशः 9.7 फुट 5.1 फुट व 5 फुट अधिकतम पंसाल से क्रमशः 2, 3, व 13 दिन चलाई गई ।

केन नहर की अतर्रा ब्रांच की पटरियां सामान्यतया ठीक दशा में हैं तथा इन पटरियों की स्वतः टूटने की कोई संभावना नहीं रहती है । रख-रखाव मद के अन्तर्गत इन पटरियों की मरम्मत उपलब्ध धनराशि के आधार पर आवश्यकतानुसार कराई जाती है तथा इस वर्ष भी करायी गयी है तथा भविष्य में भी करायी जायेगी ।

केन नहर पुनरोद्धार परियोजना के अन्तर्गत केन मुख्य नहर, अतर्रा व बांदा ब्रांच में पुनरोद्धार का कार्य प्रगति पर है । इस परियोजना के पूर्ण होने पर उन्हें उनकी पूर्ण क्षमता से चलाया जा सकेगा ।

जनपद बांदा के कर्वी स्थित ए0 एन0 एम0 सेक्टर इंचार्ज का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

172—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी स्थित ए0 एन0 एम0 सेक्टर इंचार्ज के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 जिसके सम्बन्ध में संयुक्त सचिव स्वास्थ्य ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 174/16-12-90-519 (13)-189 उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 12, दिनांक 21 फरवरी, 1990 द्वारा निदेशक परिवार कल्याण को निर्देशित किया है, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

अर्धशासकीय पत्र संख्या 174/16-12-90-519 (13)/89, दिनांक 21 फरवरी, 1990 के द्वारा माननीय विधायक को उनके पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 का अंतरिम उत्तर दिया गया था ।

शासनादेश संख्या एम0 एल0 ए0 153/16-12-89-519(13)/89, दिनांक 4 जनवरी, 1990 द्वारा निदेशक परिवार कल्याण को इस सम्बन्ध में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था । जांच आख्या प्राप्त हो गई है, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

173—डा0 दिनेश जौहरी—

[दिनांक 21 जून, 1990 को अता0 प्र0 सं0 द्वारा उत्तरित]

बिरभानपुर नहर, विकास खण्ड बदलापुर जौनपुर में पानी न आने से नहर को सड़क में परिवर्तित करने की मांग

174—श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिरभानपुर नहर, वि0 ख0 बदलापुर, जनपद जौनपुर में विगत कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है और पानी न आने से उसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त नहर को सड़क में बदलने की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बख्शा के ग्राम बीरभानपुर में विगत वर्षों में सोनौरा वन्य नहर द्वितीय का पानी नहीं पहुंच पाया है ।

माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव का परीक्षण कराया जा रहा है ।

175—श्री अमर नाथ यादव—

[5वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह नर्सिंग असिस्टेंट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्सी, जिला बदायूं के बकाये देयों का अभी तक भुगतान न किये जाने की शिकायत

176—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि श्री त्रिलोक सिंह जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्सी जनपद बदायूं मे नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और जिनका राजकीय सेवा मे कार्यरत रहते हुए ही दिनांक 4 जनवरी, 1982 को देहान्त हो गया था, की विधवा श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, निवासिनी ग्राम बागवान, पत्रालय श्रीनगर-गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल (उ0 प्र0) को अभी तक ग्रेच्युटी, जी0 पी0 एफ0 पर बीमा, बचे हुए अर्जित अवकाश का वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो उक्त का भुगतान इन्हें कब तक करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधीक्षण अभियन्ता अपर बेतवा नदी बोर्ड के (प्रतिनियुक्त) के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत

177—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता श्री आर0 पी0 गोयल ने अपना अर्धशासकीय पत्र संख्या 7662/जांच अनुभाग 1200 7, दिनांक 6 नवम्बर, 1989 अधीक्षण अभियन्ता को भेजा था जिसमें अधीक्षण अभियन्ता के अपर बेतवा नदी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में की गयी अनियमितताओं आदि का उल्लेख था ? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया ? उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

प्रकरण में सचिव, बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी ने अपने पत्र, दिनांक 19 सितम्बर, 1989 द्वारा कतिपय सूचनायें/अभिलेखादि तथा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र, दिनांक 24 फरवरी, 1990 द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रमुख अभियन्ता को प्रेषित किया था जिससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुयी । अतः सचिव, बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी से दिनांक 20 जून, 1990 में पुनः कतिपय सूचनायें/अभिलेखादि मांगे गये हैं । साथ ही दिनांक 20 जून, 1990 को सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से पुनः स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

शेष अभी प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय चिकित्सालय, भिलक, जनपद रामपुर में एक्स-रे हेतु रेडियोलाजिस्ट के नियुक्ति की मांग

178—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय चिकित्सालय, भिलक, जनपद रामपुर में लगभग दो वर्ष पूर्व एक्स-रे मशीन स्थापित की गयी थी ? क्या उसको

चलाने हेतु किसी रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो चिकित्सक की नियुक्ति एवं वेतन हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय महिला चिकित्सालय भिलक, जनपद रामपुर में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

179—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय महिला चिकित्सालय, भिलक, जनपद रामपुर में महिला चिकित्सक के रिक्त स्थान पर नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है । नियुक्ति सम्बन्धी अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही तैनाती सम्भव होगी ।

राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग के स्थायी पदों पर चिकित्सकों को स्थायी न किये जाने की शिकायत

180—श्री चरन सिंह

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग में वेतनक्रम (2,200—4,000 रु0) में कितने चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं तथा अब तक कितने चिकित्सा अधिकारी के पद स्थायी हैं उनके विपरीत कितने चिकित्सा अधिकारियों को अब तक शासन द्वारा स्थायी किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब का क्या कारण है तथा तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तदर्थ रूप से नियुक्त कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के विनियमितीकरण की मांग

181—श्री चरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 तक नियुक्त तदर्थ रूप से कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को अभी तक विनियमित न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त अधिकारियों को कब तक विनियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

1 अक्तूबर, 1986 तक तदर्थ रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों के विनियमितीकरण हेतु अपेक्षित विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं। विनियमितीकरण के सबन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जूनियर डाक्टर्स एशोसियन कानपुर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र

182-डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन कानपुर का पत्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 17 जनवरी, 1990 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां।

1983 के सप्लीमेन्ट्री छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने हेतु मेडिकल कालेज, कानपुर के लिए 20 सीटें पुनर्वांटित किए जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1990 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गये हैं।

प्रश्नकर्ता द्वारा अपने विधान क्षेत्र के रजबहो एवं माइनरों की सफाई हेतु दो करोड़ रुपया की मांग

183—श्री किशोरी श्याम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8 फरवरी, 1990 जो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में रजबहों तथा माइनरों की पटरियों के निर्माण, राजबहों पर पुल निर्माण तथा नालों की सफाई आदि के लिए दो करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में है, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक उक्त धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

रु0 दो करोड़ पचास लाख कम से कम स्वीकृत कराने का निवेदन उक्त पत्र में किया गया है।

माननीय विधायक के दिनांक 8 फरवरी, 1990 के पत्र में वर्णित कार्यों का परीक्षण कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। परीक्षण उपरांत कार्यों की आवश्यकता व औचित्य सिद्ध होने पर धन का आंकलन किया जायेगा। सक्षम अधिकारी के कार्यों की स्वीकृति के पश्चात धन की मांग की जा सकेगी। इसके लिए समय अंश अभी देना संभव नहीं है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पांच वर्ष से अधिक समय से जनपद गाजीपुर में कार्यरत डाक्टरों की संख्या तथा रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

184—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की सामान्य नीति के विपरीत जनपद गाजीपुर में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कौन-कौन डाक्टर किस तिथि से कार्यरत

हैं तथा जनपद गाजीपुर में डाक्टरों के कितने पद किस तिथि से रिक्त चल रहे हैं और उन पर कब तक डाक्टरों की तैनाती कर दी जाएगी ?

श्री मुख्तार अनीस---

शासन की वर्तमान स्थानान्तरण नीति समूह क एवं ख के अधिकारियों को एक जनपद में 5 वर्ष नहीं अपितु 6 वर्ष तक रखने की है। जनपद गाजीपुर में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत वरिष्ठ/साधारण ग्रेड चिकित्सकों की सूचना निम्नवत् है:---

वरिष्ठ पी0 एम0 एच0 एस0 अधिकारी	तैनाती की तिथि
1	2
1---डा0 जगदम्बा प्रसाद, उप मुख्य चिकित्साधिकारी	24-12-81
2---डा0 गिरजानन्द राय, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	26-12-81
3---डा0 ए0 के0 गोस्वामी, सीनियर रेडियोलाजिस्ट	14-10-80
4---डा0 एस0 टी0 इमाम, सीनियर फिजीशियन	1-6-82
5---डा0 प्रकाश चन्द्र, सीनियर सर्जन	23-9-83
6---डा0 नरेन्द्र नारायण सिन्हा, सीनियर डी0 टी0 ओ0	10-7-84
7---डा0 (कु0) चन्द्रमुखी गुप्ता, सीनियर अधिकारी (महिला)	29-7-84
साधारण ग्रेड पी0 एम0 एच0 एस0---	
1---डा0 पूनम श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी (महिला)	16-10-82
2---डा0 अजीत कुमार श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी	11-7-83
3---डा0 कामता प्रसाद, रेडियोलोजिस्ट	4-10-83
4---डा0 रमेश चन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी	11-7-89
5---डा0 बजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, चिकित्साधिकारी	12-8-84
6---डा0 गुरुचरण सिंह, चिकित्साधिकारी	31-6-83
7---डा0 अमर सिंह, अर्थोपेडिक सर्जन	1-9-83
8---डा0 कपिल देव उपाध्याय, सर्जन	17-7-84
9---डा0 मान बहादुर मल्ल, ई0 एन0 टी0 सर्जन	16-6-84
10---डा0 शान्ती कुमार, चिकित्साधिकारी	28-6-84
11---डा0 एन0 के पाण्डेय, चिकित्साधिकारी	19-7-83
12---डा0 (श्रीमती) इन्द्रा कुमारी, इन्टीग्रेटेड	17-6-82

जनपद गाजीपुर में निम्नलिखित पद उनके सम्मुख अंकित अवधि से रिक्त चल रहे हैं :—

उप मुख्य चिकित्साधिकारी का एक पद		एक वर्ष से
साधारण ग्रेड पुरुष	32 पद	लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक से
साधारण ग्रेड महिला	10 पद	लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक से

प्रोन्नति/नवनियुक्तियों के लिए चयन कर लिया गया है, चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

शासन के प्रतिबन्ध के बावजूद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती द्वारा नियुक्ति किये जाने की शिकायत

185—श्री हनुमन्त सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर एस0 के0 अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के कार्यकाल में उनके द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी नियुक्तियां की गई हैं ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के उपरान्त भी उक्त नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन सभी नियुक्तियों को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

डाक्टर एस0 के0 अग्रवाल, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनियमित नियुक्तियां करने तथा अन्य आरोपों के सम्बन्ध में माननीय विधायक का दिनांक रहित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई विभाग के विजीलेंस जांचाधीन विभिन्न संवर्ग के अभियन्ताओं का विवरण

186—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कितने मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध विजीलेंस जांच कितने समय से चल रही हैं तथा जांच को अविलम्ब पूरी कराये जाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त अधिकारियों में कितने अधिकारियों में कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको विजीलेंस की जांच रहते हुए प्रोन्नति दी गई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सतर्कता विभाग से प्राप्त नवीनतम सूचनानुसार इस समय तीन अधीक्षण अभियन्ताओं (एक सेवा निवृत्त) तथा 26 अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली या गोपनीय जांचें प्रचलित हैं। प्रचलित जांचों म एक ऐसी जांच है जिसमें कार्य के सम्बन्ध में जांच हो रही है और अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के नाम ज्ञात नहीं हुए हैं। इस समय किसी मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध सतर्कता जांच प्रचलित नहीं है।

प्रचलित जांचों में एक जांच 1984 की, एक जांच 1986 की, 4 जांचें 1987 की, 6 जांचें 1988 की, 12 जांचें 1989 की तथा 2 जांच 1990 की हैं और यह जांचें जून 1991 तक पूरी होने की सम्भावना है।

प्राप्त सूचनानुसार मात्र दो अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान शासनादेशों के अनुसार सतर्कता जांच पदोन्नति में तब तक बाधक नहीं मानी जाती है जब तक कि उपलब्ध जांच एवं उसके साथ प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अन्तर्ग्रस्त कार्मिक (अधिकारी) प्रथम दृष्टया दोषी सिद्ध न हो जाय।

विकास खण्ड बनकटी, जिला बस्ती में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने की शिकायत

187—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के ग्राम बजहा के आस-पास 6 कि0 मी0 की दूरी में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी में पूर्व से ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर योजना का अंग है। जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध कराये जाने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थानों का अनुमोदन उपलब्ध कराये जाने पर स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जाता है। तदनुसार ग्राम बजहा के लिए अनुमोदित परिव्यय एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

आगरा के टर्मिनल राजबहा की पटरी पर सड़क बनाने की मांग

188—श्री विजय सिंह राणा तथा श्री बहादुर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 1 मार्च, 1990 का पत्र जो आगरा में टर्मिनल राजबहा की पटरी पर सड़क डालने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन का अन्तिम निर्णय क्या है ? क्या सड़क डाली जायेगी ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रश्नगत सड़क कब तक बन जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री विजय सिंह राणा का टर्मिनल राजबहा के पटरी पर खड़ंजा डालने सम्बन्धी पत्र दिनांक 31 मार्च, 1990 न कि 1 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ है जो अधिशासी अभियन्ता, आगरा को सम्बोधित है। दोनों प्रश्नकर्ताओं का एक अलग पत्र दिनांक 30 मार्च, 1990 न कि 1 मार्च, 1990 भी प्राप्त हुआ है जो अधिशासी अभियन्ता, आगरा को सम्बोधित है। इसमें इरादत नगर राजबाहे के कुछ भाग की सड़क को पक्का करने का उल्लेख है। टर्मिनल व इरादत नगर राजबहों पर खड़ंजा लगाने का प्राविधान आगरा नहर की आधुनिकीकरण परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर सड़क बनाना या न बनाना निश्चित हो सकेगा। अतः इस सम्बन्ध में अवधि इंगित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

आगरा नहर की आधुनिकीकरण परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में इसका प्राविधान किया जा रहा है।

जनपद अलीगढ़ के चिकित्सक/डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

189—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1990 को अलीगढ़ जनपद में चिकित्सक/डाक्टरों के कितने स्थान रिक्त थे ? इन रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद अलीगढ़ में दिनांक 31 मार्च, 1990 तक चिकित्सकों के कुल 90 स्थान रिक्त थे।

चिकित्साधिकारियों के चयन की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् नियुक्ति की जायेगी।

इटावा की तहसील बिधूना में वर्ष 1980 से 1984 के मध्य हुई किसानों की फसलों की हानि की क्षति पूर्ति की मांग

190—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इटावा की तहसील एवं परगना बिधूना में वर्ष 1980 से 1984 के बीच सूखा एवं बाढ़ के कारण कृषकों को पानी नहीं मिल सका अथवा अधिक पानी के कारण धान एवं रबी की फसलें नष्ट हो गयी ? क्या इन्हीं कारणों से सरकार ने कृषकों को राहत देने हेतु आबपाशी में लगभग 8 लाख रुपये की मिनहाई के आदेश किये थे ? यदि हां, तो क्या कृषकों को राहत मिल गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

ओलावृष्टि के कारण जनपद इटावा में वर्ष 1982-83 में फसलों को क्षति हुई थी।

जो नहीं । इस हेतु अधिशासी अभियन्ता, इटावा के द्वारा रु0 41,337 की मिनहाई स्वीकृत की गयी थी, जिसका समायोजन वर्ष 1984-85 की जमाबन्दी में किया जा चुका है ।

5 जुलाई, 1988 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला, जिला इटावा में घायल अवस्था में भर्ती किये गये लोगों का विवरण

191—श्री धनीराम वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला में श्री राम सिंह पुत्र चेतराम एवं भइया लाल पुत्र मंकू लाल, निवासी लोनारी, पुरवा लोध, मौजा हरदू, थाना बेला, जिला इटावा को 5 जुलाई, 1988 को घायल अवस्था में भर्ती करवाया गया ? यदि हां, तो उसकी डाक्टरी जांच रिपोर्ट क्या है और भर्ती कराने वाले कौन थे ?

श्री मुख्तार अनीस—

श्री राम सिंह पुत्र चेतराम एवं भइया लाल पुत्र मंकू लाल, निवासी लोनारी, पूरवा लोध, मौजा हरदू, थाना बेला, जिला इटावा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला, इटावा दिनांक 5 जुलाई, 1988 को भरती नहीं करवाया गया था बल्कि उन्हें डाक्टरी परीक्षण हेतु थाना बेला, इटावा के निर्देश पर होमगार्ड, श्री राकेश कुमार द्वारा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया था । डाक्टरी परीक्षण में उक्त दोनों व्यक्तियों को साधारण चोटें पायी गयीं ।

उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुरा, जनपद मऊ में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

192—श्री राम बचन घुसिया—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुरा, जनपद मऊ में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1990 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी जा रही है ।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्ग के चिकित्सकों का विवरण

193—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 5055/से/3/पांच/सात (40) 72, दिनांक 26 जून, 1973 द्वारा प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य, एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पी0 एम0 एच0 एस0 कैडर) का सृजन किया गया था और उसी शासनादेश से पी0 एम0 एस0 (पुरुष तथा महिला) एवं पी0 एच0 एस0 संवर्गों को इक्जीस्टिंग बट डाइंग संवर्ग घोषित किया गया था ? यदि हां, तो 31 मार्च, 1990 को उक्त पी0 एम0 एस0 (पुरुष), पी0 एम0 एस0

(महिला) पी0 एच0 एस0 और पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्गों में अधिकारियों के विभिन्न पदों की अलग-अलग संख्या क्या थी तथा प्रत्येक संवर्ग में अलग-अलग कितने पद भरे थे और कितने पद रिक्त थे ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

दिनांक 31 मार्च, 1990 को पी0 एम0 एस0 (पुरुष), पी0 एम0 एस0 (महिला), पी0 एच0 एस0 और पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्गों में अधिकारियों के विभिन्न पदों की अलग-अलग संख्या, प्रत्येक संवर्ग में अलग-अलग भरे पद और रिक्तियों के सम्बन्ध में तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या पर 197)

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

194--श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत कान्हीपुर, फतेहगंज, पूरे देवी दास, मिलवन में राजकीय चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त चिकित्सालयों की स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी नहीं ।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है जिला योजना में धन उपलब्ध कराये जाने एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से स्थानों के नामों का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा स्वीकृत दिये जाने पर विचार किया जाता है । तदनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही प्रश्नगत स्थानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

श्रीमती पुष्पा पाठक पत्नी श्री कुशलानन्द पाठक, निवासनी ग्राम बरी, परगना रुद्रपुर, तहसील किच्छा, जनपद नैनीताल की जमीन का मुआवजा

195--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बरी, परगना रुद्रपुर, तहसील किच्छा, जनपद नैनीताल में श्रीमती पुष्पा पाठक पत्नी कुशलानन्द पाठक को खसरा खतौनी में 15 एकड़ जमीन उनकी कृषि योग्य भूमि बैगुल डाम में अधिग्रहीत होने के बदले में मिलनी थी किन्तु वह जमीन रिजर्व फारेस्ट में होने के कारण इन्हें नहीं मिल पाई ? यदि हां, तो मंत्री जी श्रीमती पाठक की जमीन का मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

ग्राम बरी, तहसील किच्छा, जनपद नैनीताल में बैगुल डाम के निर्माण हेतु श्रीमती पुष्पा पाठक पत्नी कुशलानन्द पाठक की 96 बीघा 7 बिस्वा भूमि अध्याप्त की गई, जिसके बदले में उन्हें ग्राम बरी में भूमि आवंटित की गई परन्तु यह भूमि आरक्षित वन में होने के कारण उन्हें अंतिम रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा सकी ।

अर्जित भूमि का प्रतिकर रु0 217.42 पैसा सन् 1964 में ही निर्धारित कर प्रार्थिनी को प्रतिकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था परन्तु प्रार्थिनी द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु उपस्थित न होने के कारण यह धनराशि चालान संख्या 5, दिनांक 26 अक्तूबर, 1966 से रेवेन्यू डिपाजिट कर दिया गया जिसे प्रार्थिनी नियमान्तर्गत प्राप्त कर सकती हैं ।

श्री रामदेव शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौली, जिला अलीगढ़ को कार्यमुक्त किये जाने की मांग

196—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त निदेशक, मलेरिया, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या माल—ए/एच0 आई0 90/433, दिनांक 20 जनवरी, 1990 के अधीन श्री रामदेव शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतरौली, जिला अलीगढ़ को स्थानान्तरण के कारण कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें अतरौली, जिला अलीगढ़ से कब तक कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

(ख) 20 फरवरी, 1990 को ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शासन के निषेधाज्ञा के बावजूद जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में की गई नियुक्तियों की शिकायत

197—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन 1 अप्रैल, 1989 से तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नयी नियुक्तियों पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध के बावजूद मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी द्वारा नियुक्तियां करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का 9 अप्रैल, 1990 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत पत्र खोजा जा रहा है ।

महानिदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के यहां से बी0 आई0 पी0 डाकों के गायब होने की शिकायत

198—श्री मुक्तिनाथ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मंत्रीगण विधायकों तथा शासन एवं जनपद अधिकारियों में महानिदेशक, प्रशासन को प्रेषित डाक (पत्रों) को गायब

करने विषयक स्वामी नेमपाल सिंह, श्री शारदानन्द अंचल एवं श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, विधायकगण के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1990, 11 जनवरी, 1990 एवं 29 जनवरी, 1990 महानिदेशक, प्रशासन व अपर निदेशक, नियोजन तथा निदेशक, परिवार कल्याण को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई जायेगी एवं दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नन्द किशोर गुप्त, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत एवं जांच की मांग

199--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर गुप्त, उप निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच विषयक पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय से प्रेषित पत्रांक सी0 एम0 वि0 को0 एम0-1-कु0/259-394/90, दिनांक 29 मार्च, 1990 द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

इस पर उच्च स्तरीय जांच प्रस्तावित है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेंहदावल, जिला बस्ती के कर्मचारियों को वेतन व नकदीकरण की सुविधा सम्बन्धित अभिलेखों का अभाव

200--श्री चन्द्र शेखर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेंहदावल के कर्मचारियों को पूरा वेतन, नकदीकरण आदि की सुविधा अभिलेखों के अभाव में नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के पेंशन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

201--श्री चन्द्र शेखर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1990 जो स्वास्थ्य विभाग में एक कर्मचारी के पेंशन के सम्बन्ध में है ? प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा चिकित्सा विभाग में की गई सेवा अवधि के सम्बन्ध में पेंशन पेपर तैयार करने के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को 15 मार्च, 1990 को भेज दिये गये हैं ।

जनपद अल्मोड़ा के लिये विगत वित्तीय वर्ष में धोतियों एवं खाद्य तेल की आपूर्ति की जानकारी

202—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1989–90 में राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को कितनी मात्रा में जनता धोतियों/खाद्य तेल का आवंटन किया गया था ? क्या निगम द्वारा उपरोक्त वस्तुओं की सम्पूर्ण आपूर्ति जनपद अल्मोड़ा को करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1989–90 में 1800 जोड़ा जनता धोती तथा 41.5 मी0 टन आयातित खाद्य तेल का आवंटन किया गया ।

निगम द्वारा जनपद अल्मोड़ा में उपरोक्त आवंटन के विपरीत 1800 जोड़ा जनता धोती की आपूर्ति करायी गयी । खाद्य तेल की मात्रा के विपरीति निगम द्वारा कुल 16.625 मी0 टन मात्रा का प्रेषण जनपद अल्मोड़ा को किया गया जिसमें से 0.0395 मी0 टन मात्रा की मार्गगत हानि होने के कारण 16.5855 मी0 टन की ही वास्तविक आपूर्ति हुयी ।

खुले बाजार में सस्ती दरों पर स्वदेशी खाद्य तेल उपलब्ध रहने एवं राज्य व्यापार निगम (केन्द्रीय सरकार का उपक्रम) के पास आयातित खाद्य तेल के 15 किलो ग्राम के टिन उपलब्ध न होने के कारण कुल आवंटित खाद्य तेल की मात्रा का उठान नहीं किया जा सका ।

महानिदेशक एवं निदेशक, स्वास्थ्य के अनुमोदन एवं उप निदेशक, प्राविधिक द्वारा किये गये स्थानान्तरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत

203—श्री मुक्तिनाथ—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक एवं निदेशक, प्रशासन के कथित अनुमोदन पर उप निदेशक, प्राविधिक द्वारा किये गये स्थानान्तरणों में भ्रष्टाचार एवं कर्मचारी उत्पीड़न की जांच कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1990, संलग्नकों के साथ महानिदेशक एवं सम्बन्धित वेतन अधिकारी स्वास्थ्य भवन को प्राप्त हुआ ? क्या पत्र में वर्णित आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1990 महानिदेशक एवं सम्बन्धित वेतन अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ है । शेष प्रश्न नहीं उठता

जनपद सीतापुर के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लिपिकों का कार्य फील्ड वर्करों से कराये जाने की शिकायत

204--श्री लटूरी सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 मार्च, 1990 को डा0 बी0 जी0 प्रसाद, महामन्त्री, जनता युवा मोर्चा, सिधौली, जनपद सीतापुर ने एक शिकायती-पत्र, पत्रांक-69/80 मुख्य मन्त्री को दिया था जो जनपद सीतापुर में अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लिपिक वर्ग का कार्य सम्बन्धित लिपिकों से न कराकर फील्ड वर्करों एच0 ए0, एस0 पी0 एस0 आदि से कराये जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे तात्कालिक प्रभाव से लिपिक वर्ग का कार्य सम्बन्धित लिपिकों से ही कराना सुनिश्चित करें ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के स्टेनों को फर्जी हस्ताक्षर करने के कारण सेवा से अलग किये जाने की मांग

205--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में मु0 चि0 अ0, जौनपुर के कार्यालय में कार्यरत स्टेनों श्री समानन्द सिंह द्वारा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जन स्वास्थ्य रक्षक की गयी नियुक्ति के सम्बन्ध में एस0 डी0 एम0 एवं जिलाधिकारी ने जांच करके श्री समानन्द सिंह की सेवायें समाप्त करने तथा दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

सूचना प्राप्त की जा रही है ।

स्वास्थ्य विभाग आगरा में पन्द्रह सालों या इससे अधिक समय से कार्यरत लिपिकों को स्थानान्तरित न करने की शिकायत

206--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग जनपद आगरा में ऐसे कितने लिपिक कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका 15 वर्ष से स्थानान्तरण नहीं हुआ है और उन्हें एक ही स्थान पर कार्यरत रहते 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है ? शासन की नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

वांछित सूचना अभी प्रतीक्षित है ।

(तत्पश्चात 12 बजकर 10 मिनट पर साढ़े बारह बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई । 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष—

अभी आपने नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने के विषय में सूचना दी है । मैं नत्थी–ख के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में चर्चा को स्वीकार करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपको यह निर्णय देना ही था तो पहले स्वीकार कर लेना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन आपकी सहमति से चलता है । जैसे आप लोग निर्णय करेंगे वैसे ही सदन चलेगा ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, नियम–49 पर चर्चा के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा । यदि कार्यवाही देखने के बाद महसूस करेंगे तो इसे स्वीकार करेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में यह परम्परा न पड़े कि किसी सवाल के जवाब के लिए सदस्य दबाव डालें, सदन स्थगित करना पड़े, तब चर्चा स्वीकार हो ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले भी आपसे कहा था सदन आप सब की सहमति से चलता है । जब यह सदन 12.30 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था तो सभी दलों के नेतागण और सत्ता पक्ष की ओर से भी नेताओं के साथ मेरे कक्ष में एक वार्ता हुई और जो यहां पर कार्यवाही हुई थी, उस कार्यवाही को देख कर निर्णय लिया गया । मेरा आपसे निवेदन है कि निर्णय होने के बाद अब उस विषय पर न बोलें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । लेकिन जहां पर आप बैठे हुए हैं, वहां से कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिससे सदन अव्यवस्थित हो रहा है, ऐसी हम लोगों की भावना है । सदन का कीमती समय इस प्रकार से जाया नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के आगरा आगमन पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न इस सदन के सामने लाना चाहता हूं । आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजीव गांधी जी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आगरा गये हुए हैं । मान्यवर, सरकार ने यह सूचित किया था कि वहां पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है । स्थिति नियंत्रण में होने के बावजूद आगरा में 4 लोग मारे गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप विषय से हट रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह संसद में विपक्ष के नेता हैं और एक दल के अध्यक्ष हैं तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री रहे हैं । मान्यवर, आगरा जल रहा है, और हरिजनों पर जुल्म किये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी जी की सुरक्षा के लिये इस सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं और माननीय राजीव गांधी हरिजनों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनको देखने आ रहे हैं ।

शेख मोहम्मद सुलेमान--

मान्यवर, [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

शेख मोहम्मद सुलेमान--

मान्यवर, सरकार जुल्म नहीं रोक पा रही है, लोग मारे जा रहे हैं । यह देखिये अखबार में निकला कि हरिजन मारे गये हैं ।

(श्री सुलेमान ने "आज" अखबार को दिखाया ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता जी आप सदन में पहली मर्तबा चुनकर आये हैं । सदन में इस तरह से अखबार का प्रदर्शन करना मना है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अपने नेता के आगमन के बारे में सूचना दी । हमारे पास सूचना है कि माननीय राजीव गांधी जी आगरा में लैंड कर रहे हैं । वह पनवारी गांव भी जायेंगे ।

(शोर)

मान्यवर, माननीय सदस्यों लैंड करने का मतलब हवाई जहाज से लगा रहे हैं । लैंड करने का मतलब आगरा पहुंच रहे हैं और वह पनवारी गांव भी जायेंगे और अस्पताल भी जायेंगे । हम लोग आपसे ज्यादा विपक्ष में रहे हैं । यह हमारा दायित्व है और माननीय राजीव गांधी की सुरक्षा और सम्मान की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है । माननीय सदस्यों की चिंता आगरे के बारे में स्वाभाविक है । सब लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये थे और सब लोगों के मन में यही बात थी कि वहां साम्प्रदायिक सौहार्द,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जल्द से जल्द कायम हो । आगरे में 2 दिन से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और वातावरण धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है ।

(शोर)

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, क्या उस केन्द्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया है जिसने दंगा भड़काया है ।

(शोर)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये । आज नियम 301 के अन्तर्गत 32 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं ।

(शोर)

श्री शेख मो0 सुलेमान---

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । हरिजनों पर जुल्म हो रहे हैं ।

(शोर)

मैं सदन से जा रहा हूं ।

(श्री सुलेमान सदन से नहीं गये ।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य मुझे सूचनायें पढ़ लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आज दिनांक 28 जून, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :---

सर्वश्री---

(1) छोटे लाल ।

(2) मदन गोविन्द राव ।

(3) राम चन्द्र बख्श सिंह ।

(4) हृदय नारायण ।

(5) धर्मज्ञ मिश्र ।

(6) अशोक कुमार सिंह चन्देल ।

(7) अनुग्रह नारायण सिंह ।

अन्य माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जो सूचनाएं स्वीकार हुई हैं, सदन यदि सहमत हो तो उन्हें पढ़ी हुई मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से स्वीकार की हुई सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

(व्यवधान)

जनपद लखीमपुर खीरी के जंगबहादुरगंज कस्बे में राष्ट्रीय मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटे लाल—

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र 67 मोहम्मदी, जनपद खीरी लखीमपुर में ग्राम जंगबहादुरगंज राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है और जंगबहादुर गंज में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, केन यूनियन भाग का दफ्तर व कम प्रोवर्स इंटर कालेज है तथा कई एक बैंक हैं और इस गांव में तिथि बाजार लगती है । अच्छा कस्बा है लेकिन राष्ट्रीय मार्ग पर पश्चिम, पूरब तरफ कोई ब्रेकर के अभाव में ट्रक दुर्घटना से हजारों व्यक्तियों की जाने चली गई हैं । और सप्ताह में एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाना साधारण बात है क्या शासन तंत्र जंगबहादुर गंज की इस दयनीय स्थिति को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय मार्ग में ब्रेकर बनवाने की कृपा करेगी ?

अतः इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

उत्तर प्रदेश राज विद्युत परिषद् गोरखपुर में छटनीशुदा मस्टररोल कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोविन्द राव—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् के अधिकारियों की हठधर्मिता एवं श्रमिकों के प्रति क्रूरता के कारण गोरखपुर मण्डल के छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारी उत्तेजित तथा आन्दोलित हो गये हैं । 19 फरवरी, 1990 को विद्युत् संगठन उत्तर प्रदेश (इंटक) हाइड्राइलेक्ट्रिक इम्पालाइज यूनियन उत्तर प्रदेश (एच० एम० के० पी०) उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ (इंटक) तथा मस्टर रोल कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं विद्युत् परिषद् के अधिकारियों ने आपसी बात-चीत में यह निर्णय लिया कि गोरखपुर मण्डल में ठेके के श्रमिकों से कार्य नहीं कराया जायेगा तथा उक्त कार्य छटनी शुदा मस्टर रोल कर्मचारियों से कराया जायेगा तथा 25 मार्च, 1990 तक मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित कर दिया जायेगा । इसके पूर्व भी अनेक बार परिषद् ने एक हजार मस्टर रोल कर्मियों को नियमित करने का वचन दिया था लेकिन आज तक उसका पालन नहीं किया गया है । आज भी सैकड़ों मस्टर रोल कर्मी दर-दर भटक रहे हैं ।

विद्युत् परिषद् के वचन भंगता तथा श्रमिक समस्याओं के प्रति उदासीनता के विरुद्ध गोरखपुर मण्डल के छंटनी शुदा मस्टर रोल कर्मी शक्ति भवन पर 5 जून, 1990 से धरना दे रहे हैं तथा उन्होंने मुख्य मंत्री तथा अन्य अधिकारियों के घेराव का निश्चय किया है जिससे औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

[अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं संघर्षरत छंटनी शुदा मस्टर रोल कर्मियों को शीघ्र न्याय प्रदान करने की मांग करता हूं ।]

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति आदि के उत्थान की परियोजना को बाराबंकी से न हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

"अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु उक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनपद बाराबंकी में कृषि कुटीर उद्योग मछली, मुर्गी, सुअर पालन एवं गृह विज्ञान आदि का प्रशिक्षण देकर लगभग 900 परिवारों का कल्याण किया गया है और इस योजना से भविष्य में भी अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का उत्थान एवं कल्याण होता रहता किन्तु कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने आदेश से इसे अन्यत्र स्थानान्तरित कर उक्त जातियों के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं से इन्हें वंचित कर दिया है । देश में इसी प्रकार से चल रही 19 योजनाओं में से केवल बाराबंकी की योजना को ही स्थानान्तरित किया गया है, शेष अपने-अपने स्थानों पर पूर्ववत् चल रही हैं ।

[अतः इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ चलायी जा रही उक्त योजना को बाराबंकी में ही चलने दिया जाय और उसे किसी भी हालत में वहां से स्थानान्तरित न किया जाये ।]

उन्नाव जनपद में विद्युत् आपूर्ति की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण--

[मान्यवर, उन्नाव जिले में विद्युत् आपूर्ति के अस्तव्यस्त हो जाने से आम जनता में रोष है उन्नाव शहर को भी बिजली कब आयेगी कोई कह नहीं सकता ।]

सम्बन्धित अनियमितता के सम्बन्ध में अधिकारियों और सरकार को लिखे गये पत्रों को जिला स्तरीय अधिकारी महत्व नहीं देते ।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र में तो गत एक माह से विद्युत् आपूर्ति लगभग शून्य हो गयी है । महाभारत के दिन पावर हाउस भी घेरने के उपाय हुए हैं । यह क्रम फरवरी, 1990 से जारी है । मुख्य अभियन्ता वीरेश्वर सिंह ने मुख्य अभियन्ता पावर सिस्टम को भी लिखा था कि पुरवा की आपूर्ति ठीक की जाय । मगर कुछ नहीं हुआ ।

[अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेश मिश्र--

[मान्यवर, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी चीनी मिल नहीं है, जबकि सर्वाधिक गन्ना इस क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है, मल्लावां क्षेत्र से 60 किमी0 की दूरी पर चीनी मिल जो हरदोई में स्थापित है, उस पर गन्ना जाता है। गन्ना खरीद केन्द्र जो खोले जाते हैं उसमें भी किसानों के साथ लूट की जाती है।

मल्लावां क्षेत्र के पूर्व एम0 एल0 ए0 एवं एम0 एल0 सी0 श्री लालन शर्मा ने सरकार से सर्वत्र मिल खोलने हेतु पत्राचार किया परन्तु आश्वासन होता रहा पर किसानों के हित के लिये अभी तक चीनी मिल की स्थापना नहीं हुई।

अतः जनहित में मैं मांग करता हूं कि शीघ्र ही चीनी मिल हमारे क्षेत्र में स्थापित की जावे। जिससे किसानों, मजदूरों को लाभ मिल सके।]

शारदा सहायक समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना के पूर्ण स्वीकृत पदों को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल--

[मान्यवर, शारदा सहायक समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर सम्प्रति कतिपय अधिकारियों की मनमानी से अधीनस्थ कर्मचारियों में भयंकर क्षोभ व्याप्त हो गया है। मुख्यालय के वरिष्ठ एवं वरिष्ठतम सहायकों को उनकी लम्ब परिलब्धियों को न देकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर संविधान प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यही नहीं वरन् भयंकर कुचक्रों के तहत स्वीकृत पदों को जो कि मुख्यालय पर प्रशासन के दृष्टिकोण से स्थायी प्रकृति के पद हैं और कार्य की महत्ता की दृष्टि से परम आवश्यक भी हैं को दिनांक 19 जून, 1990 के पत्र से सरेन्डर किया गया है। यह समस्त क्रियाकलाप मात्र भ्रष्टादोहन की साजिश के अन्तर्गत किये जा रहे हैं क्योंकि उक्त स्थायी पद विगत काफी समय से नहीं भरे गये हैं। विभागीय प्रोन्नति का गठन माह मार्च में कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुये किया गया है किन्तु उनके द्वारा की गयी संस्तुतियों को नजर अंदाज करते हुये मनमानी रूप से व्यक्ति विशेष की नियुक्ति निजी लाभ-वश करते हुये अन्य व्यक्तियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।

विनियमित एवं स्थायी कर्मचारियों के पदों के रहते हुये उन्हें पदस्थ न कर निजी लाभ एवं द्वेष की भावनावश पदों को सरेन्डर करने की घटना अत्यन्त उल्लेखनीय है। कार्यालय अधीक्षक के तीन पद (स्थायी) पूर्व से स्वीकृत हैं उक्त एक पद पर नियुक्ति कर शेष दो पदों को समाप्त करने के कारण स्पष्ट है क्योंकि इससे उक्त अधिकारी विशेष को अपनी जंगल नीति अपनाने में सफलता नहीं पायेगी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को कर्मचारियों विशेषकर प्रोन्नति एवं अन्य परिलब्धियों के पात्र व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर प्रतिवेदन एवं अभ्यावेदन देने के बावजूद भी स्थिति

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

यथावत बनी हुई है यह स्थिति वर्तमान सरकार को कर्मचारियों के माध्यम से बदनाम करने की अत्यन्त गम्भीर साजिश है ।

मेरी आपके माध्यम से शासन से स्पष्ट मांग है कि सम्पूर्ण प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक लेते हुये पात्र वरिष्ठतम सदस्यों एवं ज्येष्ठता सूची में आने वाले समस्त कर्मचारियों को उनके हक दिलाये जायें जिससे कल्याणकारी शासन की छवि उजागर हो सके ।]

इलाहाबाद नगर में नजूल की भूमि के अवैध कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

[मान्यवर, इलाहाबाद नगर में नजूल भूमि की लूट मची है । हजारों एकड़ भूमि शहर के प्रमुख क्षेत्रों सिविल लाइन, जार्ज टाऊन, टैगोर टाऊन, अशोक नगर, राजापुर आदि क्षेत्रों में नियम कानूनों का उल्लंघन करके शोषण की प्रति सहकारी आवास समितियों तथा व्यक्तियों को बेचा जा रहा है । शहरी सुधारोपण की निष्क्रियता एवं मिली भगत से ऐसे जमीनखोर उससे अनुमति लेना भी पसन्द नहीं करते । स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग ऐसे लोगों के लिये रातो दिन अपना दरवाजा खोले बैठे हैं । शिकायत का असर ऐसे व्यक्तियों और विभागों पर कोई नहीं होता । क्योंकि कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है ।

19 म्योर रोड, राजापुर, अमृत प्रभात प्रेस, ताशकंद रोड के सामने सिविल लाइन यात्रिक होटल के सामने सिविल लाईंस आदि तमाम ऐसे मामले हैं जहां शहरी सीमा रोपण विभाग या शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये बिना ही भूमि की रजिस्ट्री शिकायतों के बावजूद की गई है । वहां पर कई पुश्तों से निवासित कमजोर वर्ग के सागर पेशावासियों को गुण्डों के सहारे उजाड़ा जा रहा है ।

अतः इस सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल इलाहाबाद के नजूल विभाग में व्याप्त जंगल राज्य को समाप्त करने, दोषी व्यक्तियों समितियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

श्री अध्यक्ष--

माननीय पंचानन राय जी, मैं खड़ा हूं, आप बोल रहे हैं, यह सदन कैसे चलेगा ?

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, सदन नियमों से चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री सुलेमान--

मान्यवर, [× × ×]

(व्यवधान)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

(श्री सुलेमान अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री फौजदार के खड़े होकर नारा लगाने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय पंचानन राय जी, आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी भी बी० एस० पी० के साथ चले गये ।

कार्य-सूची के नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 3 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री पचानन राय--

मान्यवर, नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या 3 जो दिया गया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं और उसके सम्बन्ध में लगातार मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा कर रहा हूं । मान्यवर, इस सवाल की सूचना 30 मई को दी गयी । मान्यवर, आपने इस अल्पसूचित के रूप में स्वीकार किया और 7 जून को सरकार को भेज दिया । नियमावली में यह प्राविधान है कि अल्प सूचित सवाल का जवाब 3 दिन के अन्दर दिया जायगा और अगर उत्तर नहीं दिया जायगा, तो कार्य-सूची में आपकी आज्ञा से 15 दिन के अन्दर वह पुनः आ जायगा । मान्यवर, यह प्रश्न मैंने और माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने दिया था । सवाल बिलकुल स्पष्ट था कि-- क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भवन-निर्माण सामग्री के मूल्य में पिछले 6 महीने में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? मूल्य वृद्धि रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यह सवाल इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि यह विभिन्न विभागों से सम्बन्धित था । कदाचित सरकार को इस बात का ज्ञान उसी दिन हो गया होगा, जिस दिन अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर देने के लिये भेजा गया था, उसी दिन यह आपत्ति लगा सकते थे, किन्तु तथ्यों को छिपाने के लिये उस प्रश्न को निरस्त करने का सरकार ने अनुरोध किया । मान्यवर, पिछले 6 महीने में भवन-निर्माण सामग्री के मूल्यों में बेतहासा वृद्धि हुई है । क्योंकि प्रदेश का पूरा जनमानस चिन्तित है । मान्यवर, इसे उधर के भी एक सदस्य ने पूछा है और मैंने भी पूंछा, दोनों ने अलग-अलग जमा किया है । इस मूल्य वृद्धि को यह छिपाना चाहते हैं । इसलिये इन्होंने आग्रह करके यह सवाल हटवा दिया । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्नों पर आप निदेशित कर दें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसको निश्चित रूप से देखूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, यह सवाल मेरा भी था, इस पर आप व्यवस्था दे चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं, न देखें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

नहीं मान्यवर, इस प्रश्न को दुबारा स्वीकार करवा देने का कष्ट करें । माननीय पंचानन राय जी ने अनुरोध किया है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न हो ।

श्री अध्यक्ष—

इसे निश्चित रूप से देखूंगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मान्यवर, इस प्रश्न को पुनः कार्यसूची में प्राथमिकता के आधार पर ले लिया जाय ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । एक सूचना माननीय रविकान्त गर्ग जी की है 22 जून, 1990 को अतारांकित प्रश्न के गलत उत्तर के बारे में । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य तथा मन्त्री जी से अपने कक्ष में बात कर लूंगा क्योंकि इसका मुझे उत्तर देखना है । एक सूचना श्री अतीक अहमद जी की है आज के प्रश्न का उत्तर न मिलने के बारे में । मैं कालिय को निर्देशित कर रहा हूं कि जितने प्रश्नकर्ता सदस्य हैं उतने ही प्रश्न अनुभाग से जारी हों ताकि सभी प्रश्नकर्ता सदस्य को उत्तर की प्रति उपलब्ध हो सके । तीसरी श्री पंचानन राय जी की सूचना है, चौथी श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की सूचना है, पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है । अन्तिम तीन सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जिस विषय पर मैंने औचित्य की सूचना दी है उस सूचना पर बिना सूचना के आये आपने सदन को सुना है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आगरा की स्थिति गम्भीर है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपको जो कहना था, आपने लिखित दिया है या नहीं ।

श्री पंचानन राय—

जो लिखकर दिया है वही कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने लिखकर दिया है, वह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मैं घटना की चर्चा नहीं करूंगा, मेरी बात एक मिनट सुन लें, आता है या नहीं दोनों पक्षों के विचार सुनकर ही तो तय करेंगे कि आयेगा या नहीं। मान्यवर, सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित होना चाहिये। सदन की कार्यवाही के आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में दो बातों की घोषणा की, एक तो उन्होंने मरने वालों की संख्या बतायी और दूसरी बात उन्होंने स्थिति पूरी नियन्त्रण में है बतायी तो मान्यवर, जो मरने वालों की संख्या बतायी उससे ज्यादा लोगों की लाशें मिल चुकी हैं और स्थिति नियन्त्रण में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

संसदीय कार्य मन्त्री जी इसके बारे में कुछ कहना है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, जब आपने अस्वीकार कर दिया तो उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? इनको अस्वीकार करने के बाद जद्दोजेहाद नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैंने निर्णय ले लिया, अस्वीकार की जाती है।

मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब कृपया किसी पर निर्णय हो जाय तो यह परम्परा मत डालिये कि प्राथमिकता पर सुन लीजिये और जो मेरे जूनियर सदस्य हैं।

(व्यवधान)

मुझे बड़ा सम्मान करना पड़ता है, कृपया ऐसा करें कि सदन में गलत परम्परा न पड़े।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, यह परम्परा पड़ती जा रही है सदन को गलत ढंग से अधिकारी उत्तर दे रहे हैं। इससे सदन की अवमानना हो रही है।

सदस्यों को सदन में अधिकाधिक बोलने का अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर के दे दीजिये।

(व्यवधान)

श्री श्याम नरायन तिवारी---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर कुछ सदस्य अच्छा बोलते हैं, कुछ कम अच्छा बोलते हैं, कुछ आपसे भी अच्छा बोलते है, यह मेरा आक्षेप नहीं है, यह आप जानते हैं कि कुछ अच्छा बोलने का लाभ नहीं उठा सकते हैं। मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि उन्हीं विषयों पर और वही तर्क जब दूसरे सदस्य देते हैं तो आप उनको चुप कर देते हैं, यह मेरा आक्षेप नहीं है, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और कुछ ऐसे सदस्य हैं जो वही तर्क पुराना देते हैं जिनको आप अस्वीकार कर चुके होते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते हैं। मान्यवर, इस प्रकार से व्यवस्था रहेगा तो पूरी अव्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिये क्या व्यवस्था आपकी है, मैं यह जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं मान्यवर, केवल आपसे यह निवेदन ही करना चाहूंगा कि जो भी जोर-जबरदस्ती सदन में होती हो उसमें आप मेरे ऊपर कृपा करें ताकि सदन व्यवस्थित ढंग से चले।

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990 तथा उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त :—

(1) उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन योजना (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, तथा

(2) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ,

को सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 28 जून, 1990 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित सूचनायें 10 चयनित की गयीं। आप लोग बैठें, मैं नाम पढ़े दे रहा हूं। पहली है श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की, दूसरी है श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की, तीसरी श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री रणजीत सिंह व श्री भारत सिंह रावत की है, चौथी डा० दिनेश जौहरी, श्री राम सेवक सिंह व श्री शिव बहादुर सक्सेना की है, पांचवी श्री रणजीत सिंह जूदेव की है, छठी सूचना श्रीमती कमला साहनी की है, सातवें श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी) की है, आठवीं श्री श्याम देवराय चौधरी की है, नवीं श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की है, दसवीं श्री राज किशोर

सिंह व श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की हैं। उपरोक्त 10 सूचनाओं में से अन्तिम पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

अब क्या बात है ?

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैंने यह सूचना दी थी, वह व्यवस्था से सम्बन्धित है। सूचना यह थी कि मान्यवर एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हरिजन नेता।

श्री अध्यक्ष--

आपने इससे पहले बोल तो लिया था, अब क्या बात हो गयी।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं होगा तो आप नामंजूर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 की व्यवस्था पर बोलिये। आप तो घटना बोल रहे हैं।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

सन् 1937 में पहले आम चुनाव में हरिजन नेता पूर्णवासी जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में क्या बोल रहे हैं ?

श्री श्याम नारायन तिवारी--

पूर्णवासी जी जब जीवित थे, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और दलालों ने उनको सिर से नीचे तक जिन्दा गाड़ दिया गया था। उनकी कब्र है। कब्र खोदने का काम हो रहा है। हालात आगरा जैसे पैदा हो गयी हैं।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, यह पीठ पर आक्षेप है।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री श्याम नरायण तिवारी--

आपने उसका चयन भी नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को स्थगित करता हूं, नहीं तो माननीय सदस्य अपना शब्द वापस लें ।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मैं विधान सभा का सदस्य नहीं रहूंगा, आप मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, म नहीं रहूंगा । यह हरिजन विरोधी सरकार बैठी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 12 बजकर 57 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई) ।

पीठ की अवमानना के सम्बन्ध में दिये गये स्पष्टीकरण पर श्री अध्यक्ष के विचार

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूं और मेरे हृदय में उस पीठ की तथा आपके प्रति आदर है । इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । मान्यवर, इस विषय की गम्भीरता ऐसी थी मैंने आपके कक्ष में इसके लिए निवेदन भी किया था । मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि 1937 में श्री जिब्बन लाल सक्सेना थे । उनके साथ वह हरिजन नेता व विधायक थे । उस समय जमींदारों ने उनको जिन्दा सिर से नीचे तक गाड़ दिया था । उनकी कब्र को खोदकर वहां के सम्बन्धित एस0 डी0 एम0 ने उस जमीन को कुछ सशक्त लोगों को आवास के लिए एलाट कर दिया । मान्यवर, उसमें राजनीतिक दबाव भी था । इसीलिए मैं कह रहा था कि कहीं आप भी इस तरह के राजनीतिक दबाव में तो नही आ गये । वहां कतारबंदी हो रही है । आज वहां ऐसी स्थिति हो गयी है जैसी आगरा की है । मुझे मान्यवर, इसकी बहुत चिन्ता है । इसलिए मैंने यह कहा । मान्यवर मेरी मंशा इस पीठ की अवमानना करने की नहीं थी । उस पीठ का मैं पहले भी आदर करता था । पीठ का ही नहीं आपकी भी मैं व्यक्तिगत तरीके से इज्जत करता हूं । तबसे जब आप इस पीठ पर विराजमान नहीं थे । आज भी जब आप इस पीठ पर विराजमान हैं तो अच्छा लगता है खुशी होती है ।

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया था और फिर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से शुरू होकर यह हरिजन उत्पीड़न की ज्वाला गांव-गांव में फैल रही है । इस पर हमें चिन्ता है । इसीलिए हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं । इस विषय पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाय ताकि हम हरिजनों के प्रति अत्याचार के विरोध में अपना आक्रोश और अपने भाव व्यक्त कर सकें ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव--

आपके जमाने में भी बहुत ऐसे काण्ड हुए हैं ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

पूरे प्रदेश क्या देश में स्थिति ऐसी ही है । इसके पीछे भी राजनीतिक दबाव रहा है । हरिजनों के उत्पीड़न को नहीं समझ पायेंगे तो मैं विरोध करूंगा । हमें इसमें अपने अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है । इसीलिए मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप इस पर चर्चा करायें और चर्चा के लिये समय निश्चित करें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

इन्होंने उस पीठ का पूरी तरह से अनादर किया है । इसलिए इन माननीय सदस्य को सदन से बाहर करना चाहिए और उसके नियम भी हैं । हमको मौका दिया जाय ।

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री श्याम नारायण तिवारी जी ने अपनी भावनाओं को अभी आपके सामने व्यक्त किया । उनकी कत्तई मंशा नहीं थी कि इस पीठ का अपमान किया जाय व अनादर किया जाय तथा इस पर आरोप लगाये जांय । माननीय सदस्य ने जिस विषय को यहां प्रस्तुत किया है, उसकी गम्भीरता से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी अवगत हो गये होंगे । इस चीज पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए । हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, उनका बड़ा योगदान रहा है । उनके बल पर ही आज हम यहां पर वाद-विवाद कर रहे हैं, विचार-विनिमय की श्रृंखला में ही वे ही स्वतंत्रता सेनानी की देन हैं । आज वे स्वर्गीय हो गये हैं । इस सरकार की भी मन्शा है कि वह स्वतंत्रता सेनानियों को आदर दे । ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई इस प्रकार की घटना होती है, आज जाति, धर्म व बिरादरी के नाम पर समाज को बांट दिया गया है, उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं, हम सारे लोग जिम्मेदार हैं, हम सभी को इसे बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए । इन सारी खामियों के पोषक हम ही लोग हैं । आज ऐसी घटनाओं पर माननीय सदस्य उद्वेलित हो रहे हैं। माननीय श्री तिवारी जी ने एक ऐसी ही नोटिस दी, जो आपकी नियमों की श्रंखला में नहीं आ पायी । यदि माननीय सदस्य के किसी शब्द से कहीं आपको ठेस लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं । मैं इस दल के नेता होने के कारण हमेशा इस पीठ का आदर, सम्मान करता हूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

माननीय अध्यक्ष जी, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चले । जब यह पहले तय हो गया कि नियम 56 में 5 सूचनायें लाटरी के जरिये निकाली जाती हैं तो फिर यदि कोई कितनी ही गम्भीर सूचना ही क्यों न हो तो उसकी प्रतीक्षा माननीय सदस्य को करनी चाहिए और अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहिए कि वह इसे कल ले लें । अनावश्यक रूप से सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करके और माननीय अध्यक्ष की पीठ पर आक्षेप लगाकर किसी बात को यहां पर उठाना सदन की मर्यादा के विपरीत है । माननीय श्री तिवारी जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है मैं तो माननीय उप नेता, विरोधी दल से कहूंगा कि वह अपने माननीय सदस्यों को इस संबंध में जानकारी दें और उन्हें कुछ प्रशिक्षित भी करें । जहां तक माननीय सदस्य की सूचना का सवाल है, मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल को एवं माननीय श्री तिवारी जी को आश्वस्त करता हूं कि हरिजनों के लिए विशेषरूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति इस सरकार के मन में पूरी तरह से आदर है और

समान है । इस घटना को हम विवश लेंगे और जो नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है, वह की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि एक दिन मैंने इसके पूर्व भी अपने विचार व्यक्त किए थे कि ऐसा नहीं है कि यहां कोई एक जिला है और अध्यक्ष उसका एस० पी० या कलेक्टर है । यह एक सेमी पंचायत है । आप ही लोग अपने में से इस पंचायत का एक मुखिया चुन लेते हैं और यह कह देते हैं कि ये पंचायत नियम हैं, इन नियमों के अन्तर्गत सदन चलाइये । उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके ऊपर है । जिस मुखिया को आपने चुना और उस मुखिया के किसी निर्णय से सहमत न होकर आवेश में आप कोई बात कहेंगे तो वह पंचायत चल नहीं सकेगी और इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा । मैं एक बात बता दूं कि बंगाल विधान सभा की गोल्डन जुबली हुई, उसमें मैं भी गया था वहां पर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, एक विषय था के सबसे उस पर बोलने के लिए कहा गया । यह इत्तफाक था कि उस दिन सोवियत यूनियन का एक समाचार आया था कि व्यक्तिगत स्वामित्व की नीति सम्बन्धी परिवर्तन को सोवियत यूनियन ने स्वीकार कर लिया है ।

जहां-जहां साम्यवाद था और जहां इसका परीक्षण वर्षों हुआ वहां परीक्षण करने के बाद भारतवर्ष में जो व्यवस्था है, उसे वे देश अब अंगीकार कर रहे हैं इसकी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां जो सदन हैं और जो सदन में कार्यवाही होती है, हमारे ऊपर भी उत्तरदायित्व है कि हम इस तरह से चलायें कि इन सदनों को इस तरह से चलाएं कि आम जनता का इस व्यवस्था पर विश्वास बचा रहे जो व्यवस्था चल रही है, जो प्रतिनिधि हमारे सदन में चुनकर जाते हैं, वे नियमों के अनुसार कार्य कर रहें हैं तथा हमारा सही प्रतिनिधित्व करते हैं । अगर कोई इस व्यवस्था में भी त्रुटि है तो समय-समय पर सुझाव दे सकते हैं लेकिन जो नियम बन जांय उसका पालन करने का कर्तव्य प्रत्येक सदस्य का है । भाई श्याम नारायण जी से, जैसा उन्होंने कहा, हमारे बहुत पुराने और मधुर सम्बन्ध रहे हैं । मैं विश्वास भी नहीं कर सकता हूं कि हमारे प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना होगी । यह बात उनके मन में आ जाने से कष्ट हुआ कि हम सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर उनकी सूचना को नहीं ले रहे हैं । मैं मानता हूं कि उनकी सूचना उनके अपने लिए, प्रदेश के लिए और समाज के लिए महत्वपूर्ण थी और उसके न आ पाने से उन्हें कष्ट हुआ होगा, फिर भी जो भी निर्णय इस पीठ से हों, उन्हें अंगीकार करना चाहिए और नियमों के अन्तर्गत ही अपनी बात उठानी चाहिए । मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और पूरे सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी शब्द आपके मुख से निकल गए हैं, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर मामला सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश सीमा के अपने जिलों में जगह-जगह बैरियर लगाकर अतिक्रमण करके अवैधानिक कब्जा करके उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करके वसूली कर रही है । उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा, नरैनी और कालिंजर में, जिसमें से कालिंजर एक ऐतिहासिक दुर्ग है, जहां दूर-दूर से लोग उसको देखने आते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं, नरैनी और कालिंजर के मध्य बैरियर लगाकर मध्य प्रदेश शासन ने अतिक्रमण करके अवैध वसूली शुरू कर दी है। कालिंजर, नरैनी और बांदा के आने-जाने वाले किसान जो बैलगाड़ी लेकर आते जाते हैं, घण्टों उन्हें रोककर वसूली की जाती है और उनको अपमानित किया जाता है। इसी तरह से बसों में जो आने वाले यात्री हैं, उनसे भी वसूली की जाती है। इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। वहां के कर्मचारियों को, किसानों को तथा बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को बराबर अपमानित किया जा रहा है। बस को घण्टों रोक कर उनका समय बरबाद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो बैरियर लगा हुआ है उसको हटाने के लिए बांदा निवासियों ने आन्दोलन किया और कई बार मांग की और मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करने के लिए कहा कि बैरियर को हटाया जाय लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसके कारण बांदा के निवासियों में और वहां पर बाहर से आने वाले लोगों में कालिंजर और नरैनी के यात्रियों में गिरावट आई है। इस तरह से बैरियर न हटाये जाने के कारण लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि आक्रोश के कारण कभी भी वहां की स्थिति विस्फोटक हो जाय और वहां की शान्ति-व्यवस्था भंग होने का खतरा पैदा हो जाय।

इसलिए मेरा निवेदन है कि आज आप सदन का काम रोक करके इस महत्वपूर्ण, लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सुरेन्द्र पाल वर्मा जी ने सूचना सदन में दी है, इस सम्बन्ध में आज ही मैंने मध्य प्रदेश सरकार के बैरियर के बारे में पता लगाया है। वहां बैरियर को लेकर वसूली के मामले की स्थिति ठीक है, मैंने बांदा जिले से जानकारी प्राप्त की है। वहां कोई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में हम पूरी सूचना प्राप्त कर रहे हैं, अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो उसे हम देख लेंगे और कार्यवाही भी करेंगे।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

नरैनी और कालिंजर के बीच जो बैरियर लगा है मैं उसके बारे में कह रहा हूं। आपकी सूचना असत्य है। मेरा अनुरोध है माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझको फिर से सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं क्यों सुन लूं आपको ? आप अभी बोल चुके हैं।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे देश में डा0 भीमराव अम्बेदकर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। मान्यवर, यह सरकार भी और हमारे देश के प्रधान मंत्री भी जगह-जगह प्रतिमा लगा रहे हैं। इस सरकार का प्रतिमाओं को लगाने का उद्देश्य यही लगता है कि इसके जरिये से हरिजनों के वोट बटोरने की उसकी मंशा है, क्योंकि कांग्रेस संस्कृति ऐसी नहीं थी कि प्रतिमाओं के जरिये वोट बटोरा जाय। एक तरफ तो यह सरकार प्रतिमा लगा रही है और हरिजन समर्थक होने का दावा करती है तो दूसरी तरफ हरिजन विरोधी विचारधारा रखती है और मूर्ति को तोड़ने का सिलसिला

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जारी किए हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि इस सरकार की मन्शा बाबा भीमराव अम्बेदकर के प्रति क्या है, क्या भावना है इसका निवारण नहीं हो रहा है। एक तरफ तो सरकार को हरिजनों की चिन्ता है और दूसरी तरफ उनकी विचारधारा के लोगों की मूर्ति लगा कर उसको तोड़ा जा रहा है, इस बात से पता चल रहा है कि इस सरकार में हरिजनों को संरक्षण नहीं मिल रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस तरह की जितनी प्रतिमायें लगाई जा रही हैं, प्रतिमा लगाने के बाद उन प्रतिमाओं को तोड़ने का काम कौन लोग कर रहे हैं, उनका पता लगा कर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, यह देखें। इससे देश और प्रदेश के पूरे हरिजनों में असन्तोष व्याप्त है। डा0 भीमराव अम्बेदकर साहेब को मानने वालों के मन में भारी आक्रोश व्याप्त है इस आक्रोश पर यदि रोक न लगाई गई तो इस असन्तोष के कारण हरिजन मारे जाते रहेंगे और इससे भारी असन्तोष पैदा हो जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी जी ने जो सूचना दी है उसमें उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है कि हमारी सरकार बाबा भीमराव अम्बेदकर के सम्मान के अन्तर्गत ही कार्य कर रही है, उनको विश्वास होना चाहिए जब उन्होंने स्वयं ही यह स्वीकार किया है तो इस सरकार के कार्यकाल में बाबा साहेब का सम्मान ही किया जायेगा। जिन लोगों ने फैजाबाद में इस तरह की घटना की है उसे हम दिखवा लेंगे। जनता दल के समर्थक तो ऐसा करेंगे नहीं, अन्य किसी दल के समर्थकों का यह काम लगता है, बाबा साहेब के प्रति इस सरकार का सम्मान है। विद्यार्थी जी की जो चिन्ता है, वह इस सरकार के प्रति निरर्थक है। फिर भी हम इसको दिखवा लेंगे और जो आवश्यक कार्यवाही होगी, उसको किया जायेगा।

[1 बजकर 30 मिनट]

*श्री कुंवर सिन्ह गौ--

मान्यवर, टेहरी बांध का कार्य चल रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में जो गांव आ गए हैं, उनको पुनर्वासित करने के लिए कोई योजना नहीं बनी है। वहां के लोगों को पुनर्वासित नहीं किया गया है। 95 गांव और टेहरी नगर उसके क्षेत्र में आ गए हैं। 9 हजार 8 सौ परिवार हैं, उनको दूसरी जगह पर पुनर्वासित किया जाना है, लेकिन अभी तक एक हजार 924 परिवार ही पुनर्वासित किए गए हैं। यह कार्य 20 वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था, लेकिन अभी तक 8 हजार परिवारों को पुनर्वासित नहीं किया जा सका है। वहां के लोग दुविधा की स्थिति में हैं और अधर में लटके हुये हैं। इसके साथ ही साथ डूब क्षेत्र में सारे विकास के कार्य रुक गए हैं, न वहां पर कोई सड़क बनायी जा रही है, न पानी की कोई व्यवस्था की जा रही है कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों को पुनर्वासित किया गया है, उनको देहरादून में, राजवाला में और हरिद्वार के क्षेत्र में किया गया है। देहरादून में जहां पर उनको पुनर्वासित किया गया है, वह जमीन वन विभाग की है और सिंचाई विभाग को लीज पर दी गई है और इस प्रकार से उन लोगों को भूमि के हक अभी तक नहीं मिल पाये हैं। वहां पर पेय जल की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। जब टेहरी डैम के बनाने की योजना तैयार की गई थी, तो इस चीज की व्यवस्था की गई थी प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी। आज तक किसी को नौकरी नहीं दी गई है। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं और डिप्लोमा होल्डर

नोटः--*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हैं, लेकिन सरकार ने उनको कोई नौकरी नहीं दी है। इसलिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

*श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, टेहरी डैम देश और प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना के पूरी होने पर 2400 मेगावाट बिजली मिलेगी औरसाढ़े 17 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और जो भयंकर बाढ़ आती है, वह भी रुकेगी और जो प्रदेश का औद्योगिकीकरण है, वह भी बढ़ेगा और प्रदेश का विकास होगा, लेकिन इस योजना से जो लोग विस्थापित हो गये हैं, उनके लिये पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गयी है। वहां के लिये न तो पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि सदन के सारे कार्य को रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

टेहरी बांध के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि टेहरी डैम परियोजना से सम्बन्धित सभी कार्य टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को दिनांक 1 जून, 1989 से हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। यह भारत सरकार का उपक्रम है जो इस प्रकार से कार्यों को देखता है। वर्तमान में ग्रामीण विस्थापित परिवारों को जनपद देहरादून व सहारनपुर में वन भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि व सीलिंग भूमि देकर पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान समय में 26 ग्रामों के अधिग्रहण व पुनर्वास की कार्यवाही की जा रही है, भानियावाला पुनर्वासित क्षेत्र में जमीन पथरीली है और किसी योग्य नहीं है तथा सिंचाई सुविधा अभी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, इस सम्बन्ध में विभाग में जो सूचना उपलब्ध है वह इस प्रकार है। यह पुनर्वास स्थल जनपद देहरादून में ऋषिकेश–देहरादून मार्ग पर स्थित है। इस पुनर्वास स्थल पर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 1586,54 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। इस पुनर्वास स्थल पर अब तक 4 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर हाई स्कूल, 2 पंचायत घर, 3 मन्दिर, 1 औषधालय, 1 बीज भंडार, 1 पशु चिकित्सालय, 1 पोस्ट आफिस, 2 विक्रय केन्द्र, 1 बस स्टोप, 1 सामुदायिक भवन तथा 6 ट्यूबवेल निर्मित किये जा चुके हैं।

जहां तक सरकार की तरफ से वहां विस्थापित लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में लेने का सवाल है, उसके प्रयास किये जा रहे हैं और कुछ लोगों को लिया भी गया है। जो कुछ सम्भव प्रयास सरकार कर सकती है, वह कर रही है।

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मेरा जो कामरोको प्रस्ताव है वह यह है कि प्रदेश में व्यापक रूप से आग्नेय अस्त्रों के अवैध निर्माण एवं उनकी बिक्री के सम्बन्ध में है। पूरे प्रदेश में अवैध अस्त्र बनाये जा रहे हैं और खुली बिक्री प्रदेश में हो रही है। रामपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद नगरों में अस्त्र बनाने का काम कुटीर उद्योग की तरह हो रहा है। जनता को वैध हथियार नहीं मिल रहे हैं। अकेले बरेली जनपद में 5 हजार अवैध हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। बरेली में इस समय 16 सौ मुकदमे अवैध हथियारों के चालान चल रहे हैं। बरेली के थाना भसोरा की पुलिस ने अवैध अस्त्रों की फैक्ट्री पर छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और अवैध अस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किये हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विगत कुछ दिनों में थाना नवाबगंज, जनपद बरेली की पुलिस ने ग्राम चमन नगरियों में छापा मारकर एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जहां से आधा दर्जन तमंचे, एक दर्जन नाल, बट, स्प्रिंग आदि सामान बरामद किया। इस तरह की फैक्टरियां केवल बरेली में ही नहीं हैं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रही हैं। उन्हें पुलिस का संरक्षण भी प्राप्त है। पुलिस वालों को मालूम है कि इन हथियारों का अवैध निर्माण हो रहा है फिर भी उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है। छोटे-छोटे दादाओं से लेकर बड़े-बड़े लोगों को रिवाल्वर बन्दूकें दी जा रही हैं। रिवाल्वर और 300 रुपये से 500 रुपये तथा डेढ़ हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक अच्छी से अच्छी बन्दूक या रायफल मिल सकती है। माननीय भोला पाण्डेय जी बतायेंगे कि बम कितने में मिल सकता है। इस तरह से मान्यवर, पूरे प्रदेश में समस्या गम्भीर हो गई है। मैं चाहता हूं कि सदन की आज की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, सरकारी वकील को भी सुन लें। माननीय दिनेश जौहरी ने जो सूचना दी है उनमें उन्होंने खास तौर से यह आरोप लगाया है कि पुलिस ऐसे लोगों के साथ मिली हुई है। मैं इस सूचना को गलत मानता हूं। पहले मिली होगी। डाक्टर जौहरी जानते हैं और सारा सदन जानता है कि इस प्रदेश में काफी दिनों से अवैध अस्त्रों का निर्माण हो रहा है और इनका प्रचलन है। लेकिन हमारे कार्यकाल में ऐसी कोई बात नहीं है। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार सक्रियता से काम कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, विगत 6 माह में 1 दिसम्बर, 1989 से 31 मई, 1990 की अवधि में इस क्षेत्र में उपलब्धियां पहले से बेहतर रही हैं। इस अवधि में देशी रायफल 110, देशी बन्दूक 850, देशी पिस्तौल 7392 और देशी रिवाल्वर 139 बरामद हुई हैं। इस तरह से इस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। जो पहले से ईमानदारी और प्रभावी रूप से कार्यवाही कर रहे हैं और अब वह सक्षम हो गई है। अवैध अस्त्र पहले से बन रहे हैं अब उनमें कमी आ रही है। उनके मात्र बरेली को विशेष रूप से दिखा लेंगे इस तरह से अवैध अस्त्र न बने और मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि आप पुलिस को सहयोग करें और अगर कहीं पर निर्माण हो रहा है तो पुलिस तत्परता से कार्यवाही करेगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। पहले यह ही जाने दीजिये। (श्री रणजीत सिंह जूदेव को पुकारने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, मैंने भी दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं श्री इम्तियाज खां साहब की सूचना पर 56 में विचार किया जा रहा है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

मान्यवर, पारले ड्रिंक कम्पनी जो ठंडे पेय बनाती है जैसे लिमका, थम्सअप, गोल्ड स्पाट, माजा जिसमें बिजिटेबल आयल का प्रयोग होता है उसमें बोविओ की मात्रा ज्यादा पाई जाती है जिसमें अनेक बीमारियां होती हैं खासकर कैंसर की बीमारी पीने वालों को हो जाती है। आपसे निवेदन करूंगा। इस पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगाने के आदेश कर दिये हैं। यहां अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि यह कम्पनी अपने धन के असर से इन पेय पदार्थों को बेच रही है इसलिये इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बड़ी-बड़ी कम्पनियों से सांठगांठ न करें और इस पर जल्दी रोक लगाई जाय जिससे जनसाधार के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। यह प्रदेश में ठंडे पेय न बेचें इसलिये इस पर रोक लगायें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप सुन रहे हैं।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)---

म सुन रहा हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री राम शरण)---

मान्यवर, एक मिनट में कह दूं, एक विवाद बढ़ गया है। इस तरह से बात कहना उचित नहीं है (व्यवधान) उधर एक से एक बैठे हुए हैं अगर मैं उनके पर्चे खोल दूं तो छठी का दूध नजर आयेगा। इस तरह से बोलते रहते हैं। यह सारे के सारे इस तरह के लोग बैठे हैं (व्यवधान) यह क्या हैं मैं जानता हूं।

(व्यवधान)

*श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, किसी मंत्री को इस तरह से आरोप लगाना उचित नहीं आप जरा संरक्षण दें (व्यवधान) मंत्री जी का दिमांग खराब तो नहीं हो गया है इसका टेस्ट करायें जो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो उचित नहीं है। उनको स्वास्थ्य मंत्री जी टेस्ट कराइये। कैसे-कैसे जनता दल के नोकर हैं।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम शरण---

एक से एक बैठे हुए हैं, [×××] यह।

श्री भोला पाण्डे--

क्या बोलेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट:---[×××]यह अंश को अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मैं भी एक-एक को बता दूंगा ।

(शोर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

संसदीय कार्य मंत्री जी, आरोप जो लगाया गया है उसको आप निकलवा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने इधर या उधर, दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी हैं । आप लोग शांत रहें ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

दाढ़ी आपके हैं हमारे तो हैं ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब कोई भी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी ।

(व्यवधान)

आप लोग मेरी बात सुनें । इधर या उधर से क्या कहा गया मैंने सुना ही नहीं है ? उप नेता आप कहें ।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना

मान्यवर, आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री और जो भी मंत्रि-मंडल के सम्मानित मंत्री बैठे हैं उनसे मैं बड़े नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजस्व और गन्ना मंत्री जी किस बात पर, किस प्रकरण पर आवेश में आकर कहा कि मैं एक-एक को देख लूंगा, यह मर्यादा के खिलाफ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कुछ सूचनायें ग्राह्यता पर पढ़ी गयीं, शासन की तरफ से मंत्री को अधिकार है कि खड़े होकर उत्तर दें । उत्तर देने में मैं और रिपोर्टर भी नहीं सुन पाये होंगे चूंकि 50 सदस्य एक साथ बोलने लगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री की ओर आपने इशारा किया था आपने उनका नाम लिया था। लेकिन गन्ना मंत्री को इतने भावावेश में होना ठीक नहीं है, ऐसा क्या आक्रोश था, मैं समझता हूं कि कार्यवाही में नहीं आया होगा कि कहने लगे कि एक-एक को देख लूंगा, यह मर्यादा के खिलाफ है, यह आचरण मंत्री का नहीं होना चाहिए और जनतंत्र में विरोध पक्ष की भावनाओं को सुनना होता है।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर और खड़े होने पर)

श्री मुईद अहमद--

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से)

(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर इस तरह से यह सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मालूम पड़ता है कि तिवारी (श्री नारायण दत्त) के चले जाने के बाद कांग्रेस दल नेता विहीन हो गया है और उसी रूप में वह काम कर रहा है। वहां कोई किसी की नहीं सुन रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर पढ़वा दीजिए। उसमें गन्ना मंत्री जी ने बड़े ही गलत शब्द और अनाप-सनाप बातें कहीं हैं, बिना किसी मतलब के। उन्होंने हमारी पूरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

यह इसके लिए सदन से क्षमा मांगें।

श्री अध्यक्ष--

अब कुछ नहीं।

सदन संख्या--9।

(श्री ललित कुमार आदि बहुत से कांग्रेसी सदस्य वेल आफ दि हाउस में विरोध स्वरूप नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(फिर अपने आप ही यह उत्तेजित सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

आपने अपना विरोध अभी प्रदर्शित कर दिया और वह लिख गया। फिर अब आप किस लिए यह सब बोल रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लीजिए। माननीय उप नेता जी इतना मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे बड़े विपक्षी दल के आप उपनेता हैं। हमारे नेता विरोधी दल इस समय यहां नहीं हैं, इतना तो आप अपने दल के लोगों को बता दीजिए कि आप बोल चुके हैं तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री को भी तो सुनें। वह सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

आप लोग संसदीय कार्य मंत्री को बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसे भी आप सुन लीजिए कि...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिए, इस तरह नहीं। अब आप बैठिये। मैं नियमों से ही सदन चलाऊंगा। संसदीय कार्य मंत्री को समय दे चुका हूं, उसके बाद आप बोलें। जब आपका नाम लूं, तभी आप बोलें। इस पर कोई बहस नहीं होगी। व्यवस्था का प्रश्न तो आप इसके बाद भी उठा सकते हैं...

(व्यवधान)

मेरी समझ में नहीं आ रहा है माननीय सदस्यगण अपने नेताओं, मंत्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री जेनी प्रसाद वर्मा—

हम सब लोग सहमत हैं कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलनी चाहिए। कार्य-स्थगन, नियम 56 विपक्ष का एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसका उनको ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। नियमों के अन्तर्गत जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रह कर ही चलना चाहिए। जूदेव साहब ने अपनी बात को रखा, जन स्वास्थ्य की बात को रखा। मान्यवर, यह कहना कि सांठ-गांठ से काम हो रहा है, इस तरह का आरोप लगाने का अधिकार विपक्ष के सदस्य को नहीं है। अगर उन्होंने यह आरोप लगा दिया और हमारे किसी वरिष्ठ मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ कह दिया तो उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। यह नोक-झोंक तो होती रहती है। मान्यवर, यह नोक-झोंक, हंसी-मजाक, वाद-विवाद तो सदन की कार्यवाही का आभूषण है। इसे इतनी गम्भीरता से

नहीं लेना चाहिए । जन स्वास्थ्य के लिए भी जो कार्यवाही होगी, उसे सरकार करेगी ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा, मंत्री जी माफी मांगे ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहे । मैंने सिर्फ यह कहा कि इतनी बड़ी कम्पनी है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस कम्पनी से सांठ-गांठ न करें और इन पदार्थों पर रोक लगावें । माननीय मंत्री जी ने तैश में आकर सबको चोट पहुंचाई । जब तक माफी नहीं मानेंगे, हाउस नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

कार्यवाही देख लेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना है कि इस आदरणीय सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है, उतनी विपक्ष की भी है और सबसे ज्यादा उस पीठ की है, जिस पर आप बैठे हैं । हम देख रहे हैं कि यह आदरणीय सदन किस प्रकार अव्यवस्थित हो रहा है । उस पीठ से भी कुछ निर्देश, आदेश होते हैं जिसके कारण अव्यवस्था में योगदान हो रहा है । अभी एक प्रकरण हुआ, सत्ता पक्ष के जो हमारे वरिष्ठतम मंत्री हैं, उसके सम्मान के खिलाफ एक ऐसे आदमी ने उंगली उठाई कि यदि वह इस सदन के सदस्य न होते तो हम सही जवाब देते ।

(शोर)

मैं, यह कह रहा था कि एक प्रकरण था, उसको आपने समाप्त कर दिया । माननीय उपनेता, विरोधी दल ने अपनी बात कह दी, माननीय सदस्यों ने अपनी बात कह दी । माननीय श्रम मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए आपने कह दिया पुनः नेता विरोधी दल खड़े हुये, उनको आपने बोलने का मौका दिया । फिर संसदीय कार्य मंत्री को कहते हैं बोलने के लिये, तो यह परम्परा बिल्कुल उचित नहीं है मान्यवर, एक प्रकरण खत्म हो गया । आपने एक निर्णय ले लिया । माननीय उप नेता विरोधी दल ने अपनी बात कह दी । उसके बाद आपने श्रम मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करने के लिये कहा लेकिन फिर माननीय उप नेता विरोधी दल खड़े हो जाते हैं । मैं मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय उप नेता विरोधी दल का अपने पक्ष के लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है । अगर माननीय उप नेता विरोधी दल अपने पक्ष के लोगों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों को नियंत्रण करना पड़ेगा । मान्यवर, आप सदन को व्यवस्थित ढंग से चलायें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

श्रम मंत्री जी आप पढ़े ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चलेगा ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम शरण दास जी आप कृपया बैठ जायं । मैंने श्रम मंत्री जी को बुला लिया है । अगर आपको कोई बात कहनी है तो आपको समय दे दूंगा ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 70--श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 71--श्रम विभाग (सेवा योजना)

श्रम मंत्री (श्री मो0 आज़म खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,04,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,90,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, ऐसे सदन नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब ओझा जी आप बतायें कि क्या करें ।

(शोर)

(सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार, माननीय ईश्वर शरण विद्यार्थी, जयराज गौतम अन्य सदस्यों के साथ सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(श्री अध्यक्ष ने 2 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन ढाई बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

[2 बजकर 30 मिनट]

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के मध्य हुई नोक-झोंक के सम्बन्ध में गन्ना मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण

राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)--

मान्यवर, इस सदन के लिये....

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इनके बोलने के पहले एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें :

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, इस सदन के लिये और उधर विधान परिषद् के लिये मैं कोई नया नहीं हूं और जितने हमारे साथी उधर बैठे हैं, इनमें अधिकांश पुराने लोग हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपके भतीजे हैं ।

*श्री राम शरण दास--

कोई भतीजा है, कोई चचा भी होगा । मान्यवर, कोई दुर्भावना मेरे मन में नहीं मेरे अन्दर भी नहीं रही है । जो मेरे यहां जुबान में है वही मेरे दिल में रहता है । कोई मान्यवर, कांग्रेस दल का विधायक या किसी भी दल का कोई भी विधायक हो, जो भी मेरे दरवाजे पर गया एक भी कोई बता दे, मायूस होकर आया, मेरा रिकार्ड है, मैं 40 साल से पालिटिक्स में हूं और जितने भी हमारे उधर के साथी बैठे हैं चाहे जिस समय गये हों, एक बजे रात को भी गये तो मैंने उनका स्वागत किया, आज भी स्वागत करता हूं और करता रहूंगा । लेकिन थोड़ी पीड़ा हो जाती है मंत्री बना, बन तो गया

(व्यवधान)

मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है । हमारी बात से विधायक जो मंत्रिमंडल में नहीं रहे हैं, उनसे कुछ कहना नहीं है लेकिन उनसे जरूर कहना है जो मंत्रिमंडल में रह चुके हैं वह जानते हैं कि मंत्रियों की स्थिति क्या है ? मान्यवर, जूदेव बैठा है, हमारा वैसे तो भांजा है, रिश्तेदार है, हम तो उसके मामा लगते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, शकुनी मामा हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं जूदेव का मामा हूं मामा हूं, मामा हूं। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप मंत्री रहे हैं कम से कम आपको तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिये, जो नये विधायक हैं या पहले के पुराने भी हैं, वह लोग कहे उससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मंत्रिमंडल में रह चुके हैं वे ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि आप साठ-गांठ न करें मुझे इन पर थोड़ा रोष पैदा हो जाता है, मैं इतना कहना चाहता हूं। केवल जूदेव से, इन पर मेरा अधिकार है, मैं कहना चाहता था कि इनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। मैं जब खड़ा हुआ, मैं इतनी बात कह ही रहा था कि 5-7 विधायक बोलने लगे। किसने क्या कहा मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा और मैंने क्या कहा शायद इनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा होगा। मान्यवर, यहां माननीय राम औतार दीक्षित जी शायद हैं या नहीं, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में हैं, हम तो कमेटियों में इकट्ठे रहे हैं।

एक सदस्य—

तिवारी जी के बारे में क्या कहना है ?

श्री राम शरण दास—

तिवारी जी की बात बाद में करूंगा, हरिशंकर तिवारी जी की नहीं, यह जो पहली लाइन में तिवारी बैठे हैं, इनकी बात कर रहा हूं। प्रेस के लोग भी सामने प्रेस गलरी में बैठे हैं यह यहां अपनी आवाज से बोल नहीं सकते हैं लेकिन लिख तो सकते हैं। एक भी प्रेस वाले मेरे बारे में बता दें, मैं उनके बीच में भी रहता हूं। मेरी कोई भी दुर्भावना न किसी प्रेस वालों से है और न किसी विधायक से है, न है और न रहेगी इसका मुझे पूरा यकीन है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थप थपाहट)

मान्यवर, यह कहते हैं कि आपने चोर कहा, चोर-चोर नहीं कहा और न मैं कहना चाहता हूं, क्या जरूरत भी है कहने की ? आप तो सम्मानित विधायक हैं, सम्मानित विधायक हैं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

अध्यक्ष जी बात खत्म है, मुझे कोई शिकायत नहीं है।

श्री राम शरण दास—

अभी यह कहा गया कि आपके और कमला साहनी जी के सम्बन्ध विच्छेद हैं। जब तक आपका संसार चल रहा है, मेरे उनके सम्बन्ध तो कभी विच्छेद नहीं हो सकते हैं। मान्यवर, जाने अनजाने में भी किसी का अपमान करने की मेरे दिमाग में बात नहीं रही।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी एक गंभीर बात पैदा हो गयी, महाभारत सीरियल समाप्त हो रहा है और मेरे सदन में आपने मामा जी की उपाधि ले ली है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, वह माननीय रणजीत सिंह जूदेव के शकुनी मामा हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब प्रकरण समाप्त हो गया, आप लोग बैठें। अब माननीय श्रम मंत्री जी को बुला रहा हूं। अब बात समाप्त हो गयी आप लोग बैठें।

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मुझे श्रम विभाग का....

(व्यवधान)

श्री भोला नाथ--

अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहता हूं, यह बजट से ही सम्बन्धित मामला है, सुन लें माननीय मंत्री भी इस पर बता दें।

(श्री भोला नाथ एक अखबार दिखाने लगे)

श्री अध्यक्ष--

कल ले लेंगे। आप बैठें। यह परम्परा न डालें कि बार-बार उठायें और बार-बार बुलाया जाय। माननीय श्रम मंत्री जी बजट रख रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

क्यों मुंह खुलवाते हैं आप, मैं चाहता हूं कि मैं खामोश रहूं, लेकिन आप मजबूर करेंगे, आने जाने हर किसी को न समझें।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 70--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) अनुदान संख्या 71--श्रम विभाग (सेवायोजन) (क्रमागत)

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, श्रम और मुस्लिम वक्फ का बजट पेश करते हुए।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 9 को फिर से पढ़ दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा धनराशि स्वीकृत के अतिरिक्त 34,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70--श्रम विभाग

(श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,04,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,90,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पीठासीन हुए)

मान्यवर, मुझे श्रम विभाग सेवायोजन और मुस्लिम वक्फ का बजट पेश करते हुए बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है और वह इसलिए नहीं कि मैं एक मंत्री की हैसियत से बजट पेश कर रहा हूं, बल्कि इस वजह से भी कि पूर्व में मैं जब विरोधी दल के सदस्य के नाते जब बैठता था, तब भी मैं श्रमिकों के मामले में दिलचस्पी लेता रहा हूं, जिस तरह से मंत्री बनने के बाद मैं महसूस करता हूं । मुझे यह भी आज कहना है कि पिछले सियासी जमाने में या पिछली सरकार में जो श्रमिकों की उपेक्षायें हुयी हैं, उसे हमारी सरकार या खुद मैं किस हद तक रोक सकेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा विभाग अभी तक एक उपेक्षित विभाग था, ऐसा विभाग जिसे कागजों पर तो देखा जा सकता था, लेकिन क्या उपलब्धियां थी, समाज को इससे कितना फायदा था, श्रमिक वर्ग को कितना फायदा था, मजदूरी दवा के नाम पर कितनी दवा मिलती थी, आई० टी० आई० में कितनी पढ़ाई होती थी, कैसे दाखिले होते थे कितनी बेईमानी से काम होता था, इसका पता नहीं था । इन छः महीनों में यह विभाग उन जिम्मेदारियों को उतना ही निभा सका, जितना निभाना चाहिए था । अभी तक श्रमिक उन्हें माना जाता था, जो कारखानों में काम करते थे, मैं इन्हें तो श्रमिकों की परिभाषा में रखता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि 90 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्हें हम मजदूर की परिभाषा में रख सकते हैं, जो कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, यह सभी श्रमिकों की परिभाषा में आते हैं ।

मेरा मानना तो यहां तक है कि जो भी मेहनत करते हैं, उन सभी को श्रमिक की परिभाषा में रखना होगा । हमने सत्ता में आने के बाद यह कोशिश की है कि श्रमिकों के दिल में भी यह अहसास हो कि यह विभाग मजदूरों की भलाई के लिए, जो उनके दिलाने के हकूक हैं, उनके लिए है यह विश्वास दिलाया जाय । अभी तक श्रमिकों का मानना था कि जितने भी समझौते किये जायेंगे, वह उनके कल्याण के लिए नहीं होंगे, वह उनकी भलाई के लिए नहीं होंगे, बल्कि पूंजीपतियों के फायदे के लिए होंगे और यह फैसले कहीं और कर लिए जायेंगे और उन्हें किसी कमरे में बैठ कर लिख दिया जायगा । मैंने उन्हें यह अहसास दिलाने की कोशिश की है कि श्रम विभाग श्रमिकों का विभाग है और मेरे विभाग की जिम्मेदारी है, मेरा यह नैतिक दायित्व है, मेरा धर्म है, मेरे विभाग का धर्म है, मेरे अधिकारियों और कर्मचारियों का धर्म है कि वह श्रमिकों के हित में काम करेगा और मजदूरों को यह अहसास दिलाने में मेरे विभाग ने यह कामयाबी हासिल की है । मिसाल के तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि 6 महीने हो गये हैं मुझे श्रम मन्त्री बने हुये । जहां कहीं भी मैंने यात्रा की कहीं ऐसा नहीं हुआ कि काले झन्डे दिखाये गये हों या मुर्दाबाद के नारे लगाये गये हों । इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह श्रम विभाग जिस नाम के पहले बदनामी शुरू होती है और नाम के बाद बदनामी शुरू होती है । इस विभाग ने अपना एक चरित्र बना लिया है । किसी भी पार्टी

के सदस्य हों, विपक्ष के या भारतीय जनता पार्टी के। जो भी सम्मेलन इस विभाग ने किया है आपने देखा होगा कि हमने श्रमिकों के फायदे के ही किये हैं। मान्यवर, सिर्फ इतना ही नहीं है श्रम मन्त्री के नाते या मेरा विभाग सिर्फ हड़तालों को प्रोत्साहन देता हो या मेरा विभाग हड़ताल करने वालों को शाबासी देता रहा हो। हम तो मालिक और मजदूरों के बीच अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिलें बन्द न हों। मिल मालिकों की तरफ से मजदूरों पर दबाव न डाला जाय। इन 6 महीनों में किसी भी मिल मालिक न अपनी मनमानी करनी चाही तो हमने उसकी मनमानी नहीं होने दी है।

मैं मिसाल के तौर पर सेन्चुरी पेपर मिल की बात बताता हूं। वहां पर मजदूर ने हड़ताल कर दी। वहां पर हमने त्रिपक्षीय वार्ता के लिये मैनेजमेन्ट को बुलाया, श्रमिक नेताओं को भी बुलाया। जब हम कुछ हद तक समझौता कराने पर आये तो किन्हीं वजहों से वार्ता नाकाम हो गयी। सेवायोजक, श्रमिक नेता बुलाये और फिर उसी दिन हमने अगली तारीख रखी। मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी उससे दो दिन पहले मिल बन्द कर दी गयी। यह हमारे लिये हमारे विभाग के लिये एक अफसोस की बात थी। इस फैसले का मकसद था कि इससे हमारे श्रमिकों को नुकसान होता। चुनांचे उसी वक्त उनकी हड़ताल गैर कानूनी डिक्लेयर कर दी गयी। इस हड़ताल के गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाने का श्रमिकों को यह लाभ हुआ।

डाक्टर दिनेश जोहरी—

मान्यवर, हड़ताल को नहीं ताला बन्दी को गैर कानूनी माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां—

तालाबन्दी को गैर कानूनी मान लिया गया। इसका श्रमिकों को यह फायदा हुआ कि मिल बन्द होने के बावजूद उन्हें उजरत मिली। सेवा योजकों की मंशा यह थी कि मजदूरों को उजरत न दी जाय। मजदूर काम करना चाहते थे लेकिन ताला बन्दी के कारण नहीं कर पाये। जब हमने यह फैसला लिया कि आपकी ताला बन्दी गलत है। इससे श्रमिकों को फायदा हुआ। मान्यवर, हमारे विभाग की एक बड़ी जिम्मेवारी यह भी है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाय। कितनी गरीबी है प्रदेश में। इसको मानकर हम चलते हैं। यहां गरीब मजदूर काम करने के बाद भी दो वक्त की भरपेट रोटी नहीं पाते हैं। कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों को अपने पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता।

ईंटे के भट्टे पर काम करने वाले अपने मकान बनाने के लिये कच्ची ईंट नहीं पा सकते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि समाज का यह जो दबा हुआ वर्ग है जो कानून ने रियायत दे रखी है जो हमारी स्कीम है उसमें यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है। यह मान्यवर, इसलिये पूरी तरह से लागू नहीं हो सका कि जब मुखिया की नीयत अच्छी नहीं होगी तो चाहे मेरा विभाग हो या दूसरा विभाग हो पूरा समाज कैसे ठीक चल सकता है? मुखिया की नीयत ठीक हो तो हर चीज का पालन होगा। कानून और व्यवस्था की सरकार मानी जायेगी। हमने सुनिश्चित किया कि हम किसी भी कारखाने में, किसी भी विभाग में, किसी भी स्तर पर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न मिले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि कानपुर में टेनरी मिल में काम करने वालों को 300-350 करीब उजरत मिलती थी। यह वह जगह है जिधर की सड़कों से आप गुजरें तो आप नाक मुंह बन्द करके जाते हैं

क्योंकि उधर से बहुत गन्दी बदबू आती है। यहां पर काम करने वाले अधिकतर टी0 बी0 और कैंसर से पीड़ित होते हैं।

यह मजदूर अच्छी उजरत नहीं पाते थे कि एक वक्त भी भरपेट रोटी खा सकें। हमने उनके मालिक को बुलाया और उनसे इस विषय में वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमें तीन दिन का समय दीजिये। हमने कहा तीन दिन क्या तीन मिनट का भी समय नहीं देंगे। मान्यवर, उसी रात समझौता हुआ और मजदूरों की उजरत बढ़ा दी गयी। इस तरह से मान्यवर, क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं। टैनरी के अलावा जो हमारे इलेक्ट्रनिक उद्योग में काम करने वाले श्रमिक बन्धु हैं, जैसे टेलिविजन, ट्रांजिस्टर, टेप-रिकार्डर तथा दूसरे जो कम्पोनेन्ट होते हैं, उनके वेजेज बहुत कम थे। बहुत लम्बे से उनकी यह मांग चली आ रही थी कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाय। लगभग एक माह का समय हो गया है, हमने इन सारे श्रमिकों का वेतन 55 रुपये प्रति माह के हिसाब से इन्टरिम रिलीफ के रूप में बढ़ा दिया है। 11 सदस्यों की एक समिति बना दी गयी है। 5 उसमें श्रमिक बन्धु के सदस्य हैं, 5 सेवायोजक हैं, एक लेबर सेक्रेटरी हैं, कमीश्नर हैं तथा एक अधिकारी और हैं। उनकी जब रिपोर्ट आ जायेगी तो उसके हिसाब से उनकी तनख्वाहें और बढ़ जायेंगी।

तम्बाकू का काम करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेजेज नहीं दिये जाते थे, उनका भी मिनिमम वेज फिक्स कर दिया गया है। कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न के जवाब में मैंने कहा था कि 26 हमारे ऐसे काम करने वाले मजदूर बन्धु हैं, जिनके वेजेज का रिनूवल नहीं हुआ था, उसमें से 20 का हमने कर दिया है। ईंट के भट्टों पर काम करने वाले, मिठाई की दुकानों पर काम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई थे, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था, उनके वेजेज को भी बढ़ा दिया गया है। जहां ठेकेदारी पर काम होता था। जैसे इंजीनियरिंग और टैक्सटाइल में ठेकेदारी की प्रथा थी, मुस्तकिल तौर से यह मांग चली आ रही थी कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाय। जितने हमारे प्रदेश में गरीब हैं, संसाधन सीमित हैं, हमारे श्रमिकों को मिलने वाला पैसा भी बहुत सीमित है। उस सीमित वेतन में अगर कोई सेवायोजक यह चाहे कि ठेकेदारी प्रथा के द्वारा उनका शोषण ज्यादा किया जाये तो इसे यह सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती है। इसलिये हमने इंजीनियरिंग और टैक्सटाइल में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। दूसरे भी जो कारखाने हैं, जैसे डिस्टेलरी आदि, मैं उनका जिक्र करना यहां पर मुनासिब नहीं समझता हूं, उनमें भी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय हम ले चुके हैं।

मान्यवर, हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बच्चे काम करते हैं उनके बारे में कानून तो यह है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर हम काम का वह बोझ नहीं डालेंगे जो हम उससे बड़ों पर डालते हैं। परन्तु आज हमारे सामने में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजिक प्रश्न है. मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि वह बच्चा जो अपने घर से काम करने के लिये निकलता है, जिसके घर में उसका बूढ़ा बाप है। बूढ़ी मां है, और दूसरा उसका कोई सहारा नहीं है, उसके बहिनों की शादी नहीं हुयी है, यदि वह काम नहीं करेगा तो उसके घर का चूल्हा नहीं जल सकता है। यह कह कर मेरा सभाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता है। यह सदन जिम्मेदार लोगों का सदन है। मैं यह एक सवाल रखना चाहता हूं पूरे समाज के समने कि आखिर इस समस्या का निराकरण क्या होगा।

माननीय सदस्यों की तरफ से सुझाव आयेंगे कि इन बच्चों के बारे में क्या फैसला लिया जाय। मैंने खुद फैक्ट्रियों में छापे मारे हैं। मैं जितनी मेहनत कर सकता हूं, जितनी कोशिश कर सकता हूं, कर रहा हूं। हमारे विभाग के ईमानदार अधिकारी भी उसी तरह से मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर मुखिया की नीयत ठीक है तो उसके अधिकारी/कर्मचारियों की नीयत भी अच्छी होती है, पहले भले ही उनकी नीयत अच्छी न रही हो परन्तु आज उन्हें अच्छी नीयत के काम करना होगा। खुरजा के अन्दर फैक्ट्री पर मैं अपने विभाग के जिम्मेदारों को इसलिये लेकर नहीं गया कि हो सकता है कि उनको सूचना मिल जाती। वहां पर मैंने 6 साल के एक बच्चे को काम करते हुए देखा है। जाहिर है कोई भी दर्दमन्द इन्सान इसे नहीं देख सकता। पहले मैंने उस बच्चे को प्यार किया, फिर हालात जानने चाहे। पुलिस में रिपोर्ट भी करायी। मैं सदन में आश्वासन देता हूं कि 15 दिन के लिये पूरे प्रदेश में अभियान चलाऊंगा कि कहीं भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम न करें। साथ ही जिन हालातों में उन्हें काम करना पड़ता है, उन हालातों को बदलने के लिये आपके सुझाव भी चाहूंगा।

श्रमिकों की भागीदारी के सिलसिले में बहुत बहस चल रही है। दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, प्रदेश स्तर पर भी हुआ, केन्द्रीय श्रम मंत्री आये थे। हमारा इतना ही मानना नहीं है कि श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिये बल्कि मजबूत और इफेक्टिव भागीदारी होनी चाहिये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भागीदारी भी हो जाय और उससे उनको नुकसान हो, यह देखना होगा। जो केन्द्र सरकार को सुझाव दिये हैं उनके खोलकर कह दिया है कि अगर उन्हें फायदा नहीं पहुंचता है तो बेहतर होगा कि ऐसा कानून न बनाया जाय।

असंगठित मजदूर के बारे में एक बात कही गयी है। बहुत कम मजदूर ऐसे हैं, जिनके पास अपना झंडा है, अपनी यूनियन है, अपने नेता हैं, अपनी आवाज है और अपनी समस्यायें हैं, वे अपनी आवाज झंडे से, डंडे से, ताकत से, आरगेनाइजेशन से, संगठन से सरकार को मजबूर कर देते हैं कि कानून का पालन होना चाहिये, अपनी ताकत से भी वे अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन वे मजदूर जो असंठित हैं, जिनका नेता नहीं है, जिन्हें मांग करने का सलीका नहीं आता, जो यह भी नहीं जानते कि समस्यायें क्या हैं, विधान सभा के दरवाजे कहां होते हैं, मन्त्री के दरवाजे कहां होते हैं, ये वे मजदूर हैं जो खेत में काम करते हैं खलिहान में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फुटपाथ के किनारे पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। वे भी इस देश के जीव हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं, उनका भी इस राजनैतिक व्यवस्था पर उतना ही हक है, अधिकार है जितना किसी को अपनी एयरकण्डीशण्ड कोठी में रहने का है। मैंने इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता भी की है और उन्हें एक नोट बनाकर भेजा है कि फैसला जल्द होना चाहिये।

बीड़ी मजदूरों के बारे में फिरोजाबाद के माननीय सदस्य ने अक्सर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। इसी तरह से बीड़ी और जरदोजी के काम करने वाले हैं। ये वे लोग हैं जो बड़े कारखाने में काम नहीं करते हैं। जब मैं विपक्ष में था तब मैंने अक्सर कहा है कि इनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके पहिये रोक देने से प्रदेश का नुकसान हो जाय या सरकार बेचैन हो जाय। बीड़ी नहीं मिलेगी, लोग सिगरेट पियेंगे, सिगरेट नहीं मिलेगी तो सिगार पियेंगे। इसी तरह शीशे का काम करने वाले गरीब मजदूर जो दहकती हुई भट्ठी के सामने बैठकर काम करते हैं। और ऊपर से उनके सर पर सूरज होता है, उनके बारे में भी सोचना होगा। उनके लिये हमने यह आश्वासन दिया है कि हम

यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो लोग शीशे का काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं उनको जूता दिया जाय और उनके काम करने की जगह पर शेड डाला जाय और उनके खाने-पीने की भी व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, इस तरह से मैं आपके माध्यम से सदन तक और सदन के माध्यम से जनता तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि श्रम विभाग कटिबद्ध है, वचनबद्ध है श्रमिकों के हितों के सिलसिले में । आज कई बड़ी मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, सरकार की मन्शा है कि उन मिलों को चालू कराया जाय । कुछ मिलें ऐसी हैं जो बन्द हैं कानपुर की और फैजाबाद मण्डल की, ऐसा नहीं है कि वे चल नहीं सकती हैं, उनके चलवाने के लिये सरकार की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं । हमारे सामने परेशानी है और मिल मालिकों का कहना है कि हमको जमीन बेचने की इजाजत दे दी जाय ।

यह विचार करने की बात है कि कोई भी पूंजीपति जो अपना कारखाना लगाने जा रहा है एक बीघा जमीन तो लेगा नहीं, वह 50 एकड़ या 100 एकड़ जमीन की मांग करता है । आप कोई भी बड़ा कारखाना देखिये जो बड़े-बड़े पूंजीपति इस देश के हैं उनका कारखाना और उसकी चिमनी पर चढ़ जाइये तो जहां तक आपकी निगाह जायेगी वहां तक आपको खाली जमीन पड़ी नजर आयेगी । यह ठीक है कि कारखाना केवल एक बीघा जमीन पर ही लगा हुआ है लेकिन उसके लिये वे 100 एकड़ जमीन ले लेते हैं और फिर सरकार से मांग करते हैं कि इस जमीन को बेचने की इजाजत दी जाय ताकि उससे मजदूरों को पैसा दिया जा सके, वह सरकार से इसके लिये इजाजत चाहते हैं ।

अगर सरकार किसी एक कारखाने के मालिक के दबाव में आकर ऐसा निर्णय ले ले कि जमीन बेच दी जाय, अगर आप ऐसा करने के लिये मान जायेंगे, जैसे कि कानपुर में जे0 के0 काटन मिल के बारे में किया जा रहा है, उसकी तरफ से मांग आयी कि जमीन बेचने की इजाजत दे दें । अगर हम उसको ऐसा करने की इजाजत दे देते हैं तो हमारे सामने जे0 के0 काटन मिल जो कि सिक है, बीमार है तो सब कारखाने वाले जमीन बेच कर अपना पेट भर लेंगे और एक भ्रष्ट रास्ता दिखला देंगे तो जिसका कारखाना बीमार भी नहीं है, सिक नहीं है, घाटे में नहीं है, वह भी जमीन बेचने की नियत से अपने से अपने कारखाने को बीमार कर देंगे । यह एक बेजा दरवाजा होगा । मैं समझता हूं कि यह दरवाजा नहीं खोलना चाहिये । बन्द कारखानों को खोलने के लिये सरकार पूरी तरह से कोशिश में है ।

मान्यवर, औद्योगिक झगड़े समाप्त करने चाहिये, इनका निराकरण करना चाहिये । हमारे यहां श्रम अदालतें कायम हैं । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता महसूस हो रही है कि जो श्रम अदालतों में पीठासीन अधिकारी हैं, किसी एक के बारे में मुझे इतने समय में यह सुनने में नहीं आया कि वह अधिकारी भ्रष्ट है । बड़ी आसानी से लोग इल्जाम लगा देते हैं उनके बारे में जो कि इन्साफ करते हैं, उन पर इल्जाम लगाने की भी कोशिश करते हैं । मैं किसी अदालत का नाम न लेकर, हमारे जो श्रमिक संगठन हैं, हमारे साथी हैं, नेतागण हैं यह सब समझते हैं कि बहुत से ऐसे कानून हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिये जिसे हम नहीं करते हैं हालांकि, हमारे साथी मानेंगे कि पहली बार हमारी सरकार ने उन कानूनों का इस्तेमाल किया है जो पहले नहीं किये गये थे । पहली बार पूंजीपतियों को खतरा हुआ है जेल के दरवाजे का, पहली बार हथकड़ियों का उनको भय हुआ है उनको जेल के सींकचे नजर आये हैं और उसी के बिना पर समझौता किया गया है ।

बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से आयीं और उनको कर दिया गया। यह भी सामने बात आयी कि उस तरफ से ऐसे फैसला हो गये या लिये गये ह जिनसे श्रमिकों को फायदा नहीं होता है। ऐसे तमाम फैसलों को जमा किया गया है।

कुछ खास नाम हैं इन्साफ करने वालों के जिनकी तरफ से यह फैसले हो रहे हैं। इस पर कुछ कहा या किया तो नहीं जा सकता ह क्योंकि हमारे विभाग के हाथ बंधे हुए हैं। हमारे विभाग के हाथ बंध जाते हैं जब हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला हो जाता है जिस पर आगे हम कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं।

इसी तरह से बछावत के सिलसिले में आधा इन्साफ हुआ है। हमारे अखबार जो कि प्रेस में छपते हैं उनके सम्बन्ध में बछावत के इन्साफरात को 100 फी सदी लागू कर दिया गया है हमारी सरकार की तरफ से लेकिन कुछ अखबार के मालिकान ऐसे हैं जो अखबार में काम करने वालों को उनका वाजिब हक नहीं देना चाहते हैं।

मान्यवर, वही अखबार वाले, वही अखबार के मालिकान जब सफेद कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलते हैं जो अपने को समाज की कमियों को दर्शाने का ठेका लिए हुए हैं उन्हें खुद यह सोचना चाहिए कि उनके यहां काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको वे कितना वेतन देते हैं और कितना उन्होंने बछावत रिपोर्ट को लागू किया है। मान्यवर, इसके बारे में एक समिति गठित की गई है। मेरे मंत्री होने के बाद मैंने पहली त्रिपक्षीय मीटिंग कराई है। जो समिति बनी है उसकी अभी पहली रिपोर्ट नहीं आई है। मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं है। तीन सदस्यों की वह समिति बनी है जिसमें एक श्रमिक पक्ष की ओर से और एक मैनेजमेन्ट पक्ष की ओर से सदस्य हैं। इनकी पहली रिपोर्ट अभी नहीं मिली है....।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, कितना समय आप और लेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

जितना आप कह दें। लगभग 20 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कटौती का प्रस्ताव भी रखना है.....

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां--

15 मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, यह बड़ा ही अहम बजट है। हम सब मजदूर हैं और मजदूरों की बात न कही जाय और मजदूरों की समस्यायें न रखी जांय और इत्तफाक यह है कि यह केवल मजदूरों के लिए ही नहीं है और भी इससे जुड़े हुये मुद्दे हैं, उनको भी आपके संज्ञान में लाना है। मैं अपनी बात को कम करते हुए बंधुआ मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत से सुझाव आपकी तरफ से भी आयेंगे। यदि सब कुछ मैं ही बता दूं तो आप भाषण कैसे देंगे....

(व्यवधान)

मान्यवर, बंधुआ मजदूर तो बहुत से लोग हैं। कुछ राजनैतिक बंधुआ हैं, कुछ सामाजिक बंधुआ हैं.....

एक सदस्य--

जैसे आप हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

बहरहाल, खुश हो लीजिए आप। बंधुवा मजदूरों के बारे में अभी कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है। अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत आप देंगे तो बिलकुल उस पर कार्यवाही होगी। मैं खुद अपने ही तौर पर चाहता हूं कि जितने बंधुवा मजदूर हैं चाहे वहां बच्चों को काम कर रहे हों या महिलायें काम कर रही हैं, जब वे बड़ी जागरूकता से मुस्तैदी से और चेष्टा से काम करते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनके सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर उसमें कोई कार्यवाही न हो।

मान्यवर, हमारे मजदूर ई0 एस0 आई0 की डिस्पेंसरीज से दवा लेते हैं। ये अभी तक सफेद हाथी कहे जाते थे। ई0 एस0 आई0 के बड़े-बड़े अस्पताल बने हुए हैं। खास तौर से कानपुर जो मजदूरों का शहर कहलाता है पांडेनगर में एक बड़ा अस्पताल है, दूसरे शहरों में भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं लेकिन यह विडम्बना की बात है कि मजदूर जितना पैसा देते हैं ई0 एस0 आई0 के लिए, अपनी दवाओं के लिए, उसे उतना पैसा वापस नहीं मिलता। हम तो यह समझते हैं कि मजदूरों की दुहाई देने वाले, इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाले अभी तक कुछ ऐसे काम करते रहे होंगे जिससे श्रमिकों और दबे हुए लोगों का भला होता होगा। लेकिन आपको याद होगा दो या तीन रोज पहले कृषि के प्रश्न के जवाब में बताया था यूरिया के 50 के0 जी0 के बोरे में तकरीबन 7.20 पैसे से 7.50 पैसे कमीशन का मिलता था विभाग को, पिछली सरकार उस कमीशन को बचा कर रखती थी। कृषकों की दुहाई देने वाली सरकार उस पैसे को बचाकर रखती थी। करोड़ों रुपया बैंक में जमा था, इस सरकार ने जो दलालों के पैसे को उचित नहीं समझती है, कृषकों का वह पैसा है उसको वापस कर दिया है इस तरह से यूरिया के बारे में साढ़े सात रुपये की कमी कर दी गयी है 125 रुपए का बोरा अब एक सौ साढ़े सत्रह रुपए में कर दिया गया है।

इसी तरह से आई0 एस0 आई0 का मामला भी है। हम समझते हैं कि प्रदेश का जितना पैसा जाता है केन्द्र से उससे ज्यादा वापस आता है लेकिन स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। प्रदेश सरकार से जितना पैसा जाता है उससे कम पैसा केन्द्र सरकार से वापस मिलता है। मेरी यह कोशिश है मैंने इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया है पासवान जी से और कहा है कि या तो आप पूरा प्रबन्ध ले लीजिये ताकि हमारे ऊपर कोई इलजाम न आये कि मजदूरों को दवाई नहीं मिल रही है। या मजदूरों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होनी चाहिए।

मान्यवर, ई0 एस0 आई0 के सम्बन्ध में जो शिकायतें मिलती हैं चाहे वह डाक्टरों के सम्बन्ध में हो, चाहे कम्पाउन्डर के सिलसिले में हो या नर्सेज के सम्बन्ध में हो उन सब पर कार्यवाही की गई है और ऐसे लोगों को सस्पेन्ड किया गया है, प्रीमेच्योर रिटायरमेन्ट किया गया है। जहां हम कहते हैं कि तबादला कोई सजा नहीं है वहां यह भी सोचना होगा कि जो गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर में काम कर रहा है अगर उसको गोंडा बस्ती कर दिया जाय तो यह उनके लिए बहुत बड़ी सजा होती है। तो इस तरह की सजा अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई है।

मजदूरों की कालोनीज के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। श्रमिकों को जिन कालोनीज में रहना चाहिए वहां वह नहीं रह रहे हैं। 75 से 80 प्रतिशत श्रमिक कालोनीज ऐसी हैं जिनके क्वाटरों के आगे आपको मारुती गाड़ी खड़ी मिलेगी। 3-3, 4-4 क्वाटरों को लेकर लोगों ने कोठियां बना रखी हैं जो बुनियादी तौर पर श्रमिकों के लिए हैं। तो इस तरह से लोग श्रमिकों के नाम पर वहां रह रहे हैं। हमने केन्द्र से एक बात कही है कि श्रमिकों की इन कालोनीज में जो रह रहे हैं आधे रेट पर उनको बेच दिया जाय। इस तरह से 20, 25 प्रतिशत मजदूरों को रहने के लिए

घर मिल जायेगा और 75, 80 प्रतिशत लोगों को आगे समाज का शोषण करने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से जो पैसा मिलेगा बेचने से उससे जो खाली जमीन पड़ी है उस पर मल्टी स्टोरीड मकान बना देंगे। अगर यह मंजूर हो जाय तो इस पैसे का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाय तो हम सोचते हैं कि शहर के बाहर 10, 15 कि0 मी0 दूर आने वाले समय के लिए जमीन खरीद लेंगे। इस पर केन्द्र सरकार का कहना है कि उनका पैसा उनको वापस कर दिया जाय। लेकिन हम केन्द्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमें पैसा वापस न करना पड़े और हम कालोनीज उनके लिए बना सकें।

हमारे आई0 टी0 आईज0 भी हमारे अहम अंग हैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। अभी तक धारणा यह थी कि जिसे चेयरमैन साहब को खुश करने का तरीका आता है या मेम्बर साहब तक किसी की पहुंच हो जाय तो उनका दाखिला हो जाता है। पढ़ाई के सिलसिले में आई0 टी0 आई0 के अलावा कहीं भी कोई समिति ऐसी नहीं है जिस समिति को यह अधिकार हो कि वह दाखिला दिला सके। यह अधिकार कहीं नहीं है किसी इंजीनियरिंग कालेज, या किसी डिप्लोमा कालेज में मैं यहां तक कहूंगा कि चौथे पांचवे दर्जे में या 8 वे 9 वें में दाखिला के लिए कहीं कोई समिति बनी हो, उसके कोई चेयरमैन हों या कोई मेम्बर हों। और उन्हें यह अधिकार दिया गया हो कि वह दाखिला करा सकते हैं। पिछली सरकार के समय में हम भुक्तभोगी हैं कि आई0 टी0 आई0 में जिस प्रकार दाखिला हुए हैं, मुझे शर्म आती है, कि जब वह सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं और उनसे पूछा जाता है कि फ्यूज का क्या अर्थ है? तो वह नहीं बता सकते हैं, फ्यूज क्यों होता है? इसलिए इस ओर हमने ध्यान दिया है कि आने वाले समय में जब विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेकर निकले तो उसको यहीं नहीं, बल्कि प्रदेश के बाहर भी उनकी कद्र की जाए। यह चुनौती विभाग के सामने है, और इसीलिए हमने कमेटियां भंग कर दी हैं और यह निश्चय किया है कि किसी चेयरमैन या कमेटी के सदस्य को दाखिले का अधिकार नहीं दिया जायेगा बल्कि दाखिला पूरी नेकनीयती के साथ उनको मिलेगा जिनका हक बनता होगा। हो सकता है कि गरीब बच्चा जिसको दाखिला दिलाया जा सकता था उसका हक मारा गया हो क्योंकि जिनके पास सिफारिश थी उनका दाखिला हो जाता था और जो पढ़कर बच्चा दाखिला पा सकता था उसको दाखिला नहीं मिलता था। मान्यवर, हमने पहली बार बोर्ड से परीक्षा के लिए रोल नम्बर पर कोड दिया गया है ताकि कापी जांचने वाले को न मालूम हो सके कि किस केन्द्र की और किसकी कापी है। मैं समझता हूं कि इसका परिणाम अच्छा आयेगा।

मान्यवर, श्रमिकों के लिए हम यह भी देखते हैं कि उनका जीवन कारखानों में जो मशीनें काम कर रही हैं उनसे उनको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस विभाग में बड़ी सुस्ती थी, उसको चुस्त बनाने का हमने प्रयास किया है। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेन्ट भी है, खुशी की बात है कि 6 महीने से ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है जिससे किसी श्रमिक की जान गई हो या फैक्टरी को कोई नुकसान हुआ हो।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। एक सुन्नी सेन्ट्रल और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के बाद हमने इन दोनों विभागों में जितने वर्तमान अधिकारी थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दिया है। ऐसे सारे कर्मचारियों को जिन्हें अधिकारियों ने अपने घरों में सामान लाने या तलवा की मालिस करने के लिये रखा था उनको निकाल दिया है। लेकिन यह फैसला लेने के लिये कड़ा मुकाबला करना पड़ा है। इसका अन्दाजा साथियों को होगा कि पिछले दिनों कुछ बातें, हमारी खिलाफ लिखी गयी। तीन आई0 ए0 एस0 अधिकारियों का बयान हमारे खिलाफ था, एक हज के सेक्रेटरी, एक वक्फ के कमिश्नर और तीसरे वक्फ विकास निगम को देखते थे। हमारे

हमारे सामने चुनौती है, हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे बेईमानों पर अकुंश लग सकें। इसी तरह हज का दफ्तर विधान सभा के सामने है, पूरे प्रदेश से लोग यहां आते हैं, पता नहीं किस भावना से एक छोटे अधिकारी ने रेलवे स्टेशन के सामने जो मुसाफिर खाना है उसमें दफ्तर खोल रखा था। लेकिन आज समय यह है कि लोग आयें और उनकी तमाम समस्याओं का निराकरण वहीं एक जगह पर हो जाये। आपने उनकी समस्याओं को दो हिस्सों में बांट दिया है और आनरेरियम के नाम पर। मैं अपने जमाने की कमियों को मान लेने का भी कायल रहता हूं। हम उस गलती को नहीं मानते हैं तो हम पूरे समाज के साथ और अपने साथ गलती करते हैं, ज्यादती करते हैं। वहां पर एक सज्जन 85 साल की उम्र के काम करते थे, जो लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। जब लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे कोई काम नहीं कर सकते थे तो उनको हमने हटा दिया। हमने इसके लिए लिखकर दिया, तो मुझे जवाब मिला कि नहीं इनको रखना विभाग में बहुत जरूरी है। इस पर मैंने उनको फिर लिखा कि आप इनको लेकर मुख्य मंत्री जी के पास चले जाएं और यह वहां यदि एक वाक्य बोल दें, एक वाक्य लिख दें तो मैं उनको रख लूंगा।

आप सोचें हम जब ऐसे कदम सुधार के लिए उठाते हैं तो हमारा कितना विरोध होता है और हमारे सामने कितनी समस्याएं खड़ी की जाती हैं। हम ऐसे लोगों को निकालने की बात कहते हैं तो कही जाती है कि हमने कुछ लोगों को जासूसी करने के लिए अलग कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो या तो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात न करें और यदि व्यवस्था परिवर्तन करना है जिसे करने का हम जनता से वायदा करके आए हैं, तो इन लोगों का मुकाबला हमको करना पड़ेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड आफिस में एक सज्जन 1 लाख 20 हजार रुपया लेकर आए और 70 हजार रुपया ही जमा किया। उसमें से 50 हजार रुपया हजम कर लिया गया। हमने इस पर भी तुरन्त सख्त कार्यवाही की और इस मामले को पुलिस में देकर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी गई है और हम आगे की कार्यवाही भी करा रहे हैं। इसमें 46 योजनाओं की हमारे यहां मंजूरी है, लेकिन वह केवल मंजूर हैं, ज्यादातर इनका कार्य कागजों पर होता रहा है। एक भी योजना ऐसी नहीं है, जो मुकम्मल हुई हो। हमने अपने अधिकारियों से कह दिया है कि इतनी शिथिलता से काम करेंगे, इतनी उदासी से काम करेंगे तो इस विभाग की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी और मैं सरकार से यह कहने के लिए मजबूर हूंगा कि इस आफिस को बन्द कर दिया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी सारी गलतियों को मानते हुए और अपनी जो भी कारगुजारियां हैं इन चन्द महीनों में, उनको आपके सामने रखते हुए अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार खुलकर सामने रखें। मैं इन्तिहाई शुक्रगुजार हूंगा सभी माननीय सदस्यों का कि वह मेरी भावना और सरकार की भावना को महसूस करते हुए और हमारी उपलब्धि को मानते हुए अपने सुझाव सदन में रखें। जैसे वृद्धावस्था पेंशन रखी है, यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसे न भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा, तीन-चौथाई हिस्सा इन दबे हुए और बेसहारा लोगों पर जा रहा है, जिनको देने को हमने वादा किया था। इन अल्फाज के साथ में फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपके सुझावों का इंतजार कर रहा हूं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--70-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--71-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

मान्यवर, मंत्री जी का भाषण बहुत बड़ा और लम्बा-चौड़ा सुना और व्यवस्था बदलने की भी बात मंत्री जी ने कह दी, लेकिन कहीं भी व्यवस्था बदली दिखाई नहीं पड़ रही है। यह तो कुछ जो कमियां थीं, उसमें कुछ सुधार हुआ। उससे व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन की नीति अलग से होगी। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो वादा किया है, व्यवस्था परिवर्तन करने का, तो उसमें श्रमिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। पहली बात तो मेरी यह थी। मान्यवर, दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज जो भी सेवायोजक हैं, चाहे अर्द्ध सरकारी हैं या प्राइवेट हैं या अन्य तरीके के हैं, चाहे भारत सरकार के हैं, उसमें जो यह परम्परा है कि यह सेवायोजन रिक्तियों की सूचना नहीं देते, कि उनके यहां कितनी जगह खाली हैं, कितने लोगों को रखना है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो नियम बन गये हैं, सेवायोजन कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 एवं अधिनियम के अन्तर्गत सृजित नियमावली, 1960 जो पहली मई, 1960 से प्रभावी है, उसकी धारा 1, 5, 6, 7 सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजक के लिए क, ख, ग, घ, ङ, निजी क्षेत्र के लिए है।

इस पर अभी आपके कार्यालय से समुचित तरीके से कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप इसे जरूर पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो इस नियमावली की अधिसूचना को पढ़कर इसको तुरन्त प्रभावी बनाने की कृपा करें, तो कम से कम सेवायोजन कार्यालय को यह मालूम हो फलां-फलां जगह रिक्तियां हैं। ताकि जिन लोगों के नाम वहां पर दर्ज हैं, उनके नाम भेजे जा सकें। तीसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बछावत आयोग की सिफारिशों के बारे में कहा। आज हमारे देश में चाहे बड़े-बड़े प्रेस मालिक हैं, चाहे बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जो अपने को नियमों से ऊपर समझते हैं उनके खिलाफ मौजूदा जितने भी कानून हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। आप व्यवस्था में अगर आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो पुराने जितने भी कानून हैं, इस तरह के उनमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। तब इन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जायेगा। नहीं तो बड़े-बड़े प्रेस के मालिक वह लिखते भी हैं और लिखवाते भी हैं। काम करने वाले जितने श्रमजीवी पत्रकार बन्धु हैं, उनका शोषण करते हैं।

मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार इस काम को नहीं कर सकती है लेकिन भारत सरकार इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकती है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री जी भारत सरकार को इस तरह का सुझाव दें कि जो पुराने कानून हैं उनमें परिवर्तन करें और जो लोग नियमों को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं और हमारे पत्रकार बन्धुओं का या श्रमजीवी पत्रकार बन्धुओं का, उनके हकों का ठीक से वह पालन कर सकें और उनको उनके मेहनत की मजदूरी सही ढंग से दें।

मान्यवर, भारत सरकार से इस बारे में निवेदन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, जो भी बड़े-बड़े प्रेस मालिक हैं, जब आयोग का गठन हुआ था तो पहले भी इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा था। हमारे इलाहाबाद से भारत अखबार निकलता है, दैनिक जागरण बनारस और गोरखपुर से निकलता है, तो यह लोग आयोग की सिफारिशों को नहीं मानते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता ने आपको जनाधिकार दिया है तो इसका सदुपयोग कीजिये।

[3 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, मैं बोलना नहीं चाहता था। मैं अब पछता रहा हूं यहां आकर। मैं अपने को बहुत ही दुखी और असहाय समझ रहा हूं। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आप इस पर सेवा-योजकों को बुलायें, श्रमिक नेताओं को बुलायें सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हो, बड़े-बड़े जो पूंजीपति हैं उनके नमाइंदे हों और इस पर विचार हो जाय कि मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी कैसे होगी? आप सलाह मशविरा करके इसको लागू करायें। यह जो समय है यह आता है और चला जाता है। आपको समय रहते ही यह काम कर डालना चाहिये।

अगर आप जनता की, पत्रकार बन्धुओं की, श्रमिकों की भलाई करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द यह काम कर डालना चाहिए। सात महीने बीत गये हैं, जल्दी ही एक साल बीत जायेगा। यह समय बार-बार नहीं आता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे माननीय मंत्री जी तो यह समय आपका साथ देगा, सभी आपका साथ देंगे, देश की जनता आपका साथ देगी। श्रीमन् हमारे प्रदेश में छोटे-छोटे 10 हजार कारखाने बन्द पड़े हैं। इनको खुलवाने के लिए सरकार ने क्या किया? कानपुर की जे0 के0 मिल का आपने नाम लिया। अकबरपुर की जो मिल है उसके बारे में आपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वहां की तालाबन्दी अवैध है। अगर तालाबन्दी अवैध है तो उसको खुलवाने के लिए आपने क्या किया। मऊ की जो सूती मिल है, रायबरेली में स्लो डाउन चल रहा है, बाराबंकी में लाक आउट है तो इन चारों मिलों में जो प्रबन्ध निदेशक हैं जो आई0 ए0 एस0 हैं उनका तो 2-1 साल में ट्रांसफर हो जाएगा उनको तो मिल से कुछ लेना-देना है नहीं। इसके ऊपर आप गम्भीरता से विचार कीजिये।

श्रमिकों के जो मुकदमें हैं वह बड़ी तादात में हैं यह आपकी जानकारी में होगा। इसको आप देखें। जो उपश्रमायुक्त हैं उनको आप थोड़ा टाईट करें। श्रमिकों को जो हड़ताल करने का, धरना देने का अधिकार है और जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसकी आप रक्षा करें। जिस प्रकार से कपड़ा मिल मालिकों के दबाव के आगे सरकार नहीं झुकी तो श्रमिकों के जो जनतांत्रिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिये। श्रीमन् बहुत पहले की बात है, मैं एक बार कानपुर गया था, 20 वर्ष हो गया होगा, लाल इमली और दो अन्य मिलों में हड़ताल थी, एस0 एस0 पी0 ने मुझसे कहा कि सरकार के श्रम मंत्री ने कहा है कि मजदूरों पर गोली चलाइये, यह हड़ताल पर हैं, गेट पर धरना दे रहे हैं, एस0 एस0 पी0 ने कहा कि क्यों मैं गोली चलवाऊं, तो मैंने कहा कि आपने ठीक ही किया। तो मान्यवर, इस सरकार को हर प्रकार से मजदूरों का पक्ष, गरीबों का पक्ष लेना चाहिये। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को 40 विधायकों ने लिख कर एक बहुत लम्बा-चौड़ा पत्र दिया है और आपके एक अधिकारी हैं डी0 आर0 दोहरे, जिला सेवा योजन अधिकारी, जालौन एवं उरई, इनको 20 माह से वेतन नहीं दिया गया और दो जिलाधीश ऐसे आये जिसने लिखकर इनके आहरण का अधिकार छीन लिये। जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया है, उसकी फोटो स्टैट प्रति मैं आपको दे रहा हूं।

आपके अधिकारी श्री के0 के0 मिश्रा जो पहले थे, और श्री डी0 एन0 तिवारी, जो अब हैं, इन्होंने कोषाधिकारी को लिख दिया कि इनको संरक्षण का अधिकार न दिया जाय। यह शोषण नहीं है? यह उत्पीड़न नहीं है? यह है क्या? आप बाल श्रमिकों के बारे में बतावें मानवीय दृष्टि से जिसका पिता नहीं है, माँ वृद्ध है, अगर वह लड़का 13-14 वर्ष का कहीं पर काम करता है, अगर वह मेहनत-मजदूरी करके कमायेगा नहीं, तो खायेगा क्या। मैं आपसे कहता हूं कि मिर्जापुर, भदोही, अलीगढ़, खुर्जा, फिरोजाबाद और मऊ आदि स्थानों पर ये लोग काम करते हैं। कालीनों के मालिकानों ने काल कोठरी की तरह से उन बालकों को बन्धुआ मजदूर बना कर रख रखा है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। आपका जो श्रम निरीक्षक होता है, वह मिल मालिकों की तरफ ज्यादा रहता है, 100 फीसदी रहता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यह मजदूरों का हित नहीं करता है। एक श्रम निरीक्षक के खिलाफ तो मैंने सरकार को लिखा था, जब मैं विधायक नहीं था, भदोही में वह था, उसके एक चेक की फोटो स्टेट कापी करा कर मैंने सरकार को दिया था, सरकार ने कार्यवाही भी किया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, सरकार ने कुछ किया। तो श्रीमन् उसको टाइट करने की जरूरत है अब मैं इन सब बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूं नहीं तो गड़बड़ा जायेगा।

(कई सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्षता—

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मिर्जापुर के दक्षिणी हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं जहां लाखों मजदूर रहते हैं, आपके जो निर्माण कार्य में लगे हैं उन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाने की गारन्टी हेतु श्रम विभाग के विशेष सेल गठित करने की कृपा करें क्योंकि वहां लाखों मजदूर हैं रेनुकूट और पिपरी तक तमाम उद्योगधन्धे फैले हुए हैं। अब मान्यवर, एक बात और सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि वहां लाखों मजदूर हैं, बड़े-बड़े कारखाने हैं लेकिन लेबरकोर्ट वहां नहीं है, पिपरी में मिर्जापुर के दक्षिणांचल में, तो वहां एक लेबरकोर्ट की स्थापना करें क्योंकि इसके लिए मजदूरों को इलाहाबाद जाना पड़ता है और ट्रिब्यूनल की भी स्थापना करें। शक्ति नगर आदि स्थानों के जो लाखों मजदूर हैं, संगठित और असंगठित दोनों, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, उनका बहुत खर्च होता है, तो इसे आपको करने की जरूरत है। मान्यवर, जो आपके श्रम हितकारी केन्द्र हैं जिसका जिक्र आपने किया, आपके अस्पताल भी हैं, बीमा के अस्पताल हैं, मजदूरों का पैसा कटता है उस अस्पताल के लिए न वहां डाक्टर हैं न दवा, न नर्स हैं और न मिडवाइफ है यह पूरे प्रदेश की शिकायत है। इसको आप दिलवाने की कृपा करें और इसको मजबूत बना दें। श्रम हितकारी केन्द्र चुर्क और रेनुकूट में है, वहां जुल्सा होता था, सुझाव आते थे श्रम विभाग की तरफ से उसको भी इधर बन्द कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब समस्याओं के ऊपर गौर करें।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं। यह बीमा योजना के अन्तर्गत जो आपका भविष्यनिधि है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा सरकार का, एक हिस्सा श्रमिकों का और एक हिस्सा मालिकों का तो श्रमिकों का पूंजीपति काट लेते मिल मालिक काट लेते हैं और अपना अंशदान देते नहीं, सरकार अपना अंशदान दे देती है

नतीजा यह होता है कि खाते में रुपये जा ही नहीं पाता है। यह बहुत कड़ी बर्गलिंग है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को पूरे प्रदेश स्तर पर दिखवाना चाहिये कि किन सेवायोजकों ने अपना हिस्सा न देकर उस पैसे को भी नहीं जमा किया, ये बहुत बड़े अपराधी हैं। अगर नहीं जमा किया है तो श्रम विभाग को उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है।

श्रीमन्, मुस्लिम वक्फ के बारे में दूसरे सदस्य हैं, वह कहेंगे, मैं अपनी बात खत्म करते हुये इतना चाहता हूं कि जो श्रम विभाग का कानून है, जो लुंजपुंज है, कमजोर है, श्रमिकों की ठीक से भलाई नहीं कर सकते। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार श्रमिक कानूनों को मजबूत बनाये और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार के श्रम विभाग से सलाह मशविरा करके भारत सरकार से ऐसे कानून बनवा दे जिसमें बड़े-बड़े प्रेस के मालिकान, बड़े-बड़े पूंजीपति, धन्नासेठ, बाल श्रमिकों का शोषण करने वाले सब उसी लपेट में आ जांय और सबको यह मालूम हो जाय। जुर्माना से काम न चले बल्कि जेल की सीकचों में बन्द किया जाय। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को आपकी आज्ञा से पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

ऐसा है कि बहुत से लोगों के दोनों पक्षों से नाम आये हैं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बोलने में अपने समय की सीमा सुनिश्चित करें। क्योंकि समय ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिये केवल सुझाव ही दे दें तो ज्यादा उपयोगी होगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

कितना समय निर्धारित किया है? 10 मिनट पहले भी रहा।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप लोग बैठें। थोड़ा-थोड़ा समय देंगे। अब मैं डाक्टर शमी साहब को बुला रहा हूं।

डाक्टर शमी (शमीम) अहमद खां--

मान्यवर, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे श्रम एवं वक्फ विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मंत्रीगण कांग्रेस (आई) के सदस्यगण, बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण, बी० जे० पी० के सदस्यगण, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यगण, जनता दल के विधायकगण--मैं माननीय श्रम और वक्फ मंत्री को अपनी जानिब के दिली मुबारकबाद इसलिये पेश करना चाहता हूं कि आपने गरीबों, मजदूरों और अकलियते फिरके का बजट पेश किया है। उसमें उन्होंने किसी बात को छिपाया नहीं और हर बात आइने की तरह हाउस के सामने पेश कर दी है। उन्होंने जो-जो सुझाव रखे हैं मैं साफ तौर पर यह बात उनको बताना चाहता हूं कि रामपुर के करीब मुरादाबाद भी बसता है। उसमें बर्तन मजदूरी का भी मामला है उसको भी अपने ध्यान में रखें। इसलिये कि मुरादाबाद वह शहर है जहां इस बर्तन मजदूरों के तहत और बर्तन की निजारत की वजह से लगभग 200 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में हुकुमत को मिलता है। इसलिये आपको मुरादाबाद के मजदूरों का भी ख्याल रखना होगा। जिस तरह से आपने कहा है कि लेबर कालोनियां बना दी गयी हैं, आपको मुरादाबाद में उस सिलसिले में काम करना होगा।

(इस समय 3 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

और मुरादाबाद के बर्तन मजदूरों के लिये लेबर कालोनियां बनवानी चाहिये। दूसरी बात में आपके माध्यम से मान्यवर, यह सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आपने यह बजट में जो प्राविजन रखें हैं उनको ईमानदारी से और इस प्रकार उन्हें लागू किया जाय कि मजदूरों का भला हो और पूंजीपति जो मजदूरों का हमेशा शोषण करते रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। जैसा कि आपने अपने बजट भाषण में फरमाया कुछ ऐसे तत्व इस मुल्क में इस प्रदेश में हैं जो मजदूरों की भलाई चाहने के बजाय उनके खिलाफ कार्यवाहियां करते हैं, मुझे अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि आज हमारी जुडिशियरी आज हमारी अदालतें उसमें भी करप्शन बढ़ गया है। मजदूरों के लिये जो अच्छे मामले होते हैं, उनके खिलाफ स्टे दे देते हैं मजदूरों के वह अच्छे काम रुक जाते हैं। मैं अपनी सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो जुडीशियरी करप्ट हो चुकी है साफ तौर पर कहना चाहता हूं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिये कि इसलिये जिससे जनता का भला हो।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया समाप्त करें।

डाक्टर शमी (शमीम) अहमद खां--

मान्यवर, मुझे थोड़ा टाइम दे दें। मैं आपके माध्यम से यह बात भी कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जो-जो बजट पेश किया है आज उसमें मुझे अफसोस के साथ अपनी सरकार से यह बात कहनी पड़ती है कि पिछली सरकार की तरह इस समय वक्फ बोर्ड के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया है। यह मैं अपने दुख की बात कह रहा हूं। वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिम हैं उनकी आज आपके बजट में कोई तनख्वाह का प्राविधान नहीं है। जबकि वक्फ बोर्ड सरकारी इदारा है, सरकारी कर्मियों की तरह यहां नौकरी करने वालों को तनख्वाह मिलनी चाहिये। वक्फ की जायदाद का प्रोटेक्शन होना चाहिये। कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री होनी चाहिये। उसको रेंट कंट्रोल ऐक्ट के तहत जो वक्फ की जायदादें हैं उनको मुसतसना, एक्जेम्प्ट कराया जाना चाहिये और 57 के तहत जिलाधिकारी को आदेश होना चाहिये कि नाजायज कब्जे हटाये जाने चाहिये और वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल जिसको पैसा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें। आपको पूरा समय दिया गया। अब बैठें।

डाक्टर शमी (शमीम) अहमद खां--

कर्नाटक में वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल के लिये 10 करोड़ रु0 दिये गये हैं जबकि वह छोटा स्टेट है हमारे प्रदेश के मुकाबले। यहां भी कम से कम 10 करोड़ रु0 दिया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रम में जो आई0 टी0 आई0 कालेज अल्प संख्यकों के खोलने का प्राविधान है उस पर काम किया जाना चाहिये वह खोलने चाहिये। वक्फ बोर्ड के लिये रिकरिंग ग्रान्ट मिलना चाहिये और अनुदान सूची में आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुला रहा हूं।

डाक्टर शमी (शमीम) अहमद खां—

मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि वह उसमें बढ़ोत्तरी लाये और इस बजट में यह चाहता हूं कि वक्फ लेबरों के लिये ज्यादा पैसा दिया जाय। इसी के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

(बोलने के लिये श्री धर्मज्ञ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अमरमणि—

मान्यवर, आप सूची देख लें, मेरा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें, मैंने दूसरे सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम विभाग पर हो रही बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां स्वराज आश्रम, मल्लावा में हजारों मजदूरों, बुनकरों का हजारों रुपया कटौती का जमा हुआ है, उसका भुगतान वहां के अधिकारियों व कर्मचारियों ने आज तक नहीं किया है, उनका भुगतान शीघ्र कराया जाय। इसी तरह हमारे निर्वाचन क्षेत्र में यूनिसेफ का एक कारखाना खुला हुआ है, सरकार की ओर से, जिसमें तमाम बुनकर लोग काम करते हैं, उनका बहुत पैसा उसमें जमा है, हमारे माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि जो लेबरों का, बुनकरों का पैसा कटौती का जमा है, उसका वह शीघ्र भुगतान करा देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो उन्होंने सदन में कहा है, उसे वह अवश्य पूरा करेंगे।

इसी प्रकार मान्यवर, जो लेबर पी0 डब्लू0 डी0 रोड पर काम करते हैं, उनकी भी अनेकों समस्यायें हैं, उनको पूरी तरह से पैसा नहीं दिया जाता है, इसी तरह जो मजदूर आर0 ई0 एस0 में काम करते हैं, उनको भी पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, सब मिलाकर हजारों लेबरों का पैसा बकाया है। हमारे क्षेत्र में भी कुछ सड़कों का निर्माण हुआ है, उसमें आर0 ई0 एस विभाग के अधिकारीगण मजदूरों को पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, इस तरह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसी तरह से नहर विभाग में जो काम करते हैं, उनको भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। मैं बताना चाहता हूं कि जिले के अन्दर जो प्राइवेट कारखाने हैं, प्राइवेट दुकानदार लोगों को काम पर रखे हैं उनको सरकार की तरफ से निर्धारित मजदूरी नहीं दी जाती है, उनको टाइम पर छुट्टी नहीं दी जाती है, समय की कोई पाबन्दी नहीं है, उनसे निर्धारित समय से अधिक समय तक काम लिया जाता है, जबकि यह सरकार अपने को गरीबों की सरकार कहती है, बेरोजगारों की रक्षा करने की बात कहती है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां 3 हजार बुनकरों को सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निकाल दिया गया, जबकि वह 3-3 साल से काम कर रहे थे। सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बता देना चाहता हूं, अनुरोध करता हूं कि बुनकर सहकारी समितियों के सचिवों को शीघ्र भुगतान करावें। शीघ्र नियुक्ति करावें तथा वेतन बकाया कर भुगतान करावें अन्यथा यह सरकार जो जनकल्याणकारी होने का ढिंढोरा पीट रही है, गरीबों, बेरोजगारों की रक्षा करने की बात कह रही है, उनको अधिकार दिलाने की बात कह रही है, अपने किये वायदों को पूरा करेगी, तभी मैं समझूंगा कि यह गरीबों की रक्षा

करने के लिये सरकार है। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

मान्यवर, आपने मुझे श्रम बजट पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर। श्रम मंत्री ने जो बजट पेश किया है उससे यह लगा कि यह सरकार मजदूरों के हित में काम करेगी। इस बजट से मजदूरों का विश्वास जगेगा कि यह सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी। इसके पहले जो सरकार थी। उसने हमेशा मिल मालिकों एवं पूंजीपतियों का हित सोचा है और इसका नतीजा यह निकला कि पूरे प्रदेश में मजदूरों ने सत्ता को परिवर्तित कर दिया। माननीय श्रम मंत्री जी ने अपने भाषण में बहुत सी प्रशंसनीय बातों का जिक्र किया है। उन्होंने मजदूरों और श्रमिकों के हित की अनेकों बात कही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उद्योगों से जुड़ी जो ठेकेदारी प्रथा थी, उसको समाप्त कर दिया जायेगा। इन्जीनियरिंग और वस्त्र उद्योग में जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया, है। लेकिन ठेकेदार जो नियोजित कर्मचारी थे, उनको नियमित करने का कार्य नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे मजदूरों को जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण किया जाय। अपट्रान सहित सभी निगमों में वेतन पुनरीक्षित किया जाय। श्रम कानून हैं उनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है।

मान्यवर, अभी निर्णय भेजने में बहुत विलम्ब होता है। डी0 एल0 सी0 और आर0 सी0 ओ0 को यह अधिकार दिये जायं कि जो निर्णय वह न कर सके उसे तुरन्त ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट में भेजने की व्यवस्था है। तम्बाकू उद्योग में जो मजदूर कार्यरत थे, उनके वेतन को बढ़ाने का प्रयास किया। तम्बाकू उद्योग के मालिक ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और वहां के मजदूरों को लाभ मिलना था वह लाभ नहीं मिला। ऐसे ही होटल के मालिकों ने स्टे ले लिया। वहां के कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन देने के निर्णय लाभ नहीं मिला। अमृत प्रभात पत्रिका के 60 पत्रकार और करीब 120 और गैरपत्रकार बेरोजगार हो गये हैं। अखबार बन्द हो गया है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें कि यह जो 60 पत्रकार हैं और 120 गैर पत्रकार हैं उनके बारे में सरकार क्या करेगी। मान्यवर, न्यायाधिकरण श्रम न्यालयों को स्टे देने का अधिकार नहीं है। इनको अन्तरिम सहायता देने का अधिकार भी नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस श्रम न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय को भी स्टे लेने और अन्तरिम सहायता देने का अधिकार होना चाहिए। श्रम कानून के अन्तर्गत धारा 15 है। इस धारा 15 में यह अधिकार है कि जो मालिक या प्रबन्धक मनमानी करें उन्हें गिरफ्तार किया जाय। बड़े दुख की बात है कि आज 42 वर्ष के बाद भी इस धारा का प्रयोग नहीं किया गया। श्रम मंत्री ने इसका प्रयोग किया। अभी अपट्रान के 13 लोग निकाले गये। उन्हें बात करने के लिये माननीय श्रम मंत्री जी ने बुलाया और कहा कि प्रबन्धक नहीं मानते तो उनको गिरफतार कर लिया जाय। उसके बाद फैसला हो गया। इन 6 महीनों में पहली बार इस धारा का प्रयोग हुआ और हमारे श्रम मंत्री जी ने स्वागत का काम किया। इन श्रम नियमों का निगमों के प्रबन्धकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। विवेकानन्द पालीक्लीनिक में 80 दिनों से हड़ताल चल रही है। श्रम नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कई निगम ऐसे हैं जो बन्द होने वाले हैं.....

(व्यवधान)

चल चित्र निगम बन्द हो गया है हाटिको के कर्मचारियों को पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है । उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं जो निगम घाटे में चल रहे हैं यदि सरकार उन्हें बन्द करे तो सभी कर्मचारियों को समायोजित किया जाये । सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में न जाने दिया जाये । गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को भी न्यूनतम वेमन निर्धारित किया जाये । इसी के साथ में श्रम बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरमणि --

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रम पर तो कटौती आ गई लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड पर कटौती नहीं रखी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य को बता दूं कि श्री ऊदल जी ने कटौती रख दी है ।

श्री मोहम्मद उल्लाह--

मान्यवर, मैं वक्फ के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं । पहला यह कि वक्फ का कोई रिकार्ड नहीं है । जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से उन जमीनों को इस्तेमाल करते हैं, उन जमीनों को जाया करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी वक्फ हैं उनका रिकार्ड कायम करें और उन रिकार्डों के आधार पर उन पर अंकुश लगाये । जिस मकसद के लिए जो वक्फ है, उसका इस्तेमाल उसी के लिए किया जाना चाहिये । मेरा एक और प्रस्ताव है कि इन तमाम वक्फों से कुछ फंड इकट्ठा किया जाय । उस फंड से पूरे प्रदेश में एक ऐसा फंड बनाया जाय, जो फलाही कामों के लिए, बेहतरी के कामों के लिए खर्च किया जाय । जिस तरह से आन्ध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में वक्फ ने कुछ टेक्नीकल इन्सटीट्यूशन खोल रखे हैं कामर्शियल कम्पलेक्स खोल रखे हैं, उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी एक फंड कायम किया जाय जिससे फलाही काम किये जा सकें ।

तीसरा प्रस्ताव यह है कि बहुत से दरगाह हैं, मुस्लिम वक्फ की जायदाद हैं, उनकी देख-रेख हो । इसके साथ ही यह भी होना चाहिए कि जिस मिशन को लेकर वे बुजुर्ग हस्तियां आई थीं, उन बुजुर्गों के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार आदि का काम होना चाहिए ।

मान्यवर, श्रम के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब मंत्री मंत्री नहीं थे तो तब वह यह कहा करते थे कि जब मैं छोटे बच्चों को जो 14 साल से कम उम्र के हैं को रिक्शा चलाते हुए देखता हूं तो ख्वाहिश होती है कि उनके हाथ से रिक्शे का हैण्डिल लेकर उनके हाथ में कलम दे दूं और जब किसी बच्चे को वजन उठाते हुए देखता हूं तो ख्वाहिश होती है कि उसके कंधे का वजन लेकर उसे स्कूल का बस्ता दे दूं । मैंने बजट भाषण सुना और मुझे महसूस हुआ कि उनकी यह ख्वाहिश आज भी है, इसलिए हमसे उन्होंने कुछ सुझाव मांगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद उल्लाह--

जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनसे फैक्ट्रियों में ऐसा काम लिया जाता है, जिससे उनके मस्तिष्क का व शरीर का विकास रुक जाता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे बच्चों से जैसे पानी पिलाना आदि जैसे काम लिए जांय, जिससे उनके मस्तिष्क पर भी असर नहीं पड़ेगा, शरीर पर भी असर नहीं उनकी आमदनी का जरिया भी बना रहेगा । मजदूरों के हिफाजत की बात कही गई है । काशीपुर में एक फैक्ट्री कुछ दिन पहले वहां पर

एक मजदूर की मृत्यु हो गई'...इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री जागेश्वर के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मैं इस बजट के लिए माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं । उन्होंने श्रम के बजट को जिस खूबी से पेश किया है, और जनता दल की पालिसी को जैसे रखा है उसके लिए भी उन्हें मुबारकबाद देता हूं । उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि कांग्रेस की सरकार और जनता दल की सरकार में क्या फर्क है । जनता दल की सरकार, जो श्रमिकों और किसानों के लिए बनी है, उनके हक में काम करेगी । लेकिन कांग्रेस के शासन काल में मजदूरों का, किसानों का शोषण हुआ है वह सब पर जाहिर है । मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के दिल में गरीबों और मजदूरों के लिए जो दर्द है, वे उनका पूरा-पूरा ख्याल रखेंगे ।

इसके साथ ही एक-दो सुझाव रखना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी मेरे पड़ोसी हैं मुरादाबाद और सम्भल को भूल गये लेकिन मैं उनको नहीं भूल सकता । उन्होंने सम्भल के सिलसिले में कोई बात नहीं कही । सम्भल के अन्दर सोग का बड़ा उद्योग है, करोड़ों रुपये का फारेन इक्सचेन्ज उससे मिलता है । लेकिन वहां पर कोई ट्रेनिंग सेन्टर नहीं है मेरी मांग है कि वहां पर एक ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाय । मजदूरों का शोषण न हो और उनके लिए जो कुछ सहूलियतें दी जा सकती हैं उन्हें दी जांय और माननीय मंत्री जी उनकी भलाई के लिए काम करें ।

वक्फ के सिलसिले में गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्फ की मंशा के हिसाब से जो भी वक्फ है उसका इस्तेमाल हो । नजारत पर भी वाकिफ की मंशा के हिसाब से काम इस्तेमाल होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें । आपका समय समाप्त हुआ । वैसे भी मंत्री जी आपके पड़ोसी हैं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा ।

जो वक्फ प्रापर्टी बगैर रजिस्ट्रेशन पड़ी है उसकी छानबीन करायी जाये और रजिस्ट्रेशन कराया जाये । जो वक्फ का पैसा है उसका कोई फंड कायम करने के बाद स्कूल और कालेज चलाये जा सकते हैं जिससे मुसलमानों के बच्चों को फायदा पहुंच सके ।

श्री हनुमन्त सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे श्रम व मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बजट पर कुछ कहने का मौका दिया है, मैं इसलिये आपका आभारी हूं माननीय मंत्री जी ने श्रम एवं मुस्लिम वक्फ बोर्ड बजट पेश किया है, इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, से आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आभास था, वह जानती थी कि माननीय मंत्री जी की तरफ से हमारे हित में घोषणायें होंगी, क्रान्तिकारी घोषणायें होंगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब वे विरोध पक्ष में बैठा करते थे...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हनुमन्त सिंह जी, समय कम है, दो-तीन मिनट में आप अपने सुझाव दे दें।

श्री हनुमन्त सिंह--

माननीय मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो श्रमिकों की भागीदारी की बात किया करते थे अब वे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं तो फिर इसके लिये घोषणा क्यों नहीं करते हैं ? मैं चाहूंगा कि मैनेजमेन्ट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके घोषणा करें, मैं आज ही उनसे यह बात सुनना चाहता हूं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा की योजना जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा और यह राज्य निगम 1948 अधिनियम के अन्तर्गत संचालित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाय इस ओर मौजूदा सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं उसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सीय सुविधाओं के लिए चिकित्सा दिया गया है तत्कालीन कांग्रेस के शासन के डाक्टरों की नौकरी उसे 6 महीने में समाप्त कर दिया गया है। और उन पर रखा जाता है इस सरकार ने उसे खतम करके एक सराहनीय कार्य किया है। आज दवाओं के लिये और खाने के लिये उचित पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो पैसा की मांग किया जाता है उसके लिये पैसा चिकित्सालय को न देकर इससे बड़ा गलत काम और कोई नहीं हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिये। श्रमिक जो कि फैक्ट्री में काम करके हम लोगों के जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं को, चीजों को बनाते हैं यह सरकार किसानों के लिये, गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये, श्रमिकों के लिये भलाई का काम करने के लिये बचनबद्ध है।

आज जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर और किसान उनको कर्मचारी राज्य बीमा भूमि योजना के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी लावें। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वे लोग भी दवाइयों की सुविधा से लाभान्वित हो सकें, जो लोग बीमारी की दशा में दवा के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं इसलिये किसानों को भी इस योजना से लाभ मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जांय। अब आप जो बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री हनुमन्त सिंह--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जा रहा है जो कुछ आप बोल रहे हैं।

श्री हनुमन्त सिंह--

[× ×]

(श्री अनुग्रह नारायण के खड़े होने पर)

नोट --[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी, क्या आप अपने से छोटे साथियों को जो इस बार चुन कर आये हैं, उनको आप बोलने के लिये समय नहीं देना चाहते हैं ?

श्री राम करन आर्य--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने श्रम पर जो अपना बजट रखा है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है । उत्तर प्रदेश में श्रम की समस्या विशेष रूप से है और मजदूरों की हालत बद से बदतर है । एक तरफ जहां मिल के मजदूर हैं वहीं दूसरी तरफ खेतों में काम करने वाले लोग हैं उसके बाद बाल मजदूर आते हैं । मिलों में मजदूरी करने वाले मजदूर जो हैं उनका अपना संगठन है । इस संगठन के जरिये वे अपनी आवाज उठा लेते हैं । लेकिन खेतों में काम करने वाले जो हलवाहे हैं, वे असंगठित हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, न कोई गिरोह है जिसके जरिये वे अपनी बात रख सकें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज 40 साल बाद भी जिस तरीके से लगातार उनका शोषण हुआ है, अब आगे उसका शोषण न होने पाये । हमारे इलाके में जो हलवाहे काम करते हैं उनको एक बोधा खेत मिलता है और एक दिन में एक रुपये की मजदूरी उन्हें मिलता है यानी तीस रुपये महीना उनको मिलता है । मान्यवर, आप हिसाब लगायें तो 60 रुपया माहवार पड़ रहा है फिर कैसे वह अपना जीवन-यापन कर सकता है ? मैं निवेदन करूंगा कि आप एक सर्वे इसका करा लें कि पूर्वांचल में जो जमींदारों के यहां और बड़े लोगों के यहां हलवाही करते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाय ।

हमारे समाज से 6 साल की उम्र से ज्यादा काम करने वाले बच्चे हैं । न तो उनका कोई संगठन है और न उनकी ऐसी स्थिति है कि वे अपनी बात रख सकें । एक प्रकार के मजदूर और भी हैं जिसके बारे में माननीय ऊदल जी ने बात कही है । जो गांवों के लोग हैं जिनके मां-बाप मर जाते हैं उनके पास जीवन-यापन का कोई दूसरा सहारा नहीं होता है, जो इस तरह से 16 साल की उम्र में ही मजदूरी करने लगते हैं उनके बारे में आप सर्वे करा लें । उनके लिये पाठशाला की व्यवस्था आप कर दें, पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम कर दें और जब वे 14 साल के मैच्योर हो जांय तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियों पर लगाया जाय । मान्यवर, कानून कुछ भी हो और हिन्दुस्तान का कानून कुछ कहता हो लेकिन उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान के कोने-कोने में अलग-अलग संविधान अलग-अलग जाति और धर्म के अनुसार चलता है । ऐक्ट बदल देने से इन मजदूरों को राहत मिलने वाली नहीं है । छोटे-छोटे बच्चे आज बरतन साफ करते हुये मिलेंगे । बड़े लोगों के यहां 6 से 10 साल तक के बच्चे प्लेटें साफ करते हुये, मजदूरी करते हुये मिलते हैं । उनको कोई राहत नहीं है । इसलिये ऐसा कानून होना चाहिए कि 14 साल के बच्चों से चाय की दुकानों पर काम लेते हुये पाये जायेंगे उनको सजा होनी चाहिए । इस तरह से कानून में परिवर्तन होना चाहिए । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश की आंखें जनता दल की तरफ लगी हुई हैं कि इससे जनता को राहत मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं इस क्रान्तिकारी बजट का समर्थन करता हूं । मैं निवेदन करूंगा कि मजदूरों के हित में कानून बनाये जांय, यह केवल किताबों में न रह जांय जिस तरीके से पिछली सरकारों ने किया है ।

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं मुझे माननीय श्रम

मंत्री जी के साथ कुछ दिन काम करने का अवसर मिला। यह हमारी खुशकिस्मती है कि जो पहले की रीति थी उसे उन्होंने दुहराया है। अपने 45 मिनट के भाषण में उन्होंने मुस्लिम वक्फ को मिनट का समय दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय था जिस पर आपकी जो उपलब्धियां थीं, जो आपने इस विभाग के अन्दर 6 महीने में काम किया था, उसके बारे में बता देते। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम वक्फ एक ऐसा विभाग है जिसके अन्दर पूरे प्रदेश में अरबों रुपये की सम्पत्ति है। उसको बचाने के लिये आपके विभाग में, आपकी सरकार ने क्या काम किये हैं, क्या कदम उठाये हैं। उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, यह बड़े दुख की बात है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम वक्फ के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व डाला गया है केन्द्र सरकार के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं शाहबानों के मुकदमे से जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें आपने भी हमारा साथ दिया और हमारे साथ आवाज उठाई थी और हमने भी आपका साथ दिया था और धारा 125 को निरस्त किया गया और उसकी जगह एक नया कानून पास किया गया और मसलूका मुसलमान महिलाओं के बारे में यह कहा गया कि इस तरह की महिलायें जिनका कोई सहारा नहीं रह गया है उनको वक्फ बोर्ड से पैसा दिया जायेगा, उनका पूरा खर्चा बोर्ड देगा। यह एक क्रान्तिकारी कदम कांग्रेस सरकार द्वारा, हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी द्वारा उन बेसहारा महिलाओं के लिये उठाया गया और वक्फ बोर्ड पर इनकी जिम्मेदारी डाली गयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रदेश में अरबों की सम्पत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसको उत्पादकता के सेक्टर में लगाइये जिससे उसकी आमदनी बढ़े और उससे इस तरह की बेसहारा औरतों को गुजारा मिल सके। आपको काम करने का मौका मिला है आप जिन बातों के लिये पहले आवाज उठाते रहे हैं उनको लागू करिये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, बैठने के बाद उन सारे मामलों को भूल गये हैं। आपने सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराया है और कुछ कर्मचारियों को जो वहां पर थे उनको निकाल दिया है इसको उन महिलाओं से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। उनको सहारा देने की जिम्मेदारी सरकार पर है, समाज पर है और वक्फ बोर्ड को पूरा करना चाहिये।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान श्रम विभाग के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मजदूरों की भागीदारी की बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

तो उस सम्बन्ध में आपने कोई कदम नहीं उठाया है। अभी हमारे बस्ती के माननीय सदस्य कह रहे थे मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं। ग्रामीण अंचलों में जो श्रमिक हैं चाहे डी0 आर0 डी0 ए0 के हों या दूसरे उनको कहीं पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है। डी0 आर0 डी0 ए0 में जो मजदूर काम करते हैं माननीय मन्त्री जी दौरे में जाते हैं तो सड़कों के किनारे जो मिट्टी की टोकरी ढोते हैं उनको मजदूरी 5 रु0 6 रु0 मीटर के हिसाब से मिलनी चाहिये लेकिन कहीं पर भी पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है केवल दो रुपये मीटर के हिसाब से दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन--

तो उन मजदूरों का शोषण खतम होना चाहिये। इसलिये मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बातों पर बल देता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करते हुये माननीय आजम खां द्वारा रखे बजट का पुर जोर समर्थन करता हूं। श्रम का हमारे समाज में विशेष महत्व है चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी व्यवस्था हो उसमें श्रम का विशेष योगदान है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा कि संविधान में समाजवादी समाज की रचना की बात कही गयी लेकिन हमारे देश के प्रथम प्रधान मन्त्री ने हमारे देश की अर्थ व्यवस्था की जो रचना की तो उसे मिक्सड इकोनामी में बदल दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जो मेहनतकश लोग हैं उनका शोषण होता गया। एक तरफ सरकार समाजवादी समाज की व्यवस्था की बात करती है और उन्हें ज्यादा के ज्यादा अधिकार देने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ निजी पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय मोर्चा और जनता दल की सरकार को जिसका केन्द्र में नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह कर रहे हैं और प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह कर रहे हैं उन्होंने अपने घोषणापत्र में जो घोषणा की थी कि मजदूरों को कारखानों में भागीदारी मिलेगी उसका प्रबन्ध कर रहे हैं। उस दिशा में कदम उठाया जा रहा है मैं माननीय ऊर्जा जी को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तमाम सम्मेलन हो चुके हैं कि किस तरह से मजदूरों को भागीदारी संगठनों में दी जाय? हमारे बहुत से माननीय सदस्य इससे वाकिफ नहीं हैं। यह मजदूरों की लड़ाई से जुड़े नहीं हैं और ज्ञान नहीं है इसलिये मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां प्रबन्ध में भागीदारी की बात कर रहे हैं लेकिन आज जरूरत है जिस प्रकार मेहनतकश लोगों का शोषण हो रहा है उसको देखते हुये कारखानों में उन्हें भागीदारी दी जाये। उस तरफ बैठे लोग इलाहाबाद में जो कारखाने चल रहे हैं उनके मजदूरों का वह शोषण करते रहे हैं जिसके लिये पिछली विधान सभा में प्रश्न लाते रहे लेकिन वह आते-आते समाप्त हो जाते थे। इलाहाबाद की एक हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्कस लि0, बमरौली में ग्लास फैक्टरी में मजदूरों पर गोली चलायी गयी जिससे चार मजदूर घायल हो गये थे....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है आप बैठ जायें। अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

[× × ×]

नोटः--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अकबर हुसैन बाबर--

श्रीमन्, 6 महीने गुजर गये हैं लेकिन श्रम मन्त्री और जनता दल सरकार ने अपनी श्रम नीति को घोषणा नहीं किया है। क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त को अमल में लाने के लिये गुप्त मतदान द्वारा बहुमत की यूनियनों को सामूहिक समझौते की नीति बनायेंगे। मान्यवर, हिन्डालकों और रेणुसागर में अल्पमत की यूनियनों से समझौता किया गया है जिसका कोई वजूद नहीं है।

मान्यवर, प्रदेश में फैक्टरियों के बन्द होने से लगभग 10 हजार मजदूर बेकार हैं, इसलिये शासन से अनुरोध है कि फैक्टरियों को तालाबन्दी को समाप्त करके उन्हें चलवायें। नयी सरकार के शासन में और फैक्टरियां बन्द हो गयी हैं और तालाबन्दी और बढ़ गयी है। मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल, जे0 के0 कताई मिल बन्द हैं जबकि हमारे मुख्य मन्त्री जी उसके पंच हैं, यह फैक्टरी अच्छी है और चल सकती है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मिल को नहीं चलाना चाहती है ?

श्रीमन्, ताज्जुब है कि सहकारी क्षेत्र में फर्रुखाबाद में जो कताई मिल है जिसमें कई वर्ष पहले कई मजदूर मारे गये थे वहां आज श्रमिकों को 12 घन्टे काम करने के आदेश दिये गये हैं और आज भी सरकार मिल में 12 घन्टे मजदूरों से काम ले रही है। घोषणा की गयी थी कि जो अवैधानिक रूप से अकबरपुर कताई एवं दूसरी मिलें बन्द हैं उन्हें चालू कराया जायेगा लेकिन नहीं चालू कराया गया तो क्या आज मन्त्री जी घोषणा करेंगे कि मिलों की तालाबन्दी समाप्त करायेंगे और श्रमिकों को सारी सुविधा देंगे। इन बातों का मन्त्री जी अपने जवाब में उत्तर देंगे।

[4 बजकर 30 मिनट]

(श्री लियाकत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सभी लोग बैठ जायें। यह लेबर और मुस्लिम वक्फ का बजट है, इसलिये मैं मुस्लिम भाइयों को ज्यादा अवसर देना चाह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सैय्यद लियाकत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं श्रम मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप शीघ्र बोलिये, स्वागत में समय न निकालिये।

श्री सैय्यद लियाकत हुसैन--

श्रम मन्त्री जी ने अपने बजट के जरिये कुछ इन्कलाबी कदम उठाये हैं, जो काबिले मुबारकबाद हैं। जैसे उन्होंने तीन लेबर कोर्ट्स की स्थापना करने की घोषणा की है। इसी तरह पांच नये औषधालय खोले गये। श्रमिकों के स्वास्थ्य की हालत को देखते हुये साठ पलंग अस्पताल के बारे में भी बजट में कहा गया है। अभी पहली मई के दिन, मई दिवस पर सरकार ने सवेतन छुट्टी की घोषणा की थी,

लेकिन फतेहपुर की जो राज्य सहकारी कताई मिल है, उसके श्रमिकों को इस मई दिवस का वेतन काट लिया गया है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी अवश्य अब उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और वहां के मजदूरों को पहली मई को वेतन दिलवायेंगे। इसके अलावा चौड़मारा फतेहपुर में ही ऐसे कई कारखाने हैं, जहां दोहरे रजिस्टर मेन्टेन किये जाते हैं। इनमें मजदूरों को तन्ख्वाह का पूरा और सही पैसा नहीं दिया जाता है। एक असली रजिस्टर पूरा पैसा लिखा जाता है और एक दूसरा रजिस्टर वह है जिसमें कम पैसा लिखा जाता है प्रावीडेन्ट फण्ड का पैसा भी नहीं दिया जाता है।

जहां तक वक्फ का सवाल है, सही बात है कि इसके लिये जितना पैसा एलाट किया गया है 3.5 लाख वह बहुत ही कम है। यह 3 लाख रुपया करीब एक माह में आता है। इसका कहीं बढ़ा हुआ आना चाहिये था, यह तो बिलकुल नाकाफी है। इतने रुपयों से उनका वह बूढ़ी के काम कैसे हो सकते हैं, मैं वक्फ मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में कब्रिस्तान तो हैं, लेकिन उसका कहीं इन्द्राज नहीं है। जिसके कारण से उनका प्रधान लोग पट्टे पर लिख रहे हैं। इसके कारण से गांव में आये दिन फसाद होते रहते हैं। एक तरफ मुर्दा रखा हुआ है और दूसरी तरफ प्रधान व दूसरे लोग डन्डा लिये खड़े हुये हैं। यह स्थिति बहुत खराब है। सरकारी कागजात में इन्द्राज कराया जाय वक्फ बोर्ड की तशवीरात होना है।

(लाल बत्ती होने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये। हमारे सामने समय की सीमा है। साढ़े 4 बज गये हैं, व्यवधान है, हमारी बात सुनिये, साढ़े चार बजे चर्चा समाप्त होनी थी और मैं देख रहा हूं कि घड़ी में इसे समाप्त होने में केवल 28 मिनट अब रह गये हैं और अभी इस पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्य बोलेंगे और मन्त्री का भी उत्तर आना है। तो अब इतने समय में और किसी को समय देना सम्भव नहीं है।

श्रम विभाग बजट के बजट चर्चा में समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

(स्वीकृत)

आप सबकी राय हो तो सदन 15 मिनट के लिए बढ़ा दें।

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

बढ़ा दें, मान्यवर।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर
मतदान-अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग अनुदान
संख्या-70 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)
अनुदान संख्या-71 श्रम विभाग
सेवा योजन (क्रमागत)

श्री प्रागी लाल अहिरवार--

मान्यवर, मजदूरों की मजदूरी का शोषण हो रहा है। मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। जो गांवों में, खेतों में मजदूर किसान काम कर रहे हैं आप उनको

देखिए उनकी क्या हालत है। वे सुबह 6 बजे से 8 बजे रात तक काम करते हैं और उन्हें 10 रुपये उपलब्ध होते हैं। मान्यवर जवाहर योजना में मजदूरों को 18 रुपए देने की बात कही गई है लेकिन इन्हें केवल 10 रुपये ही दिए जा रहे हैं। उन किसानों की बात कोई सुनने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष —

अब आप बैठ जायें।

श्री मदन गोविन्द राव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रदेश के मजदूरों की खुशकिस्मती है कि उनको इतना ईमानदार श्रम मंत्री मिला। हमारे चीनी उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। मान्यवर, तृतीय वेतन मंडल की सिफारिशें अभी अधर में लटकी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे मंत्री जी अपनी ताकत का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके प्रदेश में इन सिफारिशों को लागू करें। ताकि चीनी उद्योग के मजदूरों की प्रतीक्षा पूरी हो। मान्यवर, एक सुझाव मैं रखना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो श्रम विभाग के कानून बने हुए हैं उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब तक जो भी कानून बने हैं वह मालिकों को संरक्षण देने के लिए बने हैं, अब ऐसे कानून बनाये जाने चाहिए जो मजदूरों को संरक्षण दें तथा मजदूर विरोधी उद्योग पतियों को कटघरे में खड़ा कर सके। कानून में कुछ इस प्रकार परिवर्तन किए जाए जिससे समझौता कार्यवाही विफल होते ही संराधन अध्यक्ष न्यायिक निर्णय लेने के अधिकार से सम्पन्न हो जाय। मान्यवर, राजाज्ञाओं आपसी समझौता श्रम न्यायलयों के एवोडो का उल्लंघन करने वाले मालिकों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का प्राविधान किया जाय तथा श्रम कानूनो मजदूरों के लिए संरक्षण बनाया जाय।

मान्यवर, आज जो श्रम कानून हैं उनका मखौल इस देश के उद्योग पति उड़ा रहे हैं और बेचारा मजदूर चुपचाप देख रहा है। यह जनता दल की सरकार है। यह नई सरकार सामाजिक परिवर्तन के नारे पर चुन कर आई है। हमें उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी यह जो कानून हैं उनमें परिवर्तन करने में सफल होंगे। मेरा निवेदन है कि श्रम मंत्री जी ऐसे कानून बनायेंगे जो श्रमिकों के हित में होंगे।

श्री उपाध्यक्ष —

अब आप बैठिये।

*श्री धर्मपाल (बहराइच)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे श्रम विभाग के बजट पर बोलने के लिए समय दिया।

श्री बाबू राम—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, यह जो सदन अव्यवस्थित है यह नेतृत्व के झगड़े की वजह से है। प्रमोद तिवारी जी डिप्टी लीडर बनना चाहते थे लेकिन अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना जी बन गए। प्रमोद तिवारी जी उनके नेतृत्व को मान नहीं रहे हैं इसी की वजह से नियमों का उल्लंघन हो रहा है और सारा सदन अव्यवस्थित हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष --

आप कृपया बैठिये । माननीय यादव जी सदन व्यवस्थित चल रहा है ।

*श्री धर्मपाल (बहराइच)--

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी ने बजट रखते हुये अनेक घोषणाओं की ओर उन्होंने कहा कि उनके जमाने में किसी भी तरीके की गैर कानूनी हड़ताल नहीं हुई है । मैं उनका ध्यान हिंदुस्तान ग्लास वर्क्स की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर 23 अप्रैल, 1990 से गैर कानूनी तालाबन्दी है । आपने उनको आर्बीट्रेशन के लिए खुद बुलाया और 16 मई की तारीख नियुक्त की लेकिन प्रबन्धकों की ओर से कहा गया कि डाइरेक्टर उपलब्ध नहीं हैं । दोबारा आपने 27 जून, 1990 की तारीख तय की लेकिन फिर वह गैर हाजिर रहे । वहां पर गैर कानूनी तरीके से श्रमिकों को निकाल कर ठेकेदार के मजदूरों से फैक्टरी चल रही है । इसी प्रकार से आपके जनपद रामपुर में जोली रेडियोज एण्ड साउन्ड सर्विस नाम की फैक्टरी है, बी0 के0 इलेक्ट्रानिक्स, जोली टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, निश्की सेल्स प्राइवेट लिमिटेड उसकी ब्रांचें हैं । इसके बारे में आपको जानकारी है । आप इस तरफ ध्यान दें और कार्यवाही करें ।

मान्यवर, अब मैं बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । प्रदेश के अन्दर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले अपनी जीविका चलाने के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चों से मजदूरी कराते हैं । यह सत्य है कि कानूनी तौर पर बाल श्रमिकों से काम नहीं लिया जाना चाहिए । लेकिन श्रीमन्, जरा कल्पना कीजिये कि एक विधवा जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और 4 जवान लड़कियां हैं, अगर वह अपने 12 साल के बच्चे को मजदूरी करने न भेजे तो कैसे उन लोगों की जीविका चल सकती है ? आपके कानूनों के अनुसार उस बच्चे को मजदूरी के स्थान पर भीख मांगनी पड़ेगी । माननीय मंत्री जी यदि कानून वाकई में बनाना है तो कानून यह बनाइये कि उस 12 साल के बच्चे को भी बड़े मजदूर के बराबर वेतन दिया जाय । अगर आप वाकई में गरीबों, मजदूरों के हमदर्द हैं तो ऐसी व्यवस्था करें ताकि बेसहारा लोगों को गुजारे लायक वेतन मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

श्री धर्मपाल (बहराइच)--

माननीय श्रम मंत्री जी आप कानून बनाते समय जो बातें मैंने कहीं हैं उन पर गौर कीजिएगा ।

*श्री मुहम्मद सईद अमर---

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि 6 महीने में पुराने कानूनों के अन्दर जितना सुधार हो सकता था वह उन्होंने किया है जिसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं । श्रम विभाग के सम्बन्ध में जितने भी कानून हैं वह पुराने कानून हैं और संगठित मजदूरों के हित में बनाए गए हैं । लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूर हैं, होटलों में काम करने वाले हैं उनको संरक्षण देने का कोई उपाय किया जाय । आज 12-14 साल के जो बाल मजदूर हैं, कानून में संशोधन करके उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संरक्षण दिया जाय । श्रम विभाग के कानून 1948-56-60 के हैं और बहुत पुराने हैं । इनमें खामियां हैं । मेरा निवेदन है कि इनको बदल कर एक नया विधेयक लायें जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा की जा सके ।

मान्यवर, वक्फ की जो बात है, उनका पुनः निरीक्षण कराकर जिन उद्देश्यों से वे वक्फ कायम किए गए हैं, उनका उद्देश्य पूरा कराया जाय । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री शिवराम सिंह कुशवाहा द्वारा खड़े होकर बोलने के लिए समय मांगने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

*श्री रतन लाल अहिरवार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं माननीय महोदय जी, प्रदेश की 85 प्रतिशत जनसंख्या जो कि देहात में वास करती है, उसमें से 60 प्रतिशत हमारे मजदूर वर्ग हैं और वे खेतिहर मजदूर हैं और कुछ उद्योगों में मजदूरी करने वाले हैं । 40 प्रतिशत जो मजदूर देहात में काम करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग 3 हजार रु0 वार्षिक पर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं, उनके सम्बन्ध में हमारे श्रम मंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की उनकी डियूटी सुबह 4 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक अर्थात् 18 घंटे रहती है । उनकी मजबूरी क्या है कि इनको 3 हजार रु0 जो दिए गए, उसमें जब उनका खर्च पूरा नहीं होता है, तो 100-100, 200-200 रु0 के हिसाब से फुटकर के रूप में करीब 500 रु0 वे मालिक से ले लेते हैं जिसके लिए वे अगले साल के लिए भी बंध जाते हैं और उन पर ब्याज की रकम बढ़ती चली जाती है और वह इस तरह से बंधुवा मजदूर हमेशा के लिए हो जाता है ।

मैं मान्यवर, श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने इसके खिलाफ क्या कदम उठाया है । कृपया वे उन बंधुआ मजदूरों के बारे में भी अपने उत्तर भाषण में बता दें । मान्यवर, करारी हयूम पाइप, झांसी जनपद में एक फैक्ट्री है । इसमें मजदूरों को हर नोटिस एवं किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही अंग्रेजी में दी जाती है, जबकि लेबर लोग कक्षा 5 पास भी नहीं होते हैं । इसमें क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि उससे मालिक लोग इस्तीफे पर भी हस्ताक्षर करा लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जाइये ।

(श्री शिवराम सिंह कुशवाहा के पुकारे जाने पर और उनके द्वारा भाषण प्रारम्भ करने के मध्य श्री जागेश्वर द्वारा बिना अनुमति के बोलने लगे)

*श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने बजट में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रम समस्याओं के निस्तारण हेतु काफी कोशिश की है, फिर भी श्रम तथा श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस आशा के साथ देना चाहता हूं कि वे इन पर गहराई से विचार करके तथा उस पर अवश्य ही महत्व देकर, संशोधन करके नीति बनाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, मेरा सुझाव संक्षेप में इस प्रकार है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के मजदूरों की दैनिक मजदूरी कम से कम 30 रु0 की जाय तथा श्रम नीति तय करने में श्रम संगठनों के पदाधिकारियों को भी बुलाकर उनकी परामर्श को महत्व दिया जाय।

मान्यवर, जिन मिल कारखानों में तालाबन्दी हो जाती है, शासन उन्हें अधिग्रहण करके उनको चालू कराए, ताकि मजदूरों की आर्थिक स्थिति न बिगड़े। इस हेतु उनकी निरंतर मजदूरी देने की सरकार व्यवस्था करे। चूंकि कई बड़े मिलों में बोनस देने की व्यवस्था है, इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि छोटे मिल कारखानें, ग्रामीण लघु उद्योग एवं कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को बोनस की व्यवस्था की जाय। मंत्री जी से मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि आज मिल कारखाने तथा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मजदूरी करते हैं, और उसी दरमियान कुछ लोग मर जाते हैं, तो उनके परिवार को इसके लिए मुआवजा देने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए तथा उनके परिवार के लोगों को अनिवार्य रूप से नौकरी देने की व्यवस्था की जाय। आज शासन व्यवस्था परिवर्तन की नीति के अन्तर्गत बेरोजगारों की नौकरी एवं रोजगार देने की बात करती है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों की फाइलें पूर्ण होकर बैंक तक पहुंच जायें, ऐसी व्यवस्था की जाय कि बैंक उनको अनिवार्य रूप से धन देकर लघु उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान करे। जब तक उनकी नौकरी की व्यवस्था न हो जाय, तब तक शासन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की कृपा करे।

(श्री जागेश्वर द्वारा बिना अनुमति के बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान बना रहा)

मान्यवर, आज देखा जा रहा है कि मजदूर मजदूरी करते हुए कारखाने में मर जाता है तो उसको कोई सहयोगी नहीं होता है। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे मजदूरों के मरने के बाद उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाय। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि बेरोजगारों के लिए एक ऐसी नीति बनाई जाय कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है, तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाय। माननीय मंत्री जी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे सुझावों के अनुसार अपनी नीतियों में संशोधन करें। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि ग्रामीण लघु उद्योगों को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन देने में श्रमिकों तथा श्रमिक संगठनों को प्राथमिकता दी जाय और आई0 टी0 आई0 प्रवेश में कम से कम 80 प्रतिशत ग्रामीण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, अन्त में जो सेवायोजन अधिकारी डी0 आर0 दोहरे हैं, जिनके बारे में कवल जी ने भी कहा, उनके साथ न्याय करते हुए उनको 30 माह का वेतन दिया जाय तथा उनका उत्पीड़न रोका जाय, उनका स्थानान्तरण रोका जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, त्रिपाठी जी को मैंने बुला लिया है ।

*श्री अमर मणि--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, अभी हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्कस की समस्या को पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने उठाया । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जब वे जवाब दें तो अवश्य आश्वासन दें कि जो अवैध तालाबन्दी हुई है उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे और उसको खुलवाने की कार्यवाही करेंगे । दूसरा मान्यवर, आली टी0 वी0 के सम्बन्ध में है जो मंत्री जी के जनपद का मसला है इसमें गत दिनों हड़ताल हुई और माननीय मंत्री जी की मध्यस्थता से उसको खुलवाया गया । मान्यवर, उसके बाद निश्चित प्रमाण है कि माननीय मंत्री जी के सचिव ने घूस लेकर जो श्रमिकों के हित में समझौता कराया गया था उसको नहीं होने दिया । इसमें मान्यवर, निश्चित प्रमाण है, पोर्टेबिल टी0 वी0 है उसका नम्बर है सी0 टी0 371 और चेसिस नम्बर है 1992, मान्यवर, यह सुमित सिंह के नाम से है जो मोहिन्द्र सिंह के घर पर मौजूद है लिया गया और माननीय मंत्री जी स्वच्छता की बात करते हैं । मान्यवर, बड़े शर्म की बात है इनके सचिव इस तरह का काम करते हैं । दूसरी बात बंधुआ मजदूर के बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें ।

श्री अमर मणि--

[×××]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जा रहा ।

श्री अमर मणि त्रिपाठी और रघुराज प्रसाद उपाध्याय के एक साथ बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा और बिल्कुल नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, हमारे गोंडा जिले के नवाबगंज शुगर मिल में श्रमिकों का कई वर्षों से श्रम बकाया चला आ रहा है । मैं इस सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने अपने लेबर प्रेस का प्रदर्शन किया है मैं चाहता हूं कि ये उनके प्रति हमदर्दी रखें और नवाबगंज शुगर फैक्ट्री पर लगभग 2 करोड़ रुपये से ऊपर का बकाया है जिसमें 900 श्रमिक हैं अगर इनके परिवार जोड़ दिये जाय तो 3036 परिवार उनसे जुड़े हुए हैं और भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं एक बोल और कह दी जाती है कि जिस

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

फैक्ट्री का अधिग्रहण चीनी निगम कर लेगा वह बकाये का भुगतान नहीं करेगा। मैं सुझाव देता हूं कि जिस शुगर फैक्ट्री का अधिग्रहण किया है, जो उसका कबाड़ बेचा गया, जमीन बेची गयी उससे जो आमदनी फैक्ट्री की हुई है उससे श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान हो सकता है तो उस बकाये से तीन गुना से ज्यादा उस फैक्ट्री को फायदा हुआ है। मेरी मांग है कि इन श्रमिकों का बकाया भुगतान दिलाने की कृपा करें।

संत श्रीराम द्विवेदी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव यह है कि आज हमारा जो बजट है जनता दल सरकार का वह गांवों की ओर चलने वाला है। मैं देखता हूं कि गांवों के श्रमिक आज शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और इस देश के श्रमिक आज दूसरे देश को पलायन कर रहे हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाये कि गांवों के श्रमिकों को गांवों में ही काम करने का मौका मिले।

(इस समय 4 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर आपके माध्यम से कि माननीय श्रम मंत्री जी ने एलान किया कि 14 साल तक के बच्चों से काम नहीं लेंगे। पूरे हिन्दुस्तान में इस बात को उठाया गया है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात का प्राविधान किया गया है कि हम इस देश के अन्दर 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि जैसा कि उन्होंने एलान किया है इस बजट में इस बात का प्राविधान करें, ताकि देश और प्रदेश के 14 साल तक के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। आज हालत क्या है कि यह बच्चे होटलों में प्लेट साफ करते हैं, कचहरियों में बूट पालिश लेकर पालिस करने का काम किया करते हैं, यह दुधमुंहे बच्चे घाट के ठेलों पर पत्ते बटोरने का काम करते हैं। इसलिये बजट में 14 साल तक के बच्चों से काम के बजाय अनिवार्य रूप से उनकी पढ़ाई का उनके रोजगार का इंतजाम करें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जो श्रम न्यायालयों की आपने व्यवस्था की है, उनको ठीक ढंग से और सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

संत श्रीराम द्विवेदी—

होता क्या है जो श्रमिक याचिकायें दायर करते हैं लम्बे समय तक उनकी सुनवाई नहीं होती है। श्रमिकों के जो न्यायालय हैं, नियमावली है, ऐक्ट है, उनके तहत जो श्रमिकों की याचिकायें आती हैं, उन याचिकाओं पर महीने भर के अन्दर अनिवार्य रूप से निपटारा होना चाहिये। श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

संत श्रीराम द्विवेदी—

हमारे अकबरपुर फैजाबाद जनपद में कताई मिल है, इसको गैर कानूनी तरीके से तालाबन्दी कर दी गयी है। आज वहां पर 3–4 हजार मजदूर बेरोजगार हो गया है आज दाने–दाने के लिये वह मजबूर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय श्रम

मंत्री जी से इस गम्भीर समस्या को अकबरपुर फैजाबाद की कताई मिल की गैरकानूनी ढंग से तालाबन्दी को, गम्भीरता से लें। उस तालाबन्दी को वापस लिया जाय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं। मैं दो बार आपसे कह चुका हूं।

श्री ऊाल—

मान्यवर, सभी सदस्यों का जो पक्ष और विपक्ष के बोले हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों ने आलोचना भी किया है लेकिन सुझाव भी दिया। एक तो लखनऊ में जो विवेकानन्द पालीक्लीनिक है उसके कर्मचारियों और सभी लोगों ने काफी दिनों से हड़ताल कर रखी है। अभी हाल ही में श्रम मंत्री जी से और श्रम सचिव जी से उनका प्रतिनिधि मंडल मिला है। मैं चाहता हूं कि उसका निराकरण जल्द से जल्द हो जाय। दूसरा सवाल श्रीमन् परमानेन्ट मजदूरों का है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, कालोनी बनाने के लिए और पुरानी कालोनियों को बेचने के लिए जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानपुर के किदवई नगर में 30 वर्ष पहले से बनी हुई कालोनी है, उसमें मजदूरों का हिस्सा 1–2 फीसदी है और बाकी सब दूसरे लोग कब्जा कर लिया है लेकिन कालोनी खाली नहीं हुयी और आज भी वह कालोनी दूसरे लोगों के कब्जे में है।

मैं समझता हूं कि आप इसको बेच नहीं सकते और न ही निकाल सकते हैं, जब तक कि यह रद्दी कानून बना रहेगा। अगर आप निकाल दें, तो अच्छी बात होगी। इसके अलावा और जो मजदूर पिपरी, रैनूकूट, कानपुर में हैं, उनके लिए कालोनियों का इंतजाम करें, इस आशा से नहीं कि यह कालोनियां बिक जायेंगी। यह श्रम विभाग की जिम्मेदारी और श्रम विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कालोनियों का निर्माण हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यूनियन के बारे में। यह जो प्रबन्धक और नियोजक हैं, यह उसको होने नहीं देते। काशी मिल में काफी प्रयास के बावजूद यह यूनियन रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, इसलिए मैं समझता हूं कि आपको ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो संवैधानिक अधिकार हैं, मजदूरों के, जैसे यूनियन बनाने का, हड़ताल करने का, वह संवैधानिक अधिकार उनको मिल सके और वह अपनी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगों को रख सकें। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने बछावत आयोग का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान में भी बहुत सी ऐसी बातें, जिसको लेकर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और इन सिफारिशों को, उन निर्णयों को वह लागू नहीं करने देते, चाहे वह मजदूरों के पक्ष में हों, चाहे पत्रकारों के पक्ष में हो और चाहे श्रमजीवी पत्रकारों के पक्ष में हों।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से आप कहें कि वह ऐसे कठोर नियम बनावें कि जो लोग कानून को न मानें, उनको जेल के सीखचों में बन्द किया जाय, चाहे वह प्रेस के मालिक हों, चाहे पूंजीपति हों, चाहे अन्य कोई। अन्त में श्रीमन् मैं अपनी बात खत्म करते हुये एक बात फिर कहना चाहता हूं कि काफी लड़ाई, सत्याग्रह करने के बाद आपको यह सत्ता मिली है और आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। समय जो बीत रहा है, वह बीत जायगा लेकिन काम करने का मौका यही है, हमारे गांव में इसी सम्बन्ध में एक कहावत कही गयी है, "अब पछताये का होत है, जब चिड़िया चुग गयी खेत" यह हमारी चेतावनी है, जनता दल की सरकार को, कि कुछ कर दीजिये, जिससे जनता आपका नाम

ले । आपसे इतना कहने के बाद में अपनी बात समाप्त करते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ऊदल जी का और अन्य साथियों का बहुत ही मशकूर हूं कि उन्होंने एतराज भी किया, सुझाव भी दिये और कुछ बातें कहीं, कुछ मानी भी हैं । मान्यवर, आपके भाषण में एक जुमला था कि समय आता है और समय चला जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी समय आता है, जो अपनी यादें छोड़ जाता है । मैं चाहता हूं कि यह जनता दल का समय जो है, वह पूरे देश में अपनी यादें छोड़ जाय । अक्सर सुना होगा, नेता जी से, इसी सदन में उन्होंने कहा है कि जब जीवन ही मुस्तकिल नहीं है, इसे ही नहीं रहना है हमेशा के लिए, तो फिर किसी पद के रहने के लिए जमानत नहीं की जा सकती । जो घोषणायें हम कर रहे हैं, जो वायदे मजदूरों से कर रहे हैं, उनको अगर लागू न कर सके, लेकिन फिर भी जिन लोगों पर जो लागू करना है, उनके दिल में यह अहसास होना चाहिये कि उन नीतियों को लागू करने वालों की नीयत अच्छी थी । हमारी नीयत सही है । हमारी काम करने की मंशा है तो जो हम जनता से वायदा कर के आये थे, उसे पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं । हमने कहा है कि 6 महीनों के अन्दर जो उपलब्धियां हमने की वह जनता के सामने है । मैंने मिसाल के तौर पर कहा था कि जब किसी घर का मुखिया अच्छा होगा तो उस घर का सब काम अच्छा होगा । आज हमारे प्रदेश के मुखिया की नीयत अच्छी है । श्रम का, शिक्षा का, प्रशासन का, किसी भी विभाग का मामला हो हर जगह पर कानून की सरकार नजर आती है ।

मान्यवर, अभी काफी सुझाव यहां पर दिये गये हैं । हमारे माननीय श्री ऊदल जी ने सेवायोजन कार्यालय के बारे में कहा । इसके बारे में मैं कह नहीं सका था क्योंकि समय कम था । यह सही है कि हमारे इस कार्यालय की यह जिम्मेदारी होती है कि वह पता लगाये कि किस विभाग में कहां और कितनी जगहें खाली हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने में मदद मिल सके । मान्यवर, हमारी जनता को बड़ा भ्रम है कि यह हमारा कार्यालय रोजी दिलाने का काम करता है । यह रोजी दिलाने का काम नहीं करता बल्कि सूचना उपलब्ध कराने का काम करता है कि किस जगह किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं । आज तक यह कार्यालय यह काम भी नहीं करता था ।

मैंने तो बड़ी मायूसी के साथ अपने विभाग के अधिकारियों से कहा कि क्या अच्छा होता है कि अगर इस विभाग को समाप्त कर दिया जाय , इस विभाग की इमारत भी है, उसका किराया भी जाता है । इसमें अनेक कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं । जब हम सूचना भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो इस विभाग का क्या औचित्य है । यह भी सही है कि इसकी जिम्मेदारी रोजी दिलाने की नहीं है । जिन कारखानों में ट्रेनिंग के लिये रखे जाने वाले लोगों की आवश्यकता होती थी उसकी सही सूची होनी चाहिए थी, वह उपलब्ध नहीं होती थी । डिपार्टमेन्ट के लोग समय से कार्यालय नहीं आते थे । पूरे समय नहीं बैठते थे । मैंने कई जगहों पर छापे मारे, अपने विभाग में भी, आई0 टी0 आई0 में 98 से 100 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों को हाजिर पाया । श्रमिकों की मांगवारी के सिलसिले में आपने कहा, यह नीतिगत सवाल है । हमने जनता से वायदा किया था और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है । जनता की यह जिम्मेदारी हमको पांच साल के अन्दर पूरी करनी है । इसका यह मतलब नहीं है कि इसे हम आने वाले पांच साल में पूरा करेंगे ।

प्रधान मंत्री का वह जुमला मुझे याद आ जाता है जो उन्होंने हमारे श्रमिकों के लिये कहा। इस देश में रहने वाले सैकड़ों इन्सान ऐसे हैं जिनको केवल काम करने का अधिकार है उन्हें कोई और अधिकार नहीं दिया गया है। उनके पास सुबह उठकर काम पर जाने और रात होकर काम से लौटकर सो जाने के अलावा कोई काम नहीं होता। उन्हें भी हमें और अधिकार देने होंगे। जिन लोगों के सामने मंजिल का पता नहीं होता वह कभी भी अपनी निश्चित मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हमारे सामने मंजिल है और हम उस मंजिल के लिये सही रास्ते पर चल पड़े हैं। मान्यवर, श्रमिक भागीदारी के सिलसिले में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था उसमें सेवा योजक भी थे श्रमिक नेता भी थे। इस सम्बन्ध में जब केन्द्र सरकार में नियम बना लिया जायेगा तो उसे प्रदेश में भी लिया जायेगा।

मान्यवर, श्रमिकों के मुकदमों के सम्बन्ध में बात कही गई। 27 हजार मुकदमे दायर हुए थे जिनमें से 39 सौ का फैसला हो गया है। फैसले हुए मुकदमों की तादात काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को इन्साफ मिले, किन्तु सस्तेपन से इन्साफ न मिले। आपने कहा कि मंत्री ने कहा था श्रमिकों के बारे में कि गोली चलाओ। जाहिर है कि किसी मंत्री ने कहा होगा, जिनमें मेरा नाम नहीं आता है।

श्री ऊदल—

25 साल पुरानी बात मैंने कही कि इस तरह की भी सरकार यहां थी।

श्री मोहम्मद आजम खां—

आपने जिसके लिए भी कहा। वह श्रम मंत्री नहीं हो सकता है। वह न यह सरकार होगी और न इस सरकार की जो आज व्यवस्था है, वह होगी। वह श्रम मंत्री जिसने यह कहा कि गोली चलाओ। उसमें और हममें यही फर्क है कि हम मजदूर के खून की एक बूंद की कीमत किसी कारखाने की कीमत से ज्यादा समझते हैं। परन्तु इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि हम किसी ऐसे संगठन को किसी ऐसे फिक्र को कतई प्रोत्साहन नहीं देंगे जो नाजायज तरीके से कारखानों को बन्द करने का काम करते हैं। श्रमिकों और मालिकों के बीच में अच्छा रिश्ता हो। मजदूर को उसका हक मिले, इस प्रदेश में कारखाने बढ़ें। कारखानों को मंदिर कहते हैं, यदि यह मंदिर बन्द हो जायेंगे तो इसमें पुजारी कैसे बढ़ेंगे इसमें फूल कैसे चढ़ेंगे? हम चाहते हैं कि इन मंदिरों की संख्या बढ़नी चाहिए, इनमें पुजारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, इनमें फूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, इनका प्रसाद बढ़ना चाहिए। हम इसे एक बुनियादी वसूल मानते हैं। अगर किसी मजदूर के ऊपर गोली चलती है तो सरकार सबसे बड़ी निकम्मी होती है।

श्री अमर मणि—

तालाबन्दी के कारण जो मजदूर भूखों मर रहे हैं। उनके बारे में आप बतायें।

श्री मोहम्मद आजम खां—

हमने आपसे बहुत लानतें ली हैं जिसके कारण हमें भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कानपुर जे0 के0 मिल में, रायन में आपके जमाने से तालाबन्दी है, जिसे आज हम भुगत रहे हैं। हम उन्हें खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी त्रिपक्षीय वार्तायें आपने 5 साल में नहीं की, उतनी हमने 6 महीने में की हैं। हिन्दुस्तान शेफटी गिलास के बारे में कहा

गया । हम कोशिश में लगे हैं कि इसमें काम जल्दी शुरू हो जाय । श्रमिक न्यायालयों की बात की गई । इस समय 19 श्रमिक न्यायालय हैं, 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, तीन और बढ़ा दिये गये हैं । माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं, उनका ख्याल रखा जायेगा । बहुत से सुझाव आये हैं, बहुत सी समस्यायें हैं । श्री रविदास मेहरोत्रा जी के भी सुझाव आये हैं....।

श्री अमर मणि--

टेलीविजन वाली बात आपने अभी तक नहीं कही ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैं उस पर भी कहूंगा । आपने हमारे अधिकारी के ऊपर सीधे इल्जाम लगाया है । मैं उन लोगों में से हूं, जो अधिकारियों से नाराज रहते हैं । यह इसलिए कि जब तक हम अपने अधिकारियों से कर्मचारियों से काम लेने का मिजाज नहीं बनायेंगे, तब तक वह काम नहीं करेंगे । परन्तु मेरा यह भी सुझाव है कि अगर हम दिन और रात में फर्क नहीं करेंगे तो दिन खत्म हो जायेगा, केवल रात ही रात बचेगी । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस के एक साथी ने हमारे अधिकारी के ऊपर जो इल्जाम लगाया है । वह न केवल गलत है बल्कि पूर्णतया झूठ पर आधारित है । मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हमारे विभाग में उससे ज्यादा ईमानदार अधिकारी कोई हो ही नहीं सकता है । मैं हरगिज यह नहीं चाहता था कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसकी ईमानदारी का सर्टीफिकेट दिया जाय ।

श्री अमर मणि--

जांच करा लीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, जांच नहीं कराऊंगा ।

जहां तक "ओली" टेलीविजन की बात है, आपने सही कहा है कि वहां अशान्ति थी, मेरी मध्यस्थता से हड़ताल खत्म हुई । उस वार्ता का एक सुखद परिणाम यह हुआ कि पूरे प्रदेश के मजदूरों को 55 रु0 की अन्तरिम सहायता मिली है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । आप बैठ जायं ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह कार्यवाही में नहीं आयेगा, आप बैठें ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय के बैठ जाने के बाद)

श्री अध्यक्ष--

यहां कहना यह है कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप इतने दिनों से यहां हैं, अगर आप के खड़े होने पर माननीय मंत्री जी बैठ जाते तो मुझे निर्देश देने की जरूरत नहीं होती ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

चीनी उद्योग के सम्बन्ध में बहुत दिनों से बात चल रही है । मुख्तलिफ संगठनों ने मुझसे मांग की है कि शासन कुछ करे । दो बार त्रिपक्षीय वार्ता बुला चुका हूं, लेकिन वह नाकाम हो गई है । ये दिन ऐसे हैं कि बारगेन नहीं कर सकते । बरसात के बाद ऐसा फैसला हो जायगा जिससे चीनी उद्योग के श्रमिकों की समस्या का निदान हो जायगा । समस्यायें ज्यादा हैं और वक्त कम है । ऐसे में मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद का जुमला याद आता है । जब जिन्दगी के आखिरी दिनों में वह जब बहुत बूढ़े हो गये थे । उनसे कहा गया कि अब आपकी सेहत बहुत खराब हो गई है कुछ आराम कीजिये । उस समय उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि मेरी सेहत कमजोर हो गई है लेकिन मैं जानता हूं कि जिन्दगी के दिन कम हैं और काम बहुत बाकी है । हमारे सामने कोई मुस्तकिल नहीं है कि अगला लम्हा जिन्दगी का हो या न हो । हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हों, हम से गलतियां हो सकती हैं, नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अगर उनको मौका नहीं देंगे तो पूरी व्यवस्था का ढांचा गिर जायेगा और सेवा का काम नहीं कर सकेंगे ।

श्री अकबर हुसैन बाबर साहब बेचैन हो रहे हैं, कताई मिल के बारे में जानना चाहते होंगे । वहां की दो समस्यायें थीं । एक तो वहां के जिलाधिकारी श्रमिकों की कालोनी को खाली कराना चाहते थे, उसे रुकवा दिया था । दूसरे, कारखाने की हड़ताल और उसे चलाने की बात थी, इस सिलसिले में कहना है कि वहां इतनी हड़तालें हुई हैं कि खुद में एक इतिहास बन गया मैं सत्र के चलते और अगर सत्र के चलते में सम्भव न हुआ या समय न मिला तो उसके बाद कोशिश करूंगा कि त्रिपक्षीय वार्ता बुलाकर समस्या का निराकरण करें । मान्यवर, वक्फ के सिल-सिले में माननीय अकबाल साहेब का जो सुझाव रखा है, सच्चाई तो यह है कि मैंने इतने कड़े कदम उठाये हैं जितने कि श्रम विभाग के लिए नहीं उठा सका हूं तलाकशुदा औरतों के सिलसिले में जो आपने कहा है कि केन्द्र की मंशा थी कि हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों को, इन्सानों को जिल्लत जितनी मुस्लिम महिलाओं को थी, वह आप खुद जानते हैं । आप वकील हैं, खुद जानते हैं । बात व्यक्ति की नहीं होती है, बात नीतियों की होती है, बात समाज की होती है, मैं उस जमाने की नीति की बात कर रहा हूं ।

आपने एक जो सुझाव रखा है कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उनको केन्द्र सरकार ने अपने कानून में प्राविधान किया है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करेंगे । मैं स्वयं बोर्ड का मेम्बर रहा हूं वहां पहले इन औरतों के लिए 5 हजार रु0 का फण्ड था, उसे मैंने ही पचास हजार रुपये का फण्ड कर दिया था और अब उसे एक लाख रुपये करने की सोच रहा हूं, उसे एक लाख रुपये का कराना है । आज जो बजट पेश हुआ है उसमें वक्फ के लिए पैसा भी नहीं है । वक्फ के लिए नहीं है, वह दूसरे निवेशालय हैं, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, उसके लिए नहीं है । जो हमारी आमदनी है, उसे दूसरे साथियों से ज्यादा आप जानते हैं ।

हमारे बहुत से साथियों ने सुझाव दिया है, सब पर मैं प्रकाश नहीं डाल सका क्योंकि उसके लिए बहुत सा समय चाहिये ।

एक सदस्य--

कानपुर में जो अवैध तालाबन्दी हो गई है उसके सम्बन्ध में कोई घोषणा आप करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसमें कोशिस करेंगे । मैं माननीय ऊदल जी को समझाना चाहूंगा कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, जो नसीहतें दी हैं, मैं आपकी नसीहतों को ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिस करूंगा । मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस श्रम के साथ उन्होंने सुझाव दिये हैं उसी प्रेम के साथ माननीय ऊदल जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय अमरमणि के द्वारा जो बात माननीय मंत्री जी के सामने रखी गयी, मैं नहीं कहता कि वह बात पूरी तरह सही रही हो, लेकिन सदन की यह परम्परा रही है कि जो जानकारी की बात सामने आयेगी उस पर सरकार जांच करायेगी, उसका परीक्षण सरकार करायेगी । लेकिन आज यहां पर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि यह बात झूठ है । यह "झूठ" शब्द ही असंसदीय है, यह शब्द तो अपना ही नहीं होना चाहिये । दूसरी बात यह कि जिसके सम्बन्ध में शिकायत थी इससे उस अधिकारी का मनोबल बढ़ेगा, मैं नहीं कहता कि वह अधिकारी गलत है माननीय मंत्री जी जांच कराने के लिये कह देते उसके बाद कह सकते थे कि यह बात निराधार है, लेकिन जिस हठधर्मिता से माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य की बात का जवाब दिया है; कहां तक उचित है, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर जांच करा लें । हो सकता है कि वह अधिकारी बेचारा ऐसे ही बदनाम किया जा रहा हो मान्यवर, इस पर आप विचार कर लें । नवाबगंज शुगर फैक्ट्री के श्रमिकों के बकाये के सम्बन्ध में आपसे आश्वासन चाहता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

वह मैं देख लूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48, मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48, मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 34,84,000 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,04,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71, श्रम विभाग (सेवा योजना) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71, श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,90,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990

ग्राम विकास मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यहां पर यह नियम था कि जो जमीन वगैरह बेचने के लिये सेल एग्रीमेन्ट करते थे और मात्र 6 रुपये के स्टाम्प पर यह फैसला कर लेते थे कि यह जमीन खरीदनी है, उसके तहत वह जमीन खरीद लेते थे और उसका कोई पैसा जमा नहीं करते थे । इस तरह से सरकार को उससे कोई राजस्व नहीं मिलता था क्योंकि जमीन हस्तान्तरित नहीं करते थे । इस तरह से एक ट्रांजेक्शन हो जाता था और हमें राजस्व का नुकसान हो रहा था । इसके द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जो जमीन हस्तान्तरित की जा रही है उस पर रोक लगाने के लिये और प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिये महाराष्ट्र की तरह हमने किया है कि कोई भी जब एग्रीमन्ट । सेल का कोई फैसला करता है तो जब वह जमीन को हस्तान्तरित करेगा उस पर राजस्व का आधा पैसा सरकार ले लेगी और जब उसकी कार्यवाही पूरी होगी आधा पैसा उस समय ले लिया जायेगा । यदि जमीन हस्तान्तरित नहीं होती तो इस प्रकार जो आधा पैसा जमा होता है उसको वापस कर दिया जायेगा । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम यह विधेयक लाये हैं ।

श्री पंचानन राय—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, यह सही है कि बड़े-बड़े शहरों में मकानों में कब्जा करने वाले इसी तरह से करार कराकर रहने लगते हैं और स्टाम्प की चोरी करते हैं। यह संशोधन कुछ मानों में ठीक है वास्तव में इस करार की व्यवस्था का पूरी तरह समाप्त कर दिया जाय जिससे मकान लेने वाले सरकार को जितना स्टाम्प देना चाहिये उसको वह दें। अगर यह कर दिया जाय तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इससे रुक जायेगा। आप सभी चाहे इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उस तरफ बैठने वाले, इस बात से सहमत होंगे कि रजिस्ट्री कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी अप्रैल माह में आजमगढ़ गये हुये थे. उन्होंने पब्लिक मीटिंग में अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा और इस समस्या को सबसे पहले उठाया कि रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार है और अगर 15 दिन के अन्दर नहीं रुका तो मैं स्वयं आकर किसी न किसी कार्यालय में छापा मारूंगा। मुझे अपनी जानकारी है कि तब से भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसी कार्यालयों में छापा नहीं मारा। मैंने उनको एक पत्र लिखा है कि अगर वास्तव में सरकार गम्भीर है तो मैं रजिस्ट्री कार्यालयों में भ्रष्टाचार मिटाने के लिये एक सुझाव देता हूं (व्यवधान) उन्होंने आजमगढ़ में घोषणा की थी उसका पालन नहीं किया तो आप आजमगढ़ जिले में किसी रजिस्ट्री कार्यालय की जांच करा लीजिये कि वहां उनके बाद 15 दिन में कितना भ्रष्टाचार हुआ है मेरा सुझाव है कि 3 सदस्यों की इस सदन की एक समिति बना दीजिये जो जांच कर ले। मैं जिस तहसील से चुन कर आया हूं वहां की सगड़ी के रजिस्ट्री कार्यालय की जांच कर लें वहां उसके बाद 15 दिनों में जितने मामले निस्पादित हुये हैं उसके क्रेता और विक्रेता दोनों को बुला कर पूछ लें कि तुमने कितना स्टाम्प सरकारी खजाने में जमा किया है और कितना पैसा कर्मचारियों की जेब में गया है। सगड़ी का उदाहरण मैंने दिया है आप किसी महीने को चुन लें जितना भ्रष्टाचार है हरिजन और समाज कल्याण मंत्री जी, आपने आगरा में छापा मारा पकड़ा गये लोगों ने किस तरह से पैसा फेंका उसके खुद आप साक्षी हैं। तो मैंने जो माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा उसका एकनालेजमेन्ट तो नहीं आया मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं अगर सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिये गम्भीर है तो कम से कम जहां मुख्य मंत्री जी घोषणा करके आये हैं वहां सगड़ी तहसील को चुन लें और इस सदन की एक समिति बना दें जिसमें चाहे तो उधर के ही सदस्य रख दें मैं उससे भी सहमत हूं। वहां के क्रेता और विक्रेताओं को नोटिस देकर पूछ लें जो 10, 15 दिन में निष्पादन हुये हैं उनसे पूछें कि कितना स्टाम्प दिया और कितना बिना स्टाम्प के बन दिया तो आपको पूरा एहसास हो जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी हैं नहीं उनकी तरफ से ग्राम्य विकास मंत्री जी ने यह पेश किया है। (व्यवधान) उन्हें कुश्ती प्रिय है तो मैं एक कुश्ती का उदाहरण देता हूं जब दंगल होता है तो जो आदमी आगे बैठे होते हैं वह कहते हैं ठीक दिखाई दे रहा है और जो पीछे बैठे होते हैं वह धक्का देते हैं। तो जब लोग इधर रहते हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई देता है और जब उधर चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है तो यही हालत इनकी हो गयी है।

मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार यदि रजिस्ट्री कार्यालय के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये गम्भीर है और मुख्य मंत्री जी ने आजमगढ़ में जो घोषणा किया था उसके आधार पर यदि मेरे तहसील की जांच करा दें तो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पता चल जायेगा ।

मेरा आरोप है कि इस बार रजिस्ट्री कार्यालयों में जो ट्रान्सफर हुये हैं उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है । यदि सरकार जांच करायें तो मैं इसके सबूत देने के लिये तैयार हूं । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, यह जो विधेयक सरकार लायी है इसकी नीयत ठीक है लेकिन कमियां जरूर हैं । श्री पंचानन राय ने रजिस्ट्री कार्यालयों के बारे में जो कहा है वह सही है । मान्यवर, अभी बरेली के सब-रजिस्ट्रार के यहां छापा मारा गया तो कहा जाता है कि पचास लाख का सामान बरामद हुआ । इसी तरह स्टैम्पों की बिक्री में गड़बड़ी है । नवाबगंज तहसील में पिछले महीने की 31 तारीख को 7,500 रुपये के फर्जी स्टैम्प पकड़े गये । जांच हुयी तो पाया गया एक लाख, सवा लाख रुपये के फर्जी स्टैम्प का पिछले दो सालों में इस्तेमाल हुआ है । इसी तरह रजिस्ट्रार, बरेली के कार्यालय में दो करोड़ रुपये का घपला मिलेगा । मान्यवर, फर्जी स्टैम्प कैसे बने हैं कहां से आये हैं इसकी जांच करायी जानी चाहिये । कार्य-स्थगन प्रस्ताव में भी आया था तो शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था । लेकिन मामला गम्भीर है इसलिये पूरे प्रदेश में इसकी जांच होनी चाहिये ।

फर्जी स्टैम्प के साथ-साथ रजिस्ट्री कार्यालय सबसे भ्रष्ट कार्यालय हैं जहां जमीन के लेन-देन में गड़बड़ी की जाती है और असली लोगों की जमीनें दूसरे लोगों के नाम चढ़वा कर बेची जा रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिये । फर्जी स्टैम्प पूरे प्रदेश में कितने इस्तेमाल हुये इसकी भी जांच होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, यह संशोधन पेश करने के पीछे हमारी मंशा कुछ सुझाव देना है । श्री राय जी ने जो कहा है मैं भी उससे सहमत हूं कि रजिस्ट्री कार्यालयों में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार है । एक जगह पर ही नहीं कहीं भी छापा मारा जायें तो पता चल जायेगा कि किस तरह यह लोग धन अर्जित कर रहे हैं ? क्रय-विक्रय में जो मूल्य तय होता है, उसमें दो से चार प्रतिशत घूस पहले ही दे दी जाती है और उसके बाद रजिस्ट्री होती है । मुंशी जितना चाहते हैं उतना लेते हैं । इस तरह से भ्रष्टाचार रजिस्ट्री कार्यालयों में हर जगह व्याप्त है और फर्जी बैनामे हो रहे हैं । इस लिये निवेदन है की इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये आपको उचित कदम उठाना चाहिये । कल्याणकारी राज्य की बात कहते हैं, तो आप अपने कहे को पूरा करें । आपने छापा मारा, इसके लिये हम आपका स्वागत करेंगे और इस दिशा में कोशिश करें, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

*श्री अमरमणि--

मान्यवर, यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाये, इसके पक्ष में मैं हूं, क्योंकि जैसा पूर्व वक्ता राय साहब, तिवारी जी और जौहरी जी ने कहा रजिस्ट्री कार्यालयों

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरे जनपद में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी सब-रजिस्ट्रार के रूप में शुरू की थी और आज फिर घूमफिर कर 15 साल बाद भी फिर वहीं चले आये हैं और उसी रूप में चले आये हैं। उनका इतना प्रभाव है, इतना पैसा है कि वह लखनऊ आकर अपनी मनचाही पोस्टिंग करा लेते हैं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गरीब आते हैं जिसको एक एकड़ जमीन है और वह और जमीन खरीदना चाहता है या जिसके पास भूमि नहीं है, वह कहीं से पैसा एकत्र करके भूमि खरीदना चाहता है, तो स्टैम्प ड्यूटी में उसको विशेष छूट प्रदान की जाये, विशेष सुविधा प्रदान की जाये या उससे स्टैम्प फीस न ली जाये। साथ ही जो बड़े लोग हैं, जिसके पास निर्धारित सीमा से अधिक जमीन है या धनी हैं, उनसे अधिक से अधिक जो पैसा लिया जा सकता हो, लिया जाये। मंत्री जी की धारणा के मैं स्पष्ट रूप से पक्ष में हूं।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी की नीयत साफ है, क्योंकि जो लोग बीच में दलाली करते थे, और जमीन अपने नाम करके और लोगों को बांटते थे, उन पर नियन्त्रण इससे लगा है। उन्होंने आधार कर दिया, किन्तु मैं चाहता हूं कि इसे पूरा किया जाये। जो निर्धारित फीस है वह एक ही बार पूरी दे। इन सारे बिन्दुओं पर विचार करने के लिये इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिये जाये, जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट दे। इससे उसके हर पहलू पर विचार कर हर भ्रष्टाचार पर कारगर अंकुश लगाया जा सकता है।

श्री प्रभुदयाल यादव--

यह संशोधन जो पेश किया गया है, यह बहुत ही अच्छा और उत्साही है। जो सस्ती जमीन है, उसे प्रभावशाली और धनी लोग गरीबों से एकरारनामा करके ले लेते हैं या प्रापर्टी डीलर्स ले लेते हैं और वह उस जमीन का बड़ा मिसयूज करते हैं। यह इसमें अच्छी बात है कि इसमें खरीदार को जब खरीदता है जो पहले पैसा पड़ जायेगा वह उसमें बाद में जोड़ दिया जायेगा। लेकिन एक संशोधन की बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एकरारनामा में ही पंजेशन की बात नहीं लिखी जाती है, नोटरी द्वारा इसे अलग से लिखाया जाता है और उसके माध्यम से किया जाता है। इसलिये इसको इस दिशा में कोई लाभ नहीं होगा। वह फिर 6 रुपया के स्टाम्प पर उसी तरह लिखवायेंगे। इसमें ऐसा किया जाये, जैसे भूमिधर किसी को जमीन देता है, कब्जा देता है तो वह पैमाना मान लिया जाता है, वैसा ही इसमें भी कर दिया जाये। तो यह सही रहेगा। इस तरह का मंत्री जी इसमें सुधार करें, तभी इसमें रोक होगी, नहीं तो 6 रुपय के स्टाम्प पर बराबर यह खोज होती रहेगी।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, यह संशोधन बहुत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण है..

(व्यवधान)

सहकारी आवास समितियां जो शहरों में अपना जाल फैलाये हुये हैं, वे एग्रिमेंट टू सेल के आधार पर जो उनको छूट मिलती है, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि यह सहकारी आवास समितियां किसी भी गरीब या निर्बल वर्ग के व्यक्ति को भूमि नहीं दे रही हैं। वहां भूमि का एक व्यापार कर रहीं हैं। इसलिये जो उनको स्टैम्प ड्यूटी की एक छूट दी गई है, उसको भी समाप्त कर दिया जाये और उनसे पूरी ड्यूटी ली जाये। इसके साथ में संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्यों ने रजिस्ट्री आफिस में भ्रष्टाचार की बात कही है, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है, तो हम लोग भी उतने ही चिन्तित हैं। श्री पंचानन राय ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने उनके जिले में घोषणा की थी कि हम छापा मारेंगे तो हमारे मंत्री गये हैं और उन्होंने छापा मारा है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिये हम काम कर रहे हैं। माननीय सदस्यों द्वारा यहां दिये गये सुझाव का हम स्वागत करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है और हम भ्रष्टाचार मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 7 जून, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 2, सन् 1899 की अनुसूची 1—बी का संशोधन

2—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, अनुसूची 1—बी में, अनुच्छेद 5 (करार या करार का ज्ञाप) में खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(बी—1) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है जहां संविदा के आंशिक अनुपालन में कब्जा दे दिया जाना स्वीकार किया गया हो या हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन किये बिना दे दिये जाने का करार किया गया हो।

वही शुल्क जो हस्तान्तरण पत्र (संख्या 23) पर करार में दी गयी प्रतिफल की रकम के आधे पर देय हो।

परन्तु यह है कि जब ऐसे करार के अनुसरण में हस्तान्तरण पत्र का—

(एक) निष्पादन किया जाय, तब इस खंड के अधीन भुगतान किये गये शुल्क का समायोजन हस्तान्तरण पत्र पर देय कुल शुल्क के प्रति किया जायगा;

(दो) निष्पादन न किया जाय तब इस खंड के अधीन भुगतान किया गया ऐसा शुल्क जो खंड (सी) के अधीन देय शुल्क से अधिक हो, नियमों के अधीन रहते हुये उस अवधि की, जिसके दौरान हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन करार के अनुसरण में किया जा सकता था, समाप्ति के छः मास के भीतर इस प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले आवेदन-पत्र पर बिना किसी कटौती के वापस कर दिया जायगा।"

3—(1) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14, सन् 1990

निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड-2, खंड-3 एवं खंड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वर्ष 1990-91 के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न समितियों में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1990-91 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये जिनके निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना इस सदन में दिनांक 22 जून, 1990 को दी गयी है, सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुये जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1990-91 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम निर्देशन कर दें और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, क्या सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में सेवारत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा

*श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, कांच एवं चूड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के लिये अभी तक न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किये गये हैं। श्रीमन्, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार का यह दायित्व है कि वह कांच एवं चूड़ी उद्योग के अन्तर्गत जो प्रतिष्ठान हैं उनमें न्यूनतम वेतन निर्धारित करे। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत हमें यह अधिकार प्राप्त है कि आर्थिक ढांचा जिस तरह का गठित है उसमें सामाजिक न्याय और आर्थिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिये यह आवश्यक है कि उसमें समुचित विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाय। श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद 43 और संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धान्त (डायरेक्टिव प्रिंसिपल) हैं, उनके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को और अन्य राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवारत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित करें। लेकिन मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि अभी तक फिरोजाबाद के चूड़ी और कांच उद्योग के अन्तर्गत जो प्रतिष्ठान हैं उनके मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, 1968 में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके तहत कुछ कुशल तथा अर्द्ध कुशल कारीगरों और अन्य श्रेणियों के कारीगरों के लिये न्यूनतम मजदूरी देने की प्रक्रिया अपनायी गयी है लेकिन श्रीमन्, यह जो 1948 का न्यूनतम वेतन अधिनियम है इसको अमल में नहीं लाया गया है जिससे फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी उद्योग में लगे हुये मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको वहां का श्रमिक कब तक बर्दास्त करेगा क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को आज तक अमल में नहीं लाया गया है जिससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। आज जो बजट पुस्तिका है इसके पेज 20 पर लिखा गया है कांच एवं चूड़ी उद्योग में मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण का विषय संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़े का ऐक्ट, 1947 के अन्तर्गत गठित समिति को सौंपा गया है। मान्यवर, 1948 का जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसके अन्तर्गत तो कमेटी बनायी नहीं गयी है लेकिन 1947 के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत कमेटी बनाकर यह कार्य किया जा रहा है। इस कार्य की शुरुआत 1987 में पूर्व सरकार ने की थी और आज तीन साल हो गये हैं प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुयी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं और जो डारेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनकी अवहेलना की गयी है। फिरोजाबाद में जो श्रमिक काम करते हैं उनकी जो हालत है, उनकी जो दशा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लड़के वहां पर काम करते हैं उच्च तापमान की भट्ठियों पर उनमें डिहाइड्रेशन के कारण वह बीमार होते हैं। उनकी आंखों में रतौंधी हो जाती है, उनके क्षय रोग हो जाता है। वहां पर जो केमिकल्स इस्तेमाल किये जाते हैं उनकी दुर्गन्ध से वहां काम करने वाले लड़कों में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वहां की जो वर्किंग कन्डीशंस हैं वह अत्यन्त कठिन हैं। संविधान साफ कहता है कि कारखानों में ऐसी वर्किंग कन्डीशंस होनी चाहिये जिससे वहां काम करने वालों का जीवन सुरक्षित रह सके और उनको सामाजिक न्याय मिले। लेकिन मुझे यह कहते हुये तकलीफ है कि सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

मैं कांग्रेस हुकूमत से अपेक्षा नहीं करता था क्योंकि उन्होंने कभी भी फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के न्यूनतम वेजेज तय नहीं किये। वहां पर 9 साल से लेकर 14 साल के बच्चे काम करते हैं और उनको इतनी मजदूरी नहीं मिलती है कि वह अपना पेट भर सकें। माननीय मन्त्री जी ने विधवाओं, असहायों के बच्चों के बारे में कहा है। मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय संविधान फिर कहता है कि 9 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे प्रतिबन्धित श्रमिक हैं उच्च तापमान की भट्ठियों में कठोर श्रम करने के लिये। लेकिन इस प्रतिबन्ध के रहते हुये कठोर श्रम में हमारी सरकारों में जो पूर्व सरकारें थीं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह सीधा-साधा हमारे संविधान का खुला उल्लंघन है। बाल श्रमिकों की संख्या कुल संख्या में 45 प्रतिशत है, जो विभिन्न कामों में लगे हुये हैं। जब हमने पिछले सत्र में सवाल किया, तो बाल श्रमिकों की संख्या 15 प्रतिशत बतायी गयी। पिछली सरकार के मन्त्री जब वहां पर गये, तो तिगुना, चौगुना संख्या बतायी गयी। लेकिन आज स्थिति बदल गयी है। मैंने आपसे अनेक बार प्रार्थना की है कि कांच के मजदूर या किसी किस्म के मजदूर जो बाल श्रमिक हैं, उनके बारे में विशेष नियम बनाने होंगे। जो भिखारियों के बच्चे हैं, परित्यक्तों के बच्चे हैं, उनके लिये बाल श्रम कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जब तक ऐसा नहीं करते हैं, तब तक भारतीय संविधान के अन्तर्गत 9 साल से 14 साल के बच्चों को नौकरी में लेना निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन है और ये प्रतिबन्धित श्रमिक हैं। मैंने श्रम मन्त्री माननीय पासवान जी को भी पत्र लिखा है। मैंने उनसे कहा है कि जब

तक कानून में परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक 9 साल से 14 साल के बच्चों को काम में नहीं ले सकते हैं।

यदि आप चाहते हैं कि इसमें सामाजिक परिस्थितियों के और बढ़ती बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाल श्रमिक जो होटलों में, कांच के कारखानों में पत्थर में, दरी-गलीचों में काम करते हैं, उनके लिये बदलती सामयिक परिस्थितियों में नये परिप्रेक्ष्य में नये कानून की आवश्यकता है, जो सामाजिक जीवन की नयी धारा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, तो समाज के नये ढांचे के परिवर्तन के लिये आपको नया ढांचा निर्माण में खड़ा करने के लिये 9 साल से 14 साल के बालकों से काम लिया जाय, यह मान्यवर, राष्ट्रीय श्रम शक्ति का ह्रास है। जब राष्ट्रीय श्रम शक्ति घटती है, यदि 9 साल से 14 साल के बच्चे काम करते हैं। ऐसे मुल्क में श्रम शक्ति और उत्पादन बढ़ता नहीं है। इसलिये आपको नये कानून के लिये सोचना पड़ेगा। हमारे संविधान के निर्माता राष्ट्रीय श्रम शक्ति का संचय, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के महत्व को समझते थे। आपको इस संदर्भ में मनीषियों और श्रम के जानकार लोगों को और सेवायोजकों को बैठाल कर इस पर विचार करना पड़ेगा। फिरोजाबाद के कांच के कारखाने में बहुत भयावह स्थिति है।

मैंने मिनिमम वेजेज ऐक्ट को देखा है, महंगाई भी निरंतर बढ़ रही है, मूल्य सूचकांक दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। मूल्य सूचकांक के बढ़ते हुए उसमें वेतन की स्थिति जो है, वह कम है। यह तो श्रमिकों के साथ अन्याय है. जो लेबर नियम भारत सरकार का है, वह लेबर वेलफेयर ऐक्ट हमने देखा है। इसमें जो सिद्धांत और प्रिंसिपिल की बात की गई है, इसमें यह बात अछूता छोड़ दी गई है। इसमें जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक मैं कहूंगा कि आप न्याय नहीं करेंगे। फिरोजाबाद में जो चूड़ी की घिसाई या कटाई का काम करते हैं, दिन भर काम करने के बाद 12 रु0 उनको मिलता है, 30 साल की उम्र पर पहुंचते-पहुंचते वह काम करने लायक नहीं रह जाता है और उसकी उम्र घटते-घटते 50 साल पर आ जाती है।

मान्यवर, आज की स्थिति में 30 साल की उम्र पार करने वाले लड़के जो चूड़ी का कार्य करते हैं वह मरणासन्न अवस्था में धीरे-धीरे पहुंच जाते हैं। उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, खुस्की, क्षय रोग, रतौंधी, कटना, जलना आदि रोग हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो भट्ठी पर काम करते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है और किसी भी कारखाने में डिहाइड्रेशन की सुई उपलब्ध नहीं है। उसे उसको मरसी पर छोड़ दिया जाता है। मान्यवर, जो लड़के चूड़ी चिनाई का काम करते हैं उनकी मजदूरी का रेट है साढ़े आठ रुपये और जो पकाई का काम करते हैं उसको 14 रुपया मिलता है। उनका इतनी महंगाई में किस तरह से गुजारा होगा। जो कांच की गुल्ली ढोकर उच्चतम तापमान की भट्ठियों से बड़े-बड़े कारखानों से उठाकर लाते हैं उनको एक दिन में 600 से 800 चक्कर तक करने पड़ते हैं और जो फूंकता है वह दिन भर फूंकेगा 4 घंटे निरन्तर फूंकेगा तो फूंकते-फूंकते उसके गले में खुस्की पैदा होती है और पेट खाली हो जाता है और ओठों पर पपड़ी जम जाती है और उसको मिलेगा क्या दिन भर काम करने वाले को 14 रुपये और जो गुल्ली ढो रहा है उसको 5 रुपये से 12 रुपये, यह स्थिति है हमारे यहां फिरोजाबाद की।

माननीय मंत्री जी को मिनिमम वेज तय कर देना चाहिए था लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से अक्षम सिद्ध हुई है। मैंने अभी प्रश्न किया था, बीच में भी प्रश्न

किया था आपने कहा कि प्रयासरत हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मिनिमम वेज तय करने के लिए एक कमेटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के तहत बनाई गई लेकिन सभी बैठक नहीं होती है। इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि सरकार अधिसूचनाओं के सहारे जिन्दा न रहे। मिनिमम वेज के अन्तर्गत जो कमेटी जिस तरह से निर्मित हुई है वह कमेटी उसी तरह से बैठकर हर साल के महंगाई भत्ते का मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष दर तय करे।

मान्यवर, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां पहले मजदूरों के बारे में कोई कानून नहीं बना था लेकिन पहली बार 1929 में रायल कमीशन के आने पर 1931 में यह तय हुआ और 1945 में कानून बन पाया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फिरोजाबाद की जो स्थिति है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्य के लिए बहुत तीव्रता बरती जाय ताकि फिरोजाबाद में यह न्यूनतम मजदूरों अधिनियम के तहत मजदूरों की दशा को सुधारा जा सके।

धन्यवाद।

श्री बाल चन्द्र मिश्र--

मान्यवर, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

कोरम न हो तो घंटी बजाई जाय।

(घंटी बजायी गयी)

श्री अध्यक्ष--

कोरम पूरा हो गया है। माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर संक्षिप्त भाषण दे दें, अंत में उत्तर दे देंगे।

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, बाद में उत्तर दे लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। अब मैं श्री जगदीश लाल को बुला रहा हूं।

*श्री जगदीश लाल--

मान्यवर, माननीय सदस्य वर्मा जी ने जो विचार प्रकट किए हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है कि 14 साल तक के बच्चों का शोषण अवैध माना जायेगा। और, जो लोग भी 14 साल तक के बच्चों का शोषण करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं चाहूंगा माननीय सदन से और माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूंगा एक बहुत अच्छे विषय की शुरुआत माननीय वर्मा जी ने यहां की है। कम से कम उत्तर प्रदेश में और इसके पड़ोसी राज्य बिहार में जहां मैंने देखा है बाल श्रमिकों की संख्या सबसे सर्वाधिक जो है उन होटलों में है जहां आप स्वयं भी कभी कभार जाया करते हों। माननीय सदस्यगण जो यहां बैठे हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल्कुल वाजिब कहना चाहता हूं, अधिकांशतः माननीय सदस्यों के निवास पर मैं उन बच्चों को देखता हूं जो बाल श्रमिक हैं जो 14 वर्ष से कम हैं। हमें केवल भाषण नहीं देना चाहिए बल्कि आचरण में स्वयं हमें इस तरह की बातों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। भारतीय संविधान के जो हमारे प्रणेता रहे हैं उन्होंने उसके प्रस्तावना में इन बिन्दुओं को उठाया है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से मान्यवर आपसे कि इस पर कम से कम एक दिन पूरे वक्त विस्तार से इस पर चर्चा करायें। कम से कम उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की जाय। माननीय सदस्यों के घरों से इसकी शुरुआत की जाय, बाल शोषण उत्तर प्रदेश में नहीं होने पायेगा। 14 वर्ष तक के बच्चे जो होटलों और तमाम जगहों पर काम कर रहे हैं, इस बुराई को बन्द करने के लिए कारगर कदम उठाये जायेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

धन्यवाद।

*श्री अमर मणि—

मान्यवर, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने जो यह विषय उठाया है, यह काबिले तारीफ है, अभी हमारे यहां के माननीय सदस्य जी बोल रहे थे उन्होंने भी तमाम बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि पहले हमें अपने अन्दर सुधार लाना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। यह समस्या केवल वहां की ही नहीं यह पूरे प्रदेश की है। हमारे यहां प्रदेश में भिन्न-भिन्न जनपदों में यह समस्या है।

हमारे यहां वन श्रमिक होते हैं, वन टांगिया जिन्हें कहा जाता है, उनको मजदूरी नहीं दी जाती है। एक रु0 भी वन विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। केवल वही जमीनें दी जाती हैं जिन पर वन को काटकर दोबारा वन लगते हैं। थोड़े दिन के लिए 4-6 महीने के लिए उस पर वे खेती करते हैं वही उनका श्रम है। वन टांगिया मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है सदियों से उनकी उपेक्षा है उनके बाप दादाओं का कहीं घर नहीं है दरवाजा नहीं है केवल वह वनों में रहकर वनों को लगाने और काटने का काम करते हैं और अल्प समय के लिए खेती करते हैं। आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वोट देने का अधिकार विधायकों और सांसदों को है और कोई अधिकार नहीं है, ग्राम पंचायतों को चुनने, ग्राम सभाओं को बनाने का अधिकार नहीं है। और स्थायी रूप से वह रह सकें इसके लिए कोई व्यवस्था व सुविधा नहीं है वह बंधुवा मजदूरों के रूप में काम करते हैं।

वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, जो उन्हें जमीन वन कटान के बाद उपलब्ध होती है, उस पर जो वह खेती बाड़ी करते हैं, अधिकारी व कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं अपना हिस्सा लेने के लिए उत्पादन का अच्छा हिस्सा होता है वह ले जाते हैं। जो वह गाय, बकरी, भैंस, मुर्गा आदि पालते हैं उनको भी उठा ले जाते हैं और अपना उपभोग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी यह बंधुवा मजदूरी समाप्त करने की घोषणा करें। इनकी जांच करायें निश्चित तौर से इनके उत्थान की तरफ ध्यान दिया जाय ताकि इन वन टांगियों की समस्या दूर हो सके। उसके साथ-साथ जो यह 14 वर्ष तक के बाल श्रमिकों की बात उठायी गई है उस पर भी कड़ाई से ध्यान दिया जाय।

धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर इस सदन के अन्दर चर्चा कराने का आह्वान किया था, निश्चय ही जो यह चर्चा स्वीकार हुयी है, यह प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है जो समाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है कि 14 वर्ष के बाल श्रमिक श्रम के माध्यम से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करके भरणपोषण करते हैं। यहां पहले एक प्रश्न रखा गया था, जिसके जवाब में कहा गया था कि आज बाल श्रमिकों के कार्य पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जो बच्चे अपने घर के अकेले कमाने वाले हैं, जिसकी केवल मां है, बहनें हैं उसके जीविकोपार्जन का क्या उपाय होगा ? एक तरफ बाल श्रमिकों के काम करने पर प्रतिबन्ध है, दूसरी तरफ सरकार ने कोई भी भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की है तो आखिर यह बच्चे कहां जायें, उसके परिवार कहां जायें ? इससे भुखमरी की कगार पर खड़े उनके परिवार या तो भिक्षा मांगने के लिये सड़कों पर उतरेंगे अथवा वे बच्चे अपराधों में संलग्न होंगे, निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई कल्याणकारी योजना सामने आनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में यह अच्छा होता कि यदि सरकार या तो उन लोगों को, जिन पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, जिसके भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं है, उनको इसका उचित मुआवजा दे। अगर मुआवजा नहीं दे सकती, तो कोई ऐसे प्राविधिक ट्रेनिंग सेन्टर चलाये जाने चाहिये, जो ऐसे कुटीर उद्योगों से जुड़े हुये हों, जिसमें उन बच्चों को शिक्षा दी जाये और जब तक वह शिक्षा ग्रहण करें उस दौरान उनसे ऐसा उत्पादन कराया जाना चाहिये, जिससे सरकार के ऊपर कोई विशेष भार नहीं पड़े और उनके उत्पादन को बाजार में बेचा जाय और उसी पैसे से उनके परिवार का जीविकोपार्जन किया जाय, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं। यदि इस पर अमल किया गया तो इन परिवारों के लिये निश्चित रूप से जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी, और जो बाल श्रमिकों के शोषण की समस्या है, उस पर भी प्रतिबन्ध लग सकेगा। अगर सरकार इस सुझाव को पूरा कर सके, तो अच्छा होगा।

श्री राम करन आर्य—

मान्यवर, आज जो वर्मा जी ने बहस उठाई है, यह वाकई बहुत महत्व की है। हमारा चूड़ी, कांच का काम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि किस तरह से चूड़ी का निर्माण होता है। मान्यवर, दिल्ली जाते वक्त रास्ते में फिरोजाबाद पड़ता है। जब मैं पहले बार दिल्ली गया, तो मैंने पूछा कि यह कौन सा शहर है, तो लोगों ने बताया फिरोजाबाद। आज से कम से कम 15 साल पहले की बात है, तमाम चिमनियां, धुआं दिखाई दे रहा था। यह भी पता चला कि चूड़ी बनाने के काम में 14 साल तक के बच्चे ज्यादा कारगर होते हैं। वहां जो भट्ठी होती है, उसका तापमान कम से कम 14 सौ डिग्री सेन्टीग्रेड होता है, जबकि 100 सेन्टीग्रेड पर पानी उबलने लगते हैं, तो यह चूड़ी बनाने वाले बाल मजदूर 1400 सौ सेन्टीग्रेड के तापमान पर काम करते हैं आप यह समझ लीजिये कि वह 8-8 10-10 लीटर पानी पीते जाते हैं और उनके शरीर से पानी बहता रहता है। ज्यों ही उनकी 30 साल की उम्र आने लगती है, उनकी आंखे कमजोर हो जाती हैं, और उनकी तमाम बीमारियां हो जाती हैं, जो वर्मा जी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मेरी मांग है कि नये तरीके से शोध करके, उन बाल मजदूरों का जिनका शोषण फिरोजाबाद में हो रहा है, उनको शोषण से बचाया जाय। साथ ही नई तकनीक विकसित करके श्रम के शोषण को कम किया जाय तथा श्रमिकों को अच्छी तनख्वाहें दी जायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को 2-3 बातें और निवेदन करना चाहूंगा। फिरोजाबाद में कटाई, छिलाई, पकाई, तुड़ाई हिल का काम, मेल देने का काम, चिनाई आदि जितने भी काम हैं, वह सारे के सारे काम 100 तोड़े से सम्बन्धित हैं और 100 तोड़े की पकाई, या चिनाई करने के बाद उसका रेट फिक्स होता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत काम करने के बाद जो मजदूरी मिलती है वह बहुत कम है, वर्तमान में उन्हें काम करने के बाद जो वेतन मिलता है वह बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी और इस कल्याणकारी सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिये। श्रीमन्, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बाल श्रमिक हैं, उनके कल्याण के लिये सेन्टर खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस तरह के सेन्टर इन बाल श्रमिकों के लिये खोलने चाहिये। दिल्ली में स्वयं सेवी संस्थायें इस तरह के सेन्टर चला रही हैं। इन सेन्टरों को चलाने के लिये केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलता है उसे अधिकारी लोग खा जाते हैं। उसका सही ढंग से इस्तेकाल नहीं हो रहा है। वहां पर बाल श्रमिक नहीं हैं। यह अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र से बच्चों को लाकर उन्हें कुछ पैसा देकर रजिस्टर की खाना पूर्ति कर लेते हैं।

मैंने स्वयं निरीक्षण किया है और जिलाधिकारी को उसकी रिपोर्ट दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाल श्रमिकों के कल्याण के लिये जो योजनायें बनाई हैं, उनकी तरफ आपके विभाग को ध्यान देना चाहिये ताकि उसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके। फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी के उद्योग के बारे में कही गयी है। यहां पर जो बाल श्रमिक काम करते हैं, वह 9 से 14 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। यह लड़के जो यहां काम करते हैं, उनमें से किसी की मां नहीं होती है और किसी का बाप नहीं होता है। यह वह बच्चे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि वहां पर गरीबी और बेकारी न रहे। काम करने वालों को एक निश्चित वेतन दें ताकि उनके जीवन-स्तर में सुधार हो सके और वह दो वक्त की रोटी जुटा सकें। माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस कल्याणकारी कार्यक्रम की तरफ ध्यान दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने एक बहुत ज्वलन्त समस्या की तरफ ध्यान दिया है। कई रोज पहले भी ऐसा ही एक प्रश्न सदन में आया था। आज भी लगभग सारा दिन इसी तरह की बातों में गुजर गया। मान्यवर, फिरोजाबाद में कांच का काम करने वाले और चूड़ी का काम करने वाले बच्चों की समस्या बहुत पुरानी है। इसमें उनकी हालत पर जो भी कहा जाय वह कम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यह आप की ही नहीं सामाजिक समस्या है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमें अपने गिरेबान में भी मुंह डालकर देखना चाहिये। समाज में कल्याण की बात करते हैं पर पहले खुद हमें वैसा ही बनाना होगा। हमारे घरों में काम करने वाले बच्चे छोटे होते हैं, यह सही बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार का दायित्व, हमारे विभाग का दायित्व या हमारा दायित्व यही समाप्त हो गया।

आपने जिस मूल समस्या की तरफ तवज्जो दिलाई है उसका निराकरण होना चाहिये। इसके निराकरण में कुछ कानूनी बाधायें हैं। यह आपका अपना क्षेत्र है।

आप इन लोगों को अपनी आंखों से देखते हैं। हम दूर से बैठकर देखते हैं। हम इसके लिये कल्याणकारी कार्यक्रम बना रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आप से झूठ बोलूं, लेकिन जो कानूनी कमियां हैं उन्हें दूर करने में मैं सक्षम नहीं हूं। जाहिर है इसमें समय लगेगा। मान्यवर, इस समय जो कांच चूड़ी उद्योग में लगे हैं उसमें अकुशल को 299 रुपये, अर्द्धकुशल को 325 रुपये और कुशल श्रमिक को 351 रुपये मिलते हैं। कांच उद्योग और कांच की चूड़ियों को जोड़कर जो काम किया जाता है, इसमें 325 रुपये अकुशल, 351 रुपये अर्द्धकुशल व कुशल को 377 रुपये प्रति माह दिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त 400 से 510 अंक तक 50 पैसे प्रति अंक व 510 अंक से ऊपर 1 रुपये प्रति अंक महंगाई भत्ते के रूप में दिये जाने का भी प्राविधान है। यह अधिसूचना अभी भी लागू है। इसके अनुसार भुगतान हो रहा है। इसमें तब्दीली होनी चाहिये। जैसा कि आपने कहा है कि यह सरकार क्रांतिकारी घोषणायें कर रही है, राजनैतिक परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करती है, हम भी मानते हैं कि न्यूनतम वेतन में संशोधन होना चाहिये। लेकिन आप खुद जानते हैं कि चूड़ी के काम में जो ठेके में काम होता है, सैकड़ों में काम होता है, यूनिट पर काम होता है, यह एक पुरानी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलने के लिये थोड़ा वक्त भी लगेगा, दूसरा यह कि सरकार को भी नेक नीयति से कोशिश करनी होगी।

यह बात आई कि 14 साल से कम या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे जो काम करते हैं, उनसे काम तो लिया जाय, परन्तु उनसे उतना ही काम लिया जाय जितना उनके कन्धे बरदाश्त कर सकते हों। यह हमारे विभाग की भी जिम्मेदारी है कि हम उतना ही काम लें उन बच्चे से जितना वह कर सकते हों। इस पर मैं आपसे विचार-विमर्श करूंगा। बाल कल्याण के सम्बन्ध में कहा गया है। यह सही है कि इसमें खामियां पाई गई हैं, मेरे पास भी शिकायतें आई हैं। जितनी लोगों को मदद मिलनी चाहिये थी, उतनी इसमें नहीं मिल पाई है। यह सही है कि इसमें हमारे अधिकारियों/कर्मचारियों ने इसे जितनी संजीदगी से लेना चाहिये था, उतना नहीं लिया। वरीयता के आधार पर जिसे लेना चाहिये था, उसे नहीं लिया। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मुखिया की जो नीयत होगी, उसी तरह से काम होता है। हो सकता है कि पहले मंत्री जी ने जिस हिसाब से काम लिया होगा, उसी हिसाब से कर्मचारियों ने भी काम किया होगा। माननीय श्री वर्मा जी जैसे ही सत्र खत्म होता है, मैं आपसे इस सम्बन्ध में बात करूंगा। मैं स्वयं फिरोजाबाद जाऊंगा। वहां श्रमिकों व मालिकों से बात करूंगा। आपके शहर में ही रुक कर उनके बारे में फैसला आपकी राय से लिया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, न्यूनतम मजदूरी कब तक माननीय मंत्री जी निर्धारित कर देंगे, इसे तो वह बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इसमें एक प्रोसीजर है। मैं एक दम कोई बात नहीं कह सकता। मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता हूं। मैं इसमें आपसे ही राय मशविरा करके कोई फैसला लूंगा।

थाना मुन्डेरवा, जिला बस्ती में पुलिस लाक अप में श्री अनिल कुमार सिंह की मृत्यु होने विषयक तथा स्थाना नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से श्री राजमणि पाण्डेय जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं तथा श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं। शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

विधायक श्री गोमती यादव एवं उनके अंग रक्षक पर प्राणघातक हमला किये जाने सम्बन्धी सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया।)

कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)---

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27 मार्च, 1990 को प्रातः 5 बजे माननीय विधायक श्री गोमती यादव ने थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ में लिखित सूचना दी कि दिनांक 26/27 मार्च, 1990 की रात्रि में लगभग 11-45 बजे जब वह तथा उनके अंग रक्षक श्री पृथ्वीराज सिंह, ड्राइवर श्री सिधारी, श्री राजपति यादव एवं श्री संतराज, गोरिया बाजार में नवमी राजभर के किराये के मकान में सो रहे थे कि भानुप्रताप उनके भाई ध्रुप, मेल्हू, बलई, गेल्हू दलई तथा उनके बहनोई राम निहोर आये और गाली तथा धमकी देकर उनके बारे में पूछा। भयवश नहीं खोला गया। इस पर उन व्यक्तियों ने दरवाजे पर कट्टे बम मारे। आत्मरक्षा में अंग रक्षक श्री पृथ्वीराज सिंह ने सरकारी रिवाल्वर से पांच फायर किये। शोरगुल सुनकर आस-पास के लोग आ गये। अभियुक्तगण अम्बेसेडर कार नं0 555 में बैठकर भाग गये। इस घटना में अंगरक्षक एवं श्री यदुनाथ के चोटें आयीं।

2--इस सूचना के आधार पर थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 54/90, धारा 147/148/149/307/504/506, भा0 दं0 वि0 अभियुक्त भानु प्रताप कोहार, धूप, मेल्हू, गेल्हू बलई, दलई तथा रामनिहोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना थानाध्यक्ष महराजगंज द्वारा की गयी। घटना में श्री यदुनाथ को कुन्द हथियार से दो चोटें एवं श्री पृथ्वीराज को दो चोटें जिनमें एक चोट शरीर की थी, आयी।

3--विवेचना अधिकारी द्वारा घटना में प्रयुक्त कार यू0 पी0-50/0555 और उसके ड्राईवर, सज्जाक, जिसके पास कार चलाने का लाइसेन्स नहीं था, पकड़ लिया गया। नामजद अभियुक्त मेल्हू, गेल्हू, दलई एवं राम निहोर को 28 मार्च, 1990 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त भानुप्रताप कोहार, धूप एवं बलई दिनांक 8 मई, 1990 को न्यायालय में हाजिर हुये। अभियोग में नामजद 7 अभियुक्तों एवं कारचालक, सज्जाक के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या ए-58 दिनांक 1 जून, 1990 को प्रेषित किया गया।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4---श्री गोमती यादव की लिखित सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग थाना महराजगंज में पंजीकृत किया गया । प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोमती यादव की हस्ताक्षरित है जिसमें अभियुक्तों को नामजद किया गया है। थाना अध्यक्ष द्वारा माननीय विधायक के हस्ताक्षर कोरे कागज पर नहीं कराये गये ।

5---प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तों एवं विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त में से 5 को गिरफ्तार किया गया और 3 न्यायालय में हाजिर हुये । अभियोग की विवेचना पूर्ण कर आरोप-पत्र दिनांक 1 जून, 1990 को प्रेषित किया जा चुका है ।

6---माननीय विधायक की सुरक्षा के लिये उनके साथ एक डंडा तथा एक गनर सम्बद्ध किया गया है । घटनास्थल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 29 मई, 1990 से 20 अप्रैल, 1990 तक सशस्त्र गारद भी लगायी गयी थी ।]

*श्री गोमती यादव--

मान्यवर, वक्तव्य में जो बात दी गई है यह घटना 26/27 मार्च की है । उस दिन मान्यवर, रात में मैं अपने मकान पर सोया था, जब हम पर हमला हुआ था तो उस समय 15-16 आदमी थे । मैं उस समय इतना डर गया था कि बिल्लौरियागंज के चौकी इचार्ज...

श्री अध्यक्ष--

यदि आपको कोई स्पष्टीकरण इसमें पूछना है तो वह पूछें ।

श्री गोमती यादव--

जब हम थाने पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अंगरक्षक घायल था उसकी डाक्टरी मुआयना करा लाओ । वहां से वापस लौटे तो जिनका नाम था घरेलू रंजिश की वजह से 13 जनवरी को हमारे भाई और बहन को बुरी तरह से मारा था, मारने आये थे उनसे थानेदार मिला हुआ था, जिनका नाम लिखवाना चाहते थे उनका नाम नहीं लिखा । जो शाम को भाई साहब को मारा था उन्हीं लोगों का नाम थानेदार ने दर्ज कर लिया ।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण का तात्पर्य यह है कि वक्तव्य में अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें ।

श्री गोमती यादव--

हमारे भाई साहब को मारा था, थानेदार ने मिलकर उन्हीं लोगों का नाम लिया है । मैं चाहता हूं कि इसकी सी० बी० आई० से जांच करा लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं । एक तो जो लोग इसमें नामजद मुल्जिम हैं, क्या उनका आपराधिक इतिहास है ? दूसरा यह विवेचना कितने आदमियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत की गयी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री पंचानन राय--

मैं जानना चाहता हूं कि एक सदन के माननीय सदस्य पर हमला हुआ और यह विवाद उत्पन्न हो गया कि रिपोर्ट इन्होंने लिखी थी या दरोगा ने नाम लिख लिया और उनसे दस्तखत करा लिया। दुबारा इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से करा दें तो कृपा होगी।

श्री देव कुमार यादव--

माननीय सदस्य ने एक बहुत चिन्तनीय बात कही कि उन पर हमले में वहां के स्थानीय थानेदार की साजिश थी और उनकी सूचना के बावजूद भी उन्होंने यह कहा कि पहले डाक्टरी करा लाइए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य की सूचना को सही मानते हुए उस थानेदार को तत्काल निलम्बित करके कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जैसा माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने पूछा, इसमें गिरफ्तारी भी हुयी है और 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। तीन अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है, 7 व्यक्तियों के विरुद्ध और कार चालक सज्जाद नाम का है, कार का नम्बर यू0 पी0-50/0555 है, जिस पर हमलावार आये थे। इस सूचना के आधार पर थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर हुआ है उनके नाम हैं अभियुक्त भानु प्रताप, कोहार, मेल्हू, गेल्हू, मलई, बलई तथा रामनिहोर, इनके विरुद्ध अपराध संख्या 54/90 में धारा 147/140/149/307/ 504/506 में अपराध पंजीकृत किया गया है। ये 7 व्यक्ति और ड्राइवर इनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट सबमिट कर दी गयी। आपराधिक इतिहास का जहां तक प्रश्न है, कुछ लोगों के बारे मेंजानकारी नहीं है और कुछ लोगों के बारे में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी, पुराने लोगों ने हमला भी किया। एक बात है कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ लिखना चाहते थे नहीं लिखा गया। मुझे जानकारी यह दी गयी कि आपने खुद हाथ से रिपोर्ट लिखकर दी थी लेकिन माननीय सदस्य अगर फिर भी यह समझते हैं कि उन्होंने जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी थी, नहीं लिखी गयी, तो चूंकि यह माननीय सदस्य का मामला है, जिससे कहेंगे जांच करा देंगे।

[6 बजकर 30 मिनट]

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जब यह मामला न्यायालय में चला गया है तो फिर सी0 बी0 आई0/ सी0 आई0 डी0 की जांच कैसे करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

परमिशन से उसे वापस लिया जा सकता है।

श्री देव कुमार यादव--

क्या माननीय मंत्री जी, उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? प्रश्न तो यह था।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, सारे तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अनुरोध पत्र दाखिल कर दिया गया है, जिनको गिरफ्तार करना था उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और कुछ लोगों ने अदालत में समर्पण भी कर दिया है। इसके बाद भी अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि और लोग भी इसमें हैं तो उनके नाम बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पंचानन राय जी, यह उचित सलाह नहीं है। इससे पहले की एफ0 आई0 आर0 झूठी हो जायेगी।

श्री पंचानन राय—

माननीय सदस्य का कहना है कि गलत एफ0 आई0 आर0 लिखायी गई है इसलिए माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है गलत चार्जशीट हो गई है।

श्री दीप नारायण—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब विधायक खुद कह रहे हैं कि इसमें दरोगा की साजिश है, जिन लोगों ने उनके भाई को मारा था, उनको फंसाने के लिए बड़े गैंग से पैसा लेकर उनको मारने की साजिश की गई थी लेकिन पता चला कि भाई को मार दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग माननीय मंत्री का उत्तर तो आने दें।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, यह बात साबित हो गई है कि माननीय सदस्य की जगह उनके भाई को मारा गया है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जो लोग पकड़े गये हैं वह तो पीछे थे, मेन अपराधी तो अभी बचे हुए हैं। दरोगा की साजिश में यह हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी फिर से जांच कराई जाय।

श्री देव कुमार यादव—

खुद थानाध्यक्ष के सम्बन्ध में आरोप है कि उसने हमला करवाया है। क्या उस थानाध्यक्ष के खिलाफ स्थानान्तरण की या निलम्बन की कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों का कहना है कि जो असली मारने वाले थे वह बच गये। उनका नाम एफ0 आई0 आर0 में नहीं है।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

मान्यवर, यह तो साफ बात है कि माननीय श्री गोमती यादव को इस का अन्दाज हो गया है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दे लेने दीजिये। आप तो प्रश्न करते जा रहे हैं।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

मान्यवर, माननीय गोमती यादव जी के साथ जो घटना घटी है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है, उस पर कोई कसर नहीं रखी जायेगी। जैसे मान्यवर, आपके आदेश होंगे, कार्यवाही की जायेगी। सरकार माननीय सदस्य की सुरक्षा के लिए हमलावरों का कोई पक्ष लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मान्यवर, आप भी कानून के जानकार हैं। माननीय सदस्य भी उसकी बारीकी जान लें। अभियोग-पत्र दाखिल कर दिया है। कुछ लोगों का नाम रह गया है। मेरा निवेदन है मान्यवर, जैसा आप आदेश करें, माननीय सदस्य का मामला है जो भी अच्छा और उचित होगा, किया जायेगा। अभियोग-पत्र अदालत में दाखिल हो गया है। यह सही है कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिनके खिलाफ अभियोग-पत्र है वह सही है, इसे श्री गोमती यादव जी भी मानते हैं। एक बात की कमी है कि कुछ लोगों का नाम भी उसमें रखना चाहिए था वह नहीं लिखा गया है। यही उनकी शिकायत है।

एक सदस्य--

वे कह रहे हैं जिन लोगों के नाम चार्जशीट कर दी गई है।....

श्री अध्यक्ष--

नहीं ऐसा नहीं है। इसको कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश--

मान्यवर, अभियोग पत्र दाखिल हो गया है जिनके खिलाफ दाखिल हुआ वह मौके पर थे। यह कहा गया है कि हाथ से लिखी हुई तहरीर है। इस मामले को हम दिखवा सकते हैं। माननीय सदस्य यदि कोई जानकारी देते हैं तो उसकी भी हम जांच करा लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं। माननीय सदस्य की सूचना के विश्वास पर इस पर जो भी उच्च स्तरीय कार्यवाही शासन कर सकता है, वह करें।....

(व्यवधान)

अब मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(मद संख्या 15 पुकारे जाने पर)

श्री जय सिंह यादव—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये। मैं भी वकील हूं।

(व्यवधान)

चार्जशीट दुबारा नहीं लगती। अदालत जब आदेश देगा तो जांच हो जायेगी। यह बिल्कुल अलग चीज है सदन की मंशा यह है कि थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष—

आप यह कैसे मान रहे हैं कि सारी जानकारी केवल आपको है और शासन जो कार्यवाही कर रहा है, उसकी जानकारी नहीं है। आप कृपया बैठ जायें।

आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सहमत हों तो पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

[प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पुरुषोत्तम दास खंडेलवाल, महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी महानगर, आगरा ने दिनांक 14 जून, 1990 को अपरान्ह अपर जिलाधिकारी (नगर) आगरा को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों पर जन जागरण हेतु इन्दौर से 40 पद यात्री दिनांक 15 जून 1990 को प्रातः कुकुआ ग्राम होकर आगरा नगर में प्रवेश करेगें और ग्राम सेवला बुन्दूकटरा, नौलखा, बालूगंज, छोपीटोला, बिजलीघर, सुभाष नगर, जौहरी बाजार, रावत पाड़ा, पीपल मण्डी, काला महल होते हुए कचहरी घाट पहुंच कर सभा करेगें व रात्रि पड़ाव धर्मशाला कचोरा बाजार में करके दिनांक 16 जून, 1990 को प्रातः 5 बजे आगरा से मथुरा के लिए प्रस्थान करेगें।

प्रस्तावित मार्ग में बिजली घर चौराहा एवं सुभाष बाजार की सम्वेदन-शीलता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा दिनांक 15 जून, 1990 को श्री खण्डेलवाल, को सूचना प्रेषित कर दी गयी कि संशोधित मार्ग कुकुआ, बुन्दूकटरा, नौलक्खा, आगरा अशोक चौराहा, मालरोड, ओवरब्रीज चौराहा, बालूगंज चौराहा हुकमलाल इन्टर कालेज, पी0 डब्लू0 डी0 आफिस, अमर सिंह गेट (लालकिला) जमुना घाट चौराहा-जमुना किनारा रोड व बेलनगंज चौकी जैन धर्मशाला से पद यात्रा जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सम्पूर्ण कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जाये।

इस प्रस्तावित पद यात्रा में कुल 29 पद यात्री व 20 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता व भारतीय जनता पार्टी के दो-तीन पदाधिकारी यात्रा के साथ नगर में प्रवेश हुए। इसमें से मुख्य टुकड़ी तो प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग पर ही

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगे बढ़ी परन्तु 12-13 पद यात्रियों को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता प्रशासन द्वारा स्वीकृत मार्ग का उल्लंघन करते हुये बिजली घर की ओर से जामा मस्जिद की ओर ले जाने हेतु चल पड़े। उक्त सूचना होने पर वरिष्ठ अधिकारी तत्काल अशोक होटल चौराहे पर पहुंचे तथा वहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री भगवान शंकर रावत से विचार-विमर्श किया परन्तु तब तक 12-13 व्यक्तियों की एक टुकड़ी व भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का एक मोर्चा बिजली घर की ओर बढ़ गया। अप्रिय घटना को रोकने हेतु तुरन्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) व पुलिस अधीक्षक (नगर) आगरा बिजली घर चौराहे पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं व भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बिजली घर की ओर न जाने हेतु समझाने का प्रयास किया गया जिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बात से सहमत हो गए कि जामा मस्जिद के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र देखते हुए इस पद यात्रा को सुभाष बाजार व जोहरी बाजार की ओर जाना उचित नहीं है परन्तु भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के घेरे के तोड़ने का प्रयास किया परन्तु वे सफल नहीं हुए तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इन व्यक्तियों को लगभग 15-20 मिनट में स्थिति की संवेदनशीलता बताते हुए शान्त कर लिया गया और वे कश्मीर बचाओ व धारा 370 संविधान के विरुद्ध नारे लगाते हुए आगरा किला के सामने से होते हुए प्रस्थान कर गये जहां पहले से ही पद यात्रियों का मुख्य टुकड़ा शान्तिपूर्वक पहुंच चुका था। दिनांक 15 जून, 1990 को रात्रि में विश्राम करने के बाद दिनांक 16 जून, 1990 को प्रातः पद यात्रीगण शान्तिपूर्वक मथुरा जिले को प्रस्थान कर गये।

यह सही नहीं है अधिकारियों की शह पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज करके अनेक पदयात्रियों व कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया व भीतरी चोटें पहुंचाई। इस घटना में किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया गया है।]

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य आया है जिसे पढ़ा हुआ माना गया है मैं आशा करता था कि व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार से कि वह इस व्यवस्था में अवश्य परिवर्तन करेगी लेकिन यह जो वक्तव्य दिया गया है यह सत्य से परे है...

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल करिये। जो स्पष्टीकरण लेना है वह करिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मैं वही कर रहा हूं कि क्या शहर में धारा 144 लागू की तो जो कश्मीर के पद यात्री जो टोली बना कर चल रहे थे...

कोरम के अभाव में सदन का स्थगन

श्री यशवंत—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में कोरम पूरा नहीं है और कार्यवाही चल रही है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, जो टोली चली...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, कोरम नहीं है, घंटी बजाई जाय ।

(कोरम की घंटी बजाई गयी)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—
जो हैं वह भी जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो तीन मिनट बैठना ही पड़ेगा और कोरम पूरा होगा तो आगे भी ठना होगा ।

(3 मिनट तक कोरम की घंटी बजने पर और कोरम पूरा न होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कोरम के अभाव में कार्यवाही समाप्त हुई, अब हम उठते हैं कल 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
28 जून, 1990

भोला चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अल्प सू0 ता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के लिये निर्धारित डा0 दिनेश जौहरी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर का संलग्नक ।

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार

लखनऊ 6 वैशाख, 1912

28 अप्रैल, 1990

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989-90 की अवधि में 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी । इसमें 30 मैदानी क्षेत्रों में तथा दो पर्वतीय क्षेत्र में हैं । इन्हें सम्मिलित करके प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या अब कुल 295 हो गयी ।

इसी प्रकार गत वित्तीय वर्ष में 124 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये जिन्हें सम्मिलित करके ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या 4127 हो गयी ।

स्वास्थ्य मंत्री, श्री मुख्तार अनीस ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि शासन की नीति के अनुसार प्रत्येक तीस हजार आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक लाख की आबादी पर ब्लाक स्तर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं । ऐसे जनपद जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है और मंडल मुख्यालय हैं, 300 शैय्याओं वाले चिकित्सालय और जहां मेडिकल कालेज नहीं है, 500 शैय्याओं के चिकित्सालय खोले जा रहे हैं । उन्होंने बताया कि ऐसे जनपदों में जहां दो लाख से कम जनसंख्या है, 200 शैय्याओं के अस्पताल खोलने की नीति है ।"

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

श्री जय शंकर पाण्डेय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–112 का

संलग्नक

क्रय एजेन्सी का नाम	खोले गए केन्द्रों का नाम	की गई धान खरीद
1	2	3
(1) पी0 सी0 एफ0	1—बिरौली	..
	2—सुचितागंज	..
	3—पिलखावां	..
	4—महबूबगंज	..
	5—धीकापुर	..
	6—बख्तनगर	..
	7—धीरेबाजार	65–00–000 कुन्तल
	8—धाकन	222–08–000 कुन्तल
	9—हुंदरगंज	100–10–000 कुन्तल
	10—ताकल	..
	11—अकबरपुर	609–70–000 कुन्तल
	12—जिला सहकारी सभा अकबरपुर	..
	13—बरियावन	.
	14—पैकोलीबाजार	..
	15—केवारगंज	..
	16—बसखारी	827–70–000 कुन्तल
	17—अलकपुर	..
	18—महराजगंज	..
	19—अलालपुर	205–00–000 कुन्तल
	20—महकआर्गला	..
	21—मीडी	..
(2) भारतीय खाद्य निगम	22—धीकापुर	शून्य

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 131 का उत्तर पीछे पृ0 76पर)

पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल, फैजाबाद

आजमगढ़ जनपद के सरैया ब्लाक में विश्व बैंक पोषित नलकूपों की सूचना

क्रम-सं0	नलकूप सं0 व समूह	कमाण्ड एरिया	सिंचन क्षमता	1-7-89 से 30-11-89 तक सिंचित क्षेत्र हे0 में0 1-7-89 से 30-9-89 तक	1-10-89 से 30-11-89 तक	योग	सिंचन क्षमता का प्रतिशत उपयोग	सिंचाई विभाग से प्राप्त राजस्व	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	144 एस0 जी0	100	100	6	0.405	6.405	6.4	524.40	
2	145 ,, ,,	100	100	3	0.405	3.405	3.4	250.80	
3	147 ,, ,,	100	100	4	0.405	4.405	4.4	328.00	
4	152 ,, ,,	100	100	7	..	7	7.0	406.60	
5	162 ,, ,,	100	100	12	0.810	12.810	12.8	1394.30	
6	163 ,, ,,	100	100	11	0.405	11.405	11.4	1003.20	
7	164 ,, ,,	100	100	5	..	5	5.0	604.20	
8	165 ,, ,,	100	100	4	0.405	4.405	4.4	334.40	
9	166 ,, ,,	100	100	8	0.810	8.810	8.8	573.80	
10	167 ,, ,,	100	100	3	0.405	3.405	3.4	235.60	
11	168 ,, ,,	100	100	4	0.405	4.405	4.4	239.40	
12	169 ,, ,,	100	100	6	..	6	6.0	226.80	
13	170 ,, ,,	100	100	9	0.405	9.405	9.4	120.70	
14	171 ,, ,,	100	100	7	..	7	7.0	376.20	

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
15	172	,,	,,	100	10	10	1	11	11.0	1107.00	
16	173	,,	,,	100	100		..	7	7.0	824.60	
17	174	,,	,,	100	100	10	4	14	14.0	896.80	
18	175	,,	,,	100	100	6	0.405	6.405	6.4	307.80	
19	176	,,	,,	100	100	8	0.405	8.405	8.4	843.60	
20	177	,,	,,	100	100	10	0.405	10.405	10.4	459.80	
21	178	,,	,,	100	100	7	0.810	7.810	7.8	1193.20	
22	179	,,	,,	100	100	11	0.405	11.405	11.4	950.00	
23	180	,,	,,	100	100	10	..	10	10.0	1056.40	
24	181	,,	,,	100	100	1	0.405	1.405	1.4	68.40	
25	182	,,	,,	100	100	4	0.810	4.810	4.8	360.60	
26	183	,,	,,	101	100	6	..	6	6.0	319.20	
27	184	,,	,,	100	100	3	0.810	3.810	3.8	296.40	
28	185	,,	,,	100	100	8	..	8	8.0	459.80	
29	186	,,	,,	100	100	13	..	13	13.0	885.40	
30	187	,,	,,	100	100	10	0.405	10.405	10.4	619.40	
31	160	,,	,,	106	100	4	..	4	4.0	341.00	
32	161	,,	,,	116	100	3	..	3	3.0	408.00	
33	73	,,	,,	91	86	2	..	2	2.32	76.00	
34	134	,,	,,	104	92	1	..	1	1.1	44.00	
35	107	,,	,,	108	96	..	..	..	..	..	
36	196	,,	,,	..	..	..	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ब'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 101 पर)

तालिका

		पुरुष संवर्ग				महिला संवर्ग		
क्र0 सं0	पद नाम	कुल पद	पी0 एम0 एस0 (भरे पद) (पुरुष)	पी0 एच0 एस0 (भरे पद) (पुरुष)	पी0 एम0 एच0 एस0 (रिक्त पद) (पुरुष)	कुल पद महिला	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	महानिदेशक	01	..	01	..	..	..	..
2	निदेशक	11	..	..	10	01	..	01
3	अपर निदेशक	59	10	05	36	08	02	06
4	संयुक्त निदेशक	421	178	18	145	80	32	48
5	सीनियर स्केल	1891	1619	01	28	243	234	09
6	साधारण ग्रेड	8116	4647	..	2003	1466	840	626

पी0 एस0 यू0 पी0—15 वि0 सभा—4-10-1990—813 (पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा